एन एच पी सी
NHPC

39वीं वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

निगम का दृष्टिकोण

पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से विद्युत का सतत विकास करने वाला विश्वस्तरीय, बहुविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों एवं बहुविध व्यवसाय के माध्यम से विद्युत के विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता क़ो प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन कम लागत पर, और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तौर तरीके अपनाते हुए तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नवीन अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल 2
संदर्भ सूचना 3
महत्वपूर्ण वित्तीय आकड़ों का सार (5 वर्ष) 4
अध्यक्षीय वक्तव्य 7
निदेशकों का प्रोफाइल 11
निदेशकों की रिपोर्ट 15
कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 29
कारपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र 52
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 53
ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय 68
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 70
एनएचपीसी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीय विकास (एसडी) 79
वार्षिक रिटर्न का सार 87
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 103
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन की टिप्पणियां 109
वित्तीय विवरण 117
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर 167

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 169
वित्तीय विवरण 179

एनएचडीसी

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 234
वार्षिक लेखे 239
नकदी प्रवाह विवरण 269

एलडीएचसीएल

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 270
वार्षिक लेखे 275
नकदी प्रवाह विवरण 294

बीएसयूएल

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 295
वार्षिक लेखे 297
नकदी प्रवाह विवरण 328

निदेशक मंडल

31.07.2015 को

श्री आर. एस. टी शाई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री जी. पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)

श्री राधेश्याम मीना
निदेशक (कार्मिक)

श्री जयन्त कुमार
निदेशक (वित्त)

डा. अरुणकुमार वर्मा
सरकारी नामिति निदेशक

श्रीमती कृष्णा त्यागी
सरकारी नामिति निदेशक

श्री अशोककुमार दत्ता
स्वतंत्र निदेशक

श्री अतुलकुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक

श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद
हरियाणा-121003

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

रजिस्ट्रार एंव शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों तथा कर मुक्त बॉण्ड हेतु :
मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: 040 67161500
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : karvycomputershare.com

अन्य बॉण्ड हेतु
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.
बी-25/1, प्रथम तल
ओखला फेज - II
नई दिल्ली - 110020
दूरभाष सं.: 011-26387320
ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

शेयर और कर मुक्त बांड निम्नलिखित में सूचीबद्ध है :

बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपाजिटरीज

नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोसिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

अन्य बॉण्ड निम्नलिखित में सूचीबद्ध है :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
(थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत)

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री के.के.गोयल, प्रमुख (वित्त)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.नंदा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
सी-43, पम्पोश एन्क्लेव,
ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली-110048

मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
सी-37, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली - 110001

मैसर्स गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार,
142/3, त्रिकूट नगर, जम्मू तवी,
जम्मू एवं कश्मीर - 180012

मैसर्स रे एंड रे
सनदी लेखाकार,
वेबल भवन, ग्राउंड फ्लोर, ब्लाक ईपी और जीपी, सेक्टर 5,
विधाननगर, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बडौदा
ड्यूश बैंक
बैंक ऑफ भूटान

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स बहादुर मुराव एंड कंपनी
शॉप नं. 25, डीडीए मार्किट, ''बी'' ब्लाक, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी
सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110032

मैसर्स एस. सी. मोहन्ती एंड एसोसिएटस
511, शहीद नगर, भवनेश्वर-751007

मैसर्स के. एल. जयसिंह एंड कंपनी
जे-7, सेक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा - 201301

मैसर्स एच. तारा एंड कंपनी
ए-1-बी/49-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

मैसर्स वी.पी.गुप्ता एंड कंपनी
बी-25, सेक्टर-23, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

मैसर्स एस.के.आर. एंड एसोसिएटस
दुकान नं.5, प्रथम तल, जेडीए मार्किट, निकट एसबीबीजे चौराहा, चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर-302021

डिबेंचर ट्रस्टी

7.70 प्रतिशत ओ सिरीज	**एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.** दूसरा तल, स्टेटसमैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 100001 टेलीफोन :+91 11 47396624 ई-मेल : krishnakant.sharma@axisttustee.com
9 प्रतिशत पी सिरीज, 9.25 प्रतिशत क्यू सिरीज, कर मुक्त बाण्ड एनएचपीसी 2013 (सिरीज 1 ए, 1बी, 2 ए, 2 बी, 3ए और 3 बी) और 8.49 प्रतिशत एस1, 8.54 प्रतिशत एस 2 सिरीज	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.** एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001 टेलीफोन :+91 22 40807000 ई-मेल : itsl@idbitrustee.com
8.70 प्रतिशत आर 1, 8.85 प्रतिशत आर 2 और 8.78 प्रतिशत आर 3 सिरीज	**एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लि.** 8, खेतान भवन, 5वां तल, 198, जे.टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400202 टेलीफोन :+91 22 43025555 ई-मेल : helpdesk@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का सार (एकल लेखा)

(करोड़ रुपयों में)

	वित्तीय	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
ए	ऊर्जा की बिक्री	6,736.64	5,335.11	5,049.13	5,509.65	4,046.59
बी	अन्य प्रचालन आय और संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	65.61	201.93	257.51	409.83	178.66
सी	अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	861.33	1,456.95	1,232.79	871.26	706.86
डी	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	**7,663.58**	**6,993.99**	**6,539.43**	**6,790.74**	**4,932.11**
ई	उत्पादन एवं अन्य व्यय	2,753.72	3,177.77	1,982.63	2,038.72	771.36
एफ	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,425.87	1,210.76	969.29	892.74	916.74
जी	वित्त लागत	1,179.77	1,022.40	385.38	342.24	366.60
एच	**कर और दर विनियमित आय से पूर्व लाभ**	**2,304.22**	**1,583.06**	**3,202.13**	**3,517.04**	**2,877.41**
आई	दर विनियमित आय/व्यय	521.95	-	-	-	-
जे	**कर पूर्व लाभ (एच) + (आई)**	**2,826.17**	**1,583.06**	**3,202.13**	**3,517.04**	**2,877.41**
के	कर	701.70	604.27	853.91	745.27	710.74
एल	**कर उपरान्त लाभ (जे) - (के)**	**2,124.47**	**978.79**	**2,348.22**	**2,771.77**	**2,166.67**
एम	प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
एन	इक्विटी चुकता शेयर पूंजी	11,070.67	11,070.67	12,300.74	12,300.74	12,300.74
ओ	आरक्षित एवं अधिशेष	17,215.72	14,996.98	15,539.76	14,052.79	12,279.94
पी	दीर्घावधि ऋण	18,171.03	18,580.52	17,417.52	16,272.80	13,702.53
क्यू	अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	2,224.12	2,420.51	2,427.61	3,139.25	2,990.45
आर	विलंबित कर देयताएं	810.44	766.67	460.69	204.04	161.33
एस	सकल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	32,982.14	32,931.02	25,720.04	23,060.93	22,874.93
टी	मूल्यह्रास (प्रावधान)	10,286.98	8,851.48	7,680.08	6,692.61	5,774.04
यू	**निवल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (एस)-(टी)**	**22,695.16**	**24,079.54**	**18,039.96**	**16,368.32**	**17,100.89**
वी	चाल पूंजीगत कार्य	16,054.72	14,657.13	19,709.04	19,349.74	15,962.77
डब्ल्यू	निवेश (गैर-वर्तमान)	1,977.75	2,227.02	2,400.61	2,499.14	2,659.96
एक्स	अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां दर विनियमित परिसंपत्तियों सहित	3,534.67	1,986.06	2,183.11	2,610.55	2,491.93
वाई	कार्यशील पूंजी	5,229.68	4,885.60	5,813.60	5,141.87	3,219.44
जेड	**सकल पूंजी नियोजित (यू)+(वी)+(डब्ल्यू)+(एक्स) +(वाई)**	**49,491.98**	**47,835.35**	**48,146.32**	**45,969.62**	**41,434.99**
एए	**निवल मूल्य (एन)+(ओ)**	**28,286.39**	**26,067.65**	**27,840.50**	**26,353.53**	**24,580.68**
एबी	**लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)**	**664.27**	**332.12**	**738.04**	**861.05**	**738.04**

	अनुपात	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ((जे)+(जी))/(जेड)	8.09%	5.45%	7.45%	8.40%	7.83%
	निवल मूल्य पर प्रतिफल (एल)/(एए)	7.51%	3.75%	8.43%	10.52%	8.81%
	ऊर्जा की निवल बिक्री पर निवल लाभ (एल)/(ए)	31.54%	18.35%	46.51%	50.31%	53.54%
	प्रति शेयर बही मूल्य	25.55	23.55	22.63	21.42	19.98
	प्रति शेयर अर्जन	1.92	0.82	1.91	2.25	1.76
	प्रति शेयर लाभांश	0.60	0.30	0.60	0.70	0.60
	ऋण तथा इक्विटी अनुपात (पी)/((एन)+(ओ))	0.64	0.71	0.63	0.62	0.56
	वर्तमान अनुपात	1.88	1.80	1.91	1.76	1.52

	प्रचालन कार्य-निष्पादन	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
	उत्पादन (एमयू)	22038	18386	18923	18683	18604
	क्षमता (मेगावाट में)	4987	4857	4050	3775	3775
	संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	77.3	77.7	85.3	83.3	85.2
	जनशक्ति (सं.)	9211	9838	10410	11036	11420

श्री पीयूष गोयल, विद्युत मंत्री का अभिनंदन करते हुए श्री के. एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी।

श्री पीयूष गोयल, विद्युत मंत्री ओमकारेश्वर पावर स्टेशन के लिए श्री. के. एम. सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी और आर.एस. टी. शाई, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी को गोल्ड शील्ड पुरस्कार प्रदान करते हुए।

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बैठक में भाग लेकर इसे सफल बनाया।

निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित विवरण (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) तथा इन पर लेखा परीक्षकों की (वर्ष 2014-15) रिपोर्ट पहले ही आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत की जा चुकी है। अब मैं आपकी आज्ञा से उक्त रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मानता हूँ।

निष्पादन समीक्षा

पिछला वर्ष आपकी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार है:

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 2124.47 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया जबकि गत वर्ष कंपनी का लाभांश केवल 978.79 करोड़ रुपए रहा था।

वर्ष के दौरान कंपनी का बिक्री कारोबार 5883.32 करोड़ रुपए रहा है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 22038 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जो अब तक का रिकार्ड विद्युत उत्पादन रहा है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमओयू के आधार पर वर्ष के दौरान निर्धारित उत्कृष्ट रेटिंग 76.4% की तुलना में प्लांट उपलब्धता फैक्टर 77.3% रहा है।

पार्बती-III पावर स्टेशन की यूनिट-IV के वाणिज्यिक संचालन के साथ ही वर्ष के दौरान कंपनी की कुल क्षमता में 130 मेगावाट की अभिवृद्धि हुई है।

बंद पड़ी तीस्ता लो डैम-IV परियोजना (160 मेगावाट) का कार्य पुनः प्रारंभ होने के साथ ही परियोजना की चार यूनिटों में से दो यूनिटों का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही तक तथा शेष दो यूनिटों का निर्माण कार्य जून-2016 तक पूरा होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए कंपनी ने अपनी एक अनुषंगी कंपनी 'बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड' का गठन किया है।

उड़ी-II पावर स्टेशन (240 मेगावाट) भीषण आग की दुर्घटना के कारण से 20.11.2014 से पूरी तरह से बंद थी। इस तथ्य के बावजूद भी आपकी कंपनी ने उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब उड़ी-II पावर स्टेशन को पुनः चालू कर लिया गया है।

आपकी कंपनी सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) का निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस परियोजना का निर्माण कार्य असम के विभिन्न दबाव समूहों द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण से 16.12.2011 से बंद है। विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट ओवर साइट कमेटी (पीओसी) का गठन किया है। अब तक पीओसी की आठ बैठकें आयोजित की गई हैं तथा इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। आपकी कंपनी ने निर्माण गतिविधियों को पुनः शुरूकरने के लिए सभी स्टेक होल्डरों को सक्रिय रूप से कार्य पर लगा रखा है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने तीस्ता बेसिन में 293 मेगावाट अनुमानित क्षमता की कुल चार जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन व अनुरक्षण के आधार पर विकसित किया जाएगा।

लाभांश

वर्ष 2014-15 के लिए, निदेशक मंडल ने 0.60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (लाभांश कर को छोड़कर) का लाभांश देने की सिफारिश की है। उपरोक्त राशि में फरवरी, 2015 में भुगतान किए गए 0.20 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी शामिल है। कुल लाभांश का भुगतान 664.27 करोड़ रुपए रहेगा जो कर पश्चात लाभ का 31.27% है।

कारपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी ने प्रभावी कारपोरेट अभिशासन स्थापित किया है जो गुणवत्ता पूर्ण अभिशासन, पारदर्शिता, समय से प्रकटीकरण, स्टेक होल्डर्स मूल्य में निरंतर अभिवृद्धि और कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का द्योतक है। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, आपकी कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की उन सभी आवश्यकताओं/निर्देशों का अनुपालन किया है, जिसका उल्लेख सूचीबद्ध समझौता ज्ञापन में किया गया है तथा इस संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन किया है। कंपनी ने सभी के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यक स्टेक होल्डर्स के लिए पारदर्शिता व निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत ढ़ांचा विकसित किया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता

आपकी कंपनी ने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण व शिक्षा देने जैसे सामाजिक मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिया है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास संबंधी गतिविधियों के लिए आबंटित बजट से 52.42 करोड़ रुपए खर्च किए। आपकी कंपनी ने प्रधान मंत्री महोदय द्वारा संचालित 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अंतर्गत स्कूली छात्रों में स्वच्छता जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बढ़-चढ़ कर भाग लिया है।

संभावनाएं

अब हम अपने इतिहास के एक ऐसे कठिन मोड़ पर हैं जिसमें हमें वर्तमान उत्पादन को निरंतर बनाए रखते हुए विकास के नए आयामों की खोज भी करनी है। हमें थर्मल, पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में पदार्पण के अपने प्रयास जारी रखने होंगे।

वर्तमान में 3290 मेगावाट संस्थापित क्षमता की चार जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 50 मेगावाट क्षमता की एक विंड पावर परियोजना जैसलमेर, राजस्थान में निर्माणधीन है तथा 50 मेगावाट क्षमता की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम वाली सोलर पावर परियोजना, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन में प्रक्रियाधीन है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी के विस्तार कार्यक्रम के तौर पर 5115 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 05 जलविद्युत परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर में तीन परियोजनाएं (2120 मेगावाट) तथा 66 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना एवं 770 मेगावाट संस्थापित क्षमता की परियोजनाएं क्रमशः मणिपुर तथा भूटान में संयुक्त उद्यम के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

आभार

मैं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। मैं एनएचपीसी के स्टेकहोल्डर्स के साथ-साथ मंत्रालयों, संघ सरकार के प्राधिकरणों और एजेंसियों, राज्य सरकारों, माननीय शेयर होल्डरों और हमारे सम्माननीय ग्राहकों के सहयोग और उत्साहवर्धन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एनएचपीसी के सभी कार्मिकों की टीम का भी उनके द्वारा कंपनी को चलाने में किए गए कठिन परिश्रम व समर्पण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं पुनः अपने निदेशक मंडल की ओर से आपके निरंतर सहयोग और विश्वास के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमें अपने प्रयासों में उत्कृष्टता बनाए रखने तथा आपके लिए निरंतर और आपकी कंपनी के लिए उत्कृष्ट मूल्य सृजन करते रहने की प्रेरणा मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें आपका इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा ।

आपका शुभेच्छु,

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

दिनांक - 23 सितम्बर, 2015
स्थान - फरीदाबाद

नोट : इसका अभिप्राय वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड नहीं है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री आर. एस. टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी।

बांध- पार्बती-III पावर स्टेशन, 520 मेगावाट (हिमाचल प्रदेश)

निदेशकों का प्रोफाइल

श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 00171920

श्री आर.एस.टी. शाई 08.06.2014 से एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार धारित किए हुए हैं। उन्हें 11.03.2015 से एनएचपीसी के निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। श्री आर.एस.टी. शाई टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं। इसके अतिरिक्त वह यूजेवीएनएल में एक अंशकालिक निदेशक और आईआईटी, रूड़की की शासी परिषद के सदस्य हैं।

श्री आर.एस.टी. शाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और आईआईएम बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा धारक हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि डिग्रीधारक भी हैं।

श्री आर.एस.टी. शाई के पास बैंकिंग, वित्त, वाणिज्य, ईपीसी संविदा और संविदा प्रबंधन में 34 वर्ष से अधिक का व्यापक अनुभव है। वह पूर्व में एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और दिल्ली मेट्रो में विभिन्न क्षमताओं में कार्य कर चुके हैं।

श्री डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन संख्या : 01277269

श्री डी. पी. भार्गव (आयु 59 वर्ष) रुड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक हैं और उनके पास जल विद्युत क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव है। वे परियोजनाओं के डिजाइन और इंजीनियरी, विद्युत गृहों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, संविदा और अधिप्राप्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के प्रभारी हैं।

श्री भार्गव ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकरी जल विद्युत केन्द्र में भी कार्य किया हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री भार्गव ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया जिसमें कार्यपालक निदेशक (परियोजना) शामिल है। वे एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक निदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने 26 मार्च, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री राधेश्याम मीना, निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन संख्या : 00149956

श्री राधेश्याम मीना (आयु 58 वर्ष) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (अब एमएएनआईटी के रूप में विख्यात), भोपाल से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ व्यापार विकास में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं।

श्री मीना ने विद्युत क्षेत्र में तकनीकी तथा शासन स्तर पर अपने 34 वर्ष से अधिक के अनुभव के दौरान, डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, कार्यान्वयन, परीक्षण एवं ट्रांसमिशन लाइनों तथा जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने जैसे विविध कार्यों को संभाला है। वे एनएचपीसी लिमिटेड में कई अन्य विभागों के प्रमुख भी रहे है।

वर्तमान में वे मानव संसाधन प्रबंधन, राजभाषा, मानव संसाधन विकास, संपदा प्रबंधन सेवा प्रभाग, विधि, कारपोरेट संचार, और परामर्शी एवं संयुक्त उद्यम के दायित्व को संभाले हुए हैं। श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव, तत्कालीन निदेशक (वित्त) के निदेशक के पद पर कार्यकाल समाप्त होने पर श्री मीना को 15.09.2014 से विद्युत मंत्रालय ने निदेशक(वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।

श्री मीना कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों तथा सम्मानों के विजेता है। उनमें से कुछेक का उल्लेख किया जा सकता है जैसे श्री आर.एस. मीना को संगठनात्मक विकास, नेतृत्व, नवाचार एवं परिवर्तन प्रबंधन एप्रोच के माध्यम से मानव संसाधन क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए आईपीई (इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइस) द्वारा संस्थापित एचआर नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिल कर मानव संसाधन अग्रणी के रूप में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया था।

श्री मीना को वर्ष 2012-2014 की अवधि हेतु विद्युत एचआर फोरम का अध्यक्ष चुना गया है जिसे ''मानव संसाधन में उत्कृष्टता के माध्यम से भारतीय विद्युत क्षेत्र की सेवा करने'' के उद्देश्य से गठित किया गया है और वे 2013-15 और 2015-16 की अवधि हेतु सार्वजनिक उद्यमों संबंधी स्थायी समिति (स्कोप) के सदस्य है। वे एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक का प्रभार भी धारित किए हुए है।

श्री मीना ने 1981 में एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और 1991 से 1998 तक वे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे। उन्होंने 1998 को फिर से एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया कार्यपालक निदेशक (परामर्शी एवं व्यापार विकास) और कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-III, कोलकाता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 28 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त)

डीआईएन सं. 03010235

श्री जयन्त कुमार (58 वर्ष) पेशे से एक लागत लेखाकर हैं तथा इनका एनएचपीसी में प्रतिष्ठित करियर रहा है। उनके पास कारपोरेट वित्तीय प्रबंधन में 3 दशक से अधिक का प्रचुर एवं विविध अनुभव रहा है।

श्री कुमार संगठन के वित्तीय प्रबंधन की समूची श्रृंखला हेतु उत्तरदायी है जिसमें संसाधन जुटाना, निधियों का ईष्टतम उपयोग, बजटीय नियंत्रण और निवेश निर्णय, टैरिफ आदि शामिल हैं। इन्होंने निगम हेतु कई महत्वपूर्ण संव्यवहारों का नेतृत्व किया है जैसे कि वर्ष 2009 में इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ), 2013 में करमुक्त बॉण्ड जारी करना, 2013 में शेयरों की पुनः खरीद का प्रस्ताव, एनएचपीसी पहला सीपीएसई था जिसने शेयरों की पुनः खरीद का विकल्प चुना।

मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में वह पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और कम्पनी द्वारा ठोस कारपोरेट शासन व्यवहारों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी हैं। वह निवेशक समुदाय और कम्पनी के प्रबंधन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

एनएचपीसी बोर्ड ने शमिल होने से पूर्व श्री कुमार ने एनएचपीसी में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है जिसमें कार्यपालक निदेशक (वित्त) शामिल है। श्री कुमार एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी) के बोर्ड में एक अंशकालिक निदेशक हैं। एनएचपीसी के अतिरिक्त, वह यूजेवीएन लिमिटेड (उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम) के निदेशक (वित्त) के रूप में एक सफल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।

श्री कुमार को जून, 2014 में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा उनकी 55वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान लागत लेखांकन व्यवसाय में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है।

इन्होंने 26.05.2015 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

डा. अरूण कुमार वर्मा, सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन संख्या 02190047

डा. अरूण कुमार वर्मा (55 वर्ष) 1986 के गुजरात बैच के एक भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। डा. ए.के.वर्मा भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक, एफआरआई एवं सी, देहरादून से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (एआईजीएनएफए) के एक एसोसिएट और जनजातीय विकास नीति में पीएचडी धारक हैं। डा. वर्मा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर और मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एण्ड इंटरनेशनल अफेयर्स, सिराकस यूनिवर्सिटी, अमेरिका से लोक नीति तथा प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पीजीपीपीएम) को भी पूरा किया है।

डा. वर्मा के पास 29 वर्ष से अधिक का प्रशासनिक तथा प्रबंधन अनुभव है। वह विभिन्न क्षमताओं में गुजरात सरकार के साथ संबद्ध थे जिसमें वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी मण्डल, अहमदाबाद, जनजातीय विकास आयुक्त तथा प्रबंध निदेशक, उत्तर गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड शामिल है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वह गुजरात पारिस्थितिकीय आयोग, गांधी नगर के सदस्य सचिव और 29 जुलाई, 2011 से 14 नवम्बर, 2014 तक विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन के परियोजना निदेशक के रूप में तैनात थे।

डा. वर्मा एक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने 17.12.2014 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्रीमती कृष्णा त्यागी, सरकारी नामिति निदेशक

डीआईएन संख्या : 07230978

श्रीमती कृष्णा त्यागी (55 वर्ष) बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंग्डम से लोक नीति पर प्रमुख फोकस के साथ लोक सेवा में एमबीए डिग्रीधारक और दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। श्रीमती त्यागी ने अपना करियर 17 दिसम्बर, 1987 को भारतीय सिविल लेखा सेवा में एक परिवीक्षार्थी के रूप में प्रारम्भ किया और उनके पास लेखापरीक्षा, वित्त, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, कार्मिक प्रबंधन में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। भारतीय सिविल लेखा सेवा की अधिकारी होने के चलते वित्तीय प्रबंधन उनका मजबूत क्षेत्र है। श्रीमती त्यागी के पास नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास तथा अन्य मंत्रालयों में भी वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का विविध प्रकार का अनुभव है। वर्तमान में वह विद्युत मंत्रालय, दिल्ली में संयुक्त सचिव के समतुल्य स्तर पर मुख्य नियंत्रक (लेखा) के रूप में कार्य कर रही हैं।

श्रीमती कृष्णा त्यागी ने 8 जुलाई, 2015 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 00045170

श्री अशोक कुमार दत्ता (आयु 68 वर्ष), आईआईटी खडगपुर में बिजनेस स्कूल के संस्थापक डीन रहे है। श्री दत्ता भारत में सबसे पुराने बिजनेस स्कूल, इंडियन इंस्टिट्यूट फोर सोशल वेल्फेयर एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट, का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), के पहले निदेशक के रूप में कार्यभार समाप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए।

श्री दत्ता ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारतीय व्यापार घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 40 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव प्राप्त किया है। जहाजरानी और परिवहन, तेजी से चलन में आने वाले उपभोक्ता उत्पादों, फार्मास्युटिकल्स, मीडिया और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आपने व्यापक अनुभव प्राप्त किया है।

श्री दत्ता वर्तमान में खादिम्स इंडिया लिमिटेड और एबीसी इंडिया लिमिटेड, बैचमेटस डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड के बोर्डों में सेवारत हैं और आल इंडिया टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर दत्ता कियांग्डो, चीन की ओशियन यूनिवर्सिटी में परामर्शी प्रोफेसर है। वे इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईईएम) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा हैदराबाद में विज्ञान ज्योति ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स के सदस्य हैं। वे 30.03.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में शामिल हुए हैं।

श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 02281287

श्री अतुल कुमार गर्ग (आयु 65 वर्ष), राजनीति विज्ञान और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और उन्होंने ब्रिटेन की हुली यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया हैं। श्री गर्ग ने 1976 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राजस्थान काडर के अंतर्गत कैरियर की शुरूआत की। वे राजस्थान वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक, राजस्थान के राज्यपाल के सचिव और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सचिव/विशेष सचिव सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

सीएडी कमिशनर, चम्बल कमान कोटा, के रूप में कार्य करते हुए श्री गर्ग को दो बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का प्रथम पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त हुआ।

श्री गर्ग ने कनाडा की सहायता से बड़े पैमाने पर सिंचाई नहर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समयबद्ध रूप में पूरा करने का दायित्व निभाया। कनाडा की सहायता से चलाया गया यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र देश में किसी भी एजेंसी के कार्य क्षेत्र से बड़ा था। श्री गर्ग ने 30.03.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में पद भार ग्रहण किया है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण

आपके निदेशकों को, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर 39वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयीन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को सारणी 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

सारणी 1 वित्तीय विशिष्टताएं (रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
बिक्री	6,736.64	5,335.11
मूल्यह्रास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-पूर्व लाभ	4,909.86	3,816.22
मूल्यह्रास	1,425.87	1,210.76
मूल्यह्रास के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3,483.99	2,605.46
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,179.77	1,022.40
मूल्यह्रास और ब्याज के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय और कर से पूर्व लाभ	2,304.22	1,583.06
दर विनियमित आय	521.95	-
कर	701.70	604.27
मूल्यह्रास, ब्याज और कर-उपरान्त लाभ	2,124.47	978.79
दर विनियामक परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु पारगमन प्रावधानों से निकलने वाले समायोजन (आय कर हेतु प्रावधान का निवल)	876.10	-
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे के विवरण का अधिशेष	7,447.16	7,146.38
बांड विमोचन रिजर्व से पश्च लिखित राशि	15.96	14.25
स्व बीमा रिजर्व से पश्च लिखित राशि	5.65	3.97
सीएसआर निधि से पश्च लिखित राशि	4.59	7.88
लाभांश पर कर-पश्च लिखित	10.05	5.11
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष राशि	10,483.98	8,156.38
विनियोजन		
बांड विमोचन रिजर्व को अंतरण	379.10	249.45
स्व-बीमा निधि को अंतरण	55.77	51.74
सामान्य आरक्षित को अंतरण	7,500.00	-
सीएसआर रिजर्व को अंतरण	-	2.30
आर एण्ड डी निधि को अंतरण	4.63	17.16
प्रस्तावित/अंतिम लाभांश	664.27	332.13
प्रस्तावित लाभांश पर कर	134.42	56.44
रिजर्व एवं अधिशेष में अग्रेनीत शेष राशि	**1,745.79**	**7,447.16**

2. लाभांश :

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रू. 0.60 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (लाभांश कर के अतिरिक्त) की सिफारिश की है। उक्त राशि में फरवरी, 2015 में 0.20 रुपया प्रति इक्विटी शेयर की दर से अदा किया गया अंतरिम लाभांश शामिल है। अंतिम लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा। अनुमोदन पर, वर्ष के लिए लाभांश का कुल भुगतान कर पश्चात लाभ का 31.27 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी के सामान्य आरक्षित को 7,500 करोड़ रुपए अंतरित की है।

3. विद्युत उत्पादन

6 जून, 2014 को पार्बती-III विद्युत स्टेशन की चौथी यूनिट (130 मेगावाट) के वाणिज्यिक प्रचालन के साथ आपकी कंपनी की स्थापित क्षमता वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बढ़कर 4961.20 मेगावाट हो गई है।

आपको यह सूचित करना हर्ष का विषय है कि आपकी कम्पनी ने अपने 18 विद्युत स्टेशनों के माध्यम से 76.4 प्रतिशत पीएएफ के साथ 21800 एमयू के उत्कृष्ट एमओयू हेतु लक्ष्य के प्रति 77.3 प्रतिशत के संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के साथ 22038 एमयू का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन प्राप्त किया है। सलाल, उड़ी-I तथा सेवा-II विद्युत स्टेशनों ने क्रमशः 3492 एमयू, 3077एमयू और 594 एमयू का अब तक का अपना सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन प्राप्त किया है।

भीषण आग लगने के कारण उड़ी-II विद्युत स्टेशन (240 मेगावाट) 20 नवम्बर, 2014 से पूर्ण शटडाउन के अधीन था। विद्युत स्टेशन की सभी 4 इकाइयों को बहाल कर दिया गया है। उक्त झटके के बावजूद विद्युत स्टेशन ने वर्ष 2014-15 के दौरान अपनी वार्षिक डिजाइन ऊर्जा (1124 एमयू) और नार्मेटिव वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (55 प्रतिशत) को प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, 28.6.2015 को जल स्तर में एकाएक वृद्धि के परिणामस्वरूप चूटक विद्युत स्टेशन, 44 मेगावाट (4 x 11 मेगावाट) पूरी तरह से शटडाउन के अधीन था। यूनिटों में से एक का मैकेनिकल चालन 24 जुलाई, 2015 को सफलतापूर्वक किया गया था। यूनिट को अब शीघ्रातिशीघ्र चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैरास्यूल विद्युत स्टेशन (180 मेगावाट) वर्ष 2016-17 में अपनी वाणिज्यिक प्रचालन के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। विद्युत स्टेशन के कार्यकाल के विस्तार हेतु नवीकरण, आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रस्ताव को उनकी संवीक्षा तथा अनुमोदन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

4. वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन

वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कम्पनी का वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था :

4.1 बिलिंग तथा वसूली

वर्ष के दौरान 6676 करोड़ रूपये की बिलिंग के प्रति बिक्री वसूली 5883.32 करोड़ रूपये थी।

31 मार्च, 2015 के अनुसार 60 दिवस से अधिक हेतु लम्बित बकाया देय 1564 करोड़ रूपये के थे। उपर्युक्त में से 1290 करोड़ रूपये पीडीडी, जम्मू एवं कश्मीर और 203 करोड़ रूपये बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड से संबंधित हैं। आपकी कंपनी ने बकाया देयों की वसूली के लिए सभी प्रयास किए हैं जिसमें चूककर्ता लाभग्राहियों को विद्युत आपूर्ति का विनियमन शामिल है।

अधिकांश लाभग्राही राज्य अब अपने देयों का परिसमापन कर रहे हैं सिवाय विद्युत विकास विभाग (जम्मू एवं कश्मीर), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के।

4.2 टैरिफ विनियमन

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने टैरिफ के निर्धारण हेतु नए विनियम को जारी किया है अर्थात सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014, जिसे 21.2.2014 को जारी किया गया और जो 2014-19 की अवधि हेतु मान्य होगा। एनएचपीसी ने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने 17 विद्युत स्टेशनों हेतु 2014-19 की अवधि के लिए नई टैरिफ याचिकाओं को प्रस्तुत किया है (टूइंग अप याचिकाओं सहित)।

पार्बती-III विद्युत स्टेशन को 6.6.2014 को जारी किया गया। पार्बती-III विद्युत स्टेशन हेतु अनंतिम टैरिफ आदेश 25.6.2014 को जारी किया गया।

तीस्ता लो डैम परियोजना-III और चमेरा-III विद्युत स्टेशनों के लिए भी टैरिफ आदेश सीईआरसी द्वारा क्रमशः दिनांक 22.1.2015 और 24.3.2015 के आदेशों के माध्यम से जारी किए गए हैं।

5. पूंजीगत ढांचा तथा निवल मूल्य

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त पूंजी और निवल मूल्य क्रमशः 11,070.67 करोड़ रुपए और 28,286.39 करोड़ रुपए था।

6. वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है।

तालिका 2 : वर्ष 2014-15 के दौरान निर्माणाधीन जल विद्युत परियोनाओं का ब्योरा

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
i.	तीस्ता लो डैम- IV	पश्चिम बंगाल	160
ii.	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
iii.	सुबानसिरी लोअर*	असम/अरुणाचल प्रदेश	2,000
iv.	किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	330
	कुल		**3,290**

*परियोजना कार्य 16.12.2011 से असम के विभिन्न दबाव वाले समूह के विरोध के कारण अवरूद्ध है। एनएचपीसी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पुनः प्रारम्भ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) का गठन किया है। अभी तक पीओसी बैठक के 5 दौर हो चुके हैं और रिपोर्ट शीघ्र ही प्रत्याशित है।

7. नई परियोजनाएं

तालिका 3. स्वीकृति/अनुमोदन चरण में होने वाली परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

एनएचपीसी द्वारा एकल आधार पर निष्पादित की जाने वाली परियोजनाए

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
i.	कोटली भेल I-ए	उत्तराखंड	195
ii.	तीस्ता- IV	सिक्किम	520
iii.	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	3,000
iv.	तवांग- I	अरूणाचल प्रदेश	600
v.	तवांग- II	अरूणाचल प्रदेश	800
	कुल		**5,115**
	अनुषंगी कंपनी के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं		
vi	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना	मणिपुर	66
vii	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा गांव पारसौन (तहसील-कालपी) में सौर विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश	50
	संयुक्त उद्यम के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली परियोजनाए		
viii	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) द्वारा पक्कल-दुल[3], कीरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाएं	जम्मू एवं कश्मीर	2120
ix	चमखरचू - 1[5]	भूटान	770
	सकल योग		**8,121**

टिप्पणियां :

1. दिबाग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 19.5.2015 को बांध की ऊंचाई में 10 मीटर की कमी के पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। बांध की ऊंचाई में कमी के कारण स्थापित क्षमता 2880 मेगावाट होने की संभावना है।
2. बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड तथा यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था।
3. पकल डुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है परन्तु प्रमुख कार्यों को अभी मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाना शेष है।
4. कीरू तथा कवार जल विद्युत परियोजनाओं की पहले की क्षमताएं क्रमशः 600 मेगावाट तथा 520 मेगावाट परिकल्पित थी। वर्तमान में कीरूतथा कवार जल विद्युत परियोजनाओं की क्रमशः 624 मेगावाट तथा 540 मेगावाट हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं।
5. एनएचपीसी तथा ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन (भूटान का पीएसयू) के मध्य संयुक्त उद्यम के माध्यम से परियोजना निष्पादित की जानी है।

उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त उत्तराखंड में 2 परियोजनाएं अर्थात कोटली भेल चरण-1बी (320 मेगावाट) और कोटली भेल चरण-2 (530 मेगावाट) स्वीकृति के अधीन थी। कोटली भेल-1बी की पर्यावरणीय स्वीकृति को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वापिस ले लिया गया है। एनएचपीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केबी-1बी तथा केबी-2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमति को भी अस्वीकृत कर दिया है। ये दो परियोजनाएं उन 24 परियोजनाओं की सूची में भी शामिल हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के अधीन है।

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल ने नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) के साथ चर्चा और उसके पश्चात एनएचपीसी तथा नीपको द्वारा संयुक्त रूप से अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ अरूणाचल प्रदेश में सियांग ऊपरी चरण-1 (6000 मेगावाट) और सियांग ऊपरी चरण-2 (3750 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए चर्चा हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया था। नीपको ने पहले ही अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ सियांग ऊपरी चरण-2 जल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कम्पनी ने तीस्ता बेसिन में 293 मेगावाट की कुल अनुमानित क्षमता की 4 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चार परियोजनाएं तीस्ता लो डैम-V, तीस्ता लो डैम- I तथा II मिलाकर, तीस्ता मध्यवर्ती चरण और रममाम चरण- I हैं जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अवस्थित हैं। इन परियोजनाओं को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर विकसित किया जाएगा।

विविधीकरण

आपकी कंपनी अपने क्रियाकलापों का जल विद्युत से ऊर्जा के अन्य गैर-परंपरागत स्रोतों अर्थात पवन तथा सौर में विविधीकरण कर रही है। ऐसी परियोजनाओं के स्थापन हेतु कम्पनी के क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

पवन विद्युत परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने बीओओटी (निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण) आधार पर पालाकाड जिले में 82 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के विकास हेतु ईपीसी संविदा को मैसर्स इनॉक्स विंड लिमिटेड को 10 वर्षों हेतु व्यापक प्रचालन तथा अनुरक्षण के साथ देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

सौर विद्युत परियोजनाएं

विविधीकरण की खोज में और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, आपकी कंपनी सौर विद्युत के विकास में प्रवेश की योजना रखती है। आपकी कंपनी में केरल राज्य में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार कम्पनी पहले चरण में कोल्लम जिले में पश्चिम कलाडा ग्राम पंचायत में सौर विद्युत परियोजना से संयोजित 50 मेगावाट ग्रिड के क्रियान्वयन को लेगी। आपकी कंपनी ने पारासौं गांव, तहसील -कालपी, जिला - जालौन, उत्तर प्रदेश में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) के साथ एक अनुषंगी कम्पनी यथा बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड को भी अधिनिगमित किया है।

8. डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया है :

तालिका-4 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

क्र.स.	परियोजनाएं	क्षमता (मेगावाट)
1	बरसर *, जम्मू एवं कश्मीर	812
2	धौलीगंगा इंटरमीडिएट, उत्तराखंड	210
3	गौरीगंगा I I Iए, उत्तराखंड	120
	कुल	**1,142 (मेगावाट)**

*पहले बुरसर की क्षमता 1020 मेगावाट परिकल्पित थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संदर्भ की शर्तों के अनुसार बुरसर की क्षमता को कम करके इसे 812 मेगावाट किए जाने की संभावना है।

9. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

एनएचपीसी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और ओडीशा) में फैले 27 जिलों में लगभग 2,844 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं संचालित कर रही है। कार्य के स्कोप में 9310 अविद्युतीकृत/विविद्युतीकृत गांवों, 19882 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 20.74 लाख लोगों को सर्विस कनेक्शन शामिल है। इनमें से 9074 अविद्युतीकृत/वि ाविद्युतीकृत गांवों, 18854 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और 16.30 लाख बीपीएल कनेक्शनों को करने योग्य पाया गया है और शेष गांवों तथा बीपीएल परिवार विभिन्न कारणों के चलते बाधाओं से घिरे हुए हैं जो कम्पनी के नियंत्रण से बाहर हैं।

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2015 तक 9073 विद्युत रहित/विद्युत विहीन गांवों, 18,825 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया और 16.30 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन मुहैया करवाए है (राज्य सरकार को प्रस्तुत नवीनतम समाप्ति रिपोर्ट के अनुसार)।

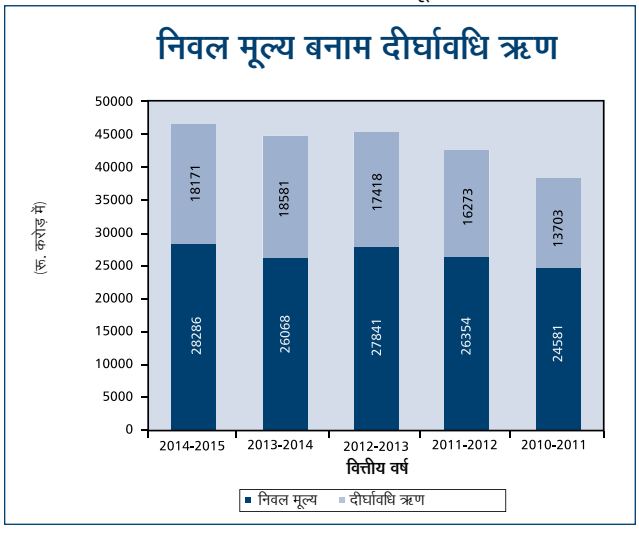

10. ग्रामीण सड़क परियोजना

एनएचपीसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इन सड़कों का निर्माण के पश्चात 5 वर्षों तक रख-रखाव एनएचपीसी द्वारा किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को 3,228 किलोमीटर कवर करने वाली 758 सड़कों हेतु 1,725.65 करोड़ रुपए की लागत पर निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक 3208 किलोमीटर लम्बाई वाली 747 सड़कें पूरी हो चुकी है।

11. परामर्शी एवं व्यापार विकास सेवाएं

एनएचपीसी समूचे विश्व में वैश्विक रूप से प्रमुख संगठनों को जल विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, भू-वैज्ञानिक अध्ययन, भू-तकनीकी अध्ययन, जलीय क्षणभंगुरता अध्ययन (हाइड्रोलिक टैन्सिऐन्ट स्टॅडीज), जलविज्ञान अध्ययन, संविदा प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन, उपकरण आयोजना, भूमिगत निर्माण, परीक्षण और उत्पादन प्रारंभ कराना तथा प्रचालन एवं रखरखाव में परामर्शी सेवाओं की पेशकश करती हैं।

प्रमुख परामर्शी कार्यों में भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों तथा भूटान, और इथोपिया जैसे अन्य देशों को परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

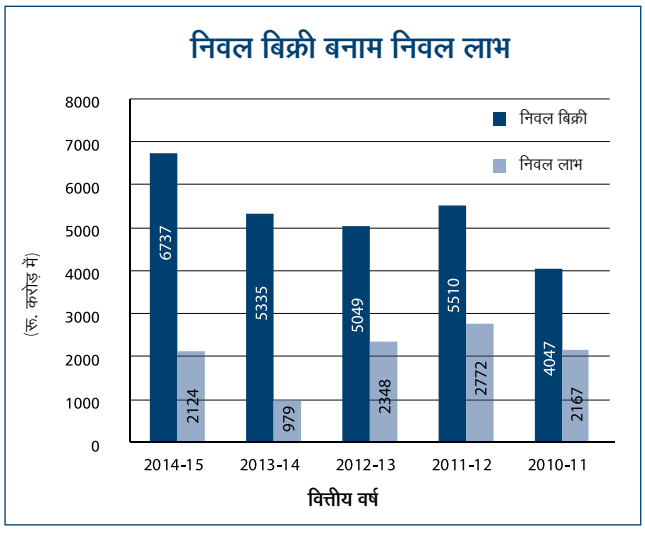

12. वैश्विक पहलें

वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट जल विद्युत के विकास हेतु भारत-भूटान सहयोग सम्बन्धी कार्य योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को भूटान में चमखारचू-1 जल विद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की डीपीआर और कुरी-गोंगरी जलाशय परियोजनाओं के पीएफआर को तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। चमखारचू-1 जल विद्युत परियोजना हेतु अंतिम डीपीआर मार्च, 2015 में शाही भूटान सरकार/भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

भूटान में मंगडेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के क्रियान्वयन हेतु मंगडेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (एमएचपीए) को डिजाइन एवं इजीनियरी परामर्श सेवाएं भी मुहैया करवा रही है।

एनएचपीसी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (लीड भागीदार) और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के नेतृत्व वाले एक संघ के माध्यम से ईथोपिया इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (ईपको) को प्रबंधन परामर्श भी मुहैया करवा रही है।

13. नई परियोजनाओं का वित्त-पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70 : 30 का होना चाहिए।

आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की आंतरिक प्राप्तियां नई परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी योजनाबद्ध क्षमता विस्तार कार्यक्रम के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण हासिल करने के विकल्प तलाश कर रही है।

कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऊंची होने, जो सम्प्रभु रेटिंग के अनुरूप है, को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में आपकी कंपनी की स्थिति बेहतर है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

एनएचपीसी का एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आधारभूत ढांचा है। इसके सभी स्थल अब एमपीएलएस-वीपीएन/वीसैट-केयू बैण्ड/ब्रॉड बैण्ड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मल्टी मोड/विफलता रहित सप्रेषण के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। एनएचपीसी ने वर्तमान में अपने प्रमुख सर्वरों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा समाहर्ता (एनआईसीएसआई) और फरीदाबाद में बीएसएनएल के टियर-3 डाटा सेंटरों में सह-स्थापित किया है। कोलकाता में एनएचपीसी कार्यालय में आपदा रिकवरी (डीआर) स्थल भी कार्य कर रहा है। एनएचपीसी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के ईष्टतम तथा सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा नीति विद्यमान है।

सभी प्रमुख व्यापार कार्य यथा वित्त, मानव संसाधन, खरीद तथा संविदाएं, माल-सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन तथा अनुरक्षण, ऊर्जा बिक्री और लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि को आईएफएस ईआरपी प्रणाली में कार्यान्वित किया गया है।

सरकार के निदेशों के अनुसार कंपनी में ई-खरीद (इलेक्ट्रोनिक निविदा) प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया चालू है।

15. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

तेजी से बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य और प्रौद्योगिकीय नवाचार एक अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश बना रहे है। आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का सतत मूल्यांकन करती है जिससे वे उत्पादकता तथा कार्य दक्षता में वृद्धि करने के लिए नवीनतम परिवर्तनों तथा संगत ज्ञान से अवगत रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आंतरिक तथा बाहरी रूप से बहु विधा कार्यक्रमों के माध्यम से भीतर प्रतिभा को विकसित करने या निखारने के लिए चलाया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त, कंपनी सामरिक गठबंधन के माध्यम से अग्रणी तथा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईएम/एक्सएलआरआई/आईआईटी आदि के साथ सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाती है ताकि इसके कर्मचारियों हेतु उन्नत प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को सुकर बनाया जा सके।

16. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सद्भाव एवं सामंजस्य पूर्ण रहे।

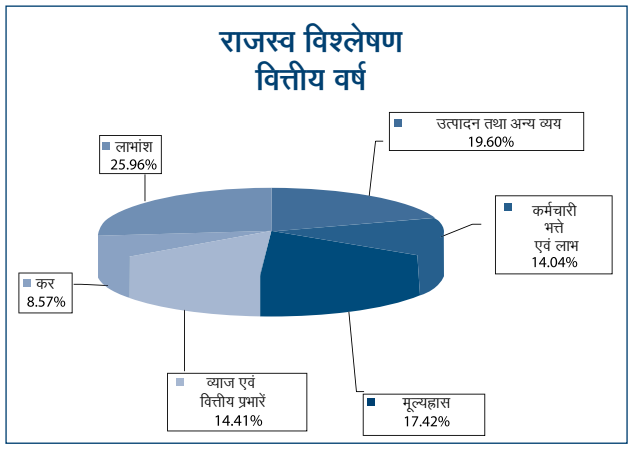

17. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

एनएचपीसी ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है। कंपनी अपनी आर एंड आर नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है।

कंपनी की नीति का लक्ष्य किसी परियोजना के निर्माण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों(पीएएफ) की भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों, जीवन निर्वाह के साधनों की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जाता है। एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति में प्रावधान किए अनुसार किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा पुनर्वास ज़ोन और प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली समुदाय एवं सामाजिक विकास योजना (सीएसडीपी) के लिए निर्धारित किया गया है।

तथापि, 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी होने वाले नए विधान यथा उचित मुआवजे के अधिकार तथा भूमि अर्जन में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के मद्देनजर एनएचपीसी परियोजनाओं के लिए आर एवं आर तथा भूमि अधिग्रहण दोनों को नए अधिनियम तथा इसके अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित किया जाएगा।

18. सतर्कता कार्यकलाप

पारदर्शी अधिप्राप्ति प्रणाली के लिए विद्युत मंत्रालय तथा सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एनएचपीसी ने समूचे संगठन में बड़ी खरीदों में ई-अधिप्राप्ति समाधान का विकल्प चुना है। 10 लाख रुपए (01.04.2015 से 5 लाख रुपए) मूल्य से अधिक की आपूर्ति/कार्य/संविदाओं की प्रक्रिया ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती है।

निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में निरीक्षण/गहन परीक्षण पर आधारित परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों को नियमित रूप से जारी किया जा रहा है।

कंपनी में 15 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक वाले कार्यों और 25 लाख रूपये तथा उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु सीवीसी दिशा-निर्देशों पर आधारित सत्यनिष्ठा समझौते को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है।

सतर्कता विभाग द्वारा नियमित अंतरालों पर औचक निरीक्षण किए जाते है। परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा चिन्हित कार्रवाई योग्य बिंदुओं को सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परियोजना प्रमुख को सूचित किया जाता है। समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा कार्यों का गहन परीक्षण भी किया जाता है।

विद्यमान कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और नीति-शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

19. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई सूचित की जाने वाली भौतिक कमी नहीं पाई गई थी।

20. जोखिम प्रबंधन

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते के खण्ड-49 की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया था। नीति का उद्देश्य एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से हितधारकों के मूल्य की रक्षा करना है। कम्पनी द्वारा चिन्हित जोखिमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

रणनीतिक जोखिम : बाहरी कारकों तथा प्रवृतियों से होने वाले जोखिम (जैसे कि सरकारी नीति, प्रतिस्पर्धा, अदालती निर्णय अथवा किसी हितधारक की आवश्यकता में परिवर्तन) जो कम्पनी के रणनीतिक वृद्धिपथ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित तथा शेयरधारकों के मूल्य को नष्ट कर सकते हैं।

व्यापार जोखिम : कम्पनी के साथ विशिष्ट रूप से सम्बद्ध जोखिम और जिनका कम्पनी की व्यापार वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण होने वाले क्रियाकलापों के निष्पादन की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो जिससे इसका निकट अवधि का कार्य-निष्पादन प्रभावित होता हो जैसे कि किसी जोखिम वाली घटना का होना, जिससे किसी जल विद्युत परियोजना के निर्माण क्रियाकलाप की समय पर पूर्णता में विलम्ब होना जो परियोजना से प्रत्याशित राजस्वों के स्थगन में परिणत होता हो।

प्रचालनात्मक जोखिम : प्रचालनात्मक अनिश्चितताओं से सम्बद्ध जोखिम जैसे कि जल स्तरों में अप्रत्याशित परिवर्तन, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदा कारण जो प्रचालनों को प्रभावित करते हों, अपघर्षण जैसे आंतरिक जोखिम आदि।

व्यापार परिवेश, नियामक प्रावधानों और कम्पनी पर लागू वर्तमान जोखिमों में परिवर्तन के कारण कम्पनी की विद्यमान जोखिम प्रबंधन नीति को संशोधित किया जा रहा है।

21. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। खरीद नीति के समन्वय तथा क्रियान्वयन हेतु एनएचपीसी की ओर से नोडल अधिकारी को नामित किया गया है और इस संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय को सूचित किया गया है।

एनएचपीसी में लोक खरीद नीति के अंतर्गत निविदा शुल्क, धरोहर जमा राशि, सुरक्षा जमा में छूट, खरीद प्राथमिकता, एमएसई को विलंबित भुगतान पर ब्याज जैसे लाभों का विस्तार एमएसई को भी किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।

22. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन कारपोरेट कार्यालय तथा उसकी यूनिटों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा के प्रोत्साहन के संबंध में कई पहलें की गई थी जैसे कि हिंदी पखवाड़ा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी 'पुस्तक पठन सप्ताह', हिंदी कवि सम्मेलन आदि का आयोजन। हिंदी कार्यशालाओं तथा विभागीय कम्प्यूटर कार्यशालाओं का कारपोरेट कार्यालय में नियमित रूप से आयोजन किया गया था। हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ''राजभाषा ज्योति'' और ''नगर सौरभ'' नामक राजभाषा पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एवं निकोबार परियोजना कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया और कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना की। इसके अतिरिक्त, विद्युत स्टेशनों, परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों में हमारे वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा राजभाषा निरीक्षण किए गए थे।

23. जन-संपर्क अभियान/जागरूकता गतिविधियां

समय-समय पर प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आपकी कंपनी की उपलब्धियों को देश भर में समुचित प्रचारित किया गया ताकि एनएचपीसी की देश में जल विद्युत के विकासकर्ता की भूमिका को दर्शाया जा सके।

एनएचपीसी के विकासात्मक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए कई मंचों पर एनएचपीसी पर कारपोरेट फिल्में और पर्यावरण पर फिल्मों का प्रसारण किया गया था। एनएचपीसी ने कई प्रदर्शनियों में भी प्रतियोगिता की थी।

एनएचपीसी ने 10 से 12 फरवरी, 2015 तक एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय में 19वें अंतर सीपीएसयू ब्रिज टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। एनएचपीसी की टीमों ने वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित अन्य विभिन्न अंतर सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागिता की थी।

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और इसके संदेश को प्रसारित करने के लिए, एनएचपीसी के समन्वय से जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में, स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इनका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया।

24. पुरस्कार तथा सम्मान

आज व्यापार का क्षेत्र मात्र लाभ कमाने से परे का है और व्यवहार में कारपोरेट नागरिक के मूल्यों को अपनाता है। प्रचालनात्मक उत्कृष्टता जीवन विहीन है जब तक कि कम्पनी द्वारा समग्र विकास की एक गाथा को प्रस्तुत न किया जाए। एनएचपीसी समग्र विकास हेतु प्रयास करती है और यह पुरस्कारों एवं उपलब्धियों की एक लम्बी सूची में प्रदर्शित होता है।

प्रबंधन एवं नेतृत्व में पुरस्कार

- निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशन को पहले पूरा करने हेतु प्रतिभावान कार्य-निष्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार।
- राजभाषा के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य हेतु वर्ष 2012-13 के लिए ''इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार''।
- सीबीआईपी पुरस्कारों में ''विद्युत क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादक उपयोगिता हेतु सीबीआईपी पुरस्कार''।
- शिक्षा में श्रेष्ठ सीएसआर व्यवहारों हेतु ''प्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय कांस्य पुरस्कार''।
- इंडिया टुडे समूह पीएसयू पुरस्कारों में ''मिनी रत्न श्रेणी के अंतर्गत सबसे मूल्यवान पीएसयू''।

25. कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते के खंड 49(X) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन पर एक पृथक अध्याय **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते के खंड 49(XI) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के पालन के संबध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र **अनुबंध-II** में दिया गया है।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते के खंड 49(VIII)(घ) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दी गई है।

27. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम), जिसे कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है, के अतर्गत प्रकटीकरण हेतु यथापेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबध में ब्यौरों को **अनुबंध- IV** में दिया गया है।

28. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजो के साथ सूचीकरण समझौते के खण्ड 55 के अनुपालन में कम्पनी द्वारा पर्यावरणीय सामाजिक तथा शासन मुद्दों पर की गई पहलों के प्रकटीकरण के सम्बन्ध में एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट **अनुबंध-V** में दी गई है।

29. सम्बन्धित पक्षों के संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

कम्पनी ने परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं मुहैया करवाने हेतु वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अपनी अनुषंगी तथा सम्बद्ध कम्पनियों के साथ संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार किए हैं। ये संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार व्यापार के सामान्य चालन में तथा परस्पर सहमति आधार पर थे। संबंधित पक्ष संव्यवहारों संबंधी नीति के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ की गई किसी भी संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार को भौतिक नहीं माना जा सकता।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कम्पनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो लेखांकन मानक-18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को निर्धारित करता है।

30. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीय विकास (एसडी) संबंधी रिपोर्ट

आपकी कम्पनी ने व्यापक रूप से समाज के आर्थिक विकास के प्रति योगदान दिया है ताकि भीतरी तथा बाहरी हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। कम्पनी के सभी सीएसआर क्रियाकलापों का प्रमुख दर्शन मात्रा, प्रभाव तथा धारणीयता की तीन प्रमुख प्रतिबद्धताओं से मार्गदर्शित होता है।

आपकी कंपनी ने एक सीएसआर तथा धारणीयता नीति बनाई है जो कंपनी अधिनियम की अनुसूची 7 के साथ पढ़ी जाने वाली इसकी धारा 135 के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, जो 1.4.2014 से लागू हुई है, के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत को सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय किया जाना होता है। उक्त प्रावधान के अनुसार यह राशि वित्त वर्ष 2014-15 हेतु 47.64 करोड़ रूपये होती है। कम्पनी ने उक्त प्रावधान के प्रति वर्ष के दौरान 52.24 करोड़ रूपये व्यय किए हैं।

इस प्रकार सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.19 प्रतिशत होता है। अतः कम्पनी ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु बजट आबंटन का पूर्ण उपयोग किया है।

तदनुसार, डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष के 17.93 करोड़ रूपये की व्यय न की गई राशि से 4.60 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं। पिछले वर्षों से संबंधित 13.33 करोड़ रूपये की अग्रेणित राशि का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

1. ''स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण से संबंधित अधिकांश कार्य निविदा दिए जाने तथा निष्पादन के विभिन्न चरणों में थे और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान केवल आंशिक भुगतान जारी किए गए थे।
2. सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के जैव विविधता पार्क हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना।
3. हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु निधियां राज्य सरकार द्वारा निर्माण उपलब्धियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण जारी नहीं की जा सकी थी।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए कापोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीय विकास क्रियाकलापों पर एक पृथक रिपोर्ट **अनुबंध-VI** में दी गई है।

31. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3), जिसे कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पढ़े जाने के अनुसार वार्षिक रिटर्न का उद्धरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

32. सूचना अधिकार

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन मं एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न दस्तावेजों/रिकार्ड़ों को अपनी वेबसाइट पर रखा है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कारपोरेट कार्यालय में अपीलीय अधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 509 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 505 (99.21) का उत्तर दिया गया था।

33. लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सचिवालयीन लेखापरीक्षक

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु कम्पनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा करने के लिए एक प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव श्री पी.एस.आर मूर्ति को नियुक्त किया। सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध-VIII** में दी गई है। सचिवालयीन लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां/अभिमत व्यक्त किए हैं। टिप्पणियां/अभिमत और उसका उत्तर निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	टिप्पणी/अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण समझौते के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक अपेक्षित संख्या में शामिल नहीं थे।	कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 34 के अनुसार कम्पनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। मामले का नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।
2.	कम्पनी वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर के प्रति आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी थी।	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत को सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय किया जाना होता है। कम्पनी ने उक्त प्रावधान के प्रति वर्ष के दौरान 52.24 करोड़ रूपये व्यय किए हैं। इस प्रकार सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.19 प्रतिशत होता है। अतः कम्पनी ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु बजट आबंटन का पूर्ण उपयोग किया है। डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष के 17.93 करोड़ रूपये की व्यय न की गई राशि से 4.60 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं। पिछले वर्षों से संबंधित 13.33 करोड़ रूपये की अग्रेणित राशि का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण पहले ही इस रिपोर्ट में बताए जा चुके हैं (देखें पैराग्राफ संख्या 30)।
3.	विहित किए तथा लागू होने के अनुसार बोर्ड के सदस्यों हेतु मूल्यांकन मानदण्ड को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्रियात्मक निदेशकों तथा नामित निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) को संशोधित किया था। संशोधित प्रावधान के अनुसार, सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अपेक्षित नही है, यदि उनका मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड, इसकी समितियों और स्वतंत्र निदेशकों हेतु एक मूल्यांकन तंत्र बोर्ड के विचाराधीन है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

एनएचपीसी एक सरकारी कंपनी होने के चलते, इसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मैसर्स एस.एन.नन्दा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स रे एंड रे, कोलकाता और मैसर्स गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट, जम्मू को संयुक्त रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और उन पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई टिप्पणी, शर्त या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत धोखाधड़ी के किसी मामले को सूचित नहीं किया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षको की रिपोर्ट **अनुबंध- IX** में दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध-X** में दिए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण **अनुबंध-XI** मे दिए गए हैं।

लागत लेखापरीक्षक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 30 जून, 2014 को अधिसूचित कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखों का रखरखाव कंपनी के सभी केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। लागत लेखा परीक्षक की निम्नलिखित फर्मों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए विद्युत स्टेशन के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है :

फर्म का नाम	पावर स्टेशन का नाम
मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, नई दिल्ली	सलाल, उड़ी-I और उड़ी-II
मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी, दिल्ली	चमेरा-I और बैरास्यूल
मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएटस, भुवनेश्वर	टनकपुर, धौलीगंगा और चमेरा-III
मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	रंगित, तीस्ता-V और टीएलडीपी-III
मैसर्स एच. तारा एंड कंपनी, नई दिल्ली	चूटक, निम्मो बाजगो और पार्बती-III
मैसर्स वी.पी.गुप्ता एंड कंपनी, नोएडा	दुलहस्ती और लोकतक
मैसर्स एस.के.आर. एंड एसोसिएटस, जयपुर	चमेरा-II और सेवा-II

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क, लीड लेखा परीक्षक द्वारा समेकित की गई लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट 26 सितम्बर, 2014 को फाइलिंग की निर्धारित तिथि अर्थात 27 सितम्बर, 2014 से पूर्व प्रस्तुत की गई थी। जिन लागत परीक्षा फर्मों के ब्यौरे वित्त वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्तुत किए गए, उन्हें नीचे दिया गया है :

क्र. सं	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक का नाम	सदस्यता संख्या	पता
1	सलाल, उड़ी-I और उड़ी-II	मैसर्स चन्द्रा वधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली	6797	204, कृष्णा हाऊस, 4805/24, भरत राम रोड़, दरियागंज-110002, नई दिल्ली
2	चमेरा-II और सेवा-II	मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क	2724	365, सेक्टर-15, फरीदाबाद - 121 007 (हरियाणा)
3	टनकपुर, धौलीगंगा और टीएलडीपी-III	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली	14256	31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली- 110052
4	दुलहस्ती, चूटक और निम्मो बाजगो	मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, नई दिल्ली	16339	सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110032
5	चमेरा-I, चमेरा-II और पार्बती-III	मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी, दिल्ली	5574	दुकान नं. 25, डीडीए मार्किट, 'बी' ब्लाक, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
6	रंगित और तीस्ता-V	मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएटस, भुवनेश्वर	10924	511, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007
7	लोकतक और बैरास्यूल	मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	1222	जे-7, सेक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा-201301

कंपनी ने परिहार्य व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 11 पावर स्टेशनों पर लागत कमी का भी अध्ययन करवाया है।

34. समेकित वित्तीय विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 और लेखांकन मानक एएस-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, जिसे संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक एएस-27 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण मुहैया करवाए गए है।

35. दिए गए ऋण तथा गारंटी, किए गए निवेश और मुहैया करवाई गई सुरक्षा के ब्यौरे

दिए गए ऋण तथा गारंटी, किए गए निवेश और मुहैया करवाई गई सुरक्षा के ब्यौरे एकल वित्तीय विवरण में दिए गए हैं (कृपया एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 12 और 15 देखें)।

इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाने के व्यापार में नियोजित कम्पनियों पर दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 लागू नहीं होती है (सिवाय उप धारा (1) के)।

36. अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां

31 मार्च, 2015 के अनुसार आपकी कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों, संबद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यम है :

अनुषंगी कंपनियां

(1) एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के मध्य क्रमश: 51 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में प्रमोट किया गया था। कंपनी के मध्य प्रदेश में दो प्रचालनशील विद्युत स्टेशन है अर्थात इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट)। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन तथा ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन से उत्पादन क्रमश: 2731 एमयू तथा 1469 एमयू के लक्ष्य की तुलना में 2561.73 एमयू और 1128.91 एमयू था। उक्त दो विद्युत स्टेशनों में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 3690.64 एमयू ऊर्जा उत्पन्न की है।

अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण में कंपनी मध्य प्रदेश राज्य में सौर विद्युत विकास में प्रवेश कर रही है क्योंकि राज्य के पास वर्ष में लगभग 300 दिवस सूर्य के प्रकाश के साथ पर्याप्त सौर संभाव्यता है। कंपनी 70 मेगावाट परियोजना हेतु एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा आमंत्रित प्रतिस्पर्धी विडिंग आधारित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा टैरिफ में प्रतिभागिता कर रही है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी में प्रचालनों से 1366.59 करोड़ रूपये का राजस्व (निवल) और 766.46 करोड़ रूपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

(2) लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत निगम लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत निगम लिमिटेड को एनएचपीसी तथा मणिपुर सरकार के मध्य क्रमश: 74 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत की इक्विटी शेयरधारिता के साथ लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) के अधिग्रहण द्वारा मणिपुर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में प्रमोट किया गया था। परियोजना वर्तमान में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण में है। परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। परियोजना के टर्न-की निष्पादन हेतु कम्पनी द्वारा बिड आमंत्रित की गई थी और यह मूल्यांकन चरण में है।

इसके अतिरिक्त, मणिपुर सरकार ने कम्पनी को थोबल जल विद्युत योजना (7.5 मेगावाट) आबंटित की है। एनएचपीसी बोर्ड ने इस परियोजना के इक्विटी अंशदान हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना के संबंध में औपचारिकताएं अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है।

(3) बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील-कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बढ़ावा दिया गया था। कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

50 मेगावाट सौर क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक ग्रिड से जुड़े विद्युत संयंत्र के साथ संबद्ध 132 केवी विद्युत निकासी उपकरणों के विकास हेतु ईपीसी संविदा को दिया जाना कंपनी के निदेशक मंडल के विचाराधीन है।

संबद्ध/संयुक्त उद्यम कंपनी

1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड, चिनाब नदी की व्यापक जल संभाव्यता के दोहन हेतु एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (49 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत) के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी को 13 जून, 2011 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पाकल डुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), कीरू जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) और कवार जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) के विकास हेतु अधिनिगमित किया गया था। पाकल डुल जल विद्युत परियोजना के टर्न-की निष्पादन हेतु निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया (अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग (आईसीबी) आधार के माध्यम से आमंत्रित) पूरी हो गई है और कंपनी के बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है।

कंपनी में अभी कोई प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं क्योंकि परियोजनाएं विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

2. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएल को 22 मई, 2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें प्रत्येक की 25 प्रतिशत इक्विटी प्रतिभागिता थी। बाद में अनुपूरक संयुक्त उद्यम समझौते के निष्पादन के पश्चात कम्पनी ने केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान शामिल हुआ। तदुनसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार की इक्विटी प्रतिभागिता अब 20 प्रतिशत है। कम्पनी को देश में शार्ट शर्किट जांच सुविधा हेतु एक उच्च शक्ति वाली विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने के लिए अधिनिगमित किया गया था। कम्पनी 765 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मरों के शार्ट सर्किट परीक्षण हेतु मध्य प्रदेश राज्य में बीना में उच्च वोल्टेज ट्रांसफोर्मर (एचवीटीआर) और मध्यम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) प्रयोगशाला का निर्माण कर रही है। प्रयोगशाला को वर्ष 2015 में चालू किया जना प्रत्याशित है। अद्यतन तिथि तक लगभग 80 से 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

3. नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड को 11 दिसम्बर, 2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड और टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज के प्रचालन हेतु स्थापित किया गया था। कंपनी वर्तमान में परिसमापन के अधीन है। कंपनी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागित 16.67 प्रतिशत है। तदनुसार, 1.06 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान कम्पनी में किए गए निवेश में प्रत्याशित हानि के प्रति एनएचपीसी लिमिटेड के बहियों में किया गया है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कोई कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी नहीं बनी है/बने रहना समाप्त भी नहीं हुआ है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक अनुषंगी, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में मुहैया करवाई गई है और इसलिए संक्षिप्तता के मद्देनजर उसे दोहराया नहीं गया है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में दस्तावेजों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अधारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में इच्छुक होने वाला कोई शेयरधारक कम्पनी सचिव, एनएचपीसी लिमिटेड को लिख सकता है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.nhpcindia.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित भौतिक अनुषंगियों पर नीति को कम्पनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर देखा जा सकता है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf

37. प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति तथा लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में प्रकटीकरण निम्नवत है :

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष,
2. श्री डी.पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी) और
3. श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक)

लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं -

1. श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष,
2. श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक और
3. श्री डी.पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

सतर्कता तंत्र

आपकी कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और उनकी जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु एक व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्कता तंत्र) को परिभाषित तथा स्थापित किया है। व्हिसिल ब्लोअर नीति कम्पनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf लिंक पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते के खंड 49 के अनुरूप हैं ।

वर्ष 2014-15 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से रोका नहीं गया है।

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतदद्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

ग) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को एक अनवरत संबंध के आधार पर तैयार किया है;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रों को स्थापित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं और

(च) कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

39. निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

पिछली वार्षिक आम बैठक के पश्चात से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं -

1. निदेशक मंडल ने श्री के.एन.गर्ग, तत्कालीन सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 2015 को निदेशक का पद त्याग करने के परिणामस्वरूप सुश्री कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय को 8 जुलाई, 2015 से एक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
2. निदेशक मंडल ने श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 26 मई, 2015 के समसंख्यक पत्र संख्या 9/1/2014-एनएचपीसी के माध्यम से कम्पनी के एक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पूर्व श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव,तत्कालीन निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी के निदेशक पद का त्याग करने के पश्चात निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार 15 सितम्बर, 2014 से श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) द्वारा धारित किया गया था। श्री मीना ने 26 सितम्बर, 2014 से 29 मई, 2015 को श्री जयन्त कुमार की सीएफओ के रूप में नियुक्ति तक कम्पनी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी कार्य किया।
3. निदेशक मंडल ने 20 मार्च, 2015 को हुई अपनी 382वीं बैठक में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने अथवा अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक, जो भी पहले हो, कम्पनी अधिनियम, 2013 और सूचीकरण समझौते की आवश्यकताओं के अनुरूप श्री अशोक कुमार दत्ता और श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक को कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी उनके संबंधित नियुक्ति पत्रों के अनुसार उनका कार्यकाल 22 मार्च, 2015 को पूरा हो गया था।
4. विद्युत मंत्रालय ने निदेशक (परियोजनाएं) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री जे.के.शर्मा, तत्कालीन निदेशक (परियोजनाएं) के 11 मार्च, 2015 से निदेशक पद का त्याग करने के पश्चात श्री आर.एस.टी.साई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंपा था।
5. निदेशक मंडल ने 11 नवम्बर, 2014 से श्री मुकेश जैन, तत्कालीन संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय के निदेशक का पद त्याग करने के परिणामस्वरूप 17 दिसम्बर, 2014 से कम्पनी के बोर्ड में एक नामिति निदेशक के रूप में श्री अरूण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को नियुक्त किया था।
6. श्री जी.एस. वेदी, श्री ए.के.मागो और श्री आर.जयसीलन, स्वतंत्र निदेशक विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों के अनुसार अपने कार्यकाल की पूर्णता पर 1 नवम्बर, 2014 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे हैं।
7. श्री शांतिकाम हजारिका और श्री ए.गोपालाकृष्णन, संयुक्त निदेशक कपंनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा नियुक्त न किए जाने के कारण 27 सितम्बर, 2014 से कम्पनी के निदेशक नहीं रहे हैं।

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीकरण समझौते के खंड 49 में यथानिर्धारित किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

बोर्ड तथा समिति बैठकों के ब्यौरे कारपोरेट शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों में छूट दी है/संशोधन किया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड, उनकी पारिश्रमिक नीति और कुछ मामलों में उनके निष्पादन का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों के बोर्ड से निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है यदि उनका मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उक्त अधिसूचना के अनुपालन में रिपोर्ट में कर्मचारियों के विवरण तथा संबंधित प्रकटीकरण को मुहैया नहीं करवाया गया है।

जहां तक केएमपी (निदेशकों के अतिरिक्त) और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का संबंध है, उनके वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभ संगत डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के संगत दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के ''कार्य-निष्पादन मूल्यांकन-रिकार्डिंग तथा अभिरक्षा'' नियमों के अनुसार किया जा रहा है। बोर्ड, इसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक मूल्यांकन तंत्र बोर्ड के विचाराधीन है।

निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम के ब्यौरे कम्पनी की वेबसाइट पर http://www. nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FamiliarProg-BOD.pdf लिंक पर रखे गए हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे कारपोरेट शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

40. बोर्ड की बैठक

वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की 11 बैठकें आयोजित की गई थी। और ब्यौरों हेतु कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट की कारपोरेट शासन रिपोर्ट को देखें।

41. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा सूचना अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई संव्यवहार नहीं किए गए -

1. अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत कवर किए गए जमा से संबंधित ब्यौरे।
2. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।
3. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)।
4. न तो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और न ही कंपनी के किसी क्रियात्मक निदेशक को इसकी किसी अनुषंगी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त हुआ है।
5. नियामकों अथवा अदालतों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया था जो कम्पनी की चालू अवधारणा स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।
6. वित्त वर्ष के अंत के पश्चात से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में कोई मामला दायर नहीं किया गया।

42. आभार

निदेशक मंडल तहेदिल से भारत सरकार विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों तथा राज्य विद्युत बोर्ड़ों से प्राप्त सहयोग तथा मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भी उनके द्वारा कंपनी पर जताए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारों, विक्रेताओं और परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए योगदान की भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले लाभग्राहियों, राज्य विद्युत बोर्डों और परामर्शी कार्यों हेतु अन्य मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों हेतु कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण सहयोग हेतु अत्यधिक आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल आश्वस्त है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना श्रेष्ठ योगदान देना जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख : 6 अगस्त, 2015
स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अनुबंध - I

1. कारपोरेट अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार :

एनएचपीसी ने कारपोरेट अभिशासन के एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया है जो कंपनी के शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण की प्रतिबद्धता पर बल देता है। यह इसके सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में सहायता करना है और सभी घटकों के मध्य भरोसे तथा विश्वास के एक परिवेश को बनाता है।

एनएचपीसी में कारपोरेट अभिशासन मात्र अनुपालन के स्तर से आगे बढ़ गया है। एनएचपीसी में प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता को एक विवेकसम्मत, उचित तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है।

स्टॉक एक्सचेजों के साथ सूचीकरण करार में यथानिर्धारित कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुपालन के अतिरिक्त, एनएचपीसी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करते हैं।

2. निदेशक मंडल

i) **निदेशकों की संरचना और श्रेणी :** एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी ने सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)(क) की आवश्यकताओं का उचित रूप से अनुपालन किया था अर्थात बोर्ड का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों का था सिवाय निम्नलिखित अवधि के :

क्रम सं.	अवधि		सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)(क) के अनुसार अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
	से	तक		
1	27.09.2014	31.10.2014	6	5
2.	01.11.2014	10.11.2014	6	2
3.	11.11.2014	16.12.2014	5	2
4.	17.12.2014	10.03.2015	6	2
5.	11.03.2015	31.03.2015	5	2

उक्त अवधि के दौरान गैर अनुपालन मुख्यतः विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण था।

31 मार्च, 2015 के अनुसार 7 निदेशक थे जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित 3 कार्यात्मक निदेशक, 2 सरकारी नामिति निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

निदेशक मंडल ने श्री के.एन.गर्ग, तत्कालीन सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 2015 को निदेशक का पद त्याग करने के परिणामस्वरूप सुश्री कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय को 8 जुलाई, 2015 से एक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल ने श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 26 मई, 2015 के समसंख्यक पत्र संख्या 9/1/2014-एनएचपीसी के माध्यम से कम्पनी के एक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पूर्व श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव,तत्कालीन निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी के निदेशक पद का त्याग करने के पश्चात निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार 15 सितम्बर, 2014 से श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) द्वारा धारित किया गया था।

निदेशक मंडल ने 20 मार्च, 2015 को आयोजित हुई अपनी 382वीं बैठक में श्री अशोक कुमार दत्ता और श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक को कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया था (ऐसा सांविधिक और विधिक प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता पर विचार करते हुए एक अंतरिम उपाय के रूप में किया गया था)। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी उनके संबंधित नियुक्ति पत्रों के अनुसार उक्त दोनों निदेशकों का कार्यकाल 22 मार्च, 2015 को पूरा हो रहा था।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड के पद का कार्यभार 8 जून, 2014 से श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने पदभार के अतिरिक्त धारित किया गया हुआ है। विद्युत मंत्रालय ने श्री जे.के.शर्मा, तत्कालीन निदेशक (परियोजनाएं) के निदेशक पद को त्याग देने के परिणामस्वरूप 11 मार्च, 2015 से श्री शाई को निदेशक (परियोजनाएं), एनएचपीसी लिमिटेड के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।

वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए अथवा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं ।

31 मार्च, 2015 को निदेशक मंडल की संरचना नीचे तालिका-1 में दी गई है।

तालिका 1 : 31 मार्च, 2015 को निदेशक मंडल की संरचना

विवरण	बोर्ड ढांचा	31.03.2015 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक निदेशक	4	2
सरकारी नामिति निदेशक	2	2
स्वतंत्र निदेशक	7	2
कुल	**14**	**7**

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की प्रत्येक बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति तालिका-2 में दी गई है। अन्य बोर्ड अथवा बोर्ड समितियों की संख्या, जिनमें एनएचपीसी के निदेशक 31 मार्च, 2015 को सदस्य अथवा अध्यक्ष है, तालिका 3 में दी गई है।

तालिका-2 : वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम (26.09.2014 को हुई)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यात्मक निदेशक			
आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं)[1]	9	8	हां
जी.साइ प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(07.06.2014 तक) और पूर्व संयुक्त सचिव (थर्मल), विद्युत मंत्रालय [2]	2	1	लागू नहीं
ए. बी. एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त)[2]	5	5	लागू नहीं
डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	11	10	हां
जे. के. शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं)[2]	10	9	नहीं
आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)	11	11	हां
सरकारी नामिति निदेशक			
मुकेश जैन पूर्व संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय[2]	7	4	नहीं
अरूण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय[3]	4	4	लागू नहीं
के. एन. गर्ग, पूर्व सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	11	6	नहीं
स्वतंत्र निदेशक			
जी. एस. वेदी[4]	7	7	हां
ए.के.मागो[4]	7	7	हां
आर. जयसीलन[4]	7	7	हां
अशोक कुमार दत्ता	11	9	हां
अतुल कुमार गर्ग	11	10	हां
शांतिकाम हज़ारिका[4]	6	6	नहीं
ए. गोपालकृष्णन	6	4	नहीं

टिप्पणियां :

1. श्री आर.एस.टी. शाई ने 8 जून, 2014 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें 11 मार्च, 2015 से निदेशक (परियोजनाएं) के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया।
2. श्री जी.साइ.प्रसाद, श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव, श्री मुकेश जैन और श्री जे.के.शर्मा, क्रमश: 8 जून, 2014, 15 सितम्बर, 2014, 11 नवम्बर, 2014 और 11 मार्च, 2015 से बोर्ड के निदेशक पद पर नहीं रहे थे।
3. श्री अरूण कुमार वर्मा ने 17 दिसम्बर, 2014 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
4. श्री शांतिकाम हजारिका और श्री ए.गोपालाकृष्णन 27 सितम्बर, 2014 से बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे और श्री जी.एस.वेदी, श्री ए.के.मागो और श्री आर.जयसीलन 1 नवम्बर, 2014 से बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे।

तालिका 3 : अन्य बोर्ड अथवा बोर्ड समितियों* की संख्या जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक 31 मार्च, 2015 को सदस्य या अध्यक्ष है

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे	समिति सदस्यता तथा समिति अध्यक्षता के ब्यौरे
आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं)	(1) टीएचडीसी लिमिटेड (2) उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (3) एनएचडीसी लिमिटेड (4) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	कोई नहीं
डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	(1) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (2) पीटीसी इंडिया लिमिटेड (3) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कोई नहीं
आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)	(1) एनएचडीसी लिमिटेड (2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कोई नहीं
अरूण कुमार वर्मा, सरकारी नामिति निदेशक	एसजेवीएन लिमिटेड	(1) अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति - एसजेवीएन लिमिटेड (2) सदस्य, हितधारक संबंध समिति - एसजेवीएन लिमिटेड
के. एन. गर्ग, नामिति निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक	(1) ऑल इंडिया टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (2) एबीसी इंडिया लिमिटेड (3) खादिम इंडिया लिमिटेड (4) बैचमेट्स कॉम प्राइवेट लिमिटेड (5) इंटरनेशनल साइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया	(1) सदस्य, लेखापरीक्षा समिति - खादिम इंडिया लिमिटेड (2) सदस्य, हितधारक संबंध समिति - एबीसी इंडिया लिमिटेड
अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं

*लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को लिया गया है।

टिप्पणी :

क) कंपनी का कोई निदेशक एक समय में दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

ख) कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।

ग) कोई भी निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

(ii) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, जिस तिथि को वह आयोजित की गई :

वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की 11 बैठकें हुई। बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4 : वर्ष 2014-15 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	372	1 अप्रैल, 2014	14	13
2.	373	30 मई, 2014	14	10
3.	374	7 जुलाई, 2014	14	13
4.	375	5 अगस्त, 2014	14	10
5.	376	10 सितम्बर, 2014	14	12
6.	377	26 सितम्बर, 2014	13	12
7.	378	30 अक्तूबर, 2014	11	10
8.	379	17 दिसम्बर, 2014	8	7
9.	380	16 जनवरी, 2015	8	8
10.	381	3 फरवरी, 2015	8	6
11.	382	20 मार्च, 2015	7	7

iii) **निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि :** कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

iv) **निदेशकों का जीवन-वृत :** चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों/वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे अपर निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी निदेशकों की संक्षिप्त रूप-रेखा इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं पर दी गई है।

v) **बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रियाविधि :**

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया :** कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल की बैठकों के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों से बोर्ड की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।

(ख) **बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मदों का निर्धारण और चयन :**

- बोर्ड/संबंधित समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोट्स पटल पर रखे जाते हैं या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में टेबल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज कार्यात्मक निदेशक/सीएमडी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतिकरणों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) **बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :** प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिवस के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारूप कार्यवृत्त के परिचालन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणियों को सप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों की एक तुलनात्मक शीट को विचार तथा अनुमोदन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों को बैठक समाप्ति के 30 दिवस के पश्चात कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

(घ) **अनुवर्तन तंत्र :** बोर्ड/समिति के मार्ग दर्शन के आधार पर, बोर्ड/समिति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है जो निर्णयों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) **अनुपालन :** हमारा यह प्रयास होता है कि विधि, नियमों, और दिशा-निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। निदेशक मंडल समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

आम तौर पर निदेशक मंडल के समक्ष विचार हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत।
- अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कारोबार और समझौतों का विवरण।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।

- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- नामांकन आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विभिन्न विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा धारित किए गए निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- बड़े पूंजी निवेश प्रस्ताव अथवा बड़ी संविदाओं को प्रदान किया जाना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट।
- मध्यस्थम मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण।
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य कोई सूचना या तो सूचनार्थ अथवा लागू विधियों की आवश्यकतानुसार अनुमोदन हेतु।

(vi) **आचार संहिता :** बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार चालन तथा नीति शास्त्र संहिता का अनुपालन वर्ष 2014-15 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा किया गया था।

सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित घोषणा:

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

(आर.एस.टी. शाई)

दिनांक : 19 मई, 2015
स्थान : फरीदाबाद

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या : 00171920

(vii) **धोखाधड़ी निवारण नीति**

धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसे रोकने, पता लगने वाले या संदेह होने वाली किसी धोखाधड़ी को सूचित करने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के उचित निपटान हेतु एक प्रणाली मुहैया करवाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक स्थल अर्थात परियोजनाएं/पावर स्टेशन/क्षेत्र/सम्पर्क कार्यालयों में मानव संसाधन प्रभारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(viii) **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :**

कंपनी द्वारा बोर्ड सदस्यों हेतु प्रशिक्षण पर एक नीति निरूपित की गई है जिसका उद्देश्य नेतृत्व गुणों का विकास करना और निदेशकों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, कौशल और अनुभव को साझा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाना है।

जब भी बोर्ड द्वारा नए निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें कंपनी के लक्ष्य, रणनीतिक दिशा, बुनियादी मूल्यों, वित्तीय मामलों और व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर्स, रिपोर्ट तथा विभागीय नीति दस्तावेजों के माध्यम से दिया जाता है। इससे उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं, पद्धतियों और जोखिम प्रोफाइल को समझने में मदद मिलती है।

दिल्ली कैम्प कार्यालय, प्रगति भवन, नई दिल्ली में निदेशक मंडल हेतु 27 मई, 2014 को ''संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013'' पर एक प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया था। यह प्रस्तुतीकरण कारपोरेट नॉलेज फाउंडेशन, नई दिल्ली के वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा दिया गया था।

उक्त के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के लिए कार्यस्थल निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने पर विचार किया जाता है।

(ix) **एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता :** हाल ही में अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिसेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड ने एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु भीतरी व्यक्तियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, प्रबोधन तथा सूचित करने और उचित प्रकटीकरण व्यवहारों हेतु संहिता के लिए एक आचार संहिता निरूपित तथा क्रियान्वित की है। इस संहिता के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदी सूचना रखे जाने के समय नामित व्यक्तियों हेतु व्यापार विंडो बन्द रहती है।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए बाध्यकारी तथा गैर-बाध्यकारी समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया गया है :

बाध्यकारी समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

गैर-बाध्यकारी समितियां

6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. स्व-बीमा निधि से संबंधित निदेशक समिति (समाप्त की गई)
8. परियोजना निवेश समिति
9. प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति
10. निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण

उक्त समितियों में से प्रत्येक समिति के सदस्यों, आयोजित बैठकों, संदर्भ की शर्तों आदि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

3.1 लेखा-परीक्षा समिति :

लेखा-परीक्षा समिति की संरचना, कोरम, संदर्भ की शर्ते आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

31 मार्च, 2015 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

1)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक
3)	श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी)

बैठकें और उपस्थिति

समिति की बैठक वर्ष में 9 बार अर्थात 7 मई, 2014; 22 मई, 2014; 27 मई, 2014; 5 अगस्त, 2014; 20 अगस्त, 2014; 30 अक्तूबर, 2014; 16 जनवरी, 2015, 2 फरवरी, 2015 और 20 मार्च, 2015 को हुई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अतुल कुमार गर्ग	9	9
2	श्री अशोक कुमार दत्ता *	3	3
3	श्री डी.पी.भार्गव	9	8
4	श्री ए के मागो **	6	6
5	श्री जी एस वेदी **	6	5
6	श्री ए गोपालकृष्णन **	5	5
7	श्री जे.के.शर्मा ***	5	5

* श्री अशोक कुमार दत्ता को 7 नवम्बर, 2014 से लेखापरीक्षा समिति में नियुक्त किया गया था।

** श्री ए.गोपालकृष्णन 27 सितम्बर, 2014 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे थे और श्री जी.एस.वेदी तथा श्री ए.के.मागो क्रमशः 1 नवम्बर, 2014 से बोर्ड के निदेशक पद पर नहीं रहे थे।

*** श्री जे.के.शर्मा, 16 अक्तूबर, 2014 से समिति के सदस्य नहीं रहे थे।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख, सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। समिति को आवश्यक आदान मुहैया करवाने की अपेक्षा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।

श्री ए.गोपालकृष्णन, स्वतंत्र निदेशक ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 20 अगस्त, 2014 तक आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। 30 अक्तूबर, 2014 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री जी.एस.वेदी, स्वतंत्र निदेशक द्वारा और उसके पश्चात हुई बैठकों की अध्यक्षता श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई थी। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल तीन माह से अधिक का नहीं था। निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख वर्ष के दौरान आयोजित सभी लेखापरीक्षा समिति बैठकों में आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। कम्पनी सचिव ने समिति

के सचिव के रूप में कार्य किया । लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे, हालांकि लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्य यथा श्री ए.के.मागो, श्री जी.एस.वेदी, श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक और श्री डी.पी.भार्गव, निदेशक (तकनीकी) शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें :

कम्पनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथा संशोधित सूचीकरण समझौते और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
   क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
   ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;
   ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
   च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
   छ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें (क्वालिफिकेशन्स)।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाज़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्त्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखा परीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्त्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
16. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।
17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :
   - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
   - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।

19. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
    - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।
21. अंतर कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।
22. कंपनी के वचनों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां-कहीं यह आवश्यक हो।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
24. प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइटस इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
25. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तो में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

3.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2015 के अनुसार हितधारक संबंध समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक
3)	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें तथा उपस्थिति

समिति ने वर्ष के दौरान 16 जनवरी, 2015 को एक बैठक आयोजित की थी। सदस्यों द्वारा भाग ली गई हितधारक संबंध समिति बैठकों के ब्यौरे तालिका-6 में दिए गए हैं।

तलिका 6 : हितधारक संबंध समिति की बैठकें

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अतुल कुमार गर्ग	1	1
2	श्री अशोक कुमार गर्ग	1	1
3	श्री आर. एस. मीना	1	1

संदर्भ की शर्तें

1. हितधारक संबंध समिति कम्पनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

अनुपालन अधिकारी नाम और पदनाम :

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव सूचीकरण समझौते के खंड के 47(क) के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतें :

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7: शेयर धारकों की शिकायतें :

विवरण	1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2015 को लंबित शिकायतें
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	100	100	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2795	2795	शून्य
सेबी की शिकायतें	2	17	19	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	4	4	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	शून्य	शून्य	2
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**4**	**2916**	**2918**	**2**

31 मार्च, 2015 को लंबित शेयरधारकों की शिकायतें उपभोक्ता मंच के समक्ष मामलों से संबंधित है।

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ''स्कोर्स'' नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ ही है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत की स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आबंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रानिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते है और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते है। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत भौतिक रूप में दर्ज करवा सकता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या :

31 मार्च, 2015 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टाक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण-पत्रों को स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एनएचपीसी एक केन्द्रीय लोक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथापि, कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, एक पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य विहित सीमाओं को भीतर वितरण हेतु नीति का निर्णय लेने के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2015 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1. श्री अशोक कुमार दत्ता — स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार गर्ग — स्वतंत्र निदेशक
3. श्री के.एन.गर्ग — सरकारी नामिति निदेशक

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें - 1 अप्रैल, 2014, 21 अगस्त, 2014, 30 अक्तूबर, 2014, 2 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को हुई। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-8 में दिया गया है।

तालिका-8 : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री अशोक कुमार दत्ता	5	5
2	श्री अतुल कुमार गर्ग *	3	3
3	श्री के.एन.गर्ग *	2	शून्य
4	श्री जी एस वेदी **	3	3
5	श्री शांतिकाम हजारिका **	2	1
6	श्री आर.एस.मीना ***	2	2

* श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री के.एन.गर्ग क्रमशः 22 अक्तूबर, 2014 और 19 नवम्बर, 2014 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में नियुक्त किए गए थे।

** श्री शांतिकाम हजारिका और श्री जी.एस.वेदी क्रमशः 27 सितम्बर, 2014 और 1 नवम्बर, 2014 से बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे।

*** श्री आर.एस.मीना, 2 सितम्बर, 2014 से समित के सदस्य नहीं रहे।

समिति की संदर्भ की शर्तें :

(i) किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।

(ii) वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।

(iv) बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।

(v) निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।

(vi) अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।

(vii) कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

3.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2015 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

1)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2)	श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
3)	श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की छह बैठक - 1 अप्रैल, 2014, 19 जून, 2014, 17 अक्तूबर, 2014, 26 नवम्बर, 2014, 23 जनवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को हुई। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 9 में दिए गए है।

तालिका-9 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठकें:

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री अतुल कुमार गर्ग	6	6
2	श्री डी. पी. भार्गव	6	6
3	श्री आर. एस. मीना	6	5
4	श्री मुकेश जैन *	1	शून्य

* श्री मुकेश जैन को 7 जुलाई, 2014 को समिति में नियुक्त किया गया था और वह 11 नवम्बर, 2014 से समिति के सदस्य नहीं रहे थे।

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड ने 7 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 374वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की थी। 31 मार्च, 2015 के अनुसार जोखिम प्रबधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1-	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
2-	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें तथा उपस्थिति :

समिति ने वर्ष के दौरान 27 जनवरी, 2015 को एक बैठक की थी। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 10 में दिए गए हैं।

तालिका 10 - जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री डी पी भार्गव	1	1
2	श्री जे.के.शर्मा *	1	शून्य
3	श्री आर.एस.मीना	1	1

* श्री जे.के. शर्मा, 11 मार्च, 2015 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें :

1. प्रचालनात्मक, रणनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी द्वारा कारपोरेट शासन में बोर्ड की सहायता करना।
2. कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा निगरानी करना।
3. किसी लोक दस्तावेज अथवा प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों द्वारा यथापेक्षित अन्य किसी कार्य को करना।

3.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2015 के अनुसार समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

1. श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी) - अध्यक्ष
2 श्री आर एस मीना — निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की 24 बैठकें हुई। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-11 में दिया गया है।

तालिका-11 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें :

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री डी पी भार्गव	24	23
2	श्री आर एस मीना	24	22
3	श्री ए बी एल श्रीवास्तव *	15	14

* श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव 15 सितम्बर, 2014 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

समिति के संदर्भ की शर्तें :

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2 प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3 प्रतिभूतियों का री-मेटीरियलाइजेशन;
4 प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5 एचएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

3.7 स्व-बीमा निधि के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति

निदेशक मंडल ने 20 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी 382वीं बैठक में निधि को सामान्य आरक्षित के साथ विलय करने तथा समिति को भंग करने का निर्णय लिया। भंग होने के समय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1 श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)
2 श्री आर एस मीना — निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक - 26 नवम्बर, 2014 को हुई। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

समिति की संदर्भ की शर्तें

समिति को स्व-बीमा निधि में उपलब्ध राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड्स, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में करने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति को ऐसे निवेश की बिक्री/वसूली के लिए भी अधिकृत किया गया है ताकि वह उठाई गयी हानियों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता उपयुक्त ढंग से पूरी कर सके।

3.8 परियोजना निवेश समिति :

31 मार्च, 2015 को परियोजना निवेश समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

1) श्री अशोक कुमार दत्ता — स्वतंत्र निदेशक
2) श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)
3) श्री आर.एस.मीना — निदेशक (कार्मिक)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान परियोजना निवेश समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

संदर्भ की शर्तें :

समिति नई/विस्तार परियोजनाओं में निवेश संबंधी प्रस्तावों और नई परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों की जांच करेगी और उन पर सिफारिशे करेगी।

3.9 प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति :

31 मार्च, 2015 को प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

1) श्री अतुल कुमार गर्ग — स्वतंत्र निदेशक
2) श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)
3) श्री आर.एस.मीना — निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 10 सितम्बर, 2014 को हुई। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

संदर्भ की शर्तें :

समिति आंतरिक प्रबोधन की एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगी। समिति अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों, परियोजना क्रियान्वयन और निर्माण में महत्वपूर्ण विपथन, प्रचालन और अनुरक्षण आदि की समीक्षा करेगी।

3.10 निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण :

31 मार्च, 2015 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

1) श्री अतुल कुमार गर्ग — स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2) श्री अशोक कुमार दत्ता — स्वतंत्र निदेशक
3) श्री आर.एस.मीना — निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठके 2 अप्रैल, 2014, 2 फरवरी, 2015 और 12 मार्च, 2015 को हुई। निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 12 में दिए गए है।

तालिका 12 - निदेशकों की समिति की बैठकें - अपीलीय प्राधिकरण

क्र.स.	2014-15 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री अतुल कुमार गर्ग	3	3
2	श्री अशोक कुमार दत्ता	3	3
3	श्री आर. एस. मीना	3	3
4	श्री शांतिकाम हजारिका *	1	1

* श्री शांतिकाम हजारिका 27 सितम्बर, 2014 से समिति के सदस्य पद पर नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें :

समिति सीडीए नियमों के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

4. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-4, जिसे लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.16(4)/2012-जीएम के साथ पढ़ा जाता है, के अनुपालन में किसी पूर्णकालिक निदेशक, सरकारी नामिति निदेशक और एनएचपीसी लिमिटेड के प्रबंधन कार्मिक की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदशकों की एक पृथक बैठक 3 फरवरी, 2015 को श्री अशोक कुमार दत्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 20,000/-रुपए बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक को तालिका 13 में दिया गया है।

तालिका 13 : वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रुपए में)

(निदेशक)	पदनाम	वेतन	लाभ*	वर्ष 2013-14 हेतु कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	जोड़
श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव (15.09.2014 तक)	निदेशक (वित्त)	13,23,700	16,53,769	4,73,434	34,50,903
श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	25,48,147	15,18,090	4,37,841	45,04,078
श्री जे. के. शर्मा (11.03.2015 तक)	निदेशक (परियोजनाएं)	23,24,712	30,61,277	5,66,095	59,52,084
श्री आर. एस. मीना (15.09.2014 से 25.05.2015 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किया)	निदेशक (कार्मिक)	27,51,935	8,68,818	5,78,296	41,99,049

* लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, अनुलाभ, पट्टा किराया, ईपीएफ और सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान) और पेंशन निधि शामिल है।

** क्रियात्मक निदेशकों को अदा किया जाने वाला निष्पादन आधारित वेतन (पीआरपी) डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्पनी की प्रोत्साहन योजना पर आधारित है।

कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान कोई स्टाक विकल्प जारी नहीं किया था।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे तालिका 14 में दिए गए है।

तालिका 14 - वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि रुपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री अशोक कुमार दत्ता	1,20,000	2,00,000	3,20,000
श्री अतुल कुमार गर्ग	1,95,000	4,55,000	6,50,000
श्री जी एस वेदी	1,30,000	1,45,000	2,75,000
श्री ए के मागो	1,30,000	1,40,000	2,70,000
श्री आर जयसीलन	1,30,000	35,000	1,65,000
श्री शांतिकाम हजारिका	1,10,000	65,000	1,75,000
श्री ए गोपाल कृष्णन	75,000	85,000	1,60,000

ऊपर उल्लिखित के सिवाय वित्त वर्ष 2015 के दौरान कम्पनी के संबंध में गैर-कार्यपालक निदेशकों का कोई मौद्रिक संबंध या संव्यवहार नहीं था।

6. अनुषंगी कम्पनियां

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड :** एनएचडीसी लिमिटेड, को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया था जिसमें इनकी इक्विटी शेयरधारिता क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं। वर्ष के दौरान, एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। सहायक कम्पनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर एनएचपीसी बोर्ड को दी गई थी।

एनएचडीसी लिमिटेड सूचीकरण समझौते के खंड 49 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है और कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार ''भौतिक अनुषंगी'' की परिभाषा के अंतर्गत भी कवर होती है।

एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक श्री अशोक कुमार दत्ता को एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया।

(ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड :** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का अधिनिगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कंपनी भौतिक सहायक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। एलडीएचसीएल के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (66 मेगावाट) के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। परियोजना के टर्नकी निष्पादन हेतु कम्पनी द्वारा बिड आमंत्रित की गई थी और यह मूल्यांकन चरण में है।

(iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड :** बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील-कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमोट किया गया था। कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

50 मेगावाट सौर क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक ग्रिड से जुड़े विद्युत संयंत्र के साथ संबद्ध विद्युत निकासी उपकरणों के विकास हेतु ईपीसी संविदा को दिया जाना कंपनी के निदेशक मंडल के विचाराधीन है।

7. आम सभा बैठक :

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों का ब्योरा तालिका-15 में दिया गया है।

तालिका-15 : वार्षिक आम बैठकें :

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2011-12	17.09.2012	पूर्वाह्न 11:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा
2012-13	16.09.2013	अपराह्न 12:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा
2013-14	26.09.2014	अपराह्न 3:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा

एनएचपीसी लिमिटेड की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों के ब्यौरे

एनएचपीसी लिमिटेड ने 16 सितम्बर, 2013 को आयोजित अपनी 37वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्तावों को पारित करने के माध्यम से ''शेयरों की पुनः खरीद'' और ''अतिरिक्त निदेशकों'' के संबंध में क्रमशः नए अनुच्छेद 16क तथा 35क को शामिल करके अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन किया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव

कंपनी के शेयरधारकों ने अपेक्षित बहुमत के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित किया है :

1. कम्पनी के प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए कम्पनी की सभी या किसी चल अथवा अचल परिसंपत्तियों और/अथवा अचल संपत्ति को रेहन रखने और/अथवा उस पर प्रभार सृजित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकार देना (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(क) के प्रावधानों को संगत नियमों के साथ पढ़े जाने के अनुपालन में);
2. ऋण लेने की शक्तियों को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रूपये तक करना (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(ग) के प्रावधानों को संगत नियमों के साथ पढ़े जाने के अनुपालन में); और
3. निजी स्थापन के माध्यम से 2500 करोड़ रूपये तक के अप्रत्याभूत/प्रत्याभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर जारी करना (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और कंपनी अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों को संगत नियमों के साथ पढ़े जाने के अनुपालन में)।

दिनांक 18 जुलाई, 2014 के डाक मत-पत्र को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों तथा कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ में पढ़े जाने के अनुसार मतदान हेतु सभी शेयरधारकों को भेजा गया था। सुश्री सविता ज्योति, प्रैक्टिस कर रही कंपनी सचिव को डाक मत-पत्र के संचालन हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मतदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. कम्पनी के प्रयोजन हेतु ऋण लेने के लिए कम्पनी की सभी या किसी चल अथवा अचल परिसंपत्तियों और/अथवा कम्पनी की अचल संपत्ति को रेहन रखने और/अथवा प्रभार

मतपत्रों की प्राप्त कुल संख्या 7187

प्रमोटर/ पब्लिक	धारित शेयरों की संख्या (1)	मतों की कुल संख्या (2)	बकाया शेयरों पर प्राप्त होने वाले मतों का प्रतिशत (3) = [2/1]*100	पक्ष में होने वाले मतों की संख्या (4)	खिलाफ होने वाले मतों की संख्या (5)	कुल मत में से पक्ष में पड़ने वाले मतों का प्रतिशत (6) = [4/2]*100	कुल मत में से विरोध में पड़ने वाले मतों का प्रतिशत (7) = [5/2]*100
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	9516209722	0	0	0	0	0	0
पब्लिक - संस्थागत धारक	645434751	120410684	18.66	120410684	0	100	0
पब्लिक - अन्य	909024023	5852910	0.64	5191094	661816	88.69	11.31
कुल	**11070668496**	**126263594**	**1.14**	**125601778**	**661816**	**99.48**	**0.52**

* प्राप्त कुल मत - 130283510 (4019916 (अवैध + कम मत देने वाले) सहित)।

2. ऋण लेने की शक्तियों में 30,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि करना; और

मतपत्रों की प्राप्त कुल संख्या 7187

प्रमोटर/ पब्लिक	धारित शेयरों की संख्या (1)	मतों की कुल संख्या (2)	बकाया शेयरों पर प्राप्त होने वाले मतों का प्रतिशत (3) = [2/1]*100	पक्ष में होने वाले मतों की संख्या (4)	खिलाफ होने वाले मतों की संख्या (5)	कुल मत में से पक्ष में पड़ने वाले मतों का प्रतिशत (6) = [4/2]*100	कुल मत में से विरोध में पड़ने वाले मतों का प्रतिशत (7) = [5/2]*100
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	9516209722	0	0	0	0	0	0
पब्लिक - संस्थागत धारक	645434751	120410684	18.66	120410684	0	100	0
पब्लिक - अन्य	909024023	5772059	0.64	5111885	660174	88.56	11.44
कुल	**11070668496**	**126182743**	**1.14**	**125522569**	**660174**	**99.48**	**0.52**

* प्राप्त कुल मत - 130283510 (4100767 (अवैध + कम मत देने वाले) सहित)।

3. निजी स्थापन के माध्यम से 2500 करोड़ रूपये तक के अप्रत्याषभूत/प्रत्याभूत अपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर जारी करना

मतपत्रों की प्राप्त कुल संख्या 7187

प्रमोटर/ पब्लिक	धारित शेयरों की संख्या (1)	मतों की कुल संख्या (2)	बकाया शेयरों पर प्राप्त होने वाले मतों का प्रतिशत (3) = [2/1]*100	पक्ष में होने वाले मतों की संख्या (4)	खिलाफ होने वाले मतों की संख्या (5)	कुल मत में से पक्ष में पड़ने वाले मतों का प्रतिशत (6) = [4/2]*100	कुल मत में से विरोध में पड़ने वाले मतों का प्रतिशत (7) = [5/2]*100
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	9516209722	0	0	0	0	0	0
पब्लिक - संस्थागत धारक	645434751	120410684	18.66	120410684	0	100	0
पब्लिक - अन्य	909024023	5767439	0.63	5309898	457541	92.07	7.93
कुल	**11070668496**	**126178123**	**1.14**	**125720582**	**457541**	**99.64**	**0.36**

* प्राप्त कुल मत - 130283510 (4105387 (अवैध + कम मत देने वाले) सहित)।

उक्त विशेष प्रस्तावों को 9 सितम्बर, 2014 को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था।

डाक मतपत्र के माध्यम से किसी विशेष प्रस्ताव को परित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8. प्रकटीकरण :

(i) **संबंधित पक्ष कारोबार :** वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ऐसे कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष कोई कारोबार नहीं थे, जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्योरों को कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 द्वारा अधिसूचित किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होने वाली टिप्पणियों (वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 29) में शामिल किया गया है।

(ii) **सूचीकरण समझौते और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं :** कंपनी ने मोटे तौर पर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते की सभी सांविधिक आवश्यकताओं और साथ ही साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विहित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन किया है, सिवाय 26 सितम्बर, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि हेतु जहाँ बोर्ड की कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था (देखें पैराग्राफ 2(आई))।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

तथापि, कम्पनी को सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)(क)(1) की आवश्यकता - 10 अप्रैल, 2015 को बीएसई लिमिटेड द्वारा महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में गैर-अनुपालन हेतु 50,000/- रूपये के जुर्माने हेतु एक नोटिस प्राप्त हुआ है। कम्पनी ने एक्सचेंज से इस आधार पर उक्त जुर्माने में छूट देने का अनुरोध किया है कि एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) है, और अतः निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। सूचीकरण समझौते के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना **संलग्नक-क** में प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2014-15 और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया था।

(iii) **लेखांकन व्यवहार :** प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है।

(iv) **व्हिसल ब्लोअर नीति :** एनएचपीसी की अनैतिक/अनुचित आचरणों को सूचित करने तथा उक्त की जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक सुपरिभाषित तथा स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति है। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ियों को सूचित करने हेतु कम्पनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है जिसमें कर्मचारी और साथ ही साथ एनएचपीसी के साथ व्यापार कर रहे विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, सेवाप्रदाताओं अथवा अन्य किसी पक्ष के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। धोखाधड़ी रोकने हेतु तंत्र को भी इस नीति में शामिल किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं की गई है।

(v) **लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की मदें जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नही थी :**

कोई नहीं

(vi) **किए गए व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के थे तथा जिन्हें निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन हेतु किया गया :**

कोई नहीं

(vii) **कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारण :**

विवरण	2014-15	2013-14	टिप्पणियां
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	12.98	14.46	पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्ययों की तुलना में वित्तीय व्ययों में कमी आई है।
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	58.96	76.51	

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण समझौते के खंड-49 की अपेक्षा के अनुसार श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिनांक 29 मई, 2015 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया और यह कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में **संलग्नक-ख** में प्रदान किया गया है।

10. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीण परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

कम्पनी ने महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों और कार्यकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कीं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा तालिका-16 में दिया गया है।

तालिका-16 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014	31.03.2015
हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) सभी संस्करण	06.08.2014	-	-	-
हिंदुस्तान (हिंदी) नई दिल्ली	06.08.2014	-	-	30.05.2015
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) सभी संस्करण	-	31.10.2014	-	30.05.2015
बिजनेस लाइन - हिंदू (अंग्रेजी) सभी संस्करण	-	31.10.2014	-	-
बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) नई दिल्ली/ मुंबई	-	31.10.2014	-	-
बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) सभी संस्करण	-	-	04.02.2015	-
बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिंदी) नई दिल्ली	-	01.11.2014	04.02.2015	-
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) अहमदाबाद/मुंबई/ पुणे	-	31.10.2014	-	-
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) सूरत/बंगलौर	-	01.11.2014	-	-
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा	-	-	-	31.05.2015
नवभारत टाइम्स (हिंदी), दिल्ली, एनसीआर	-	-	-	31.05.2015
दैनिक भास्कर (हिन्दी), दिल्ली, फरीदाबाद	-	-	-	31.05.2015
अमर उजाला (हिंदी) नई दिल्ली	-	01.11.2014	-	31.05.2015
मिलेनियम पोस्ट (अंग्रेजी) दिल्ली	-	-	-	30.05.2015
हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) दिल्ली, एनसीआर	-	-	-	30.05.2015
मिंट (अंग्रेजी) दिल्ली	-	-	-	30.05.2015
बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) बंगलौर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली	-	-	-	30.05.2015
बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) अन्य संस्करण	-	-	-	01.06.2015
फाइनेन्शियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) अहमदाबाद	-	-	-	01.06.2015

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण दिए गए और वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

11. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) **वार्षिक आम सभा :**

दिनांक : 23 सितम्बर, 2015

समय : प्रातः 10:30

स्थान : म्यूनिसिपल कारपोरेशन आडिटोरियम, एनआईटी, निकट बी के चौक, फरीदाबाद - 121 001

(ii) **वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय कलैंडर :**

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2016 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2016	सितम्बर, 2016 (परिवर्तनशील)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को दिनांक 12.09.2015 से 23.09.2015 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान :

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु 0.60 रूपये प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 6 प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। उक्त राशि में फरवरी, 2015 में अदा किया गया 0.20 रूपये प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 2 प्रतिशत) का अंतरिम लाभांश शामिल है। अतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषणा की जाती है, का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विहित अवधि में किया जाएगा।

भौतिक शेयरों के संबंध में लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि 23 सितम्बर, 2015 है। डीमैट शेयरों के संदर्भ में अंतिम लाभांश का भुगतान शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को किया जाएगा, जिनके नाम 11 सितम्बर, 2015 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी धारकों संबंधी विवरण में दर्ज होंगे।

(v) लाभांश इतिहास:

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2007-08	300.00 (100 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	05.08.2008	13.08.2008
2008-09	325.00 (125 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	31.07.2009	13.08.2009
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011
2011-12	861.05	17.09.2012	26.09.2012
2012-13	738.04	16.09.2013	25.09.2013
2013-14	332.13	26.09.2014	07.10.2014

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण :

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 **स्क्रिप कोड** : 533098 **ISIN** : INE848E01016	पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लाक, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 **स्क्रिप कोड :** NHPCEQ **ISIN :** INE848E01016

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड दोनों को 30 अप्रैल, 2015 से पूर्व किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा:

एनएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,14	20.85	18.55	19.00
मई,14	28.60	18.40	24.80
जून,14	29.60	23.45	26.40
जुलाई,14	27.95	22.70	22.85
अगस्त,14	23.25	20.45	21.65
सितम्बर,14	22.90	19.05	19.45
अक्तूबर,14	20.85	18.90	20.65
नवम्बर,14	21.65	19.70	20.35
दिसम्बर,14	20.45	17.95	18.85
जनवरी,15	20.30	18.15	19.25
फरवरी,15	21.75	19.10	21.25
मार्च,15	21.45	19.05	19.80

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,14	20.90	18.70	19.00
मई,14	28.60	18.40	24.80
जून,14	29.60	23.55	26.35
जुलाई,14	28.00	22.65	22.85
अगस्त,14	23.20	20.50	21.70
सितम्बर,14	22.90	19.05	19.50
अक्तूबर,14	20.85	18.90	20.65
नवम्बर,14	21.65	19.70	20.30
दिसम्बर,14	22.30	17.95	18.85
जनवरी,15	20.25	18.20	19.30
फरवरी,15	21.75	19.15	21.25
मार्च,15	21.30	19.05	19.90

(viii) **सूचकांक की तुलना में निष्पादन:**

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

सेन्सेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल,14	22939.31	22197.51	22417.80
मई,14	25375.63	22277.04	24217.34
जून,14	25725.12	24270.20	25413.78
जुलाई,14	26300.17	24892.00	25894.97
अगस्त,14	26674.38	25232.82	26638.11
सितम्बर,14	27354.99	26220.49	26630.51
अक्तूबर,14	27894.32	25910.77	27865.83
नवम्बर,14	28822.37	27739.56	28693.99
दिसम्बर,14	28809.64	26469.42	27499.42
जनवरी,15	29844.16	26776.12	29182.95
फरवरी,15	29560.32	28044.49	29361.50
मार्च,15	30024.74	27248.45	27957.49

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,14	20.90	18.70	19.00
मई,14	28.60	18.40	24.80
जून,14	29.60	23.55	26.35
जुलाई,14	28.00	22.65	22.85
अगस्त,14	23.20	20.50	21.70
सितम्बर,14	22.90	19.05	19.50
अक्तूबर,14	20.85	18.90	20.65
नवम्बर,14	21.65	19.70	20.30
दिसम्बर,14	22.30	17.95	18.85
जनवरी,15	20.25	18.20	19.30
फरवरी,15	21.75	19.15	21.25
मार्च,15	21.30	19.05	19.90

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

निफ्टी			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल,14	6869.85	6650.40	6696.40
मई,14	7563.50	6638.55	7229.95
जून,14	7700.05	7239.50	7611.35
जुलाई,14	7840.95	7422.15	7721.30
अगस्त,14	7968.25	7540.10	7954.35
सितम्बर,14	8180.20	7841.80	7964.80
अक्तूबर,14	8330.75	7723.85	8322.20
नवम्बर,14	8617.00	8290.25	8588.25
दिसम्बर,14	8626.95	7961.35	8282.70
जनवरी,15	8996.60	8065.45	8808.90
फरवरी,15	8941.10	8470.50	8901.85
मार्च,15	9119.20	8269.15	8491.00

एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,14	20.85	18.55	19.00
मई,14	28.60	18.40	24.80
जून,14	29.60	23.45	26.40
जुलाई,14	27.95	22.70	22.85
अगस्त,14	23.25	20.45	21.65
सितम्बर,14	22.90	19.05	19.45
अक्तूबर,14	20.85	18.90	20.65
नवम्बर,14	21.65	19.70	20.35
दिसम्बर,14	20.45	17.95	18.85
जनवरी,15	20.30	18.15	19.25
फरवरी,15	21.75	19.10	21.25
मार्च,15	21.45	19.05	19.80

(ix) **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट :**

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32,

गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,

ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032

दूरभाष नं.: 040 67161500

फैक्स नं. : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

(x) **शेयर अंतरण प्रणाली**

भौतिक खण्ड के अंतर्गत शेयर अंतरण क्रियाकलापों को कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण वेलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका प्रमाणीकरण, अन्तरण के ज्ञापन को तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयर अंतरणों को एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा आवंटन-पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण समझौते के खंड 47(ग) के अनुपालन में प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव की कम्पनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाले छमाही आधार के प्रमाण-पत्र को विहित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

(xi) अदा न की गई/दावा न की गई राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि (अदा न की गई तथा दावा न की गई कम्पनियों के पास पड़ी राशियों के संबंध में सूचना की अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने 26 सितम्बर, 2014 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) को कम्पनी के पास अदा न की गई तथा दावा न की गई राशियों के ब्यौरे के कम्पनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

(xii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2015 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर नीचे दिए गए हैं :

आकार के अनुसार

(क) 31 मार्च, 2015 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

श्रेणी (राशि रुपए में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5,000	593080	61.49	127099779	1.14
5,001-10,000	262918	27.26	197139841	1.78
10,001-20,000	59136	6.13	88623717	0.80
20,001-30,000	18961	1.96	48538519	0.44
30,001-40,000	7905	0.82	28345480	0.26
40,001-50,000	6569	0.68	31065940	0.28
50,001-1,00,000	9435	0.98	68396381	0.62
1,00,001 और उससे ज्यादा	6562	0.68	10481458839	94.68
कुल	**964566**	**100**	**11070668496**	**100**

ख) 31 मार्च, 2015 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न :

श्रेणी	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को		परिवर्तन (प्रतिशत)
	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	
भारत सरकार	9516209722	85.96	9516209722	85.96	0.00
विदेशी संस्थागत निवेशक	193942928	1.75	183429954	1.66	0.09
भारतीय जनता और एचयूएफ	747288889	6.75	786896162	7.12	(0.37)
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	467299545	4.22	412307069	3.72	0.5
कार्पोरेट निकाय	97340036	0.88	134504517	1.21	(0.33)
म्युचल फंड्स	8722475	0.08	8089308	0.07	0.01
एनआरआई और प्रवासी विदेशी निकाय	16601501	0.15	15900420	0.14	0.01
अन्य					
क्लिअरिंग सदस्य, ट्रस्ट, विदेशी पोर्टफोलिया निवेशक और विदेशी नागरिक	23263400	0.21	13331344	0.12	0.09
कुल	**11070668496**	**100.00**	**11070668496**	**100.00**	

ग) 31 मार्च, 2015 को प्रमुख शेयरधारक :

31 मार्च, 2015 को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है :

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार
भारतीय जीवन बीमा निगम	331009248	2.99	बीमा कंपनी

घ) 31 मार्च, 2015 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक :

31 मार्च, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के 10 शीर्ष शेयरधारक निम्नानुसार है :

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	331009248	2.99
3.	यूको बैंक	33154836	0.30
4.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, असेरी	27730780	0.25
5.	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	21424576	0.19
6.	विस्डम ट्री ट्रस्ट एकाउंट विस्डम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कारपोरेशन	18898129	0.17
7.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	13907798	0.13
8.	कारपोरेशन बैंक	13842251	0.13
9.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	11144212	0.10
10.	इमरजिंग मार्केटस कोर इक्विटी पोर्टफोलिय	11019906	0.10
	कुल	**9998341458**	**90.32**

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन :

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास डीमैटीरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा धारित पूंजी के समाधान के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु प्राप्त की गई थी और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

डीमैटिरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या

	शेयरों की संख्या	जारी कल पूंजी का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	10812540723	97.67
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	257948636	2.33
भौतिक रूप	179137	0.00
कुल	**11070668496**	**100.00**

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

1. **नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्ट्री लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल,
   कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
   सेनापति बापट मार्ग,
   लोअर परेल, मुंबई-400013
2. **सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
   फिरोज जीजेभॉय टावर्स,
   28वां तल, दलाल स्ट्रीट,
   मुंबई - 400 023

(xv) डीमैट उचिन्त खाता

31 मार्च, 2015 को इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के पश्चात उचिन्त खाते में खोले तथा रखे गए शेयरों के ब्यौरे तालिका 17 में दिए गए हैं।

तालिका 17 : उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	412	160024
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	32	15204
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अंतरित किए गए	32	15204
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	380	144820

टिप्पणी : इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि उनके वास्तविक स्वामियों द्वारा उनके लिए दावा नहीं किया जाता।

(xvi) बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(xvii)31 मार्च, 2015 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	धारित शेयरों की संख्या
आर.एस.टी. शाई	शून्य
डी. पी. भार्गव	19999
आर. एस. मीना	42000
के.एन. गर्ग	शून्य
अरूण कुमार वर्मा	शून्य
अशोक कुमार दत्ता	शून्य
अतुल कुमार गर्ग	शून्य

(xviii) एनएचपीसी संयत्रों की अवस्थिति

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., डाकघर-सुरंगानी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल-I और II	एनएचपीसी लि., डाकघर-ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू व कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर-टीपीएस कैम्पस, बानबासा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा-I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी-I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू व कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा-II	एनएचपीसी लि., डाकघर- करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर-II, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता-V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा-II	एनएचपीसी लि., डाकघर-माश्का, ज़िला कठुआ, (जम्मू-कश्मीर)
चमेरा-III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पीओ-9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चूटक	एनएचपीसी लि., डाकघर-पीओ-मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू व कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम परियोजना-III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, पीओ-रियांग, जिला-दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)-734321
निम्मो बाजगो परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह (लद्दाख), जम्मू व कश्मीर, पिन - 194101
उड़ी-II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला - बारामुला, (जम्मू व कश्मीर), पिन 193122
पार्बती-III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, डाकघर-लारजी, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), पिन 175122

(xix) **पत्राचार के लिए पता :**

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in
संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है :

	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय :-	0129-2278421	0129-2277941
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ :-	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com, investorcell@nhpc.nic.in	
श्री के.के.गोयल, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2270603	-
ई-मेल आईडी	goelkk@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

दिनांक : 6 अगस्त, 2015
स्थान : फरीदाबाद

संलग्नक-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सूचीकरण समझौते की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1) **बोर्ड :** कंपनी की अध्यक्षता श्री आर.एस.टी.शाई द्वारा की जा रही है जो टीएचडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अपने कार्यभार के अलावा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए है। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

2) **शेयर धारकों के अधिकार :** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए जाते है जैसा कि इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।

3) **लेखा परीक्षा अर्हता :** कंपनी का प्रयास सदा ही गैर-अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।

4) **अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पद :** कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34 के अनुपालन में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। श्री आर.एस.टी.शाई, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए हैं।

5) **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग :** श्री विजय कुमार, महाप्रबंधक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक है। कंपनी के संगठन ढांचे के अनुसार श्री विजय कुमार कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

संलग्नक - ख

सूचीकरण समझौते के खंड 49(IX) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मंडल
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की संवीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :

(i) इन परिणामों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

(ii) इन परिणामों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।

घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :

(i) 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण बदलाव।

(ii) 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और

(iii) धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-
(जयंत कुमार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 03010235
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2015

हस्ता/-
(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

अनुबंध - ।।

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद,
हरियाणा - 121 003

1. मैंने स्टाक एक्सचेंजों के साथ एनएचपीसी लि. के सूचीकरण करार की धारा 49, जिसे मई, 2010 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी दिशा-निदेशों के साथ पढ़ा जाता है, में वर्णित की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड (सीआईएन न. एल40101एचआर1975 जीओआई 1032564) द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
2. कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।
3. मेरी राय में तथा मेरी पूर्ण जानकारी और मुझे उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं यह प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है, **सिवाय कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में कंपनी द्वारा बताए गए गैर-अनुपालन की सीमा तक।**
4. मेरा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

हस्ता./-
(पी.एस.आर.मूर्ति)
प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव
एसीएस सं. 5880
सीपी सं. 13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 अगस्त, 2015

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

अनुबंध -III

उद्योग ढांचा और विकास

भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व के औसत के एक-चौथाई से भी कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने के साथ, विद्युत में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में और निवेश में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है ताकि देश के लिए धारणीय औद्योगिक तथा आर्थिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सके।

भारत ने विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शानदार प्रगति की है। 31 मार्च, 2015 को इसकी कुल संस्थापित क्षमता 2,67,637 मेगावाट हो गयी है जिसमें ताप विद्युत, पनविद्युत, परमाणु ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा स्रोतें का योगदान क्रमशः 1,88,898 मेगावाट, 41,267 मेगावाट, 5,780 मेगावाट और 31,692 मेगावाट दर्ज किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य और केन्द्र सरकार), कोयला, जल, परमाणु, ईंधन, सौर एवं पवन जैसे भिन्न स्रोतों को उपयोग करते हुए विद्युत के एक बड़े अंश का उत्पादन करता है।

पिछले दो दशकों के दौरान, जल विद्युत में समूचे विश्व में काफी गति प्राप्त की है। अर्थक्षम जल विद्युत क्षमता होने वाले देशों में समूचे विश्व में भारत शीर्ष देशों में आता है, जिसमें से काफी अनप्रयुक्त पड़ी है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, भारत का जल विद्युत उत्पादन आशाजनक तथा एनएचपीसी लिमिटेड की भूमिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

एनएचपीसी लिमिटेड अनुसूची-'क' के तहत एक मिनीरत्न उद्यम है जिसकी 15,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी और लगभग 55,000 करोड़ रुपये का निवेश आधार तथा 4961.20 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी ने समूचे देश भर में फैले अपने विभिन्न विद्युत संयंत्रों के माध्यम से 22,038 एमयू का उत्पादन किया।

भारत में जल विद्युत संभाव्यता

हमारे देश में व्यापक जल विद्युत संभाव्यता मौजूद है। देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनर्आकलन अध्ययन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूर्ण किए गए थे। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट अनुमानित है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की संभाव्यता 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाली जल विद्युत योजनाओं की है।

कार्यनीतिक विविधीकरण

एनएचपीसी लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी है तथा अपने प्रचालनों में तापीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को शामिल करने के प्रारंभिक चरणों में भी हैं।

क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

क) क्षमताएं :

एनएचपीसी की प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं निम्नलिखित हैं :

- **जल विद्युत परियोनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता में स्थापित ट्रैक रिकार्ड :** एनएचपीसी को परियोजना कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है, जिससे यह प्रतिस्पर्धा में शानदार बढ़त हासिल कर सकी है। डिजाइन एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में कम्पनी की बुनियाद भी बड़ी मजबूत है और उसे भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी, निर्माण और सामग्री सर्वेक्षण के क्षेत्र में उसके पास अपनी विशेषज्ञता मौजूद है। इसकी इंजीनियरी क्षमताओं में परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके चालू होने तक के तमाम चरणों शामिल है। एनएचपीसी की टीम की मदद के लिए उसके पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता हैं।
- **दूर-दराज/दुर्गम इलाकों, भू-तकनीकी दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन का अनुभव तथा प्रबंधन:** एनएचपीसी की लगभग सभी परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में स्थित है जिनमें संभारतंत्र, जलवायु और प्रौद्योगिकी संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं के सभी प्रकार तथा आकार को निष्पादित करने के लिए दक्ष और अनुभवी व्यावसायिकों की अपनी मजबूत तथा कार्यकुशल टीम के साथ एनएचपीसी ने 20 जल पावर स्टेशनों को सफलतापूर्वक विकसित और चालू किया है, जिसमें इसकी सहायक कम्पनी एनएचडीसी के माध्यम से दो शामिल है। हिमाचल प्रदेश में चमेरा-II पावर स्टेशन (300 मेगावाट) और एनएचडीसी लिमिटेड की 2 जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) को निर्धारित समय से पहले चालू किया गया था।
- **उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते :** एनएचपीसी की ज्यादातर आमदनी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं के साथ विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के माध्यम से विद्युत की बिक्री से होती है। विभिन्न पावर स्टेशनों से विभिन्न लाभार्थियों को विद्युत का आबंटन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस समय राज्यों की संस्थाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए भुगतान ऋण-पत्रों के माध्यम से किया जाता है जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और संबद्ध राज्य सरकारों के बीच तृपक्षीय समझौतों के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं में निवेश को अनुमोदित करते समय कंपनी द्वारा ऐसी नई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु लाभग्राहियों से प्रतिबद्धता भी प्राप्त करती है।
    - **सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मी :** आपकी कंपनी के पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का दल है। इसके अधिकारियों को इस उद्योग में काम करने का व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।
    - **दृढ़ वित्तीय स्थिति :** एनएचपीसी लिमिटेड अनुसूची-'क' के तहत एक मिनीरत्न उद्यम है जिसकी 15,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी और 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आधार है। फिच ने घरेलू ऋणों हेतु 'एएए(इंड)' की रेटिंग दी है।

ख) अवसर :

देश के कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत और तापविद्युत के अनुपात में असंतुलन, विद्युत की सबसे अधिक जरूरत वाले समय में मांग और अपूर्ति के अंतर में वृद्धि और विद्युत फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों से नीति निर्माताओं को जल-विद्युत जैसे वैकल्पिक विकल्पों के विकास की ओर की ओर ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा है। भारत की इस्तेमाल नहीं हो रही विशाल जल विद्युत संभाव्यता, खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जल विद्युत विकास हेतु एक पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी नए अवसरों की तलाश के लिए अन्य क्षेत्रों नामतः तापीय, पवन, सौर आदि में भी विविध क्रियाकलापों को कर रही हैं।

ग) खतरे/कमजोरियां :

आपकी कंपनी के प्रबंधन को जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नांकित खतरे/जोखिम/कमजोरियों नज़र आती हैं :

- **भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं :** परियोजना से पूर्व किए गए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बावजूद जलविद्युत परियोजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे हैड रेस टनल, भूमिगत विद्युतघर, प्रेशर शैफ्ट, और सर्ज शॉफ्ट बनाते समय अक्सर प्रतिकूल स्थितियों सामने आ जाती हैं, विशेष रूप से नए हिमालयी क्षेत्रों में। एनएचपीसी ने अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता तथा उन्नत टैकनोलॉजी के साथ पूर्व में ऐसे कई आश्चर्यों को पार किया है। तथापि, इसके अक्सर होने से परियोजना लागत और इसे पूरा करने की अवधि बढ़ने की पूरी आशंका बनी रहती है।
- **पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति :** पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी (जहां-कहीं लागू हो) प्राप्त करने हेतु कड़े मानदंडों तथा जटिल प्रक्रियाविधियों की वजह से पनविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में देरी होती है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
- **भूमि अधिग्रहण :** जलविद्युत परियोजना से जुड़े आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है।
- **अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद :** भारत के संविधान के अनुसार, जल राज्य का विषय है, नदियां के अंतर-राज्य नदी विवाद में उलझे होने के कारण कई जल विद्युत परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं या उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं/पावर स्टेशन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतभेद के मुद्दे बनती है।
- **प्राकृतिक आपदाएं :** अधिकतर अधिकांश जल परियोजनाएं सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं जहां अक्सर चट्टानें खिसकने, पहाड़ों की ढलानों के ढ़हने, मार्ग बंद होने आदि जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है। इन आपदाओं से निर्माण कार्यक्रम पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है।
- **अप्रत्याशित जटिलताएं :** परियोजनाओं में अप्रत्याशित जटिलताओं और स्वीकृति मिलने/क्रियान्वयन में विलम्ब जैसे कंपनी के बस से बाहर के कारणों से अनुमानों में परिवर्तन/वृद्धि की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी टैरिफ विनियमनों में परिवर्तन से नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **स्वंतत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से प्रतिस्पर्धा :** एनएचपीसी को नई परियोजनाओं के आबंटन में आईपीपी और अन्य प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- **कानून एवं व्यवस्था :** संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित एनएचपीसी की परियोजनाएं/पावर स्टेशन कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते है। क्षेत्र के आंतकवादी और उग्र समूह एनएचपीसी को एक सरकारी प्रतिनिधि मानते हुए अक्सर इसे अपना लक्ष्य बनाते है।

घ) जोखिम और चिंताएं :

जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी-प्रधान होती हैं, इनके पूरा होने में अधिक वक्त लगता है। देश में उपलब्ध विशाल जलविद्युत संभाव्यता के दोहन हेतु निधियों की उपलब्धता को सदैव एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने के चलते राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में मुफ्त विद्युत और इसी तरह के अन्य फायदों की मांग करती हैं जिससे विद्युत शुल्क बहुत बढ़ जाता है। उक्त के अतिरिक्त आपकी कम्पनी द्वारा चिन्हित जोखिम/चिन्ताएं निम्नलिखित हैं :

1. निम्नलिखित कारणों से परियोजनाओं का समय और लागत आधिक्य :
   - i) अनिश्चित भू-वैज्ञानिक स्थितियां।
   - ii) संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति/अनुमोदन में विलंब विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से।
   - iii) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विनियमों में अप्रत्याशित परिवर्तन।
   - iv) प्रभावी परियोजना प्रबोधन, एकीकृत कार्यक्रम, क्रियान्वयन तथा नियमित रूप से अद्यतन किए जाने का अभाव।
   - v) संविदाकार की श्रमिक समस्याओं के कारण कार्य को रोकना।
   - vi) संबंधित राज्यों में कानून एवं व्यवस्था समस्या।
2. पावर हाउस में बाढ़ का पानी भर जाना और अन्य महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के ढांचे को क्षति पहुंचना।
3. पावर हाउस के भीतर आग (भूमिगत पावर हाउस के मामले में जोखिम काफी अधिक होता है)।
4. विभिन्न संविदाकारों के निपटान न किए गए दावे जो विवाद में परिणत होकर परियोजना में विलंब के अतिरिक्त माध्यस्थ तथा विधिक जटिलताएं बनती हैं।
5. प्रपाती रूप से कार्य कर रहे पावर स्टेशनों हेतु निश्चित प्रचालनात्मक रणनीति की अनुपलब्धता।
6. लाभग्राहियों से बकाया देयों की वसूली न होना।

परिदृश्य :

सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में टैकनोलॉजी उन्नयन हेतु किए गए एनएचपीसी के प्रयासों ने आयोजना, सर्वेक्षण और अन्वेषण, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सुधार किया है। इसी प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी के ईष्टतम उपयोग ने पावर स्टेशनों के निर्माण क्रियाकलापों के प्रबोधन तथा साथ ही चालू किए जाने के पश्चात प्रचालन एवं अनुरक्षण के पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित किया है।

खंड -वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श 'खंड रिपोर्टिंग' संबंधी लेखांकन मानक-17 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

आतंरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता :

एनएचपीसी ने अपने सभी कार्य और प्रचालनगत क्षेत्रों में एक सुपरिभाषित तथा सुनिर्धारित आतंरिक नियंत्रण प्रणालियां कायम की है। अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाएं शक्तियों के प्रत्यायोजना, प्रलेखबद्ध नीतियों, दिशा-निर्देशों और मैनुअलों पर आधारित प्रणाली द्वारा निर्देशित होती हैं। इसके पास अधिकारियों के पदक्रम पर आधारित सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा है और पदक्रम के विभिन्न स्तरों के अधिकार और दायित्व भी सुपरिभाषित हैं।

श्री विजय कुमार, महाप्रबंधक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख है। विभाग के पास आवधिक रूप से लेखापरीक्षा करने के लिए एक दक्ष और अनुभवी कार्यबल है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग प्रबंधन की इच्छा अनुसार समय-समय पर विशेष लेखा-परीक्षा कर रहा है। लेखा-परीक्षा टिप्पणियों और उन पर कृत कार्रवाई रिपोर्टों के सार को लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है और लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों का उचित पालन किया जाता है।

वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

प्रचालन परिणाम

वित्त वर्ष 2014 की तुलना में वित्त वर्ष 2015 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

आय **(करोड़ रुपयों में)**

	वित्त वर्ष 2015	**वित्त वर्ष 2014**
बेची गई विद्युत इकाईयां (मिलियन यूनिट)	19078.15	15942.30
आय		
ऊर्जा की बिक्री	6736.64	5335.11
अन्य प्रचालनशील आय	18.08	115.54
अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श संबंधी कार्यों से प्राप्त राजस्व	47.53	86.39
अन्य आय	861.33	1456.95
कुल	**7663.58**	**6993.99**

अन्य प्रचालनशील आय में लाभग्राहियों से ब्याज और अन्य आय में अधिशेष निधियों के निवेश पर अर्जित ब्याज, प्रतिभूतिकृत बॉण्ड/दीर्घावधि अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश आय शामिल होती है। वित्त-वर्ष 2015 में कुल आय में वित्त वर्ष 2014 के 6993.99 करोड़ रूपये से 9.57 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 7663.58 करोड़ रूपये हो गई है, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2013-14 में चालू किए गए 4 पावर स्टेशनों अर्थात टीएलडीपी-III, निम्मो-बाजगो, उडी-II तथा पार्बती-III के पूर्ण वर्ष प्रचालन, धौलीगंगा पावर स्टेशन को बहाल किए जाने, अन्य पावर स्टेशनों में वृद्धित उत्पादन, जल प्रभारों की प्रतिपूर्ति में वृद्धि, देयताओं/प्रावधानों के पश्च लेखन में वृद्धि के कारण है, जिसे अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड से लाभांश में कमी, विलंब भुगतान प्रभार में कमी, सावधि जमा पर ब्याज में कमी और लाभग्राही राज्यों से ब्याज में कमी से समायोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान बीमा कंपनी ने धौलीगंगा पावर स्टेशन में बाधा के कारण होने वाली हानि के प्रति किसी राशि का भुगतान नहीं किया है जबकि वित्त वर्ष 2014 में इस संबंध में 99.99 करोड़ रूपये वसूल किए गए थे।

प्रभार

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न पावर स्टेशनों के विद्युत प्रभार का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 21 फरवरी, 2014 को अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी जारी की है जो 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ से संबंधित है और इसमें समय-समय पर संशोधन जारी किए जाते है।

प्रभार अवधि 2014-19 हेतु अधिसूचित विनियमों के अनुपालन में, प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में प्रभावी दर पर आयकर को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी हिसाब में लिया जा सके। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक पावर हाउस की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते है।

ऊर्जा की बिक्री

विद्युत को बल्क उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत उपयोगिताएं शामिल होती हैं और ऐसा दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2013/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप पावर स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक है, को संबधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2014-15 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

वित्त वर्ष 2015 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 4,961.20 मेगावाट से 19078.15 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की जबकि वित्त वर्ष 2014 में कम्पनी ने 4,831.20 मेगावाट संस्थापित क्षमता में से 15,942.30 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की थी। इससे विद्युत बिक्री में 19.67 प्रतिशत यूनिटों की वृद्धि का पता चलता है। वर्ष 2015 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों को समायोजित करके) 3.53 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि 2014 में यह 3.38 रुपये प्रति यूनिट था।.

ऊर्जा की बिक्री में वित्त वर्ष 2014 में 5335.11 रूपये से वित्त वर्ष 2015 में 26.27 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 6736.64 करोड़ रूपये हो गई थी जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2013-14 में चालू किए गए 4 पावर स्टेशनों के पूर्ण वर्ष प्रचालन और पार्बती-III पावर स्टेशन की चौथी यूनिट को प्रारम्भ किए जाने, धौलीगंगा पावर स्टेशन की बहाली के चलते उत्पादन में वृद्धि और अन्य पावर स्टेशनों में बेहतर उत्पादन के कारण हुई थी, जिसे उडी-II पावर स्टेशन में दुर्घटनावश आग लगने के कारण उसे बन्द करने के लिए बाध्य होने के चलते बिक्री में कमी से समायोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2015 में कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 77.30 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह 77.70 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है। इसमें ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए सीईआरसी विनियमों में निर्धारित फ्रीक्वेंसी की दरों पर शेड्यूल (देय या प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु प्रभार और विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल होती है।

सीईआरसीके प्रभार विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी स्टेशनों/यूनिट के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेखे में समायोजित करने की बजाय लेखे में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है.।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री के प्रभावों को छोड़ दिया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपयों में)

	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014
सकल बिक्री	6981.36	5405.60
जोड़े : मूल्यह्रास पर अग्रिम का पश्चलेखन(एएडी)	50.17	50.17
घटाएं : विनियमित बिक्री समायोजन	75.09	5.83
घटाएं : अस्थिर विद्युत की बिक्री	0.36	8.35
घटाएं : विदेशी मुद्रा दर अंतर हेतु समायोजन	76.41	105.35
घटाएं : टैरिफ समायोजन	143.03	1.13
निवल बिक्री	6736.64	5335.11
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्र	141.41	126.89
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	**6595.23**	**5208.22**

समायोजित बिक्री में 26.63 प्रतिशत की वृद्धि वित्त वर्ष 2013-14 में चालू की गई टीएलडीपी-III, निम्मो बाजगो, उड़ी-II और पार्बती-III परियोजनाओं के पूर्ण वर्ष प्रचालन धौलीगंगा पावर स्टेशन की बहाली के चलते उत्पादन में वृद्धि और अन्य पावर स्टेशनों में बेहतर उत्पादन के कारण हुई थी, जिसे उड़ी-II पावर

स्टेशन में दुर्घटनावश आग लगने के कारण उसे बन्द करने के लिए बाध्य होने के चलते बिक्री में कमी से समायोजित किया गया था।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व निर्माण परियोजनाओं के ठेकों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श संबंधी कार्यों से आता है। इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे के विकास संबंधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी कार्य शामिल है। इन दो कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है और इन्हें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श सेवा संबंधी कार्यों से आय में 44.98 प्रतिशत की कमी आई है और यह वित्त वर्ष 2015 में कम क्रियाकलापों के चलते वित्त वर्ष 2014 में 86.39 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2015 में 47.53 करोड़ रुपये रह गयी है।

अन्य आय

वित्त वर्ष 2015 में एनएचपीसी की अन्य आय कम होकर 861.33 करोड़ रुपये हो गयी जो वर्ष 2014 में 1456.95 करोड़ रुपये के मुकाबले 40.88 प्रतिशत कम है। अन्य आय के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपयों में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014
प्रतिभूतिकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों/अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	79.14	99.62
आवधिक जमा राशियों पर ब्याज	537.40	620.28
लाभांश	61.56	377.93
विलंब भुगतान अधिभार	7.84	121.57
व्यापार बाधा के कारण हानि की बीमा कंपनी से वसूली	0.00	99.99
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	75.95	36.43
अन्य विविध आय	99.44	101.13
कुल	**861.33**	**1456.95**

प्रतिभूतिकृत पॉवर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज से होने वाली आय में 20.48 करोड़ रुपये की कमी का कारण वित्त वर्ष 2015 के दौरान 256.44 करोड़ की राशि के बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों का विमोचन था।

सावधि जमा राशियों पर ब्याज वित्त वर्ष 2014 में 620.28 करोड़ रुपये था जो 2015 में कम होकर 537.40 करोड़ रुपये हो गया। ऐसा वर्ष के दौरान अधिशेष नकदी के निवेश में कमी के कारण हुआ था।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान की गई 6038.55 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) प्राप्तियों में से, 2012.85 करोड़ रुपए की बिक्री प्राप्तियों का भुगतान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को किया गया था और 4025.70 करोड़ रुपए कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए थे। 4025.70 करोड़ रुपए में से 3986.99 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग, 31.03.2015 तक उपयोग हेतु निर्दिष्ट परियोजनाओं पर आंतरिक प्रोदभवनों से पहले ही व्यय किए गए पूंजीगत व्यय की पुन:प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया गया है और 38.71 करोड़ रुपए आईपीओ व्यय को पूरा करने के लिए रखे गए है।

वित्त वर्ष 2015 में एनएचपीसी ने अपनी सहायक कंपनियों में निवेश से 61.56 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया हैं जबकि 2014 में उसे इससे 377.93 करोड़ रुपये मिले थे।

व्यय

(करोड़ रुपये में)

व्यय	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	912.09	995.40
जल उपकर की प्रतिपूर्ति	748.51	620.51
कर्मचारी लाभ व्यय	1149.23	1058.67
वित्त लागत	1179.77	1022.40
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1425.87	1210.76
कुल व्यय	**5415.47**	**4907.74**

वर्ष 2015 में कुल व्यय 10.35 प्रतिशत बढ़ कर 5415.47 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह 4907.74 करोड़ रुपये था। व्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से

जल उपकर में 128.00 करोड़ रुपए की वृद्धि, कर्मचारी लाभ व्यय में 90.56 करोड़ रुपए की वृद्धि, वित्त लागत में 157.37 करोड़ रुपए की वृद्धि और मूल्यह्रास तथा परिशोधन में 215.11 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण हुई जिसे आंशिक रूप से 83.31 करोड़ रुपए की उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों में कमी से समायोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2015 में आय की तुलना में हमारा कुल व्यय 70.67 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह 70.17 प्रतिशत रहा था।

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (जल उपकर छोड़कर)

उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, प्रावधान आदि शामिल होते हैं। वित्त वर्ष 2014 में 20.28 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2015 में ये कुल व्यय के लगभग 16.84 प्रतिशत होते हैं। सटीक अर्थ में इन व्ययों में वित्त-वर्ष 2014 में 995.40 करोड़ रूपये से 8.37 प्रतिशत की कमी होकर ये 912.09 करोड़ रूपये रह गए थे। उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्ययों में 83.31 करोड़ रूपये की कमी मुख्यतः वित्त वर्ष 2014 के दौरान 64.11 करोड़ रूपये के विद्युत प्रभारों के संबंध में प्रावधान, सुबानसिरी लोअर और टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के संबध में कार्य में बाधा के कारण पूर्ण वर्ष के व्यय को वित्त वर्ष 2014 में प्रभारित करने (-)136.57 करोड़ रूपये का प्रभाव बजाए टीएलडीपी-IV के संबंध में 31.10.2014 तक व्यय को प्रभारित करने क्योंकि टीएलडीपी-IV में कार्य 1.11.2014 से बहाल हो गया था, वित्त वर्ष 2013 तक चालू किए गए पावर स्टेशनों के संबध में 18.44 करोड़ रूपये की व्यय में कमी के कारण है जिसे वित्त वर्ष 2013-14 में चालू की गई 4 परियोजनाओं नामतः टीएलडीपी-III, निम्मो बाजगो, उड़ी-II और पार्बती-III के पूर्ण वर्ष प्रचालन (43.42 करोड़ रूपये का प्रभाव) और अन्य कारकों के कारण 92.39 करोड़ रूपये की वृद्धि से समायोजित किया गया था।

बिक्री योग्य ऊर्जा के प्रति यूनिट व्यय के रूप में यह वित्त वर्ष 2014 में 0.62 रूपये से कम होकर वित्त वर्ष 2015 में 0.48 रूपये हो गया था।

जल उपकर

जल उपकर वित्त वर्ष 2014 में 620.51 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 748.51 करोड़ रुपये हो गया जो मुख्यतः निम्मो-बाजगो और उडी-II पावर स्टेशनों के पूर्ण वर्ष प्रचालन और सलाल तथा उड़ी-I पावर स्टेशनों में उत्पादन में वृद्धि के कारण था।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत उनका वेतन और पारिश्रमिक, भत्ते, प्रोत्साहन, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना तथा अन्य कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015 में ये सभी व्यय एनएचपीसी के कुल व्यय का 21.22 प्रतिशत हैं जबकि वित्त वर्ष 2014 में ये लगभग 21.57 प्रतिशत रहे थे। सीधे तौर पर कहें तो वित्त वर्ष 2015 में कर्मचारी-लागत में 90.56 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2014 के दौरान चालू किए गए चार पावर स्टेशनों के वर्ष भर प्रचालन के कारण 74.90 करोड़ रुपए, सुबानसिरी लोअर और टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के कार्य में बाधा के कारण वर्तमान वर्ष के व्यय को प्रभारित करने के कारण 23.46 करोड़ रुपए के प्रभाव, वित्त वर्ष 2013 तक चालू पावर स्टेशनों की कर्मचारी लागत में कमी द्वारा 7.80 करोड़ रुपए के समायोजन के कारण थी। वित्त वर्ष 2015 के दौरान, प्रति इकाई बिक्री योग्य ऊर्जा के सदर्भ में कर्मचारी लागत कम होकर 0.60 रुपए हो गई, जबकि यह वित्त वर्ष 2014 में 0.66 रुपए थी।

31 मार्च, 2015 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 9,211 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2014 को इनकी संख्या 9,843 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2014 में क्रमशः 5,413 और 5,607 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2014 में 1058.67 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2015 में 8.55 प्रतिशत बढ़कर 1149.23 करोड़ रुपये हो गया था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2014 में 15.14 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2015 में कम होकर 15.00 प्रतिशत हो गया।

मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

वित्त वर्ष 2015 में मूल्यह्रास लागत 17.77 प्रतिशत बढ़कर 1,425.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह 1,210,76 करोड़ रुपये थी। मूल्यह्रास संबंधी व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पार्बती- ।।। पावर स्टेशन की चौथी यूनिट चालू होना और वित्त वर्ष 2014 में चालू चार पावर स्टेशनों के पूर्ण वर्ष प्रचालन के कारण 204.32 करोड़ रुपए के चलते थी।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में गणना करने पर मूल्यह्रास वित्त वर्ष 2014 में 17.31 प्रतिशत था जो 2015 में बढ़कर 18.61 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय-प्रभार

''वित्तीय प्रभारों'' में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा के उधार भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से जापानी येन और कनेडियाई डालर में हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त लागत वित्त वर्ष 2014 में 1022.40 करोड़ रूपये से 15.39 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 1179.77 करोड़ रूपये हो गई थी। वित्त लागत में वृद्धि मुख्यतः वित्त वर्ष 2014 में चालू किए गए 4 पावर स्टेशनों के पूर्ण वर्ष प्रचालन के कारण वर्तमान वर्ष के व्यय में 224.23 करोड़ रूपये की वृद्धि के कारण है जिसे आंशिक रूप से ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण वित्त वर्ष 2013 तक चालू किए गए पावर स्टेशनों के संबंध में 66.86 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय में कमी तथा वित्त वर्ष 2014 के दौरान पूर्ण वर्ष प्रभारित किए जाने के बजाए वर्ष के एक भाग अर्थात 31.10.2014 तक के लिए टीएलडीपी-IV परियोजना के संबंध में व्यय के प्रभारित किए जाने में कमी से समायोजित किया गया था।

पूर्वावधि मदें (निवल)

वित्त वर्ष 2015 में पूर्वावधि मदों (निवल) में 559.30 करोड़ रूपये की कमी सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 16.12.2011 से 31.3.2013 और तीस्ता लो डैम-IV के संबंध में 20.3.2013 से 31.3.2013 तक की अवधि हेतु कार्य के रूकने के कारण वित्त वर्ष 2014 के दौरान व्यय के प्रभारित होने के कारण आई थी। वित्त वर्ष 2015 में 70.84 करोड़ रूपये की राशि के धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में पहले किए गए एक प्रावधान को भी वापिस किया गया था।

नियामक आय

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन' संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुरूप 'नियामक परिसंपत्तियों' का सृजन किया गया है और 521.95 करोड़ रूपये हेतु तदनुरूपी 'नियामक आय' को वर्तमान वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं व्यय की गई अन्य लागत के प्रति मान्यता दी गई है जिसे संगत लेखांकन मानक और जीएएपी के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है।

कर पूर्व लाभ

ऊपर बताये गये कारणों से हमारा कर-पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2014 के 1,583.06 करोड़ रुपये से 78.53 प्रतिशत बढ़कर होकर वित्त वर्ष 2015 में 2826.17 करोड़ रुपये रहा था।

कर व्यय

वित्त वर्ष 2015 में हमने कर के लिए 701.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2014 में इसके लिए 604.27 करोड़ रुपये दिए गए थे। वित्त वर्ष 2015 में कर में वृद्धि वर्ष हेतु लाभ वृद्धि के चलते वर्तमान वर्ष के करों में 359.63 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण है जिसे आंशिक रूप से विलंबित कर देयता में 262.20 करोड़ रुपए की कमी द्वारा समायोजित किया गया था।

निर्माणाधीन परियोजनाओं नामतः सुबानसिरी लोअर और तीस्ता लो डैम परियोजना (टीएलडीपी)-IV परियोजनाओं के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं किए गए अन्य व्यय को प्रभारित किए जाने के प्रभाव, जिसे कार्य में बाधा के कारण आय तथा व्यय में उपर्युक्तानुसार शामिल किया गया है, का सार नीचे दिया गया है :

सुबानसिरी लोअर में 16.2.2011 से बाधित कार्य को अभी प्रारम्भ किया जाना है। तथापि, टीएलडीपी-IV में कार्य जो 20.3.2013 से बाधित था, उसे 1.11.2014 को पुनः प्रारम्भ किया गया है। संबंधित अवधियों हेतु इन परियोजनाओं के संबंध में ऋण लागत और प्रशासनिक तथा किए गए अन्य व्यय के गैर-पूंजीकरण के कारण आय तथा व्यय शीर्षों पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	सुबानसिरी लोअर परियोजना (01.04.2014-31.03.2015)	टीएलडीपी-IV (01.04.2014-31.10.2014)	कुल
i)	अन्य आय	72.00	35.02	107.02
क	**कुल आय**	72.00	35.02	107.02
i)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	62.71	5.98	68.69
ii)	कर्मचारी लाभ	111.67	18.05	129.72
iii)	वित्त लागत	406.83	54.14	460.97
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	8.42	0.58	9.00
v)	पूर्वावधि मदे (निवल)	4.32	0	4.32
ख	**कुल व्यय**	593.95	78.75	672.70
ग	**कर पूर्व लाभ (क-ख)**	(521.95)	(43.73)	(565.68)

लिक्विडिटी तथा पूंजी संसाधन

लिक्विडिटी

एनएचपीसी कार्यशील पूंजी जुटाने और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों पर निर्भर है। आमतौर पर एनएचपीसी इसके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋणों या बांडों को जारी करके लम्बी अवधि के उधार लेती है, जो भारतीय रुपये अथवा विदेशी मुद्राओं में हो सकते हैं। एनएचपीसी के पास नकद राशि या नकदी समकक्ष राशि 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को क्रमशः 5422.11 करोड़ रुपये और 5,303.83 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को क्रमशः 268.05 करोड़ रुपये और 320.63 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को क्रमशः 92.60 करोड़ रुपये और 40.48 करोड़ रुपये का अदा न किया गया लाभांश/ब्याज शामिल है, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

नक़दी प्रवाह

(करोड़ रुपयों में)

	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तर-प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	3055.36	3646.03
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(789.46)	(479.80)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(2147.62)	(3478.41)

प्रचालनों से कुल नक़दी

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2015 में कुल 3055.36 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2015 में 2826.17 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से कंपनी की निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें 1,429.77 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित), 1,179.76 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, 112.78 करोड़ रुपए के प्रावधानों, टैरिफ समायोजन के चलते 105.82 करोड़ रुपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण 50.17 करोड़ रुपए के विलंबित व्यय, पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 75.96 करोड़ रुपए, लाभांश आय के कारण 61.56 करोड़ रुपए, मुद्रा दर अंतर के प्रति 20.50 करोड़ रुपए, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 661.05 करोड़ रुपए तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदे शामिल है, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 605.16 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2014 में कुल 3646.03 करोड़ रुपये की निवल नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2014 में 1583.06 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से हमारी निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें मुख्यतः 1225.25 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित), 1022.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, टैरिफ समायोजन के चलते 1.13 करोड़ रुपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण 50.17 करोड़ रुपए के विलंबित व्यय, पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 38.09 करोड़ रुपए, लाभांश आय के कारण 377.92 करोड़ रुपए, विनियम दर अंतर के प्रति 105.27 करोड़ रुपए, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 766.28 करोड़ रुपए तथा तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदे शामिल है, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 1,271.47 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2015 में हमने निवेश गतिविधियों में 789.46 करोड़ रुपये की निवल नकदी का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर परिसंपत्तियों में 1,632.33 करोड़ रुपये के व्यय, निवेश में 243.56 करोड़ रुपए की कमी और जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 661.05 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 61.56 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2014 में हमने निवेश गतिविधियों में 479.80 करोड़ रुपये की निवल नकदी का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर परिसंपत्तियों में 1,796.47 करोड़ रुपये के व्यय, निवेश में 172.47 करोड़ रुपए की कमी और जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 766.28 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 377.92 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2015 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 2147.62 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉण्ड जारी करके 1461.98 करोड़ रुपये जुटाए और 1276.19 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्भुगतान किया गया था। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1561.38 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2015 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2014 के लिए 772.03 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 3,478.41 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉण्ड जारी करके 2,528.01 करोड़ रुपये जुटाए। इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के कारण हमारा नकदी बाह्य प्रवाह 2,367.89 करोड़ रुपए का था (प्रीमियम भुगतान सहित)। कंपनी ने 1,318.46 करोड़ रुपये के उधार चुकता किये और 1,461.70 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त-प्रभार के रूप में अदा किये। वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2013 के लिए 858.37 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

तुलन-पत्र मदे

तुलन-पत्र की मुख्य बातें

परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च को	
	2015	2014
चालू परिसंपत्तियां से इतर परिसंपत्तियां		
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	38749.88	38734.27
चालू निवेश से इतर निवेश	1,977.75	2,227.02
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	1,108.47	1,089.69
चालू परिसंपत्तियों से इतर अन्य परिसंपत्तियां	795.81	896.37
चालू परिसंपत्तियों से इतर अन्य परिसंपत्तियां - नियामक परिसंपत्तियां	1630.39	-
चालू परिसंपत्तियां		
चालू निवेश	257.57	251.87
मालसूची	82.73	72.29
व्यापारिक प्राप्य	2,497.10	1,863.77
नकदी और बैंक शेष	5,422.11	5,303.83
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	1,407.19	2,093.55
अन्य चालू परिसंपत्तियां	1,510.12	1443.61
कुल	**55,439.12**	**53,976.27**

वित्तीय स्थिति

निवल मूल्य

वित्त वर्ष 2015 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 8.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 26,067.65 करोड़ रुपये से बढ़ कर 28,286.39 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसका मुख्य कारण 2,124.47 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ के लाभांश तथा लाभांश कर के प्रति 798.69 करोड़ रुपए की कमी और दर विनियमित परिसंपत्तियों (आय कर हेतु -876.10 करोड़ रुपए के निवल प्रावधान सहित) को मान्यता देने हेतु ट्रांजिशन प्रावधान के कारण था।

निवल अचल परिसंपत्तियां

हमारी स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युतघर भवन, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं। मूल्यह्रास के बाद एनएचपीसी की स्थिर परिसंपत्तियां जिन्हें निवल स्थिर परिसंपत्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2015 को 38,749.88 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2014 को 38,734.27 करोड़ रुपये थी।

निवेश (चालू और चालू से इतर)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर पूरा किया जाता है। दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को एनएचपीसी के निवेश क्रमश: 2,235.32 करोड़ रुपये और 2,478.89 करोड़ रुपये था जिसमें 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को क्रमश: 256.44 करोड़ रुपये और 250.74 करोड़ रुपये के वर्तमान निवेश (8.50 प्रतिशत कर मुक्त राज्य सरकार के विशेष बॉण्ड) शामिल है।

निवेश में गिरावट का प्रमुख कारण प्रतिभूतीकृत पावर बांडों के मोचन के कारण कमी का निवल प्रभाव है, जिसे भारत सरकार की प्रतिभूतियों, स्व-बीमा निधि में निवेश तथा संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में निवेश के समायोजन से किया गया।

ऋण एवं अग्रिम (चालू और चालू के अलावा)

एनएचपीसी के ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2015 को 2515.66 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 2014 को 3,183.24 करोड़ रुपये थे, अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों से 20.97 प्रतिशत की कमी आई है। ऋण और अग्रिम में अग्रिम आयकर, कर्मचारियों, संविदाकारों तथा आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

चालू आस्तियों से इतर अन्य परिसंपत्तियां

चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियों में मुख्यत: विलंबित विदेश मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां और अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम पर प्रोदभूत ब्याज शामिल है। 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को एनएचपीसी की चालू आस्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियां क्रमश: 795.81 करोड़ रुपये और 896.37 करोड़ रुपये थीं। वित्त वर्ष 2014 के मुकाबले 2015 में 11.22 प्रतिशत की कमी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से प्रभावित होने वाली आस्थगित विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी होना था।

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - नियामक परिसंपत्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ''दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन'' संबंधी मार्गदर्शी नोट जारी किया है। उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुरूप ''नियामक परिसंपत्तियों'' का सृजन किया गया है और 521.95 करोड़ रूपये हेतु तदनुरूपी ''नियामक आय'' को वर्तमान वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं व्यय की गई अन्य लागत के प्रति मान्यता दी गई है जिसे संगत लेखांकन मानक और जीएएपी के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संक्रमण प्रावधानों के अनुसार पहली बार उक्त मार्गदर्शी नोट को लागू किया गया है, निकाय को वित्तीय विवरणों में नियामक परिसंपत्तियों को उस तिथि को राजस्व आरक्षितों के प्रारंभिक शेष के तदनुरूपी क्रेडिट के अनुसार मान्यता देनी चाहिए। तदनुसार, कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरण के अधिशेष के प्रारंभिक शेष को 876.10 करोड़ रूपये (1108.44 करोड़ रूपये घटा कर प्रावधान - 232.34 करोड़ रूपये)से बढ़ाया गया है अर्थात 16.12.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि हेतु सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में व्यय की सीमा तक को लेखांकन मानकों तथा जीएएपी के अनुसार पूंजीकरण हेतु अनुमेय नहीं किया गया है और कर समायोजनों के पश्चात लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है। साथ ही साथ 1108.44 करोड़ रूपये हेतु दर नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है। तदनुसार, 31.3.2015 के अनुसार 'अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - नियामक परिसंपत्तियां' 1630.39 करोड़ रूपये (521.95 करोड़ + 1108.44 करोड़ रूपये) होती हैं।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमश: 82.73 करोड़ रुपये और 72.29 करोड़ रुपये आंका गया था।

व्यापारिक लेनदारियां

इसके अंतर्गत विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्त शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को व्यापारिक लेनदारियां (यानी संदिग्ध ऋणों के लिए निवल प्रावधान) के रूप में क्रमश: 2497.10 करोड़ रुपये और 1863.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को क्रमश: 602.47 करोड़ रुपए और 426.04 करोड़ रुपए की राशि के बिल न किए गए राजस्व है। वित्त वर्ष 2014 तथा 2015 के मध्य व्यापार प्राप्य में 33.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकदी और बैंक जमा राशि के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं : कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी शेष राशि।

31 मार्च, 2015 तथा 31 मार्च, 2014 को कंपनी के पास नकद और बैंक जमा राशि के रूप में क्रमशः 5,422.11 करोड़ रुपये और 5,303.83 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2015 में इसमें 118.28 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रचालन गतिविधियों के कारण 3055.36 करोड़ रुपए के नकदी अंतरवाह और निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के जरिए क्रमशः 789.46 करोड़ रुपये और 2147.62 करोड़ रुपये के नकदी बार्हिप्रवाह को उसमें समायोजित करने से हुई। हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 268.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.63 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 92.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 40.48 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः देयों के निपटान में राज्य सरकारों को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज, जमा पर प्रोदभूत ब्याज, बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्य, लाभग्राहियों से प्राप्य ब्याज और प्राप्त दावे शामिल है। 31 मार्च, 2015 तथा 31 मार्च, 2014 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 1510.12 करोड़ रुपये और 1443.61 करोड़ रुपये की थी, यानी वित्त वर्ष 2014 की तुलना में वित्त वर्ष 2015 में इन परिसंपत्तियों में 4.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च को	
	2015	2014
चालू देयताओं से इतर देयताएं		
दीर्घावधि उधार	18,171.03	18,580.52
आस्थगित कर देयताए	810.44	766.67
अन्य दीर्घावधि देयताएं	1,337.17	1,605.81
दीर्घावधि प्रावधान	886.95	814.70
चालू देयताएं		
व्यापरिक देयताएं	153.01	200.71
अन्य वर्तमान देयताएं	3,013.15	2,938.21
अल्पावधि प्रावधान	2,780.98	3,002.00
कुल	**27,152.73**	**27,908.62**

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को क्रमशः 6373.74 करोड़ रुपये, 7588.58 करोड़ रुपये और 4,208.71 करोड़ रुपये के बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2014 में बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण क्रमशः 5,786.43 करोड़ रुपये, 8,587.73 करोड़ रुपये और 4,206.36 करोड़ रुपये के रहे थे।

सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बांड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के तहत सुरक्षित हैं।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दीर्घावधि उधार में 2.20 प्रतिशत की कमी मुख्यतः दीर्घावधि ऋणों की परिपक्वता के कारण है।

अन्य दीर्घावधि देनदारियां

एनएचपीसी की दीर्घावधि देनदारियों में जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यह्रास से निपटने के लिए अग्रिम (एएडी) और विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली आस्थगित आमदनी शामिल है. इन सब का भुगतान/समायोजन 12 महीनों की अवधि के पश्चात करना होता है।

अन्य दीर्घकालीन देयताएं 31 मार्च, 2015 को 1337.17 करोड़ रुपये की थीं जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में ये 1,605.81 करोड़ रुपये थीं। इनमें से एएडी 31 मार्च, 2015 और 2014 को क्रमशः 1,159.54 करोड़ रुपये और 1,209.71 करोड़ रुपये था। 01.04.2009 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस अवधारणा को हटाए जाने के बाद खातों में बकाया एएडी को व्यवस्थित तरीके से हिसाब में लिया जा रहा है।

अन्य चालू देनदारियां

एनएचपीसी के वर्तमान दायित्वों यानी चालू देनदारियों में वर्तमान में परिपक्व होने वाले दीर्घावधि ऋण, उधार पर लगा ऐसा ब्याज जो फिलहाल देय नहीं है, जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यह्रास के एवज में प्राप्त राशि (एएडी) से हुई अग्रिम आमदनी, और परियोजना प्रबंधन/परामर्श सेवा लागत के लिए प्राप्त अग्रिम में से बची राशि, पूंजी कार्यों/आपूर्तियों हेतु देयताएं और देययोग्य सांविधिक देय आदि शामिल है, जिसका 12 महीनों में भुगतान/समायोजन किया जाना है।

एनएचपीसी की वर्तमान देनदारियां 3013.15 करोड़ रुपये की हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 2,938.21 करोड़ रुपये थीं। पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2015 की देनदारियों में 2.55 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः दीर्घावधि देयों की वर्तमान परिपक्वता और ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज, के कारण थी जिसे आंशिक रूप से पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों, जमा/प्रतिधारण राशि, देय सांविधिक देयों तथा अन्य देयताओं के प्रति देयता में कमी से समायोजित किया गया था।

प्रावधान (दीर्घावधि और अल्पावधि)

प्रावधानों में, कार्य-निष्पादन से जुड़े वेतन, सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभों (बीमांकित मूल्यांकन) के लिए प्रावधान, कराधान, लाभांश तथा लाभांश कर, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय संबंधी प्रावधान और अन्य प्रावधान आदि शामिल हैं।

तुलनपत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित सूची में वित्त वर्ष 2015 और 2014 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	8,207.65	8,598.01
जमीन के मुआवजे के मामले	12.37	11.65
विवादित आयकर, बिक्री कर और अन्य मद	906.69	747.20
कुल	**9,126.71**	**9,356.86**

आकस्मिक देयताएं 31 मार्च, 2014 के 9356.86 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च, 2015 को 2.46 प्रतिशत कम होकर 9126.71 करोड़ रुपए हो गयीं जो मुख्यत: पूंजीगत कार्यों तथा विवादित कर मांगों के संबंध में आकस्मिक देयताओं की कमी के कारण था।

सहायक/संयुक्त उपक्रम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51.08 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 48.92 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2015 तथा 31 मार्च, 2014 को कंपनी की कुल आय क्रमश: 1548.85 करोड़ रुपये और 2,115.43 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2015 तथा 31 मार्च, 2014 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमश: 766.46 करोड़ रुपये और 1,063.63 करोड़ रुपये था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रुपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रुपए है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 117.69 करोड़ रुपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 87.09 करोड़ रुपए है।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 2.2.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी का अंश 74 प्रतिशत से कम नहीं था। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ रूपये है। वर्तमान में कम्पनी की शेयर पूंजी 1.00 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 1.00 करोड़ रूपये (99.99 प्रतिशत) है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2014 को 500 करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49.98 प्रतिशत हिस्सा पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49.98 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.04 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चेनाब नदी थाले में 2120 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल, किरु और कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 200.10 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 100.00 करोड़ रूपये है।

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

एनपीईएक्स की स्थापना 11.12.2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, और टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के आदान-प्रदान को संचालित करने वाले एक्सचेंज के तौर पर की गयी थी। एनएचपीसी की इस संयुक्त उपक्रम कंपनी में 16.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है। तथापि, कंपनी ने इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।कम्पनी ने 28 अक्तूबर, 2014 से स्वैच्छिक परिसमापन का विकल्प चुना है और तदनुसार एक परिसमापक नियुक्त किया गया है। उक्त के मद्देनजर 1.06 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान एनएचपीसी लिमिटेड की बहियों में संयुक्त उद्यम कंपनी में किए गए निवेश की प्रत्याशित हानि के प्रति किया गया है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी जिसमें प्रत्येक की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2014 के दौरान केन्द्रीय

विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 110.48 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 23.90 करोड़ रूपये (21.64 प्रतिशत) है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस-21)--''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखांकन मानदंड (एएस-27)--''संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार तैयार किये गये हैं।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित रूप में नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014
कुल आय (अपवाद वाली मदों को छोड़कर)	9,157.27	8,738.03
कर पूर्व लाभ	3,718.35	2,528.55
कर पश्चात लाभ (माइनोरिटी इंटरेस्ट को समायोजित कर)	2,491.36	1,218.75

वर्ष 2014-15 के दौरान पावर स्टेशनों और परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन :

पावर स्टेशन का नाम	2014-15 में ''बहुत अच्छी'' एमओयू रेटिंग के लिए उत्पादन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2014-15	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2013-14	2014-15 में ''बहुत अच्छी'' एमओयू रेटिंग के लिए पीएएफ लक्ष्य (प्रतिशत)	2014-15 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)	2013-14 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)
बैरास्यूल	700	**797**	638	92	**88.1**	93.3
लोकतक	590	**372**	640	89	**89.9**	90.9
सलाल	3210	**3492**	3235	62	**67.4**	67.6
टनकपुर	470	**447**	384	59	**64.5**	53.9
चमेरा-I	2320	**2552**	2341	94	**96.4**	97.4
उड़ी	2680	**3077**	2521	72	**79.5**	73.0
रंगित	350	**328**	354	92	**92.3**	93.0
चमेरा-II	1450	**1499**	1396	94	**95.4**	97.4
धौलीगंगा	1000	**744**	282	92	**51.5**	21.1
दुलहस्ती	2200	**2176**	2150	94	**95.3**	94.1
तीस्ता-IV	2575	**2587**	2300	89	**93.5**	81.6
सेवा-II	520	**594**	502	87	**97.1**	97.2
चमेरा-III	1110	**1021**	938	87	**95.3**	88.6
चूटक	90	**35**	34	52	**58.7**	49.9
टीएलडीपी III	580	**394**	192	87	**72.0**	32.5
निम्मो बाजगो	130	**76**	72	67	**78.1**	67.6
उड़ी II	1125	**1188**	404	57	**59.4**	75.4
पार्बती III	700	**661**	5	33	**33.9**	44.5
समग्र	21800	**22038**	18386	76.4	**77.3**	77.7

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में उल्लेखनीय विकास

एनएचपीसी व्यवहार/प्रबंधकीय तथा कोर दक्षताओं में सुधार से संबंधित अपने कर्मचारियों के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को उन्हें नवीनतम घटनाओं और प्रचालन, प्रौद्योगिकी, मानव ससाधन, वित्त, अभियांत्रिकी आदि में हो रही नवीनतम घटनाओं और परिवर्तनों से अद्यतन करने में सहायता करते हैं।

कम्पनी ने टनकपुर पावर स्टेशन, उत्तराखंड, चमेरा-I पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश, सलाल और उड़ी-I पावर स्टेशनों, जम्मू एवं कश्मीर में 4 प्रशिक्षण केन्द्रों को भी स्थापित किया है।

प्रशिक्षण

एनएचपीसी विभिन्न प्रतिष्ठित प्रबंधन और अभियांत्रिकी संस्थानों जैसे कि आईआईएम, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, एएससीआई हैदराबाद, आईआईटी, आईएसएम धनबाद, सीपीआरआई बंगलौर, एनसीबी बल्लभगढ़ आदि के माध्यम से प्रशिक्षण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षण के संबंध में हमारे कर्मचारियों को तकनीकी अनुभव बीएचईएल, एबीबी, अरेवा टी एण्ड डी, अल्स्टोम आदि जैसे प्रतिष्ठित विनिर्माताओं द्वारा मुहैया करवाया जाता है।

आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं और विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा कर्मचारियों को संबंधित विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

एनएचपीसी ने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं प्राप्त करने और आईआईटी से ढांचागत अभियांत्रिकी, जल संसाधन विकास तथा विद्युत प्रणालियों में विशेषज्ञता के साथ एम.टेक करने के लिए प्रायोजित करते हुए उच्चतर योग्यताओं के माध्यम से उन्हें अपनी दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

महिला कर्मचारी

31.03.2015 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है :

	31.03.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
कुल	9211	902	9.79%

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नांकित कदम उठाये गए :

- इस बात का खास ध्यान रखा गया कि महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नामित किया जाए..
- कारपोरेट कार्यालय में बहुत छोड़े बच्चे वाले कर्मचारियों के लिए शिशु सदन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए तृतीय पक्ष के प्रतिनिधि को शामिल करके विशेष समितियों का गठन किया गया है।
- नवजात शिशुओं/बहुत छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को ''चाइल्ड केयर लीव'' यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट।
- चयन बोर्ड/समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- एनएचपीसी के कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है। प्राकृतिक आपदाओं/महामारी के दौरान एनएचपीसी कई तरीकों से सहायता करती है और यह चिकित्सा शिविरों आादि का भी आयोजन करती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

31.03.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या	आरक्षण					
	अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
9211	1238	13.44	512	5.56	957	10.39

नि:शक्त व्यक्तियों का कल्याण

नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

31.03.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी			शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
9211	7	2	82	91	0.99

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

- निशक्त कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण/पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है, जो प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन है।
- सेवाकाल में शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है और कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।

पर्यावरण बचाव एवं सरंक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

एनएचपीसी देश को आर्थिक वृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए जल विद्युत निर्माण कार्य को करते हुए देश की विरासत, प्राकृतिक संसाधनों के बचाव और संरक्षण के प्रति समर्पित है।

कंपनी एक ऐसे परिवेश को तैयार करने का प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संरक्षण दीर्घावधि में सुसंगत बन सके। निर्माण गतिविधियों के दुष्प्रभावों की प्रतिपूर्ति प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र सुधार, वन्यजीव संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, खदान तथा भराव क्षेत्र में सुधार, पुनर्स्थापना, पुनर्वास आदि जैसे उपायों के द्वारा की जाती हैं।

एनएचपीसी परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की समस्याओं तथा आकांक्षाओं के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता दर्शाती है। इस प्रकार, विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श के पश्चात एनएचपीसी ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है।

नीति परियोजना प्रभावित परिवारों के भूमि, घर तथा आजीविका के अन्य साधनों के वंचन जैसे मुद्दों का आंकलन करती है। यह आय सृजन के मुद्दों के समाधान पर गंभीर विचार-विमर्श को सुकर बनाती है। परियोजना प्रभावित परिवारों को आत्म-निर्भर और स्थिर बनाने पर मुख्य बल दिया जाता है।

कंपनी अपनी नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। इसमें सिंचाई सहायता प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को अविवाहित बालिकाओं के लिए विवाह अनुदान, परिसंपत्ति-विहीन युवाओं को निर्वाह अनुदान, स्व-सहायता समूहो का गठन, अनाथों हेतु सुविधाएं और किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा समुदाय एवं सामाजिक विकास योजना के लिए आवंटित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण-पश्च पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययनों का आयोजन करती है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एनएचपीसी की सीएसआर तथा धारणीय विकास के संबंध में एक सुपरिभाषित नीति है जो कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के साथ पढ़ी जाने वाली इसकी धारा 135 के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास के संबंध में एक पृथक अध्याय **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। उपरोक्त दर्शाए गए वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख : 6 अगस्त, 2015
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध - IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने वाला अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

(1) ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय

पूर्व में 18 पावर स्टेशनों में से 13 पावर स्टेशन की ऊर्जा जांच की गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान हिमाचल प्रदेश में चमेरा-III पावर स्टेशन (231 मेगावाट) की ऊर्जा जाँच की गई है। ऊर्जा जांचकर्ताओं की सिफारिशों को ऊर्जा के संरक्षण हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, ऊर्जा के संरक्षण के पुन: आकलन के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सभी 18 पावर स्टेशनों की ऊर्जा जाँच किए जाने की योजना है।

(2) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम

- **कारपोरेट कार्यालय में हरित भवन (चरण-II)-** आपकी कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) के अनुरूप कारपोरेट कार्यालय में चरण-II भवन का निर्माण किया है।
- **70केडब्ल्यूपी ग्रिड समक्रमित सौर विद्युत संयंत्र को चालू किया जाना -** आपकी कंपनी ने भवन हेतु 70 केडब्ल्यूपी विद्युत की आपूर्ति हेतु चरण-II भवन की छत पर 70 केडब्ल्यूपी सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। संयंत्र द्वार उत्पादित सौर विद्युत का उपयोग कार्यालय भवन में किया जा रहा है और अतिरिक्त लोड आवश्यकता को राज्य की आपूर्ति से पूरा किया जाता है। सौर विद्युत संयंत्र का स्थापन गृह आवश्यकता के अनुपालन में भी अपेक्षित था। संयंत्र से वार्षिक उत्पादन लगभग 1 लाख यूनिट है।

  उक्त के अतिरिक्त, सौर ऊर्जा का उपयोग कंपनी की कुछ यूनिटों/कार्यालयों/आवासीय कालोनियों में भी किया जा रहा है।

(3) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश

कोई नहीं।

(ख) प्रौद्योगिकी आत्मसात करना

(i) टैकनोलॉजी आत्मसात किए जाने की ओर किए गए प्रयास

- असम/अरूणाचल प्रदेश में सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) पर सुबानसिरी नदी हेतु पूर्णत: स्वचालित नदी डिस्चार्ज मापन प्रणाली।
- तीस्ता-V पावर स्टेशन में कैविटेशन/कटाव की निगरानी और उन्हें कम करने के उपाय।
- तीस्ता-V पावर स्टेशन में गाद स्तरों की निगारानी और जलाशय में गाद के आने को कम करने हेतु उपाय।

(ii). प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

- असम/अरूणाचल प्रदेश में सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना पर सुबानसिरी नदी हेतु पूर्णत: स्वचालित नदी डिस्चार्ज मापन प्रणाली का स्थापन और नदी प्रवाह का ऑन लाइन मापन प्रारंभ हो गया है। इस डाटा को सुदूर दूरी से दर्ज किया जा सकता है और यह परियोजना क्रियान्वयन में सहायक होगा।
- एक अध्ययन मामले के रूप में तीस्ता-V पावर स्टेशन में कैविटेशन/कटाव की निगरानी और उन्हें कम करने के उपाय पर एक रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 में तीस्ता-V पावर स्टेशन में कैबिटेशन/कटाव की निगरानी हेतु एक उपकरण लगाया जाना प्रस्तावित है।
- एक अध्ययन मामले के रूप में तीस्ता-V पावर स्टेशन में गाद स्तरों की निगारानी और जलाशय में गाद के आने को कम करने हेतु उपाय पर एक रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है और अस्थिर/संवेदनशील क्षेत्रों को स्थिर करने या बहाल करने के लिए 'जैव-अभियांत्रिकी' उपायों का क्रियान्वयन प्रस्तावित था जो सबसे व्यवहार्य तकनीक है। यह मितव्ययी तथा अन्य गाद प्रबंधन तकनीकों जैसे कि हाइड्रोलिक ड्रेजिंग, हाइड्रो-सक्शन प्रणाली, ड्राइ एक्साकावेशन आदि के तुलना में सबसे व्यवहार्य तकनीक है।

(iii) **वर्तमान वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे**

क्रम सं.	आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया है	यदि पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया गया है, तो उन क्षेत्रों के नाम जहां आत्मसात नहीं किया गया है और तत्संबंधी कारण
1.	मार्च, 2015 माह के दौरान ऑनलाइन डिस्चार्ज मापन हेतु सुबानसिरी नदी में क्यू-आई रडार का स्थापन	2014-15	हां	लागू नहीं

(iv) **अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :-**

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 3,88,88,830 रुपए है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु
क.*	**सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य :**		
	i) पूंजीगत सामान	8.78	5.73
	iii) हिस्से पुर्जे	-	3.59
ख.*	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	i) ज्ञान	-	-
	ii) ब्याज	33.84	45.17
	iii) अन्य विविध मामल	154.37	216.18
ग*	**प्रचालन इकाईयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जों और घटकों का मूल्य**		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	30.40 (100%)	26.90 (100%)
घ.*	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	i) ब्याज आय	-	-
	ii) अन्य	-	0.05

* वास्तविक आधार

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख : 6 अगस्त, 2015
स्थान : फरीदाबाद

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुबंध - V

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**
   एल40101एचआर1975 जीओआई 032564
2. **कम्पनी का नाम**
   एनएचपीसी लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता**
   एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)
4. **वेबसाइट**
   www.nhpcindia.com
5. **ईमेल आईडी**
   brr@nhpc.nic.inn
6. **रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**
   2014-15
7. **क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड वार)**

*समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

8. **तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)**
   (i) ऊर्जा (जल विद्युत)
   (ii) परामर्शी सेवाएं
9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है**

9.1 अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों का ब्यौरा दें)

एनएचपीसी की भूटान तथा इथोपिया में व्यापार उपस्थिति है। भूटान में एनएचपीसी मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (एमएचपीए) को मांगदेचू जल विद्युत परियोजना की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रहा है। भूटान में चमखरचू-1 जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को प्रस्तुत किया गया था और डीपीआर के मूल्यांकन की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी की गई है। परियोजना को एनएचपीसी तथा डक ग्रीन पावर कारपोरेशन (डीजीपीसी) (भूटान सरकार का पीएसयू) के मध्य एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें दोनों कंपनियों की 50:50 प्रतिशत हितधारिता होगी।

इथोपिया में एनएचपीसी, इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर सर्विस कंपनी को एनएचपीसी, पीजीसीआईएल और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के एक संघ के माध्यम से प्रबंधन परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है।

9.2 राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

हमारे पास सारे देश में 7 राज्यों में 18 पावर स्टेशन तथा 7 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं ।

राज्य	स्थान	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला(2), कठुआ, कारगिल, लेह, रियासी, किश्तवाड़	बांदीपुरा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	मण्डी
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	-
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
अरूणाचल प्रदेश	-	लोअर सुबानसिरी/धेमाजी
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	-
मणिपुर	बिशनपुर	-

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय

निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय लाभग्रहियों को बिजली बेची जाती है ।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मेघालय
चण्डीगढ़	ओड़ीशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	असम	नागालैण्ड
दिल्ली	अरूणाचल प्रदेश	झारखण्ड

एक अंतर्राष्ट्रीय लाभार्थी अर्थात नेपाल को विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)

11,070.67 करोड़ रुपये (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार)

2. कुल कारोबार (भारतीय रुपये में)

6802.25 करोड़ रुपये (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार)

3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)

2124.47 करोड़ रुपये (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार)

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर हमारा कुल व्यय वर्ष 2014-15 में 52.24 करोड़ रूपये है जो वित्त वर्ष 2014-15 हेतु हमारे कर पश्चात लाभ का 2.46 प्रतिशत है और पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.19 प्रतिशत है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है ।

(i) शिक्षा
(ii) स्वास्थ्य देखरेख
(iii) ग्रामीण विकास
(iv) पर्यावरण एवं धारणीयता
(v) महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक
(vi) स्वच्छ विद्यालय अभियान
(vii) सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?

जी हां, वर्तमान में एनएचपीसी लिमिटेड की तीन सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

(i) एचएचडीसी लिमिटेड
(ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
(iii) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?

जी नहीं, सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसयिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं ?[30% से कम 30-60%] 60% से अधिक]

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं ।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्योरा

1.1 व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्योरा

- डीआईएन नम्बर : 03010235
- नाम : श्री जयंत कुमार
- पदनाम : निदेशक (वित्त)

1.2 व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्योरा

- डीआईएन नम्बर : लागू नहीं
- नाम : श्री ए.के.सरकार
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक (योजना)
- दूरभाष : 0129-2271425
- ईमेलआइडी : aksarkar@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होती हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां, तो एमडी/मालिक/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित की गई है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?;	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

*सीएसआर व धारणीयता विकास नीति www.nhpcindia.com/csr-policy.htm पर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति : www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htm पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी नीति, कारपोरेट शासन अनुपालन तथा व्यावसायिक सौदा प्रतिबंध संबंधी नीति www.nhpcindia.com/corporate-govrnance.htm पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार, व्हिसल ब्लोवर नीति, सत्यनिष्ठा करार, समुचित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियम कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है ।

2क यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो ।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 महीने में भीतर ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन

- निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है ।

  कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जायेगा ।
- क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है । इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है । यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है ?

  यह तीसरी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट है । पिछले दो वर्षों की भांति आगे से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी और वार्षिक प्रतिवेदन का भाग होगी। इस रिपोर्ट को http://nhpc-reports.nic.in पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है । कम्पनी का व्यावसायिक आचरण आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है । इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है, व्हिसल ब्लोवर नीति भी अपनाई गई है । इसके अलावा, कम्पनी ने 15 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों तथा 25 लाख या इससे अधिक मूल्य के माल या सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है । इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है ।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

हमें वर्ष 2014-15 के दौरान कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कुछ हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2014-15 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2015 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	100	100	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2795	2795	0
सेबी शिकायतें	2	17	19	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायते	0	4	4	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	2	0	0	2
आपूर्तिकर्ता धोखाधड़ी	1	0	1	0

कंपनी को 2014-15 में इसकी व्हिसल ब्लोअर नीति धोखाधड़ी निवारण नीति और बोलीदाता के साथ व्यापार प्रबंधित करने संबंधी नीति में कोई शिकायत नहीं मिली है। वर्ष 2014-15 में तीन वर्ष की अवधि हेतु एक आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डाला गया था।

सिद्धान्त 2

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं ।

जलविद्युत उत्पादन ।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा दें ।

जल के गैर उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है । जल विद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है ।

3. जल के गैर उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है । जल विद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है ।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है । कम्पनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है । कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है । तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है । कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं ।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है ।

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?**

जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो । किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं । इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं ।

5. **क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुर्नचक्रण का तन्त्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5%, 5-10% >10%)**

जल विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है । इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है ।

सिद्धान्त 3

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं ।**
2. **कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं ।**
3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं ।**
4. **कृपया स्थाई निःशक्त कर्मचारियों की संख्या बताएं ।**
5. **क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?**
6. **स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ?**
7. **कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं ?**
8. **निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?**

1.	कर्मचारियों की कुल संख्या	9,211 (31.03.2015 के अनुसार)
2.	अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गये कर्मचारियों की कुल संख्या	एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है ।
3.	स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या	902 (31.03.2015 के अनुसार)
4.	कुल निःशक्त कर्मचारियों की संख्या	91 (31.03.2015 के अनुसार)
5.	कर्मचारी संघ	कार्पोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
6.	कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का प्रतिशत	लागू नहीं
7.	वर्ष 2014-15 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2014-15 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है ।
	2014-15 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2014-15 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायत : 0 लम्बित शिकायत : 0
	2014-15 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2014-15 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है
8.	उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया (संबंधित प्रत्येक श्रेणी में कुल प्रतिशत के रूप में) (2014-15)	
	स्थाई कर्मचारी	40.48%
	स्थाई महिला कर्मचारी	41.35%
	अस्थाई /संविदात्मक/नैमित्तिक	लागू नहीं
	निःशक्त कर्मचारी	23.33%

सिद्धान्त 4

1. **क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है ? हां/नहीं ।**

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है । हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्त्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं ।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है ?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में नि:शक्त कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें ?

- नि:शक्त कर्मचारी : कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो नि:शक्त कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो । इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षण के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है ।
- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय : कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । वर्तमान में ''एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम'' केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें शामिल मानकों का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे । एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है ।

2. गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं :

वित्त वर्ष 2014-15 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2014-15 के दौरान समाधान	वित्त वर्ष 2014-15 को अंतिम शेष
01	08	08	01

सिद्धान्त 6

1. क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है ।

2. क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं ? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

जी हां, कम्पनी जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है ।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय के लिए पीएएस 99:2006 के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ 9001:2000 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004(पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन शृंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है । आईएनएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है । एनएचपीसी द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय नीति का उद्देश्य जल विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समाधान करना, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और इसमें निरन्तर सुधार लाना है ।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
(ii) प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
(iii) हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग
(iv) जलाशय रिम शोधन
(v) मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनर्जीवित करना
(vi) जैव विविधता संरक्षण
(vii) मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
(viii) निर्माण उपरान्त मूल्यांकन प्रभाव

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हां/नहीं ।**

हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है । पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है । पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है ।

4. **क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है ? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दाखिल की गई है ?**

हां, मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धति : नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्मो बाजगो और चुटक नामक एनएचपीसी की दो जल विद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। अभी तक ये परियोजनाएं नार्दर्न ग्रिड से जोड़ी नहीं गई है, जैसा कि मूल रूप से प्रस्ताव था, और क्षेत्र में स्थानीय रूप से बिजली की आपूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के कारण परियोजनाएं एसीएम0002 के लागू होने की शर्तों का पालन नहीं करती और इस प्रकार यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरणों के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेगी। वर्तमान में लागू पद्धति : पृथक ग्रिडों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के संबंध में पंजीकरण-पश्च परिवर्तनों हेतु प्रयास प्रगति पर हैं।

एनएचपीसी के मामले में कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट लागू नहीं होती है।

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं । हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें ।**

जलविद्युत उत्पादन अपने आप में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है । किन्तु, कम्पनी ने सौर ऊर्जा के संबंध में अतिरिक्त पहलें की हैं। ऐसी पहलों की विस्तृत सूची www.nhpcindia.com/renewable-energy-sources.htm पर उपलब्ध है।

6. **सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?**

हां, जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ । तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण किया जाता है । इन्हें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया है ।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)**

वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में ऐसी कोई नोटिस लंबित नहीं थी।

सिद्धान्त 7

1. **क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन बड़ों का नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं ।**

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है । स्कोप का मूल उद्देश्य ''सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी'' को बढ़ाना है ।

2. **क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)**

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं ।

सिद्धान्त 8

1. **क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्योरा दें ।**

जी, हाँ। एनएचपीसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-15(13)/2013-डीपीई(जीएम) के माध्यम से जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीएसआर संबंधी ढांचागत योजनाओं को क्रियान्वित किया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों, जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं, के अनुसार एनएचपीसी को तत्काल पिछले 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत को सीएसआर तथा धारणीयता विकास परियोजनाओं पर व्यय करना होता है, जो 4764 लाख रूपये होता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान एनएचपीसी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर 5223.94 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

एनएचपीसी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता पहलें समाज के जरूरतमंद तबकों को लाभ पहुंचाने वाले क्रियाकलापों तथा पर्यावरणीय धारणीयता पर केन्द्रित है। हमारे परियोजना क्षेत्र के आस-पास रह रहे तथा हमारे प्रचालनों और क्रियाकलापों से सीधे प्रभावित होने वाले हितधारकों को सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के एक लाभग्राही के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। एनएचपीसी की परियोजनाएं अधिकांशतः हिमालयी बेल्ट तथा सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अतः एनएचपीसी का बल हमारी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के निकट मुख्यतः सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों को लेने पर होता है। तथापि, समुदाय के व्यापक लाभ हेतु डीपीई दिशा-निर्देशों के आलोक में आवश्यकताओं के आधार पर अन्य स्थलों का भी चयन किया जा सकता है।

एनएचपीसी ने क्षेत्र में कई सामुदायिक विकास पहलों को किया है जिसमें शिक्षा/कौशल विकास, स्वास्थ्य/स्वच्छता, ग्रामीण विकास, स्व-रोजगार संबंधित प्रशिक्षण, पर्यावरण और धारणीयता, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक, सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और समावेशी वृद्धि तथा प्रत्यक्ष विकास हेतु अन्य क्रियाकलाप शामिल हैं।

2. **क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?**

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से, कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सरकारी संस्थाओं/स्थानीय निकायों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाती है ।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?

हमारी सीएसआर पहल संबंधी प्रभाव आकलन आज की तारीख तक नहीं किया गया है ।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

परियोजना	वर्ष 2014-15 के लिए धनराशि (भारतीय रुपए)
शिक्षा	1142.56 लाख रुपए
स्वास्थ्य देखरेख	281.49 लाख रुपए
ग्रामीण विकास	980.65 लाख रुपए
पर्यावरण और धारणीयता	354.55 लाख रुपए
महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	58.44 लाख रुपए
स्वच्छ विद्यालय अभियान	2308.23 लाख रुपए
सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	98.02 लाख रुपए
कुल व्यय	**5223.94 लाख रुपए**

एनएचपीसी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

1. शिक्षा और कौशल विकास

क. आईटीआई में विकासात्मक/उन्नयन क्रियाकलाप
ख. अभियांत्रिकी कालेजों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता
ग. छात्रों को छात्रवृत्ति
घ. स्कूल भवनों तथा पुस्तकालयों का निर्माण और उन्नयन
ङ स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना
च. कम्प्यूटर उपकरणों तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी का वितरण
छ. सरकारी स्कूलों को वस्तुएं, वर्दी
ज. कौशल विकास प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों का आयोजन

2. स्वास्थ्य देख-रेख और स्वच्छता

क. चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों का आयोजन
ख. टीकाकरण कार्यक्रम
ग. स्थानीय लोगों हेतु निःशुल्क दवाओं का वितरण
घ. सरकारी अस्पतालों, प्रसूती केन्द्रों का उन्नयन
ङ सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना
च. निःशुल्क मोतियाबिन्द सर्जरी शिविरों की व्यवस्था
छ. कुपोषण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम

3. ग्रामीण विकास

क. पथमार्ग, आरसीसी पुलों, कंक्रीट मार्गों का निर्माण
ख. सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण
ग. जम्मू एवं कश्मीर में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन
घ. दाह संस्कार शेड तथा कब्रगाहों का निर्माण
ङ नालों, आश्रयों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण
च. उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों हेतु राहत तथा पुनर्वास उपाय
छ. गांवों तथा विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति लाइनों की व्यवस्था
ज. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप

4. पर्यावरण और धारणीयता

क. जैव विविधता पार्क और हर्बल पार्कों का विकास
ख. स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना
ग. सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों का पुनर्स्थापन
घ. स्वैच्छिक वनीकरण और पौधों को लगाना

ङ वर्षा जल संचयन प्रणाली
च. सौर ऊर्जा मार्ग प्रकाश खम्बों का स्थापन
छ. सौर लालटेन, सोलर कुकर का वितरण

5. महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक

क. ग्रामीण महिलाओं हेतु साक्षरता कार्यक्रम
ख. ब्यूटीशियन कोर्स, साफ्ट खिलौने बनाना, अचार बनाना, सिलाई, कटाई, टेलरिंग तथा कड़ाई पाठयक्रम और महिलाओं हेतु अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
ग. वृद्धावस्था गृहों का उन्नयन

6. स्वच्छ विद्यालय अभियान

एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में अपने को सीएसआर तथा धारणीय विकास क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 7104 शौचालयों के निर्माण से सम्बद्ध किया है।

7. सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य पहलें

क. हितधारकों के साथ बैठकें
ख. जागरूकता कार्यक्रम
ग. ग्रामीण खेलों का संवर्धन
घ. स्थानीय खेलकूद/टूर्नामेंटों की प्रायोजिकता
ङ स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना
च. स्थानीय महोत्सवों का आयोजन

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें ।

हां, कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाए, यद्यपि क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरणों में थोड़ा सहारा चाहिए होता है। पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है। सामुदायिक विकास पहलें करने से पूर्व हमारी आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण का समुचित विश्लेषण किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर प्रबोधन और मॉनिटरिंग की जाती है। हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजनों हेतु लाभग्राहियों तथा मीडिया स्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती हैं।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कोई नई ग्राहक/उपभोक्ता शिकायत दायर नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 दौरान दायर कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं ।

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है ?

किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है ।

4. क्या आपकी कम्पनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था ?

एनएचपीसी क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। यह विभिन्न हितधारकों के मध्य नियमित परस्पर संपर्क और बकाया मुद्दों के समाधान हेतु एक समान मंच है। हम अपने लाभग्राहियों से नियमित फीडबैक भी ले रहे हैं। फीडबैक बहुत अच्छे से उत्कृष्ट के मध्य है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख : 6 अगस्त, 2015
स्थान : फरीदाबाद

एनएचपीसी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीय विकास (एसडी)

अनुबंध VI

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ शामिल हो।

प्रस्तावना :

आपकी कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों और कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप एक सीएसआर तथा धारणीयता नीति निरूपित की है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- एक पृथक सीएसआर एवं एसडी प्रभाग का गठन (जिसके प्रमुख एक कार्यपालक निदेशक होंगे) जो नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करेगा।
- निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति का गठन (जिसके प्रमुख एक स्वतंत्र निदेशक होंगे)।
- एनएचपीसी परियोजनाओं के स्थानीय क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों को इस खंड हेतु बजट राशि के 80 प्रतिशत आबंटन के माध्यम से प्राथमिकता दी गई है।
- सीएसआर प्रयासों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार शैक्षणिक स्तरों के विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय उन्नयन आदि हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची-VII के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर तथा धारणीयता योजनाएं/क्रियाकलापों के रूप में लेखांकित नहीं किया जाना है।
- आपकी कंपनी के सीएसआर और धारणीयता क्रियाकलापों का विस्तार परोपकारी कृत्यों से काफी आगे है और इनका उद्देश्य इसे संगठन के व्यापार उद्देश्यों के साथ एकीकृत करना है।
- सीएसआर और धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गणुवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- नीति को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी इस विषय पर दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक-आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रम :

चूंकि एनएचपीसी के पावर स्टेशन/परियोजनाएं पूरे भारत में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आशय से क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास काफी हद तक प्रारंभ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है:

I. शिक्षा, कौशल विकास, तकनीक और अनुसंधान :-

विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों को शिक्षा प्रदान करने के मामलो में एनएचपीसी अग्रणी है। विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में इंजीनियरिंग कालेजों/आईटीआई/कालेजों को विकसित कर रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम/उत्कृष्टता योजना केन्द्र (सीओई) के माध्यम से कुल 13 आईटीआई को अपनाया गया है (जम्मू एवं कश्मीर में 7, उत्तराखंड में 4 और अरूणाचल प्रदेश में 2)। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी परियोजना/पावर स्टेशन/टाउनशिप के आस-पास के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु सपोर्ट भी मुहैया करवा रही है।

अपने सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में आपकी कंपनी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षित करने तथा समर्थ बनाने हेतु एक ''नेत्रहीन पुनर्वास स्कूल'' खोलने पर विचार कर रही है।

II. स्वास्थ्य :-

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक लेती है। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित करती है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण, डीजी सेट और अन्य आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवा रही है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को भी चिकित्सा सपोर्ट मुहैया करवाया था।

III. ग्रामीण विकास :-

समुदाय की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइने, नाले, सड़कें/पथ आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्य प्रारम्भ किए गए थे। आपकी कंपनी ने आरसीसी पुलों/लकड़ी के पुल, दाहसंस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलापों को शुरू किया है।

IV. पर्यावरण और धारणीयता :-

पर्यावरणीय अवक्रमण एक बड़ा खतरा है। आपकी कंपनी पर्यावरणीय धारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के वचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिटटी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण और धारणीयता हेतु कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें जैव विविधता पार्क/हर्बल पार्कों का विकास, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, सिंचाई नहरों का पुनर्स्थापन, पौध रोपण, वर्षा जल संचयन, सौर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन, सौर लालटेन का वितरण आदि शामिल हैं।

V. महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक :-

'महिला सशक्तिकरण' के भारत सरकार की प्रमुख मुद्दे पर उसके साथ सहयोग करते हुए आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। आपकी कंपनी वृद्धावस्था गृहों की स्थापना, महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और महिलाओं हेतु साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

VI. स्वच्छ विद्यालय अभियान :-

स्वच्छ विद्यालय अभियान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया है। इस प्रतिष्ठित प्रयास के अंतर्गत ऐसे सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को लिया जा रहा है जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपकी कंपनी देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से सुदूर स्थलों, में 7104 शौचालयों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 477 शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, 2699 शौचालय निर्माण के विभिन्न चरणों के अंतर्गत थे और 4322 शौचालयों हेतु कार्य दिया गया था।

VII. सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप :-

आपकी कंपनी ''कबड्डी'' और ''कुश्ती'' जैसे ग्रामीण तथा परंपरागत खेलों, स्थानीय मेलों के आयोजन द्वारा शिल्प, टूर्नामेंटों की प्रायोजिकता और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से इनका संवर्धन कर रही है। आपकी कंपनी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, हितधारकों के साथ बैठकों के आयोजन द्वारा स्थानीय जनता में सामाजिक जागरूकता भी उत्पन्न कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण खेलकूदों/कला तथा संस्कृति को बढ़ावा युवा क्लबों को आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवाकर तथा ग्रामीण क्लबों एवं एसोसिएशनों को खेलकूद के किट तथा उपकरण मुहैया करवाकर दिया जा रहा है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/csr_Policy_Final.pdf

2. सीएसआर और धारणीयता क्रियाकलापों का प्रबंधन :

सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है :

- विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलुओं के बजट आंबटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति।
- कार्यपालक निदेशक स्तर का नोडल अधिकारी जिसकी सहायता के लिए एक टीम होगी, जो सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान तथा चयन का समन्वय करेगा और उक्त के क्रियान्वयन की प्रगति पर एक प्रभावी निगरानी भी रखेगा।
- संबंधित स्थलों पर सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों आदि की पहचान, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन का कार्य क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/परियोजना प्रमुख/यूनिट प्रमुख को सौंपा गया है।

वर्तमान में ''सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति'' की संरचना निम्नानुसार है :

1.	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री आर.एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

3. गत तीन वर्षों हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर बजट की गणना के प्रयोजन हेतु पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए निवल लाभ के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वित्त वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में)	औसत निवल लाभ (करोड़ में)
1	2011-12	3361.47	2381.88
2	2012-13	2898.03	
3	2013-14	886.13	

4. निर्धारित सीएसआर व्यय :

47.64 करोड़ रूपये (पिछले तीन वर्षों हेतु औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्योरे :-

क. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि :

4764.00 लाख रूपये

ख. व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो :

शून्य

ग. तरीका जिसके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान राशि व्यय की जानी है को विस्तारपूर्वक नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रुपए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रुपए में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	आईटीआई में विकासात्मक/उन्नयन क्रियाकलाप अभियांत्रिकी कॉलेजों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता छात्रों को छात्रवृत्ति स्कूल भवनों तथा पुस्तकालयों का निर्माण और उन्नयन स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना कम्प्यूटर उपकरणों तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी का वितरण सरकारी स्कूलों को वस्तुएं, वर्दी कौशल विकास प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों का आयोजन	शिक्षा और कौशल विकास	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), जम्मू एवं कश्मीर में आईटीआई रियासी, आईटीआई रामबंद, आईटीआई कारगिल, आईटीआई किश्तवाड़, आईटीआई उड़ी, आईटीआई बांदीपुरा और आईटीआई लेह, उत्तराखंड में आईटीआई पोखड़ा, रूद्रप्रयाग, आईटीआई टनकपुर और आईटीआई कांडा, सिक्किम में आईटीआई चांडे, अरूणाचल प्रदेश में आईटीआई तबरीजो। इसके अतिरिक्त, अन्य सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	1701.52	1142.56	1142.56	सीधे

2.	चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों का आयोजन टीकाकरण कार्यक्रम स्थानीय लोगों हेतु निःशुल्क दवाओं का वितरण सरकारी अस्पतालों, प्रसूती केन्द्रों का उन्नयन सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना निःशुल्क मोतियाबिन्द सर्जरी शिविरों की व्यवस्था कुपोषण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	337.53	281.49	281.49	सीधे
3.	पथमार्ग, आरसीसी पुलों, कंक्रीट मार्गों का निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण जम्मू एवं कश्मीर में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन दाह संस्कार शेड तथा कब्रगाहों का निर्माण नालों, शरण स्थनों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों हेतु राहत तथा पुनर्वास उपाय गांव तथा विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति लाइनों की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप	ग्रामीण विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	1178.48	980.65	980.65	सीधे

4.	जैव विविधता पार्क और हर्बल पार्कों का विकास स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों का पुनर्स्थापन स्वैच्छिक वनीकरण और पौधों को लगाना वर्षा जल संचयन प्रणाली सौर ऊर्जा मार्ग प्रकाश खम्बों का स्थापन सौर लालटेन, सोलर कुकर का वितरण	पर्यावरण और धारणीयता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	622.3	354.55	354.55	सीधे
5.	ग्रामीण महिलाओं हेतु साक्षरता कार्यक्रम ब्यूटीशियन कोर्स, साफ्ट खिलौने बनाना, अचार बनाना, सिलाई, कटाई, टेलरिंग तथा कड़ाई पाठ्यक्रम और महिलाओं हेतु अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम वृद्धावस्था गृहों का उन्नयन	महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	72.84	58.44	58.44	सीधे
6.	एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय ने तत्वावधान में अपने को सीएसआर तथा धारणीय विकास क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 7104 शौचालयों के निर्माण से सम्बद्ध किया है।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	2425.00	2308.23	2308.23	सीधे

7.	हितधारकों के साथ बैठकें जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीण खेलों का संवर्धन स्थानीय खेलकूद/टूर्नामेंटों की प्रायोजिकता स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना स्थानीय महोत्सवों का आयोजन	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य पहलें	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), उत्तर प्रदेश में जिला - संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।	219.33	98.02	98.02	सीधे
	कुल			**6557.00***	**5223.94**	**5223.94**	

*6557.00 लाख रूपये की राशि में 4764.00 लाख रूपये की राशि का वार्षिक बजट आबंटन (वित्त वर्ष 2014-15) और पिछले वर्ष 1793.00 लाख रूपये की राशि का व्यय न किया गया सीएसआर बजट शामिल है।

6. कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों या उसके किसी तत्संबंधी भाग हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय कर पाने में विफल होने पर कम्पनी को उस राशि को व्यय न किए जाने के कारण अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना चाहिए :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत की राशि 47.64 करोड़ रूपये होती है। कम्पनी ने उक्त प्रावधान के प्रति वर्ष के दौरान 52.24 करोड़ रूपये व्यय किए हैं।

इस प्रकार, सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.19 प्रतिशत होता है। अतः कम्पनी ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु बजट आबंटन का पूर्ण उपयोग किया है।

उक्त के अतिरिक्त, डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष के 17.93 करोड़ रूपये की व्यय न की गई राशि में से 4.60 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं। पिछले वर्षों से संबंधित 13.33 करोड़ रूपये की अग्रेषित राशि का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण से संबंधित अधिकांश कार्य निविदा दिए जाने तथा निष्पादन के विभिन्न चरणों में थे और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान केवल आंशिक भुगतान जारी किए गए थे।
2. सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के जैव विविधता पार्क हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना।
3. हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु निधियां राज्य सरकार द्वारा निर्माण उपलब्धियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण जारी नहीं की जा सकती थी।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा प्रबोधन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप में है।

सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा प्रबोधन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप में है।

हस्ता./-
(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन:00171920

हस्ता./-
(अतुल कुमार गर्ग)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष
सीएसआर तथा एसडी संबंधी निदेशकों की समिति
डीआईएन:02281287

असम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण।

असम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण।

वार्षिक रिटर्न का सार

अनुबंध - VII

फार्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

1. पंजीकरण तथा अन्य ब्योरे

सीआईएन	एल40101एचआर1975जीओआई032564
पंजीकरण तिथि	07 नवम्बर, 1975
कम्पनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कम्पनी, शेयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्योरा	एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 टेलीफोन नं. 0129-2588110/2588500 फैक्स नं. 0129-2277941
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	हाँ
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्योरे	कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032 दूरभाष नं.: 040 67161500 टोल फ्री नं. : 1800 425 8998 फैक्स नं. : 040-67162200/23420814

2. कम्पनी के प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल टर्न-ओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है -

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कम्पनी के कुल टर्न-ओवर का प्रतिशत #
1	ऊर्जा (जल विद्युत) जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन	35101	99.99%

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार

#सकल टर्न-ओवर के आधार पर

3. अनुषंगी, एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कम्पनियों के ब्योरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462013, मध्य प्रदेश	U31200MP2000GOI014337	अनुषंगी	51%	2(87)
2	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, लोकतक विद्युत स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. लोकतक, कोम कीरप-795114, मणिपुर	U40101MN2009GOI008249	अनुषंगी	74%	2(87)
3	बुन्देलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, टीसी-43/V, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश	U40300UP2015GOI068632	अनुषंगी	99.99%	2(87)
4	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेकेपीसीसी काम्पलेक्स, रेल हेड काम्पलेक्स, पनामा चौक, जम्मू - 180006 (जम्मू एवं कश्मीर)	U40105JK2011PTC003321	एसोसिएट	49%	2(6)
5	नैशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U73100DL2009PTC190541	एसोसिएट	20%	2(6)
6	नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड* कोर 7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U40100DL2008PLC185689	एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	16.67%	2(6)

* नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड परिसमापन की प्रक्रिया में है।

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्योरा)

1) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2014 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2015 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केन्द्र सरकार	9516209722	0	9516209722	85.96	9516209722	0	9516209722	85.96	0.00
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क) (1) :	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**0.00**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2014 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2015 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(2) विदेशी									
क) एनआरआई -व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य - व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2):	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) =(क)(1)+(क)(2)	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड/यूटीआई	8089308	0	8089308	0.07	8722475	0	8722475	0.08	0.01
ख) बैंक/एफआई	96727455	0	96727455	0.87	91543972	0	91543972	0.83	-0.04
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कंपनियां	315579614	0	315579614	2.85	375755573	0	375755573	3.39	0.54
छ) एफआईआई	183429954	0	183429954	1.66	212320234	0	212320234	1.92	0.26
ज) विदेशी वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
झ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	**603826331**	**0**	**603826331**	**5.45**	**688342254**	**0**	**688342254**	**6.22**	**0.77**
2. गैर-संस्थान									
क) कारपोरेट निकाय	134504517	0	134504517	1.21	97340036	0	97340036	0.88	-0.33
ख) व्यक्ति									
(1) 1 लाख रूपये तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	610141807	163656	610305463	5.52	576225050	171562	576396612	5.21	-0.31
(2) 1 लाख रूपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	176542019	51480	176593499	1.60	170894577	0	170894577	1.54	-0.06
ग) अन्य									
(1) क्लीयरिंग सदस्य	10754418	0	10754418	0.10	2172520	0	2172520	0.02	-0.08

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2014 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2015 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(2) अप्रवासी भारतीय	15886383	7575	15893958	0.14	16593751	7575	16601326	0.15	0.01
(3) विदेशी कारपोरेट निकाय	6462	0	6462	0.00	175	0	175	0.00	0.00
(4) ट्रस्ट	2573936	0	2573936	0.02	2711274	0	2711274	0.02	0.00
(5) पात्र विदेशी निवेशक	190	0	190	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(2)	**950409732**	**222711**	**950632443**	**8.59**	**865937383**	**179137**	**866116520**	**7.82**	**-0.77**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	**1554236063**	**222711**	**1554458774**	**14.04**	**1554279637**	**179137**	**1554458774**	**14.04**	**0.00**
ग. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोड़ (क+ख+ग)	**11070445785**	**222711**	**11070668496**	**100.00**	**11070489359**	**179137**	**11070668496**	**100.00**	

(2) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2014 के अनुसार)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2015 के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	0.00	9516209722	85.96	0.00	0.00
	कुल	**9516209722**	**85.96**	**0.00**	**9516209722**	**85.96**	**0.00**	**0.00**

(3) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2014 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2014 से 31.03.2015)	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	9516209722	85.96	-	-
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं।			
3	वर्ष के अंत में	9516209722	85.96	9516209722	85.96

(4) 10 शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	270333289	2.44	1-अप्रैल-2014				
				4-अप्रैल-2014	3481000	खरीद	273814289	2.47
				30-मई-2014	3735412	खरीद	277549701	2.51
				6-जून-2014	11401786	खरीद	288951487	2.61
				30-जून-2014	455542	खरीद	289407029	2.61
				6-फरवरी-2015	4195496	खरीद	293602525	2.65
				13-फरवरी-2015	10184729	खरीद	303787254	2.74
				20-फरवरी-2015	2219746	खरीद	306007000	2.76
				27-फरवरी-2015	8893545	खरीद	314900545	2.84
				6-मार्च-2015	3852591	खरीद	318753136	2.88
				20-मार्च-2015	1077500	खरीद	319830636	2.89
				27-मार्च-2015	7865184	खरीद	327695820	2.96
		331009248	2.99	31-मार्च-2015	3313428	खरीद	331009248	2.99
2.	यूको बैंक	33154836	0.30	1-अप्रैल-2014		वर्ष के दौरान कोई संचलन नहीं		
		33154836	0.30	31-मार्च-2015	-		33154836	0.30
3.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, एसेरे	25324080	0.23	1-अप्रैल-2014				
				4-अप्रैल-2014	434560	खरीद	25758640	0.23
				11-अप्रैल-2014	532336	खरीद	26290976	0.24
				18-अप्रैल-2014	76048	खरीद	26367024	0.24
				23-मई-2014	195552	खरीद	26562576	0.24
				11-जुलाई-2014	380240	खरीद	26942816	0.24
				25-जुलाई-2014	345440	खरीद	27288256	0.25
				1-अगस्त-2014	552704	खरीद	27840960	0.25
				22-अगस्त-2014	215900	खरीद	28056860	0.25
				12-सितम्बर-2014	241808	खरीद	28298668	0.26
				28-नवम्बर-2014	241808	खरीद	28540476	0.26
				5-दिसम्बर-2014	215900	खरीद	28756376	0.26
				9-जनवरी-2015	-354076	बिक्री	28402300	0.26

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
				16-जनवरी-2015	-155448	बिक्री	28246852	0.26
				23-जनवरी-2015	-146812	बिक्री	28100040	0.25
				6-फरवरी-2015	-43180	बिक्री	28056860	0.25
				13-फरवरी-2015	-172720	बिक्री	27884140	0.25
		27730780	0.25	31-मार्च-2015	-153360	बिक्री	27730780	0.25
4.	सरकारी पेंशन निधि ग्लोबल	18243768	0.16	1-अप्रैल-2014				
				23-मई-2014	-537610	बिक्री	17706158	0.16
				30-मई-2014	-1929692	बिक्री	15776466	0.14
				13-जून-2014	-864464	बिक्री	14912002	0.13
				20-जून-2014	-234351	बिक्री	14677651	0.13
				16-जनवरी-2015	566824	खरीद	15244475	0.14
				6-फरवरी-2015	4080101	खरीद	19324576	0.17
				13-फरवरी-2015	1874623	खरीद	21199199	0.19
				20-फरवरी-2015	225377	खरीद	21424576	0.19
		21424576	0.19	31-मार्च-2015	-	-	21424576	0.19
5.	विस्डमट्री ट्रस्ट ए/सी विस्डमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट प्रा*	0	0.00	1-अप्रैल-2014				
				4-अप्रैल-2014	10468447	खरीद	10468447	0.09
				11-अप्रैल-2014	307726	खरीद	10776173	0.10
				18-अप्रैल-2014	43966	खरीद	10820139	0.10
				16-मई-2014	1000003	खरीद	11820142	0.11
				23-मई-2014	367252	खरीद	12187394	0.11
				30-मई-2014	184894	खरीद	12372288	0.11
				13-जून-2014	2726958	खरीद	15099246	0.14
				20-जून-2014	323335	खरीद	15422581	0.14
				30-जून-2014	277604	खरीद	15700185	0.14
				4-जुलाई-2014	278005	खरीद	15978190	0.14
				11-जुलाई-2014	463331	खरीद	16441521	0.15
				18-जुलाई-2014	371178	खरीद	16812699	0.15
				25-जुलाई-2014	139380	खरीद	16952079	0.15
				1-अगस्त-2014	414799	खरीद	17366878	0.16

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
				8-अगस्त-2014	368581	खरीद	17735459	0.16
				15-अगस्त-2014	506286	खरीद	18241745	0.16
				22-अगस्त-2014	597771	खरीद	18839516	0.17
				29-अगस्त-2014	788668	खरीद	19628184	0.18
				5-सितम्बर-2014	232365	खरीद	19860549	0.18
				12-सितम्बर-2014	233850	खरीद	20094399	0.18
				19-सितम्बर-2014	-187697	बिक्री	19906702	0.18
				30-सितम्बर-2014	-2538300	बिक्री	17368402	0.16
				31-अक्तूबर-2014	383480	खरीद	17751882	0.16
				7-नवम्बर-2014	536880	खरीद	18288762	0.17
				14-नवम्बर-2014	395347	खरीद	18684109	0.17
				5-दिसंबर-2014	-301719	बिक्री	18382390	0.17
				12-दिसंबर-2014	-113034	बिक्री	18269356	0.17
				9-जनवरी-2015	-716325	बिक्री	17553031	0.16
				23-जनवरी-2015	-361439	बिक्री	17191592	0.16
				30-जनवरी-2015	623627	खरीद	17815219	0.16
				27-फरवरी-2015	325272	खरीद	18140491	0.16
				6-मार्च-2015	468869	खरीद	18609360	0.17
				20-मार्च-2015	216402	खरीद	18825762	0.17
				27-मार्च-2015	72367	खरीद	18898129	0.17
		18898129	0.17	31-मार्च-2015	-	-	18898129	0.17
6.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	13907798	0.13	1-अप्रैल-2014		वर्ष के दौरान कोई संचलन नहीं		
		13907798	0.13	31-मार्च-2015	-		13907798	0.13
7.	कारपोरेशन बैंक	14043251	0.13	1-अप्रैल-2014				
				2-मई-2014	-5000	बिक्री	14038251	0.13
				16-मई-2014	-150000	बिक्री	13888251	0.13
				23-मई-2014	-46000	बिक्री	13842251	0.13
		13842251	0.13	31-मार्च-2015	-	-	13842251	0.13

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
8.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड*	7754085	0.07	1-अप्रैल-2014				
				20-जून-2014	730000	खरीद	8484085	0.08
				4-जुलाई-2014	591593	खरीद	9075678	0.08
				12-सितम्बर-2014	563271	खरीद	9638949	0.09
				28-नवंबर-2014	612380	खरीद	10251329	0.09
				5-दिसम्बर-2014	974	खरीद	10252303	0.09
				6-मार्च-2015	891909	खरीद	11144212	0.10
		11144212	0.10	31-मार्च-2015	-	-	11144212	0.10
9.	इमरजिंग मार्केटस कोर इक्विटी पोर्टफोलियो	10682783	0.10	1-अप्रैल-2014				
				27-मार्च-2015	337123	खरीद	11019906	0.10
		11019906	0.10	31-मार्च-2015	-	-	11019906	0.10
10.	मैरिल लाइंच कैपिटल मार्केट एस्पाना एस.ए.एस.वी.*	342478	0.00	1-अप्रैल-2014				
				2-मई-2014	-41122	बिक्री	301356	0.00
				9-मई-2014	18915	खरीद	320271	0.00
				16-मई-2014	756000	खरीद	1076271	0.01
				20-जून-2014	8126	खरीद	1084397	0.01
				4-जुलाई-2014	-98892	बिक्री	985505	0.01
				25-जुलाई-2014	120000	खरीद	1105505	0.01
				8-अगस्त-2014	4273	खरीद	1109778	0.01
				29-अगस्त-2014	-592	बिक्री	1109186	0.01
				31-अक्तूबर-2014	-12933	बिक्री	1096253	0.01
				14-नवंबर-2014	113157	खरीद	1209410	0.01
				21-नवंबर-2014	-147745	बिक्री	1061665	0.01
				28-नवंबर-2014	-8727	बिक्री	1052938	0.01
				5-दिसंबर-2014	1157273	खरीद	2210211	0.02
				12-दिसंबर-2014	1551088	खरीद	3761299	0.03

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
				19-दिसंबर-2014	1521906	खरीद	5283205	0.05
				31-दिसंबर-2014	3167998	खरीद	8451203	0.08
				2-जनवरी-2015	387382	खरीद	8838585	0.08
				9-जनवरी-2015	-100000	बिक्री	8738585	0.08
				16-जनवरी-2015	422676	खरीद	9161261	0.08
				23-जनवरी-2015	183477	खरीद	9344738	0.08
				6-फरवरी-2015	1048657	खरीद	10393395	0.09
				13-फरवरी-2015	199289	खरीद	10592684	0.10
				13-मार्च-2015	10000	खरीद	10602684	0.10
		10602684	0.10	31-मार्च-2015	-	-	10602684	0.10
11.	भारतीय जीवन बीमा निगम समृद्धि प्लस निधि#	9634232	0.09	1-अप्रैल-2014				
				13-जून-2014	-500000	बिक्री	9134232	0.08
		9134232	0.08	31-मार्च-2015	-	-	9134232	0.08
12.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड#	19842359	0.18	1-अप्रैल-2014				
				25-अप्रैल-2014	-435000	बिक्री	19407359	0.18
				23-मई-2014	-7050000	बिक्री	12357359	0.11
				30-मई-2014	-1992115	बिक्री	10365244	0.09
				6-जून-2014	-1800000	बिक्री	8565244	0.08
				13-जून-2014	-8265244	बिक्री	300000	0.00
				20-जून-2014	-74000	बिक्री	226000	0.00
		226000	0.00	31-मार्च-2015	-	-	226000	0.00
13.	विजडमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कारपोरेशन#	10296777	0.09	1-अप्रैल-2014				
				4-अप्रैल-2014	-10296777	बिक्री	0	0.00
		0	0.00	31-मार्च-2015	-	-	0	0.00

*01.04.2014 को शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची में नहीं। उक्त को ऊपर इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि शेयरधारक 31.03.2015 को शीर्ष 10 शेयरधारकों में से एक था।

#31.03.2015 को शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची में नहीं। उक्त को ऊपर इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि शेयरधारक 01.04.2014 को शीर्ष 10 शेयरधारकों में से एक था।

(5) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
क.	निदेशक							
1.	श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (08.06.2014 से निदेशक बने)	0	0.00	8-जून-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	31-मार्च-2015	-		0	0.00
2.	श्री जी.साइ.प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (08.06.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	8-जून-2014	-		0	0.00
3.	श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) (15.09.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	49875	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		49875	0.00	15-सितम्बर 2014	-		49875	0.00
4.	श्री डी.पी. भार्गव, (निदेशक तकनीकी)	19999	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		19999	0.00	31-मार्च-2015	-		19999	0.00
5.	श्री जे.के. शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं) (11.03.2015 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	4550	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		4550	0.00	11-मार्च-2015	-		4550	0.00
6.	श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)	42000	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		42000	0.00	31-मार्च-2015	-		42000	0.00

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
7.	श्री मुकेश जैन, सरकारी नामिति निदेशक (11.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	11-नवम्बर-2014	-		0	0.00
8.	श्री अरूण कुमार वर्मा, सरकारी नामिति निदेशक (17.12.2014 से निदेशक बने)	0	0.00	17-दिसम्बर-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	31-मार्च-2015	-		0	0.00
9.	श्री के.एन.गर्ग, सरकारी नामिति निदेशक	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	31-मार्च-2015	-		0	0.00
10.	श्री जी.एस.वेदी, स्वतंत्र निदेशक (01.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	1-नवम्बर-2014	-		0	0.00
11.	श्री ए.के.मागो, स्वतंत्र निदेशक (01.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	1-नवम्बर-2014	-		0	0.00

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2014 से 31.03.2015) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014)/ वर्ष के अंत (31.03.2015) के अंत में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
12.	श्री आर.जयसीलन, स्वतंत्र निदेशक (01.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	1-नवम्बर-2014	-		0	0.00
13.	श्री शांतिकाम हजारिका, स्वतंत्र निदेशक (27.09.2014 से निदेशक नहीं रहे)	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	27-सितम्बर-2014	-		0	0.00
14.	श्री ए.गोपालकृष्णन, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	27-सितम्बर-2014	-		0	0.00
15.	श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	31-मार्च-2015	-		0	0.00
16.	श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		0	0.00	31-मार्च-2015	-		0	0.00
ख.	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**							
1.	श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव	14500	0.00	1-अप्रैल-2014		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		
		14500	0.00	31-मार्च-2015	-		14500	0.00

(5) ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोदभूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज के साथ कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण *	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01.04.2014)				
1) मूलधन राशि	15404.86	4461.63	0	19866.49
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0	0	0	0
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	221.00	51.29	0	272.29
कुल (1+2+3)	**15625.86**	**4512.92**	**0**	**20138.78**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वर्धन	1510.00	436.98	0	1946.98
कमी **	1515.70	461.43	0	1977.13
निवल परिवर्तन	**(5.70)**	**(24.45)**	**0**	**(30.15)**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2015)				
1) मूलधन राशि	15399.16	4437.18	0	19836.34
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0	0	0	0
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	282.72	25.68	0	308.40
कुल (1+2+3)	**15681.88**	**4462.86**	**0**	**20144.74**

* अप्रतिभूत ऋणों में विदेशी ऋण शामिल हैं।

*** अप्रतिभूत ऋण में कमी में विदेशी ऋण पर 215.94 करोड़ रूपये के ईआरवी लाभ शामिल हैं।

(6) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्योरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		पूर्णकालिक निदेशक				
		श्री डी.पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)*	श्री जे.के.शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं) (11.03.2015 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) और सीएओ (15.09.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	2961700	3329631	4216430	2656582	13164343
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	604015	393868	826078	351828	2175789

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्योरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		पूर्णकालिक निदेशक				
		श्री डी.पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)*	श्री जे.के.शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं) (11.03.2015 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) और सीएओ (15.09.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य **	938363	475550	909576	442493	2765982
	कुल (क)	4504078	4199049	5952084	3450903	18106114
	अधिनियम के अनुसार सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)				

* श्री आर.एस.मीना ने 15.09.2014 से 25.05.2015 तक कम्पनी के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। श्री मीना को 26.09.2014 से कम्पनी के सीएफओ के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

** अन्यों में पट्टा किराया, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ और सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान) आदि शामिल है जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

टिप्पणी - श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, 08.06.2014 से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए हैं। इससे पूर्व श्री जी.साइ प्रसाद, पूर्व संयुक्त सचिव (थर्मल) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए थे।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्योरे	निदेशक का नाम							कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री अशोक कुमार दत्ता	श्री अतुल कुमार गर्ग	श्री शांतिकाम हजारिका (27.09.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री ए.गोपालकृष्णन (27.09.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री जी.एस. वेदी (01.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री ए.के.मागो (01.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री आर. जयसीलन (01.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	
	बोर्ड/ समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	320000	650000	175000	160000	275000	270000	165000	2015000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(1)	**320000**	**650000**	**175000**	**160000**	**275000**	**270000**	**165000**	**2015000**

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्योरे	निदेशक का नाम							कुल राशि
2.	**अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक**	**श्री ए.के.वर्मा (17.12.2014 से निदेशक बने)**	**श्री के. एन.गर्ग**	**श्री मुकेश जैन (11.11.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे)**	-	-	-	-	
	बोर्ड/ समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-	शून्य
	कुल(2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**-**	**-**	**-**	**-**	**शून्य**
	कुल (ख)=(1+2)	**320000**	**650000**	**175000**	**160000**	**275000**	**270000**	**165000**	**2015000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक*								20121114*
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)							

* प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों का कुल पारिश्रमिक (क तथा ख का जोड़)

(ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्योरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	3416281	-	3416281
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	187788	-	187788
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	शून्य	-	-
2.	स्टाक विकल्प	-	शून्य	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	शून्य	-	-
4.	कमीशन	-	शून्य	-	-
5.	अन्य **	-	341129	-	341129
	कुल	-	3945198	-	3945198

* सीईओ तथा सीएफओ के पद क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा धारित हैं।

** अन्यों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान) आदि शामिल है जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

(7) शास्ति/दण्ड/अपराधों को क्षमा करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए क्षम्य शुल्क के ब्योरे	प्राधिकारी (आरडी/ एएनसीएलटी / अदालत	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
ख. निदेशक					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख : 6 अगस्त, 2015
स्थान : फरीदाबाद

टीएलडीपी-IV, 160 मेगावाट, (पश्चिम बंगाल) में निर्माण गतिविधियां।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुबंध - VIII

फार्म संख्या एमआर-3

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1)और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सैक्टर-33, फरीदाबाद
हरियाणा - 121003

मैंने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे एतद्पश्चात ''कंपनी'' कहा गया है) सीआईएन एल40101एचआर1975 जीओआई 032564,भारत सरकार के उद्यम द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर मैं एतद्द्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतद्पश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

मैने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;
5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -
   (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011; (**31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लागू नहीं**)
   (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोक) विनियम, 1992;
   (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009; (**31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लागू नहीं**)
   (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा-निर्देश, 1999; (**31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लागू नहीं**)
   (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2008;
   (च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
   (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का सूचीबद्ध न करना) विनियम, 2009; (**31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लागू नहीं**)
   (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998; (**31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लागू नहीं**)

(झ) अन्य लागू कानून, नामतः

1. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1981
4. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
5. आयकर अधिनियम, 1961
6. सम्पत्ति कर अधिनियम, 1948
7. सेवा कर अधिनियम, 1994
8. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 और
9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
10. औद्योगिक तथा श्रम विधियां, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
    - क) संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
    - ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
    - ग) मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936
    - घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
    - ङ) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, रोक तथा समाधान) अधिनियम, 2013
    - (च) दुकान तथा स्थापना अधिनियम, यथा लागू
    - (छ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952
    - (ज) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(ञ) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक (**31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु लागू नहीं**);

(ट) कम्पनी द्वारा नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बम्बई स्टाक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण समझौते;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है जो निम्नलिखित अभिमतों के अधीन है :

(क) स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण समझौते के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को शामिल नहीं किया गया था;

(ख) कम्पनी वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर के प्रति आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं कर सकी थी;

(ग) बोर्ड के सदस्यों हेतु विहित किए अनुसार तथा लागू होने वाले मूल्यांकन मानदण्ड को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले भेजे गए थे और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है जबकि विरोध कर रहे सदस्यों के मतों को लिया जाता है तथा उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कम्पनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। कम्पनी ने बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्टों/प्रमाण-पत्रों के दायरे को और बढ़ाने का आश्वासन दिया है ताकि रिपोर्टों को लागू होने वाले अधिनियमों/विधियों के प्रति अधिक विशिष्ट बनाया जा सके।

मैं आगे सूचित करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में निजी स्थापन पर कर-मुक्त बॉण्ड जारी किए हैं और उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कम्पनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाली चालू परियोजनाओं की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड की ऋण लेने की शक्तियों को 30,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव भी पारित किया है।

हस्ता./-
(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस-5880
सीपी संख्या-13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 जुलाई, 2015

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

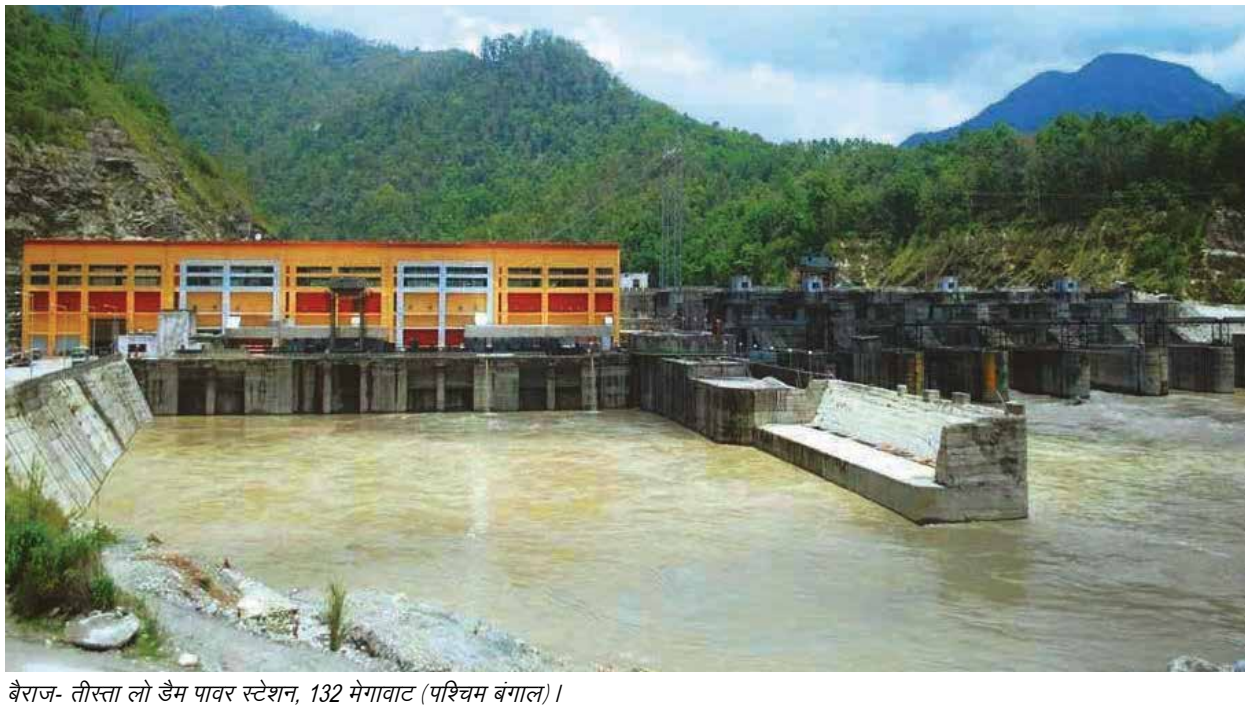

बैराज- तीस्ता लो डैम पावर स्टेशन, 132 मेगावाट (पश्चिम बंगाल)।

अनुबंध-क

सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड

फरीदाबाद

मेरी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकार्ड़ों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवालयीन रिकार्ड़ों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्ड़ों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने मेरे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।
3. मैंने कम्पनी के वित्तीय रिकार्ड़ों और लेखाबहियों की सटीकता तथा उचित होने का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां-कहीं अपेक्षित हो मैनें विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता./-
(पी.एस.आर.मूर्ति)
एसीएस-5880
सीपी संख्या-13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 जुलाई, 2015

किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, 330 मेगावाट (जम्मू व कश्मीर) में निर्माण गतिविधियां।

असम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण।

एचआरटी- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, 330 मेगावाट (जम्मू व कश्मीर)।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध - IX

सेवा में सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। **एकल वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व** कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाहों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के कारण। **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व** हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिमो का आंकलन करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह अपना यह मत प्रकट करने के लिए नहीं करता है कि क्या कम्पनी में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों पर प्रभावोत्पादकता के लागू होने की विद्यमानता है या नहीं। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराते हैं।	

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
मत हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम उक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाह एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं : **बल दिए जाने वाले मामलों का महत्व** हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :	
क) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7 का पैरा जो बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन और 1.2.2014 से ऐसी वसूलियों को प्रभावी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के निदेशों की पुष्टि, जो अभी विद्युत मंत्रालय में लम्बित है, का वर्णन करता है।	1.2.2014 से वसूली को प्रभावी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के क्रियान्वयन की कार्रवाई की पुष्टि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्रार्थित है और समय-समय पर मामले का अनुवर्तन किया जा रहा है। इसी बीच एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन (पीपीए) वसूली को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ पीए का भुगतान जारी है।
(ख) वित्तीय विवरण के पैरा 2 की टिप्पणी संख्या 11, जिसे टिप्पणी संख्या 29 पैरा 9 के साथ पढ़ा जाता है, जो सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। ऐसी परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु किए गए व्यय को अग्रेनीत किया जा रहा है क्योंकि ये परियोजनाएं अन्वेषण के अधीन है/इनके लिए विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति/वित्तीय सहायता लंबित हैं।	प्रबंधन के मतानुसार, जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है, वे अभी भी सक्रिय हैं, अतः सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की लागत को अग्रेनीत किया जा रहा है। तथापि, प्रावधान जहां कहीं आवश्यक हो, बहियों में किया गया है।
(ग) वित्तीय विवरण के पैरा 1 टिप्पणी संख्या 29 कंपनी द्वारा ठेकेदारों के विरूद्ध अथवा ठेकेदारों द्वारा कम्पनी के विरूद्ध दावों/मध्यस्थम प्रक्रियाओं के परिणामों संबंधी अनिश्चितताओं का उल्लेख है। कुछ मामलों में मध्यस्थम पंचाट कम्पनी के विरूद्ध दिया गया है अथवा कंपनी निचली अदालतों में हार गई है और अब उच्चतर अदालतों में उन मामलों पर लड़ रही है। कम्पनी के विरूद्ध आए निर्णयों के संदर्भ में प्रबंधन संभावित बहिर्गमन पर विचार नहीं करता है, सिवाय, उन मामलों के जो लेखा पुस्तिकाओं में पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।	उक्त पैरा में इस प्रकटीकरण को लेखांकन मानक 29 (प्रावधान) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
घ) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 4(क) विभिन्न शेष के संबंध में है जो मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।	टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का विवरण है।
ङ) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 का पैरा 8 कोटलीभेल-1ए परियोजना के संबंध में है जिसका भविष्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।	यह तथ्यों का विवरण है।
च) टिप्पणी संख्या 29 पैरा 23 वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 4 के साथ पढ़े जाने पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के पहले अपनाए जाने (उचित रूप से अनुमेय) के संबंध में है। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में आशोधन नहीं है।	यह तथ्यों का विवरण है।

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना 1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015, (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के अनुसार लागू होने तक की सीमा हेतु उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध-1 में संलग्न किया है। 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (5) के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए निदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुबंध-2 में दिया गया है। 3. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम यथावश्यक सूचित करते हैं कि : क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे; ख. हमारी राय में, इन बहियों की लेखापरीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने लेखा बहियों का कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित अनुरक्षण किया है; ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है; घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं; ङ. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2015 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2015 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं; और च. कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार - (i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है - देखें वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 का पैरा 1; (ii) कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियां हों; (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचत निधि को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।	

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस	कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी	कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध 1 1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में : (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं। (ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों, सिवाय कुछ यूनिटों में भूमि के मामले में, का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी। 2. मालसूची के संदर्भ में : (क) वर्ष के दौरान मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत है। (ख) कम्पनी द्वारा मुहैया कराई गई सूचनाओं के आधार पर हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है। (ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति का लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है। 3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है। उक्त के मद्देनजर आदेश के खण्ड (3) के उप-खंड (क) तथा (ख) लागू नहीं होते हैं। 4. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी बड़ी कमी को ठीक करने में कोई सतत विफलता नहीं रही है। 5. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या अन्य किसी प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। 6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखे तथा रिकार्डों को बनाया तथा अनुरक्षित किया है। तथापि, हमने इनकी सटीकता या पूर्णता के निर्धारण हेतु इन लेखों तथा रिकार्ड़ों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है। 7. सांविधिक देयों के संबंध में : क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड़ों के आधार पर अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है, जिनके संबंध में लेखाबहियों में कटौती की गई/प्रोदभूत राशियां हैं, उन्हें सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है। (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर और सीमा शुल्क के देयों की राशि निम्नानुसार है :-	नोट कर लिया गया है।

लेखापरीक्षक की टिप्पणी					प्रबंधन का उत्तर
(करोड़ रुपए में)					
संविधि का नाम	**देय राशि की प्रकृति**	**राशि**	**जिस वर्ष से संबंधित है**	**जिस फोरम में विवाद लंबित है**	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.07	2007-08	आईटीओ, देहरादून	
		0.01	2008-09		
		0.02	2009-10		
हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम	बिक्री कर	5.78	2005-06 से 2009-10	हिमाचल प्रदेश वैट अधिकरण धर्मशाला कैम्प, शिमला	
जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अधिनियम, 1962	बिक्री कर	245.61	1994-95	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, श्रीनगर	
जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अधिनियम, 1962	बिक्री कर	0.2156	2010-11	सीटीओ, बारामुला	
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2.01	2004-2005	कोलकाता उच्च न्यायालय (28.02.2005 को अंतिम सुनवाई)	
पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2005	बिक्री कर	0.14	2006-07	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर, सिलीगुड़ी	
		0.76	2007-08		
		0.43	2008-09		
		0.07	2009-10		
		0.15	2010-11		

ग) कम्पनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईईपीएफ (निवेशक जागरूकता तथा बचाव) नियमावली, 2001 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के प्रावधान के अनुसार निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) को कोई राशि अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

8. कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

9. लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

10. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्यों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

11. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र के समग्र परीक्षण पर हम यह सूचित करते हैं कि सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजन हेतु किया गया है जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

12. भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षण व्यवहारों के अनुसार की गई कंपनी की बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के दौरान कंपनी द्वारा या इसके साथ धोखा-धड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी नहीं पाई गई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट' शीर्ष के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुबंध-2

क्रम सं.	निदेश	हमारी रिपोर्ट	की गई तत्संबंधी कार्यवाही	कंपनी के लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	यदि कंपनी को विनिवेश हेतु चुना गया है तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों तथा भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यांकन के संबंध में एक पूर्ण स्थिति रिपोर्ट का परीक्षण विनिवेश प्रक्रिया के तरीके तथा वर्तमान चरण सहित किया जाए।	एनएचपीसी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 3.7.2014 का पत्र संख्या 11/11/2013-एनएचपीसी प्राप्त हुआ था जिसमें वित्त मंत्रालय के दिनांक 1.7.2014 के पत्र संख्या 4(4)/2014-डीडी11 का संदर्भ देते हुए एनएचपीसी लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी के भारत सरकार की 85.96 प्रतिशत शेयरधारिता में से 11.36 प्रतिशत के विनिवेश हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के प्रारूप पर एनएचपीसी की टिप्पणियां मांगी गई थी। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 13.11.2014 के पत्र के माध्यम से इस विनिवेश प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखने का परामर्श दिया गया था जब तक कुछ और परियोजनाएं चालू नहीं हो जाती।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
2	कृपया बताएं कि क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/पश्च लेखन के कोई मामले हैं। यदि हां तो उसके कारण तथा अंतर्ग्रस्त राशियों को बताएं।	ऐसे दो मामले हैं जहां 51572/- रूपये वसूली योग्य न होने के चलते पश्च लेखित किए गए थे।	राशि को लाभ एवं हानि लेखे में डेबिट किया गया है।	लाभ 51572/- रूपये कम हुआ।
3	क्या तृतीय पक्षों के पास पड़ी मालसूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में पाई गई परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	कंपनी मालसूची हेतु उचित रिकार्ड रख रही है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		जैसा कि सूचित किया गया है कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य

क्रम सं.	निदेश	हमारी रिपोर्ट	की गई तत्संबंधी कार्यवाही	कंपनी के लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
4	लम्बित विधिक/माध्यस्थम मामलों के आयु-वार विश्लेषण पर एक रिपोर्ट जिसमें लम्बित होने के कारण और सभी विधिक मामलों (विदेशी तथा स्थानीय) हेतु एक निगरानी तंत्र की विद्यमानता/प्रभावोत्पादकता दी जाए।	विधिक/माध्यस्थम मामलों का आयु-वार विश्लेषण निम्नानुसार है 0-1 वर्ष : 51 मामले 1-2 वर्ष : 67 मामले 2-3 वर्ष : 90 मामले 3-4 वर्ष : 78 मामले 4-5 वर्ष : 98 मामले 5 वर्ष तथा उससे अधिक : 283 मामले **कुल : 667 मामले** इन मामलों के माध्यस्थम/अदालतों में लम्बित रहने हेतु कारण सुनवाई पूरी न होना, और माध्यस्थ/अदालतों द्वारा और विवरण तथा अतिरिक्त दस्तावेज मांगना, सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित न होना, अदालत द्वारा स्थगन दे देना आदि हैं। बड़े विधिक व्ययों (विदेशी या स्थानीय) हेतु कोई निर्धारित प्रक्रियाविधि नहीं है। तथापि, सभी विधिक मामलों में व्यय को प्रत्येक वर्ष सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जाता है और उक्त को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बजट के भीतर किया जाता है।	ऐसे मामलों में जहां कंपनी को संभावित बाह्य प्रभाव की आशा है, एएस-29 के अनुसार बहियों मे आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। शेष मामलों हेतु जहां किसी संभावित बाह्य प्रभाव की संभावना नहीं है अथवा राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अंतर्ग्रस्त बाध्यता को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29, पैरा 1 में आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाया गया है।	प्रावधान के चलते परिणामी प्रभाव संबंधित लेखा शीर्ष को दिया गया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29, पैरा 1 को देखें)

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन
(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्यता सं.-500417

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 001728एन
(सीए आर के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000050एन
(सीए सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 301072ई
(सीए बरून कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
(1)	**शेयरधारकों की निधि**					
(क)	शेयर पूंजी	2	11,070.67		11,070.67	
(ख)	आरक्षित तथा अधिशेष	3	17,215.72		14,996.98	
(2)	**गैर-वर्तमान देयताएं**					
(क)	दीर्घावधि ऋण	4	18,171.03		18,580.52	
(ख)	स्थगित कर देयता	5	810.44		766.67	
(ग)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	1,337.17		1,605.81	
(घ)	दीर्घावधि प्रावधान	7	886.95		814.70	
(3)	**वर्तमान देयताएं**					
(क)	व्यापार प्राप्य	8	153.01		200.71	
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	9	3,013.15		2,938.21	
(ग)	अल्पावधि प्रावधान	7	2,780.98		3,002.00	
			55,439.12		**53,976.27**	
	कुल					
II.	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**					
(क)	अचल परिसंपत्तियां					
	(1) गोचर परिसंपत्तियां	10.1	21,899.89		23,312.81	
	(2) अगोचर परिसंपत्तियां	10.2	795.27		764.33	
	(3) चालू पूंजी कार्य	11	16,054.72		14,657.13	
(ख)	गैर-वर्तमान निवेश	12	1,977.75		2,227.02	
(ग)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1,108.47		1,089.69	
(घ)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	14.1	795.81		896.37	
	उप-जोड़		42,631.91		42,947.35	
(ङ)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां- नियामक परिसंपत्तियां	14.2	1,630.39		-	
				44,262.30		42,947.35
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**					
(क)	वर्तमान निवेश	15		257.57		251.87
(ख)	मालसूची	16		82.73		72.29
(ग)	व्यापार प्राप्य	17		2,497.10		1,863.77
(घ)	नकदी तथा बैंक शेष	18		5,422.11		5,303.83
(ङ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13		1,407.19		2,093.55
(च)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19		1,510.12		1,443.61
	कुल			**55,439.12**		**53,976.27**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	28				
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29				
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
((सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय						
i)	प्रचालन से राजस्व	**20**		6,802.25		5,537.04
ii)	अन्य आय	**21**		861.33		1,456.95
	कुल राजस्व			**7,663.58**		**6,993.99**
व्यय						
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**		1,660.60		1,615.91
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	**23**		1,149.23		1,058.67
iii)	वित्त लागत	**24**		1,179.77		1,022.40
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**25**		1,425.87		1,210.76
	कुल व्यय			**5,415.47**		**4,907.74**
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा दर विनियमित क्रियाकलाप और कर से पूर्व लाभ				2,248.11		2,086.25
	पूर्वावधि मदे (निवल)	**26**		(56.11)		503.19
विशिष्ट और असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप तथा कर पूर्व लाभ				2,304.22		1,583.06
	विशिष्ट मदें			-		-
असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ				2,304.22		1,583.06
	असाधारण मदें			-		-
दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ				2,304.22		1,583.06
	दर विनियमित आय/(व्यय)			521.95		-
कर पूर्व लाभ				2,826.17		1,583.06
	कर संबंधी व्यय	**27**				
i)	वर्तमान कर		583.42		251.62	
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		74.51		46.68	
iii)	विलंबित कर		43.77		305.97	
	कर संबंधी कुल व्यय			701.70		604.27
वर्ष के लिए लाभ				**2,124.47**		**978.79**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)					
	बुनियादी तथा तनूकृत			1.92		0.82
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**				
	वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	**28**				
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	**29**				
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

टिप्पणी सं. 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन वित्तीय विवरण की तिथि को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और सूचित अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की राशि को प्रभावित करने वाली सभी संगत सूचना को लेते हुए एक तर्कसंगत तथा विवेकसंगत आधार पर अनुमान तथा मान्यता लगाएं। वास्तविक परिणाम अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान में किसी संशोधन को मान्यता उक्त को निर्धारित की जाने वाली अवधि में दी जाती है।

2 अचल परिसंपत्तियां

2.1 मूर्त परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत, घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और क्षति हानियां, यदि कोई हो, के आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.1.2 ऐसी परिसंपत्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है भले ही भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित की गई हो, उन्हें अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।

2.1.3 कब्जे में होने वाली भूमि के प्रति मुआवजे, पुनर्वास और अन्य व्ययों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से विस्थापित किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि-इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 आंतरिक उपयोग हेतु लिए गए सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग न होने के चलते) को खरीद की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानियां, यदि कोई हो, पर बताया जाता है और इसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण पर आरोप्य प्रशासनिक तथा सामान्य ऊपरी तथा अन्य व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना के चालू होने पर व्यस्थित आधार पर प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है, सिवाय भूमि तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को व्यवस्थित ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक होता है, के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय ''निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)'' पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर किया गया व्यय ''लाभ एवं हानि विवरण'' को प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता

है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के पश्च लेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 वस्तुसूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है।

4. दर विनियमित क्रियाकलाप

जहां व्यय की किसी मद को आयोजना के निर्माण के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात उसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नही होती, परन्तु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), नियामक, द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में उसे लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, तो उक्त की वसूली के अधिकार को एक नियामक परिसंपत्ति के रूप मे मान्यता दी जाती है तथा तदनुरूपी नियामक आय की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्श नोट के अनुसार की जाती है, यदि यह उक्त परामर्शी नोट में निर्धारित ऐसी मान्यता हेतु शर्तों को पूरा करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में दिए अनुसार जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटर तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, और इसे जिस वर्ष में खरीद की गई हो से प्रारंभ किया जाता है।

5.6 भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुरूप किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2014 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, अधिनिर्णय/अदालती मामले के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश का मूल्य निर्धारण लागत से कम और पृथक निवेश आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और कलपुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचलनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अन्य सीमांत लाभ शामिल हैं।

9.2 पेंशन लाभों और भविष्य निधि योजना मुहैया करवाने के लिए वर्ष के दौरान कर्मचारी निश्चित अंशदान योजनाओं के प्रति कंपनी की देयता के भुगतान को लेखांकित किया जाता है और संबंधित निधियों को उनका भुगतान किया जाता है, जिनका प्रशासन पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.3 उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों हेतु देयता को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसका भुगतान उपदान न्यास को किया जाता है।

9.4 कर्मचारियों को अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित), सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और अधिवर्षिता पर स्मृति-चिन्ह हेतु देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण ''संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए अनुमानित लागत'' के प्रति ''सूचित तिथि तक वहन की गई लागत'' के अनुपात में किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्राद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उक्त के प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मान्यता प्रदान की जाती है

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार, परिसमाप्त क्षतियों/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज को मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई अनिश्चितता न होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 पारवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी परीक्षण प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु किया जाता है।

15. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि देयता के निपटान हेतु संसाधनों का बाह्य प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता हो। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को देयता के निपटान हेतु अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसमें वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती।

आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को संगत लेखांकन मानक में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2 : शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
		संख्या में	(करोड़ रुपए में)	संख्या में	(करोड़ रुपए में)
(क)	**प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)**	15000000000	15000.00	15000000000	15000.00
(ख)	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)**	11070668496	11,070.67	11070668496	11,070.67
(ग)	इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (करोड़ रुपए में)	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (करोड़ रुपए में)
	बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	11070668496	11070.67	12300742773	12300.74
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	1230074277	1,230.07
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	**11070668496**	**11,070.67**	**11070668496**	**11,070.67**

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

	कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
		संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
(ङ)	- भारत के राष्ट्रपति	**9516209722**	**85.96**	9516209722	85.96

(च) 31.03.2015 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,230.07		-	
	जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-		1,230.07	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		1,230.07		1,230.07
(ii)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		2,868.74		2,868.74
(iii)	**बांड शोधन आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	884.75		649.55	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	379.10		249.45	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	15.96		14.25	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		1,247.89		884.75
(iv)	**स्व बीमा निधि**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	787.83		738.82	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	55.77		51.74	
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	7.66		2.73	
		835.94		787.83	
	घटाएं : दावों के कारण समायोजन	-		8.82	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		835.94		779.01

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
(v)	**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17.92		23.50	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	-		2.30	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	4.59		7.88	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		13.33		17.92
(vi)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17.16		-	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	4.63		17.16	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		21.79		17.16
(vii)	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,752.17		4,120.06	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पुनः खरीद हेतु प्रयुक्त	7,500.00		-	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरण	-		1,137.82	
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरण	-		1,230.07	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		9,252.17		1,752.17
	अधिशेष **		1,745.79		7,447.16
	कुल		**17,215.72**		**14,996.98**
	** अधिशेष				
	लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		2,124.47		978.79
	दर विनियमित परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु ट्रांजिशन प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले समायोजन (आय कर हेतु प्रावधान का निवल)		876.10		-
	अग्रेणीत शेष		7,447.16		7,146.38
	जोड़े :				
	बांड मोचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		15.96		14.25
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलिखित राशि		4.59		7.88
	स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		5.65		3.97
	लाभांश पर कर -पश्चलिखित		10.05		5.11
	विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		**10,483.98**		**8,156.38**
	बांड मोचन आरक्षी को अंतरित		379.10		249.45
	स्व बीमा निधि को अंतरित		55.77		51.74
	सामान्य आरक्षित को अंतरित		7,500.00		-
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरित		-		2.30
	अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित		4.63		17.16
	लाभांश				
	- अंतरिम		221.43		-
	- प्रस्तावित		442.84		332.13
	लाभांश पर कर				
	- अंतरिम		44.27		-
	- प्रस्तावित		90.15		56.44
	अग्रेणीत शेष		**1,745.79**		**7,447.16**

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
(क) बॉण्ड्स						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	6,811.43	437.69	6,373.74	5,850.28	63.85	5,786.43
(ख) सावधि ऋण						
• बैंकों से						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	3,993.98	295.22	3,698.76	4,256.90	262.92	3,993.98
-अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	1,656.48	181.57	1,474.91	2,061.56	203.65	1,857.91
• अन्य पार्टियों से						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	4,593.75	703.93	3,889.82	5,297.68	703.93	4,593.75
-अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	2,780.70	46.90	2,733.80	2,400.07	51.62	2,348.45
कुल	**19,836.34**	**1,665.31**	**18,171.03**	**19,866.49**	**1,285.97**	**18,580.52**
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-		-	-		-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि (प्रतिभूति के ब्यौरों हेतु टिप्पणी सं. 14 देखे)	1,703.38	228.47	1,474.91	2,164.81	255.27	1,909.54
31.03.2015 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-	-	-	-	-
31.03.2015 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत		
i) **कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) **कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) **बॉण्ड - एस-2 सीरीज * 12** (8.54 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1200000/- रूपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (26.11.2018 से 26.11.2029 तक 55 करोड़ रूपये की 12 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	660.00	-
iv) **कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
v)	**कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vi)	**बॉण्ड - आर-3 सीरीज * 5** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00
vii)	**बॉण्ड - क्यू सीरीज * 6 और 13** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,266.00	1,266.00
viii)	**बॉण्ड - आर-2 सीरीज * 5** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2016 से 11.02.27 तक 31.84 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	382.08	382.08
ix)	**बॉण्ड - आर-1 सीरीज * 5** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.70 प्रतिशत प्रति वर्ष 13 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2015 से 11.02.26 तक 6.85 करोड़ रुपये के 11 वार्षिक विमोचन)	75.35	82.20
x)	**बॉण्ड - पी सीरीज * 5, 7 और 10** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये के 10 वार्षिक विमोचन)	2,000.00	2,000.00
xi)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xii)	**बॉण्ड -एस1 सीरीज * 12** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रूपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (26.11.2015 से 26.11.2024 तक 36.50 करोड़ रूपये की 10 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	365.00	-
xiii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
xiv)	**बॉण्ड - ओ सीरीज * 2** (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2018 तक 57 करोड़ रुपये के 3 वार्षिक विमोचन)	171.00	228.00
	कुल बॉण्ड (क)	**6811.43**	**5850.28**

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(ख)	**सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)**		
i)	**स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1** (31.03.2015 को 9.40 प्रतिशत की वर्तमान स्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 छमाही किस्तों में 09.01.2017 तक 3 वर्ष के रीसेट खंड के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	8.00	12.00
ii)	**केनरा बैंक *2** (31.03.2015 को 6.86 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)	40.00	60.00
iii)	**सिंडिकेट बैंक *2** (31.03.2015 को 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	36.60	54.90
iv)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2015 को 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	40.00	60.00
v)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2015 तक 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ 7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है)	60.00	70.00
vi)	**इंडियन बैंक *4 और 9** (29.09.2014 को चुकता किया गया)	-	75.00
vii)	**यूको बैंक *8** (31.03.2015 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 19 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)	791.67	875.00
viii)	**कारपोरेशन बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	489.58	500.00
ix)	**केनरा बैंक *11** (31.03.2015 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 46 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	195.84	200.00
x)	**इंडियन ओवरसीज बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	195.83	200.00
xi)	**पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	195.83	200.00
xii)	**सिंडिकेट बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	293.75	300.00
xiii)	**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	146.88	150.00

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
xiv)	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 3 और 6** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 27.06.16 से 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)	1,000.00	1,000.00
xv)	**स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद * 1 और 6** (31.03.2015 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 28.03.2016 से 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	500.00
	कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत)	**3,993.98**	**4,256.90**
(ग)	**सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा**		
i)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-I*14** (पूर्व में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) (31.03.2015 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 6.38 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	140.41	171.80
ii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*14** (पूर्व में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) (31.03.2015 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.94 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	544.38	657.55
iii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*14** (पूर्व में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) (31.03.2015 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 15.47 करोड़ रुपये प्रत्येक की 38 छमाही किस्तों में 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	587.70	693.86
iv)	**डश बैंक और अन्य *14** (0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन की अस्थिर ब्याज दर पर 48 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	383.99	538.35
	कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**1,656.48**	**2,061.56**
(घ)	**सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)**		
i)	**भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7** 31.03.2015 के अनुसार 50 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 1200 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	1,250.00	1,458.33
ii)	**भारतीय जीवन बीमा निगम *6 तथा 13** (31.03.2015 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत की फ्लोरा दर पर स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 18 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,422.00	1,580.00
iii)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8** (31.03.2015 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	487.50	562.50
iv)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8** (31.03.2015 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 14 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	65.10	83.70

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
v)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8**	45.50	52.50
	(31.03.2015 को 10.17 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)		
vi)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2 तथा 3**	910.63	1,056.33
	(31.03.2015 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 36.43 करोड़ रुपये प्रत्येक की 25 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)		
vii)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1**	175.52	216.82
	(31.03.2015 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 10.33 करोड़ रुपये प्रत्येक की 17 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)		
viii)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1**	237.50	287.50
	(31.03.2015 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 19 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)		
	कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**4,593.75**	**5,297.68**
(ङ)	**सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)**		
	विदेशी मुद्रा		
i)	**एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *14**	46.90	103.25
	(31.03.2015 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 23.45 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
	भारत सरकार से ऋण		
ii)	**निम्मो - बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	270.00	270.00
	(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 15 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii)	**चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	364.00	364.00
	(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 15.17 करोड़ रुपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iv)	**किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	2,099.80	1,662.82
	(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
	कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**2,780.70**	**2,400.07**
	कुल योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**19,836.34**	**19,866.49**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन की चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम- I।। जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन में निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
11. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित, कंपनी के सलाल पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित, सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित, कम्पनी के निम्मो-बाज़गो विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित, कम्पनी के उड़ी विद्युत स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
12. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बहियों तथा भण्डारों को छोड़कर) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
13. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (लेखा बहियों तथा भण्डारों को छोड़कर) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
14. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं

टिप्पणी सं. 5 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
स्थगित कर देयताएं					
i)	मूल्यह्रास	3359.26		3,256.62	
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां					
i)	संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	178.68		123.25	
ii)	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	139.71		128.56	
स्थगित कर देयता			3,040.87		3,004.81
घटाएं : टैरिफ अवधि 2009 तक के लिए वसूली योग्य		2,154.93		2238.14	
घटाएं : स्थगित कर देयताओं के प्रति स्थगित कर समायोजन		75.50	2,230.43	-	2,238.14
स्थगित कर देयता (निवल)			**810.44**		**766.67**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर का लेखांकन'' अनुपालन करते हुए 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 36.06 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 230.69 करोड़ रुपए) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल देयता	घटाएं:- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं:- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/प्रतिधारण निधि	196.17	92.96	103.21	398.24	141.00	257.24
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	1,209.71	50.17	1,159.54	1,259.88	50.17	1,209.71
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	74.42	-	74.42	138.86	-	138.86
कुल	**1,480.30**	**143.13**	**1,337.17**	**1,796.98**	**191.17**	**1,605.81**

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	785.45	71.44	856.89	708.27	44.60	752.87
	वर्ष के दौरान वर्धन	82.21	73.47	155.68	77.18	91.36	168.54
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	9.86	71.21	81.07	-	64.52	64.52
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	3.25	3.25	-	-	-
	अंतिम शेष	857.80	70.45	928.25	785.45	71.44	856.89
ख)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		30.01	30.01		27.11	27.11
	वर्ष के दौरान वर्धन		6.19	6.19		2.90	2.90
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		2.38	2.38		-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.04	0.04		-	-
	अंतिम शेष		33.78	33.78		30.01	30.01
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		33.78	33.78		30.01	30.01
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		-	-		-	-
ग)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		63.34	63.34		67.71	67.71
	वर्ष के दौरान वर्धन		96.52	96.52		61.76	61.76
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		48.18	48.18		60.81	60.81
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		12.92	12.92		5.32	5.32
	अंतिम शेष		98.76	98.76		63.34	63.34
घ)	**सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		40.14	40.14		8.88	8.88
	वर्ष के दौरान वर्धन		33.84	33.84		40.14	40.14
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		40.14	40.14		8.88	8.88
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		-	-
	अंतिम शेष		33.84	33.84		40.14	40.14
ङ)	**अन्य**						
	i) **कराधान हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1,605.64	1,605.64		1,860.71	1,860.71

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
वर्ष के दौरान वर्धन		890.27	890.27		316.39	316.39
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1,283.39	1,283.39		571.46	571.46
अंतिम शेष		1,212.52	1,212.52		1,605.64	1,605.64
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		332.12	332.12		738.04	738.04
वर्ष के दौरान वर्धन		442.84	442.84		332.12	332.12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		332.13	332.13		738.04	738.04
अंतिम शेष		442.83	442.83		332.12	332.12
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		56.44	56.44		125.43	125.43
वर्ष के दौरान वर्धन		90.15	90.15		56.44	56.44
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		46.39	46.39		120.32	120.32
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		10.05	10.05		5.11	5.11
अंतिम शेष		90.15	90.15		56.44	56.44
iv) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29.25	52.99	82.24	13.65	94.02	107.67
वर्ष के दौरान वर्धन	2.10	26.83	28.93	17.98	-	17.98
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.20	30.55	32.75	2.38	41.03	43.41
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.31	0.31	-	-	-
अंतिम शेष	29.15	48.96	78.11	29.25	52.99	82.24
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		49.81	49.81		91.20	91.20
वर्ष के दौरान वर्धन		143.02	143.02		1.13	1.13
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		37.20	37.20		42.52	42.52
वर्ष के दौरान प्रत्यवर्तित राशि		-	-		-	-
अंतिम शेष		155.63	155.63		49.81	49.81
vi) प्रावधान - अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		730.08	730.08		365.92	365.92
वर्ष के दौरान वर्धन		205.54	205.54		392.32	392.32
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		183.53	183.53		20.10	20.10
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		124.25	124.25		8.06	8.06
अंतिम शेष		627.84	627.84		730.08	730.08
कुल	**886.95**	**2,780.98**	**3,667.93**	**814.70**	**3,002.00**	**3,816.70**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/भाग-III के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालक स्तर से नीचे के वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 01.01.1997 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 01.01.2007 से निर्धारित किए जाएं और 01.01.1997 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नियत किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.5.2014 के पत्र संख्या पीडब्ल्यूए-504-भाग-IV/ 62 के माध्यम से सूचित करते हुए यह पुष्टि की है कि 01.02.2014 से वैयक्तिक समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। इसी बीच एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोके जाने की क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन समायोजन का भुगतान जारी है। इस प्रकार मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई 33.78 करोड़ रूपये (वर्तमान वर्ष हेतु 6.19 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित) की संचित राशि को तदनुरूपी राशि के साथ अदा किए गए अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
वस्तुओं और सेवाओं हेतु	153.01	200.71
	153.01	**200.71**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 29 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 9 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखे टिप्पणी सं. 4) *		1,665.31		1,285.97
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		308.39		242.62
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) (देखे टिप्पणी सं. 6)		50.17		50.17
आदा न किया गया लाभांश खाता		5.85		4.83
आदा न किया गया ब्याज खाता		0.03		-
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		334.26		480.80
जमा/प्रतिधारण निधि (देखे टिप्पणी सं. 6)		92.96		141.00
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		0.04		0.04
सांविधिक देयताएं		260.59		276.55
अन्य देयताएं		123.46		252.46
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	232.92		227.36	
घटाएं :जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	229.47	3.45	222.29	5.07
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4456.42		4417.35	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4290.06		4222.62	
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(2.28)	168.64	(3.97)	198.70
		3,013.15		**2,938.21**

* ऊपर दर्शाए गए मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि और प्रतिभूति के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी सं. 4 में प्रकट किए गए है।

टिप्पणी स. 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
भूमि-फ्रीहोल्ड	260.28	13.18	-	-	273.46	-	-	-	-	273.46	260.28
भूमि-लीजहोल्ड	366.11	5.45	-	0.23	371.79	31.88	11.83	0.10	43.81	327.98	334.23
सड़कें और पुल	310.47	3.36	0.05	(7.19)	306.59	87.44	10.87	(0.01)	98.30	208.29	223.03
भवन	2,714.58	58.34	2.05	(23.57)	2,747.30	669.71	89.37	0.14	759.22	1,988.08	2,044.87
रेलवे साइडिंग्स	38.96	-	-	-	38.96	18.84	2.67	-	21.51	17.45	20.12
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,512.56	48.81	15.49	(178.19)	18,367.69	5,053.12	851.79	(0.04)	5,904.87	12,462.82	13,459.44
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,294.34	195.06	77.44	(51.27)	9,360.69	2,616.74	439.57	(6.28)	3,050.03	6,310.66	6,677.60
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	94.16	1.45	0.06	(0.62)	94.93	49.20	3.42	(0.39)	52.23	42.70	44.96
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	68.60	3.46	0.75	(0.06)	71.25	24.02	3.88	(0.17)	27.73	43.52	44.58
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	36.98	5.27	0.05	5.56	47.76	14.53	2.70	(0.03)	17.20	30.56	22.45
निर्माण उपकरण	100.42	6.96	0.66	0.03	106.75	61.27	7.57	(0.53)	68.31	38.44	39.15
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	40.65	3.45	0.05	(0.05)	44.00	7.92	2.10	(0.01)	10.01	33.99	32.73
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.15	0.15	0.01	(0.22)	4.07	1.31	0.21	(0.13)	1.39	2.68	2.84
वाहन	27.08	2.84	0.96	(0.35)	28.61	15.84	1.40	(1.13)	16.11	12.50	11.24
विमान, नौकाएं	0.78	0.16	-	-	0.94	0.24	0.05	-	0.29	0.65	0.54
फर्नीचर और फिक्सचर	47.71	5.51	1.61	(0.22)	51.39	24.81	2.41	(0.74)	26.48	24.91	22.90
कम्प्यूटर	56.46	12.95	6.23	(0.65)	62.53	45.61	6.87	(4.59)	47.89	14.64	10.85
संचार उपकरण	14.36	1.85	0.18	(0.02)	16.01	6.69	0.84	(0.07)	7.46	8.55	7.67
कार्यालय उपकरण	43.97	3.70	1.25	(0.39)	46.03	20.10	2.72	(0.82)	22.00	24.03	23.87
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.55	0.09	-	0.64	0.71	0.80
अन्य परिसंपत्तियां	51.21	7.74	0.31	0.17	58.81	22.57	3.11	(0.13)	25.55	33.26	28.64
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	16.03	1.65	0.76	-	16.92	16.01	1.66	(0.76)	16.91	0.01	0.02
कुल	**32,101.21**	**381.34**	**107.91**	**(256.81)**	**32,117.83**	**8,788.40**	**1,445.13**	**(15.59)**	**10,217.94**	**21,899.89**	**23,312.81**
पिछले वर्ष	24,930.46	7,369.74	58.06	(140.93)	32,101.21	7,621.48	1,242.69	(75.77)	8,788.40	23,312.81	17,308.98

टिप्पणी सं. 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	789.44	35.83	-	(1.18)	824.09	25.59	5.06	(0.10)	30.55	793.54	763.85
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	37.97	2.46	0.25	0.04	40.22	37.49	1.22	(0.22)	38.49	1.73	0.48
कुल	**827.41**	**38.29**	**0.25**	**(1.14)**	**864.31**	**63.08**	**6.28**	**(0.32)**	**69.04**	**795.27**	**764.33**
पिछले वर्ष	786.82	43.11	0.06	(2.46)	827.41	58.60	4.98	(0.50)	63.08	764.33	728.22

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) 1.19 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.91 करोड़ रुपए) मूल्य की 103.04 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 90.72 हैक्टेयर) और 296.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 295.86 करोड़ रुपये) मूल्य की 851.78 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 883.23 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल नहीं है।

3) फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही आठ हैक्टेयर भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एचडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

4) गोचर परिसंपत्तियों में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6240.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6267.10 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।

6) सेवा- II, चूटक, चमेरा- III, तीस्ता लो डैम- III, निम्मो बाजगो, उड़ी और पार्बती-III पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

7) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2015 के अनुसार (करोड़ रुपये में)	31.03.2014 के अनुसार (करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	(1.57)	-
भवन	(16.21)	-
जल वैज्ञानिक कार्य	(154.90)	-
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(42.88)	-
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.25)	-
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	(0.05)	-
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	(0.03)	-
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.05)	-
कुल	**(215.94)**	**-**

टिप्पणी सं. 11 : चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2014	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2015
सड़कें और पुल	53.42	36.98	(0.15)	3.36	86.89
भवन	936.33	153.65	(5.20)	54.01	1,030.77
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,457.46	492.33	3.86	38.38	5,915.27
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,800.03	279.96	(0.10)	153.98	2,925.91
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.64	7.50	(0.09)	0.96	14.09
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	1.60	1.73	-	2.96	0.37
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.49	1.42	0.43	1.86	0.48
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.24	2.54	0.09	3.19	0.68
संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य परिसंपत्तियां	12.43	41.83	(0.02)	49.73	4.51
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	238.08	25.20	(0.63)	-	262.65
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	0.64	3.70	-	-	4.34
निर्माण के दौरान खर्च *	5,143.31	712.75	(8.16)	6.23	5,841.67
घटाएं : प्रावधानों के लिए	169.64	51.15	(11.24)	-	209.55
उप जोड़ (क)	**14,483.03**	**1,708.44**	**1.27**	**314.66**	**15,878.08**

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें

	01.04.2014		समायोजन		31.03.2015
निर्माण भंडार	175.62	-	2.49	-	178.11
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.52	-	(0.05)	-	1.47
उप जोड़ (ख)	**174.10**	**-**	**2.54**	**-**	**176.64**
कुल जोड़	**14,657.13**	**1,708.44**	**3.81**	**314.66**	**16,054.72**
पिछले वर्ष	19709.04	2705.39	(608.37)	7148.93	14657.13

व्याख्यात्मक टिप्पणी-

1) निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 330.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 472.52 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 941.18 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 798.99 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 897.66 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 755.47 करोड़ रूपये) के शेष में से 161.15 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 114.34 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 736.51 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 641.13 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3995.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3774.90 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य रुपये में	राशि (करोड़ रुपये में)
क. व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10.00	12.00
व्यापार अनुद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
(i) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1000	1002.42	10024200	1000	1002.42
- लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	87092309	10	87.09	87092309	10	87.09
- बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	999999	10	1.00	0.00	0.00	0.00
(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	100000000	10	100.00	1000,00,000	10	100
- नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	23900000	10	23.90	14875000	10	14.88
(ख) बांड्स में निवेश						
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त निम्नांकित राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड	-	-	-			259.29
उप जोड़ (क)			**1226.41**			**1475.68**
ख. गैर-व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
इंडियन ओवसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	10	0.36	360800	10	0.36
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश#						
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	57000	10000	52.94
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	10000	17.83	17940	10000	17.83
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	10000	31.28	34000	10000	31.28

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश *(जारी)*

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य रुपये में	राशि (करोड़ रुपये में)
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश#						
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	688	1000000	69.63	688	1000000	69.63
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	30	1000000	2.99	30	1000000	2.99
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2035	120	1000000	12.09	120	1000000	12.09
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2030	150	1000000	15.13	150	1000000	15.13
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40	1250000	5.04	40	1250000	5.04
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156	1250000	19.51	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364	1250000	45.52	364	1250000	45.52
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	51	1000000	5.16	51	1000000	5.16
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	467	1000000	45.97	467	1000000	45.97
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	477	1000000	47.37	477	1000000	47.37
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2020	600	1000000	59.93	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2021	230	1000000	23.05	230	1000000	23.05
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032	120	1000000	12.00	120	1000000	12.00
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बॉण्ड 27.03.2027	100000	1000	10.61	100000	1000	10.61
8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉण्ड	473	100000	47.28	473	100000	47.28
उप-जोड़ (ख)			**751.34**			**751.34**
कुल (क + ख)			**1977.75**			**2227.02**

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश (जारी)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य रुपये में	राशि (करोड़ रुपये में)
# स्व बीमा निधि से निर्दिष्ट निवेश						
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			763.34			763.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			876.61			815.75
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			1214.41			1463.68
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) पूंजी अग्रिम						
i) -प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	9.37		9.37	0.39		0.39
ii) -अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	469.75		469.75	460.27		460.27
-अन्य	138.93		138.93	139.20		139.20
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	10.26	-	10.26	10.71	-	10.71
iii) -अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.11		0.11	2.30		2.30
घटाएं :संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.11		0.11	2.30		2.30
ख) जमा राशियां						-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	49.02	85.66	134.68	85.34	50.86	136.20
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	-	36.88	36.88	-	-	-
घटाएं :संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
ग) अन्य ऋण और अग्रिम						
i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	150.68	22.60	173.28	130.08	21.11	151.19
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	9.05	32.02	41.07	21.94	35.55	57.49
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.02	0.02		0.02	0.02
ii) संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	0.03	0.03		0.30	0.30
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	54.16	4.11	58.27	-	10.09	10.09
-अन्य	-	14.57	14.57	-	18.90	18.90
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	45.85	45.85	-	45.97	45.97

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
iii) ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	12.68	25.36	38.04	38.04	25.36	63.40
iv) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
v) अन्य अग्रिम						
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.09	34.68	34.77	0.14	26.60	26.74
घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान *3	-	45.87	45.87	-	45.99	45.99
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षारत व्यय हेतु प्रावधान		0.20	0.20	-	-	-
vi) अग्रिम आय कर तथा स्रोत पर कटौती किया गया कर		1,225.24	1,225.24		1,904.78	1,904.78
	1,108.47	**1,407.19**	**2,515.66**	**1,089.69**	**2,093.55**	**3,183.24**

व्याख्यात्मक टिप्पणी	31 मार्च 2015 को (करोड़ रुपए में)	31 मार्च 2014 को (करोड़ रुपए में)
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	0.01	0.02

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) है।

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों हेतु प्रावधान 1*						
प्रारंभिक शेष	2.30	-	2.30	0.05	-	0.05
वर्ष के दौरान वर्धन	0.11	-	0.11	2.25	-	2.25
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.05	-	0.05	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.25	-	2.25	-	-	-
अंतिम शेष	0.11	-	0.11	2.30	-	2.30
संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 2*						
प्रारंभिक शेष	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-	-	-		-
अंतिम शेष	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 3*						
प्रारंभिक शेष	-	45.99	45.99	-	45.99	45.99
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.27	0.27	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.12	0.12	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.27	0.27	-	-	-
अंतिम शेष	-	45.87	45.87	-	45.99	45.99

टिप्पणी सं. 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज		
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	214.22	177.96
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	421.29	713.64
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय	160.30	4.77
	795.81	**896.37**

टिप्पणी सं. 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - विनियमित परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	वर्धन	समायोजन*	परिशोधन/ क्षति	31 मार्च, 2015 के अनुसार
	विनियमित परिसंपत्तियां					
i)	सुबानसीरी लोअर जल विद्युत परियोजना	-	521.95	1108.44	-	1630.39
	कुल	**-**	**521.95**	**1108.44**	**-**	**1630.39**
	गत वर्ष	-	-	-	-	-

* निर्माण क्रियाकलापों को बाधित करने की अवधि अर्थात 16.12.2011 से 31.3.2014 तक के दौरान किए गए व्यय के संबंध में दर-नियामक परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु परिवर्तनकाल प्रावधान के चलते अधिशेष की प्रारंभिक राशि को तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा।

टिप्पणी सं. : 15 चालू निवेश

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रुपए में)
व्यापार अनुद्धृत						
(क) **इक्विटी लिखत में निवेश**						
संयुक्त उद्यम कंपनियां (पूर्णतः प्रदत्त)						
- नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	2188325	10	2.19	2188325	10.00	2.19
(मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)			(1.06)			(1.06)
(ख) **बांड्स में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)**						
निम्नांकित राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	972	1000	0.10
बिहार	19070	1000	1.91	19070	1000	1.91
हरियाणा	565000	1000	56.50	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	17868	1000	1.79
जम्मू व कश्मीर	770696	1000	77.07	770696	1000	77.07
झारखंड	14310	1000	1.43	14310	1000	1.43
मेघालय	532	1000	0.05	532	1000	0.05
मिजोरम	3210	1000	0.32	3210	1000	0.32
नागालैंड	6920	1000	0.69	6920	1000	0.69
पंजाब	222810	1000	22.28	222810	1000	22.28
राजस्थान	56982	1000	5.70	0	0	0.00
सिक्किम	2336	1000	0.23	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	786890	1000	78.69
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	6722	1000	0.67
कुल			**257.57**			**251.87**

अनुद्धृत निवेश		(करोड़ रुपए में)
संचयी लागत	258.63	252.93
मूल्य में कमी हेतु समेकित प्रावधान	1.06	1.06
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार		

विवरणात्मक टिप्पणी :-

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) परिसमापन के अधीन है। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्य में कमी के प्रति 1.06 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.06 करोड़ रुपए) के अद्यतन प्रावधान को किया गया है।

टिप्पणी सं. 16 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार तथा कलपुर्जे	100.80		93.28	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.99	103.79	1.31	94.59
खुले औजार		1.97		2.09
रद्दी मालसूची		0.91		0.92
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.04		0.60
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		23.98		25.91
		82.73		**72.29**

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	25.91	25.20
वर्ष के दौरान वर्धन	0.39	3.12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.49	1.42
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.83	0.99
अंतिम शेष	**23.98**	**25.91**

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
-अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	758.61	515.17
-अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	34.77	34.77
अन्य व्यापार प्राप्य		
-अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,738.49	1,348.60
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.77	34.77
	2,497.10	**1,863.77**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	34.77	43.70
वर्ष के दौरान वर्धन	-	5.71
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	14.64
अंतिम शेष	**34.77**	**34.77**

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रु 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.01 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	0.15	0.19
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	14.86	15.93
	बैंकों में शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	-चालू खाते में		
	- स्व बीमा निधि	-	0.46
	- अन्य	74.65 *	199.37
	- जमा खातों में (तीन माह या उससे कम की परिपक्वता वाले जमा)	301.98	334.63
	अन्य बैंकों के साथ		
	चालू खाते में		
	- बैंक ऑफ भूटान	0.02	0.01
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि वाले जमा		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- स्व बीमा निधि	62.85	22.67
	- आईपीओ प्राप्तियां	-	509.09
	- अन्य	4,875.00	4,181.00
	जमा खाता - अदा न किया लाभांश/ब्याज	92.60	40.48
		5,422.11	**5,303.83**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

1) वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2015 तक 3986.99 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 268.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.63 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

* स्व बीमा निधि के कारण 3.80 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को
क)	निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-				
	उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97		32.97	
	जमा राशियां				
	-आईपीओ	-		8.16	
	-स्व-बीमा	18.10		16.83	
	-अन्य जमा राशियां	214.34		206.55	
	अन्य				
	- अच्छे माने गए	21.33		2.20	
	- संदिग्ध माने गए	63.59		67.94	
	- उप-जोड	350.33		334.65	
	घटाएं : सदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान *1	63.59	286.74	67.94	266.71
ख)	बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां		602.47		426.04
ग)	अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		282.02		282.59
घ)	लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज		4.37		108.04
ङ)	प्राप्य दावे	594.23		665.67	
	घटाएं : सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2	261.85	332.38	328.81	336.86
च)	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)		-		20.75
छ)	निपटान हेतु रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां		1.78		2.40
ज)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *3	37.06	-	37.06	-
झ)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां	34.40		11.17	
	घटाएं :लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान *4	34.40	-	11.17	-
ट)	अन्य		0.36		0.22
			1,510.12		**1,443.61**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य देयताओं के अंतर्गत टिप्पणी-9 में (अन्य चालू देयताओं) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।

2) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) जम्मू व कश्मीर जल उपकर रु 216.38 करोड़ (पिछले वर्ष रु 210.27 करोड) 2) कर समायोजन 63.04 करोड़ (पिछले वर्ष (-) रु 10.34 करोड) 3) एमईए बिक्री रु 4.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1.72 करोड़) 4) अन्य रु 318.34 करोड़ (पिछले वर्ष रु 224.39 करोड)।

3) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में पकल दुल, कीरू और कवार जल विद्युत परियोजना पर किए गए पूंजीगत व्यय के प्रति कंपनी का दावा शामिल है जिसे मैसर्स सीवीपीपीपीएल को अंतरित किया गया है (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी)।

4) निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्यों से कम पर तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियां *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान *1		
प्रारंभिक शेष	67.94	-
वर्ष के दौरान वर्धन	29.16	67.94
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	33.51	-
अंतिम शेष	**63.59**	**67.94**
संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *2		
प्रारंभिक शेष	328.81	258.84
वर्ष के दौरान वर्धन	35.75	75.75
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	28.03	0.01
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	74.68	5.77
अंतिम शेष	**261.85**	**328.81**
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान *3		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**
जांच लंबित होने/ बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत हेतु प्रावधान *4		
प्रारंभिक शेष	11.17	9.03
वर्ष के दौरान वर्धन	27.26	5.23
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	2.03	3.03
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.00	0.06
अंतिम शेष	**34.40**	**11.17**

टिप्पणी सं. 20 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**बिक्री**				
	ऊर्जा की बिक्री	6,981.36		5,405.60	
	घटाएं :				
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु	76.41		105.35	
	समायोजन	143.03		1.13	
	टैरिफ समायोजन	75.09		5.83	
	विनियमित बिक्री समायोजन				
	बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (ईडीसी नोट सं. 28 को अंतरितं)	0.36		8.35	
			6,686.47		5,284.94
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		50.17		50.17
ग	**अन्य प्रचालनशील आय**				
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)		18.08		115.54
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	8.88		41.32	
	परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	38.65	47.53	45.07	86.39
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**6,802.25**		**5,537.04**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2013/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। तथापि, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप विद्युत स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री को मान्यता देने के प्रयोजन हेतु इक्विटी पर प्रतिफल (टैरिफ का एक घटक) को वित्त वर्ष 2014-15 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया गया है।

2) बिक्री में वर्तमान वर्ष में टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने के कारण उत्पन्न पहले के वर्ष की बिक्री के चलते 18.76 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 60.50 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

3) बिक्री में सीईआरसी द्वारा अनुमेय के अनुसार चूटक और निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशनों के संबंध में "माने गए उत्पादन" के चलते 86.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 20.09 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

4) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 122.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11.01 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 67.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4.94 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए थे।

5) बिक्री में रु 658.21 करोड (पिछले वर्ष रु 502.80 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।

6) दिनांक 21.02.2004 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में रु 143.03 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1.13 करोड) का प्रावधान किया गया है।

7) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु 146.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु 114.05 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 : अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर-वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	-अनुषंगियों से लाभांश	59.14	375.91
	-लाभांश-अन्य	2.40	1.92
	-ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	38.02	59.34
	गैर-व्यापार		
	-लाभांश-अन्य	0.02	0.10
	-ब्याज-स्व बीमा निधि	65.06	60.66
ख)	**अन्य**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	4.85	7.01
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	36.27	33.27
	-जमा खाता-स्व बीमा निधि	3.62	3.97
	जमा खाता- स्व बीमा निधि से इतर	490.31	579.20
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	10.75	10.38
	- अन्य	74.31	75.42
	विलंब भुगतान अधिभार	7.84	121.57
	स्व उत्पादित वीईआर की बिक्री से आय	-	0.05
	व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि की वसूली	-	99.99
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.11	1.05
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	111.09	40.32
	अन्य	36.64	43.04
	विनिमय दर अंतर	25.03	32.54
	कुल	966.46	1,545.74
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	83.54	63.91
	घटाएं :ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	21.59	24.88
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**861.33**	**1,456.95**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं हैं

खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	2.52	-
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	1.83	0.99
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	14.64
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	74.68	5.77
लंबित जांच हानियों/पश्च लेखन की प्रतीक्षा कर रही हानियों के लिए प्रावधान	2.00	-
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	0.04	-
पीआरपी/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	12.92	5.31
प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	0.31	-
अन्य	16.79	13.61
कुल	**111.09**	**40.32**

2) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 107.02 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 58.72 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 72 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**उत्पादन व्यय**				
	जल उपयोग प्रभार		748.51		630.04
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**		30.40		26.90
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**		7.29		23.09
घ.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	-भवन	51.66		45.18	
	-मशीनरी	39.73		31.01	
	-अन्य	93.67	185.06	96.46	172.65
ड.	**प्रशासनिक व्यय**				
	किराया और हायर प्रभार	43.25		46.74	
	दरें और कर	2.41		4.23	
	बीमा	87.58		64.28	
	स्वः बीमा निधि का उपयोग	5.65		3.97	
	सुरक्षा व्यय	160.19		146.17	
	विद्युत प्रभार	72.97		106.48	
	यात्रा एवं वाहन	26.66		20.55	
	वाहनों पर खर्च	9.44		10.27	
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	14.67		13.18	
	विज्ञापन एवं प्रचार	11.10		9.22	
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.30		0.37	
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.34		5.43	
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.29		0.32	
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	10.60		9.01	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	5.25		48.04	
	कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	7.66		30.19	
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	1.54		0.74	
	स्व बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)	12.39		-	
	बट्टे खाते में डाली गयी परिसम्पत्तियां/दावें	0.82		0.16	
	पंचाट/अदालती मामलों/सांविधिक मांगों पर ब्याज	2.91		13.16	
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज	20.51		9.29	
	ग्राहकों को छूट	11.98		14.69	
	कारपोरेट सामाजिक दायित्व/ सामुदायिक विकास व्यय	52.24 *		31.88	
	स्व उत्पादित वीईआरएस पर व्यय	-		0.01	
	अन्य सामान्य खर्च	83.46		98.39	
	विनिमय दर अंतर	5.16		47.33	
	लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	2.23		2.29	
	निदेशक खर्च	0.23		0.24	
	विनियमित बिजली पर व्यय	7.59		0.89	
	घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	7.59	-	0.89	-
	उप जोड़		656.83		736.63

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
च	**प्रावधान**				
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-		5.72	
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.37		2.25	
	खराब तथा संदिग्ध दावे/ब्याज हेतु प्रावधान	66.18		139.61	
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.39		0.63	
	निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-		0.30	
	परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	51.15		55.91	
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान मुहैया करवाया गया	25.35		2.40	
	अन्य	-		0.01	
	उप जोड़		143.44		206.83
	जोड़ (क+च)		1,771.53		1,796.14
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि		110.82		180.15
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली		0.11		0.08
	लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल		**1,660.60**		**1,615.91**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 20.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 9.29 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
i)	सांविधिक लेखा-परीक्षक				
	लेखा-परीक्षक के रूप में				
	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.57		0.45	
	कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.17	0.74	0.14	0.59
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	0.01		0.01	
	अन्य मामले/ सेवाएं	0.66	0.67	0.80	0.81
	खर्चों की अदायगी		0.69		0.74
ii)	लागत लेखा परीक्षक				
	लेखा-परीक्षा शुल्क		0.11		0.14
	खर्चों की अदायगी		0.01		0.01
			2.22		2.29

4) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 68.69 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 220.70 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 62.71 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

* सीएसआर पर व्यय संबंधी आवश्यक प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी सं.29 के पैरा सं. 24 को देखे।

टिप्पणी सं. 23 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,162.75	1,124.70
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	189.01	183.52
कर्मचारी कल्याण व्यय	131.21	124.67
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	0.11
कुल	1,482.97	1,433.00
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	332.94	373.66
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.80	0.67
लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	**1,149.23**	**1,058.67**

स्पष्टीकरण टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 39.68 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 38.37 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेत
2)	उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :		
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	73.59	74.19
	ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	105.09	95.22
		178.68	169.41

3) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 129.72 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 107.17 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 111.66 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 24 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**निम्नलिखित पर ब्याज -**				
	भारत सरकार ऋण	19.90		14.22	
	बॉण्ड	550.72		473.97	
	विदेशी मुद्रा ऋण	33.84		45.17	
	सावधि ऋण	875.66		923.45	
	अन्य ब्याज प्रभार	-		7.40	
	उप जोड		**1,480.12**		**1,464.21**
ख.	**अन्य ऋण लागत**				
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.35		2.84	
	प्रतिबद्धता शुल्क	0.14		0.07	
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	25.98		28.84	
	अन्य वित्त प्रभार	4.26		4.52	
	उप जोड		**30.73**		**36.27**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**				
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	-		29.66	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-		29.66	
	उप जोड		-		-
	कुल (क से ग)		**1,510.85**		**1,500.48**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत		331.08		478.08
	लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल		**1,179.77**		**1,022.40**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 460.97 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 483.73 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 406.83 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 25 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		1,451.42	1,247.67
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन		(4.03)	(12.27)
	कुल	1,447.39	1,235.40
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि		21.52	24.64
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**1,425.87**	**1,210.76**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 9.00 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8.08 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 8.42 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 26 : पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय					
देनदारों से ब्याज/अधिभार			-		(12.79)
अन्य			71.17		4.52
	उप जोड़ (क)		71.17		(8.27)
व्यय					
वेतन तथा मजदूरी			14.72		0.23
मरम्मत तथा अनुरक्षण			(0.29)		0.92
वित्त लागत			-		(0.22)
मूल्यह्रास तथा परिशोधन			0.51		1.92
अन्य			0.41		496.45
	उप जोड़ (ख)		15.35		499.30
कुल पूर्वावधि व्यय (ग) = (ख)-(क)			(55.82)		507.57
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय					
पूर्वावधि व्यय		0.30		3.79	
घटाएं - पूर्वावधि आय		0.01		(0.59)	
	उप जोड़ (घ)		0.29		4.38
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल (ग-घ)			**(56.11)**		**503.19**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

1 आय शीर्ष के अंतर्गत अन्यों में 70.84 करोड़ रूपये की राशि शामिल है जो धौलीगंगा विद्युत स्टेशन के संबंध में वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए प्रावधान की वापिसी के चलते है।

2. लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 4.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 506.73 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 4.32 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 27 : कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		583.42		251.62
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		74.51		46.68
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	36.06		230.69	
घटाएं : 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य	(83.21)		(75.28)	
घटाएं : स्थगित कर देयताओं के प्रति स्थगित कर समायोजन	75.50	43.77	-	305.97
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल		**701.70**		**604.27**

टिप्पणी सं. : 27 कर व्यय (जारी)

विवरणात्मक टिप्पणी :-

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु सीईआरसी विनियम संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल के योग के माध्यम से लाभग्राहियों से कर की वसूली का प्रावधान करते हैं अर्थात उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर उत्पादक आय पर वर्ष हेतु प्रावधान की गई 75.50 करोड़ रूपये की राशि की विलंबित कर देयता को तदनुसार विलबित कर समायोजन के प्रति विलंबित कर देयता के रूप में समायोजित किया गया है क्योंकि यह भविष्य की अवधि में प्रभावी कर दर में समायोजित हो जाएगी और उक्त को विलंबित कर देयता से कटौती के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता हैं

(करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	124.38		153.93	
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	20.42		24.77	
	स्टाफ कल्याण व्यय	10.19		10.64	
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-		0.11	
	उप जोड़		154.99		189.45
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	भवन	3.13		3.91	
	मशीनरी	0.06		0.33	
	अन्य	3.10		5.21	
	उप जोड़		6.29		9.45
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	किराया	8.58		12.45	
	दरें और कर	0.09		10.35	
	बीमा	0.13		1.16	
	सुरक्षा व्यय	15.52		19.13	
	विद्युत प्रभार	4.71		5.36	
	यात्रा एवं वाहन	2.67		2.57	
	वाहनों पर व्यय	1.28		1.54	
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.48		2.69	
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.24		0.57	
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.51		0.74	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	1.75		1.33	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	4.59		13.60	
	कंपनी द्वारा नियंत्रित न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	5.76		26.85	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		0.01	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		0.02	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)	3.51		15.46	
	अन्य सामान्य व्यय	6.90		7.96	
	उप जोड़		58.72		121.79
घ	**वित्त लागत**				
	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	बॉण्ड	100.32		90.22	
	सावधि ऋण	230.11		382.30	
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.18		3.32	
	अन्य वित्त प्रभार	0.46		2.21	
	उप जोड़		331.07		478.05

(करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ङ प्रावधान		30.67		27.06	
	उप जोड़		30.67		27.06
च मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		17.30		20.72	
	उप जोड़		17.30		20.72
छ पूर्वावधि मदें					
पूर्वावधि व्यय		0.31		3.69	
घटाएं - पूर्व अवधि आय		0.01		(0.59)	
	उप जोड़		0.30		4.28
ज निगम मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय					
अन्य आय		(2.68)		(2.68)	
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		15.13		21.85	
कर्मचारी लाभ व्यय		177.95		184.21	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4.22		3.92	
वित्त लागत		0.01		0.03	
प्रावधान		0.01		-	
पूर्वावधि मदें (निवल)		(0.01)		0.10	
	उप जोड़		194.63		207.43
झ घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां					
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व		0.36		8.35	
ख) अन्य					
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		40.55		38.09	
विविध प्राप्तियां		2.13		7.70	
विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)		2.88		12.86	
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान		35.13		2.23	
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार		0.17	-	0.35	-
	उप जोड़		81.22		69.58
कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+ छ+ज+झ)			**712.75**		**988.65**

टिप्पणी सं. : 29 - अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नही किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल 9014.70 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8752.57 करोड़ रूपये) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नही हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति 1,491.31 करोड रूपये (पिछले वर्ष 761.66 करोड़ रूपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आंकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर 429.61 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 154.56 करोड़ रूपये) के प्रावधान को मान्यता दी है और 8207.65 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8598.01 करोड़ रूपये) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।.

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु 47.53 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 40.28 करोड़ रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 35.16 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 28.63 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 12.37 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 11.65 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि 307.96 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 337.51 करोड़ रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 25.40 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 7.78 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात 282.26 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 329.73 करोड़ रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।.

(iv) अन्य

अन्य मामलों के संबंध में दावे 655.15 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 417.47 करोड़ रूपये) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 28.94 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 624.43 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 417.47 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है : (करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2015 को आकस्मिक देयता	31.03.2014 को आकस्मिक देयता	वर्ष हेतु आकस्मिक देयता का वर्धन
1.	पूंजीगत कार्य	9014.70	429.61	8207.65	8598.01	(390.36)
2.	भूमि मुआवजा	47.53	35.16	12.37	11.65	0.72
3.	विवादित कर मामले	307.95	25.40	282.26	329.73	(47.47)
4.	अन्य	655.15	28.94	624.43	417.47	206.96
	कुल	**10025.33**	**519.11**	**9126.71**	**9356.86**	**(230.15)**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को240.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 52.24 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 53.19 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.86 करोड़ रुपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 3560.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 3473.95 करोड़ रुपये) है।

3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 42.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.61 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

4. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं। 31.03.2015 को 2497.10 करोड़ रुपए के व्यापार प्राप्य बकाया है। प्रबंधन में मतानुसार, वर्ष के दौरान 1714.86 करोड़ रुपए की राशि का आवधिक रूप से मिलान किया गया था और पुष्टि न किए गए शेष का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को संशोधित/समाप्त किया गया-

(करोड़ रुपए में)

नीति संख्या	विवरण	वर्ष हेतु लाभ पर प्रभाव
2.5	अधिशेष घोषित/निपटान कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही अचल परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बजाए ''अन्य चालू परिसंपत्तियों" में दर्शाए जाने के कारण नीति समाप्त की गई।	कोई प्रभाव नहीं
5.2.3	ऐसी मदों के संबंध में मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति जिनके लिए कम्पनी द्वारा आंकलित दरों का उपयोग किया जाता है। नीति में परिवर्तन करके 1.4.2014 से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के अनुसार उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य को अपनाने को लागू किया गया।	(0.69)
5.3	5000/- रूपये अथवा कम के लिखित निम्न मूल्य वाली मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यह्रास को वर्ष के प्रारंभ में प्रभारित करने की नीति के बजाए अब उनका वर्ष के दौरान 1/- रूपये के डब्ल्यूडीवी के साथ पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।	0.58
7.3	5000/- रूपये अथवा अधिक मूल्य के उपयोग में होने वाले खुले औजारों के पश्च लेखन संबंधी नीति को समाप्त कर दिया गया है।	(0.10)
9.3	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि के भुगतान तथा नोटिस वेतन पर व्यय संबंधी नीति को समाप्त कर दिया गया है।	कोई प्रवाह नहीं क्योंकि नीति दोहराव वाली थी।

उक्त के अतिरिक्त, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु कुछ अन्य लेखांकन नीतियों के नामों को परिवर्तित किया गया है/उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है, जिसका लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 (वित्त वर्ष 2013-14 की 4.4), जिसे वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रारम्भ किया गया था, उसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) को उसके मत हेतु उसकी विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) को संदर्भित किया गया है। मत प्राप्त होने के लम्बित रहने तक समान लेखाकन उपचार को जारी रखा गया है और उक्त नीति के अनुसार 31.3.2015 तक निर्माण के दौरान 173.61 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 167.85 करोड़ रूपये) को पूंजीकृत/ प्रभारित किया गया है।

7. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.4.2015 के पत्र सं.फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (3000 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए सिद्धांत अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना को वन स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त् के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई 169.47 करोड़ रूपये की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है।

8. कोटली भेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश से कवर होती है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अगले आदेशों तक इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न करने और अलकनंदा तथा भगीरथी नदी बेसिन की जैव-विविधता पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में निर्णय लंबित होने तक अद्यतन तिथि तक किए गए 125.53 करोड़ रूपये की राशि के व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, इस परियोजना पर किए गए बाद के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

9. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को आयोजित अपनी बैठक में यह चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय समर्थन पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय के लिए वित्त-पोषण मुहैया करवाने का अनुरोध किया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय से निधियां उपलब्ध करवाने के लिए संपर्क किया गया था। 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय में आयोजित बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। तदनुसार, परियोजना का प्रारंभिक अन्वेषण जारी है और उस पर किए गए 177.07 करोड़ रूपये के व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है।

10. सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारंभ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरूप 406.83 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष की 766.90 करोड़ रूपये की राशि तक) की ऋण लागत और 115.12 करोड़ रूपये (341.54 करोड़ रूपये की पिछले वर्ष की राशि तक) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

    तथापि, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया है जो ''नियामक परिसंपत्ति'' और तदनुरूपी ''नियामक आय'' की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है (उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुसार विस्तृत प्रकटीकरण इस नोट के नीचे पैरा 23 में दिया गया है)।

11. तीस्ता लो डैम-IV परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य जो 20.3.2013 से एक संविदाकार द्वारा कार्य रोके जाने के कारण बाधित हुआ था, उसे 1.11.2014 को पुनः प्रारम्भ कर लिया गया है। तदनुसार, 1.4.2014 से 31.10.2014 तक की अवधि हेतु 43.72 करोड़ रूपये की राशि की ऋण लागत और प्रशासनिक तथा अन्य लागत (पिछले वर्ष 156.79 करोड़ रूपये) को लाभ एव हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

12. कंपनी ने मेगा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अद्यतन तिथि को धौलीगंगा पावर स्टेशन, जहां जून, 2013 के दौरान आई अचानक बाढ़ के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया था, के संबंध में परिसंपत्तियों की हानि तथा व्यापार बाधा हानि के प्रति क्रमशः 191.58 करोड़ रूपये और 291.56 करोड़ रूपये की राशि का बीमा दावा दायर किया है। अद्यतन तिथि तक परिसंपत्तियों की हानि के प्रति 70.10 करोड़ रूपये और व्यापार बाधा हानि के प्रति 99.99 करोड़ रूपये का अंतरिम भुगतान प्राप्त किया गया है। आधिक्य खंड से परे की हानि,यदि कोई हो, को कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा और इसका निर्धारण अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात होगा और तत्संबधी प्रभाव को तदनुसार लेखांकित किया जाएगा।

13. 20 नवम्बर, 2014 को उड़ी-II पावर स्टेशन (240 मेगावाट) के ट्रांसफार्मर केवर्न में अचानक आग लग गई जिससे विद्युत गृह क्षेत्र में इलेक्ट्रो तथा मैकेनिकल उपकरणों और सिविल ढांचों को भारी क्षति पहुंची और जो उत्पादन के रूकने में परिणत हुआ है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और व्यापार बाधा हानि मेगा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर है। तथापि, आधिक्य खंड तक की हानियां और साथ ही साथ बीमा पॉलिसी के प्रावधानों से परे होने वाली 28.26 करोड़ रूपये की राशि को अनुमानित आधार पर लेखांकित किया गया है। इसके आगे की हानियां, यदि कोई हों, को कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा और इसका निर्धारण अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात होगा और तत्संबधी प्रभाव को तदनुसार लेखांकित किया जाएगा। पावर स्टेशन द्वारा उत्पादन को बहाल करने के लिए पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है।

14. निर्माण संविदाओं के संबंध में लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	409.32	415.65
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	411.55	422.01
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	8.82
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	शून्य	6.30

15. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है : (करोड़ रुपए में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(20.50)	0.60
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में) *	-	29.65
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	0.63	14.19
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	1.28	(0.02)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	215.94	-

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नही हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से प्राप्य) को अंतरित किया जाता है।

16. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धरित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

घ. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ङ. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धरित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

ज. अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त योजनाएं क, ख, ग और घ वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2015 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :-

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट दर	8.00%	8.50%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.00%	6.50%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00%	8.00%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	अनिधिक	
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	622.65 (604.44)	401.35 (361.00)	447.51 (383.82)
ब्याज लागत	52.93 (48.35)	34.11 (28.88)	38.04 (30.71)
वर्तमान सेवा लागत	25.29 (25.31)	18.29 (18.09)	10.10 (9.50)
अदा किया गया लाभ	(73.44) (50.37)	(75.13) (57.19)	(8.58) (7.00)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.73) (5.08)	26.15 (50.57)	28.65 (30.48)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	615.70 (622.65)	404.77 (401.35)	515.72 (447.51)

तालिका-3 योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (वित्त-पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	636.58 (618.41)
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	50.93 (49.47)
अंशदान	- (-)
निधि से निकासी	(50.04) (38.00)
योजनागत परिसंपत्तियों से बीमांकिक लाभ/(हानि)	6.80 (6.70)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	644.27 (636.58)

तालिका-4 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर वित्त-पोषित	
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	615.70 (622.65)	404.77 (401.35)	515.71 (447.51)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	644.27 (636.58)	- (-)	- (-)
निधिक स्थिति	28.57 (13.92)	(404.77) (401.35)	(515.71) (447.51)
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/ परिसंपत्ति (-)	(-)28.57 (-)13.92	404.77 (401.35)	515.71 (447.51)

तालिका-5 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	25.29 (25.31)	18.29 (18.09)	10.10 (9.50)
ब्याज लागत	52.93 (48.35)	34.11 (28.88)	38.04 (30.71)
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(50.93) (49.47)	- (-)	- (-)
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(18.53) (11.78)	26.15 (50.57)	28.65 (30.48)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	8.76 (12.41)	78.55 (97.54)	76.79 (70.69)

नोट : ( ) पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।
सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2015 को क्रमशः 4.95 करोड़ रुपये और 2.75 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 5.04 करोड़ रुपये और 2.96 करोड़ रुपये) है।

17. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड हैं।

18. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

क) संबंधित पाटी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी परिसमापन के अधीन है)।

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री आर.एस.टी. शाई	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी लिमिटेड के रूप अपने कार्यभार के अतिरिक्त 08.06.2014 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।
श्री जी.साइ प्रसाद	पूर्व संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। 24.07.2012 से 07.06.2014 तक कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण किया। 08.06.2014 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक) (15.09.2014 से 26.05.2015 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किया)।
श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त), 26.05.2015 से।
श्री विजय गुप्ता	कंपनी सचिव
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 15.09.2014 तक।
श्री जे.के. शर्मा	निदेशक (परियोजना), 11.03.2015 तक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त) को वर्तमान वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 2.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.08 करोड़ रुपये) है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

19. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2124.47	978.79
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1107,06,68,496	1198,05,86,454
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	1.92	0.82
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

20. (क) संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2015	31.03.2014
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	21.63%	20%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड *	16.67%	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड	49.98%	49.98%

* कंपनी परिसमापन के अधीन है।

(ख) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कपंनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

		31.03.2015	31.03.2014*
क.	परिसंपत्तियां	303.21	278.53
ख.	देयताएं	179.91	155.71
ग.	आकस्मिक देयताएं	0.67	1.62
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	28.53	43.18
ङ.	विदेशी मुद्रा में व्यय	0.45	-

(करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2014-15 हेतु	वर्ष 2013-14 हेतु*
क.	आय	0.09	5.74
ख.	व्यय	1.32	0.12

* मैसर्स नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के संबंध में पिछले वर्ष के आंकड़े गैर-लेखापरीक्षित है।

21. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2015 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	8.78	5.73
	ii) कलपुर्जे	-	3.59
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	-	-
	ii) ब्याज	33.84	45.17
	iii) अन्य विविध मामले	154.37	216.18
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	30.40(100%)	26.90(100%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	0.05

* प्रोद्भवन आधार।

23. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट" के अनुसार दर विनियमित परिसंपत्तियों के सृजन तथा दर विनियमित आय की मान्यता से संबंधित प्रकटीकरण :

कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, कंपनी के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अत: कंपनी पर लागू है। यद्यपि, परामर्शी नोट 1.4.2015 से प्रभावी है, कपंनी ने इसे वित्त वर्ष 2014-15 से अपनाने का विकल्प चुना है क्योकि पहले अपनाए जाने की अनुमति है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता। निर्माण पूरा होने के पश्चात परिणामी लागत मूल्यह्रास या परिशोधन तथा दर निर्धारण हेतु वसूल न किए गए निवेश का आधार होती। निकाय द्वारा ऐसी लागतों के मामले में किसी नियामक परिसंपत्ति को मान्यता देनी चाहिए क्योंकि वह भविष्य के टैरिफों के माध्यम से ग्राहकों (लाभग्राहियों) से वसूली योग्य है।

उक्त, पैरा 10 में बताए गए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना जहां सक्रिय निर्माण 16.12.2011 से बाधित है, पर व्यय की गई 406.83 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष तकि 766.90 करोड़ रूपये) की ऋण लागत और 115.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक 341.54 करोड़ रूपये) की प्रशासन और अन्य लागत, को लेखांकन मानक 10, स्थिर परिसंपत्ति हेतु लेखाकन और लेखांकन मानक 16, ऋणलागत को कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा अधिसूचित किए अनुसार प्रावधान के अनुपालन हेतु लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। तथापि, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अंतर्गत ऐसे व्यय को भविष्य के टैरिफ के माध्यम से वसूल किए जाने की अनुमति है ।

उक्त के अनुपालन में कम्पनी ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और वित्त वर्ष 2014-15 हेतु तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता दी है/16.12.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि से संबंधित राशि के प्रति अधिशेष के प्रारंभिक शेष के क्रेडिट को उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुसार परिवर्तनशील प्रावधान का उपयोग करते हुए निम्नानुसार मान्यता दी है :

(करोड़ रुपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित नियामक परिसंपत्ति	16.12.2011 से 31.03.2014 तक की अवधि हेतु	वित्त वर्ष 2014-15 हेतु	कुल
ऋण लागत	766.90	406.83	1173.73
प्रशासनिक और अन्य लागते	341.54	115.12	456.66
कुल	**1108.44***	**521.95****	**1630.39**

* अधिशेष के प्रारंभिक शेष को 876.10 करोड़ रूपये के तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा (1108.44 करोड़ रूपये घटा 232.34 करोड़ रूपये हेतु आयकर के लिए प्रावधान) (देखें - टिप्पणी संख्या-3- आरक्षित और अधिशेष)।

** "नियामक आय" के माध्यम से वर्तमान वर्ष के लाभ को तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा।

24. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (देखें टिप्पणी संख्या 22)

1) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों में शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष	राशि
1	सामुदायिक विकास	0.07
2	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	2.78
3	शिक्षा और कौशल विकास	11.20
4	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.61
5	पर्यावरण	3.54
6	कला और संस्कृति	0.36
7	खेलकूद	0.49
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.02
9	प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान	0.23
10	ग्रामीण विकास	9.71
11	क्षमता निर्माण	0.15
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	23.08
	कुल राशि	**52.24**

2) अन्य प्रकटीकरण :-

(क) निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु 65.57 करोड़ रूपये के कुल बजट को आवंटित किया है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुरूप पिछले 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत पर आधारित 47.65 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2013-14 तक व्यय न की गई राशि में से 17.92 करोड़ रूपये शामिल हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नकदी में किए गए और अभी नकदी में अदा किए जाने वाले ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूंजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

		नकद में (क)	नकदी में अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	35.54	9.32	44.86
(ii)	उक्त (1) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	6.96	0.42	7.38
	कुल	**42.50**	**9.74**	**52.24**

(ग) ऊपर बताए गए अनुसार 52.24 करोड़ रूपये के कुल व्यय में से 9.74 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबधित लेखे के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।

25. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	2600
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में)	शून्य
4.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	शून्य (पिछले वर्ष हेतु 0.05 करोड़ रुपए के लिए 16000 वीईआर)

26. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	0.21
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	0.20*
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

* लेखा बहियों में ब्याज लेखांकित नहीं किया गया है।

27. प्रारम्भिक शेष/पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता कंपनी सचिव	**जयंत कुमार** निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235	**आर.एस.टी. शाई** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी (सनदी लेखाकार) एफआर न. 000685एन	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी** (सनदी लेखाकार) एफआर न. 000050एन	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस** (सनदी लेखाकार) एफआर न. 001728एन	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा) भागीदार सदस्यता सं.-500417	**(सीए सुरेश सेठ)** भागीदार सदस्यता सं.-010577	**(सीए आर के गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं.-085074	**(सीए बरून कुमार घोष)** भागीदार सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

(करोड़ रुपए में)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ		**2,826.17**		**1,583.06**
घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)		521.95		-
		2,304.22		1,583.06
जोड़ें -				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि और ईआरवी प्रभाव सहित)	1,429.77		1,225.25	
वित्त लागत (ईडीसी का निवल)	1,179.76		1,022.40	
प्रावधान (निवल हानि)	112.78		179.77	
टैरिफ समायोजन (हानि)	105.82		1.13	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/ पश्चलेखित दावे	2.36		0.90	
विनिमय दर अंतर	(20.50)		105.27	
		2809.99		2534.72
		5,114.21		4,117.78
घटाएं -				
पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.17		50.17	
प्रावधान (निवल लाभ)	75.96		38.09	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	1.11		1.06	
लाभांश आय	61.56		377.92	
ब्याज आय	661.05		766.28	
		849.85		1233.52
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		4,264.36		2,884.26
कार्यशील पूंजी में कमी(वृद्धि)				
माल सूची	(8.51)		(15.92)	
व्यापार प्राप्य	(633.33)		194.21	
अन्य परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	622.76		680.40	
अन्य देयताएं और प्रावधान	(586.08)		412.78	
		(605.16)		1271.47
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		3,659.20		4,155.73
घटाएं - कर		603.84		509.70
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**3,055.36**		**3,646.03**
ख निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण के दौरान व्यय सहित)		(1632.33)		(1796.47)
दर विनियमित परिसंपत्तियों का सृजन		(123.30)		-
निवेश/बॉण्ड से प्राप्ति		243.56		172.47
ब्याज आय		661.05		766.28
प्राप्त लाभांश		61.56		377.92
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(789.46)**		**(479.80)**

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	-	(2367.89)
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(772.03)	(858.37)
	ऋणों से वित्त-पोषण		
	ऋण	1,461.98	2,528.01
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(1276.19)	(1318.46)
	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1561.38)	(1461.70)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(2147.62)	(3478.41)
घ)	**नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	118.28	(312.18)
	अवधि के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,303.83	5,616.01
	अवधि के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,422.11	5,303.83

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.18 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है :

नकदी तथा नकदी-तुल्य	479.97	586.24
अन्य बैंक शेष *	4,942.14	4,717.59
	5,422.11	5,303.83

* अन्य बैंक शेष में 268.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.63 करोड़ रुपये), जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं, 9.74 करोड़ रुपए की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय न की गई देयता, 92.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.48करोड़ रुपए) का अदा न किया गया लाभांश/ब्याज और 3.80 करोड़ रुपए की स्व बीमा निधि भी शामिल है, जो राशियां कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

2 निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) में अवधि के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 330.43 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 472.52 करोड़ रुपए) और वर्ष के दौरान सृजित दर विनियमित परिसंपत्तियों की ऋण लागत के प्रति 406.83 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

3 31.3.2015 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 280.64 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 717.62 करोड़ रुपए) है, जो अधीनस्थ ऋण है।

4 वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2015 तक 3986.99 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे, और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

जयंत कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 03010235

आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072इ
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

अनुबंध-X

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत् विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 29 मई 2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में ऐसा बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। इस पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यत: सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को दर्शाना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में आया है और मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है। **तुलन-पत्र** **स्थिर परिसंपत्तियां** **मूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 10.1) - 21899.89 करोड़ रुपए** **चालू पूंजीगत कार्य (टिप्पणी संया 11) - 16054.72 करोड़ रुपए** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति द्वारा जनवरी, 2011 में दिए गए मत के अनुसार कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय, ऐसे व्यय को किए जाने की लेखांकन अवधि में राजस्व में प्रभारित किया जाना चाहिए। कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए 173.61 करोड़ रूपये की एक व्यय को निर्माण के दौरान व्यय प्रभारित किया गया है और चालू पूंजीगत कार्य/पूंजीकृत को अंतरित किया गया है। कंपनी द्वारा अपने स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों के संबंध में अपनाया जाने वाला लेखांकन उपचार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मत के अनुरूप नहीं है और "व्ययों" को 164.99 करोड़ रूपये से कम बताए जाने और "मूर्त परिसंपत्तियों" (सकल ब्लाक) को 74.30 करोड़ रूपये से (31.3.2015 के अनुसार निवल ब्लाक - 65.68 करोड़ रूपये) और "चालू पूंजीगत कार्य" को 99.31 करोड़ रूपये से अधिक बताए जाने में परिणत हुआ है। परिणामस्वरूप वर्ष हेतु लाभ को 164.99 करोड़ रूपये अधिक भी बताया गया है। **भारत के नियंत्रक एवं** **महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ता./-** **(तनुजा एस.मित्तल)** **प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं** **पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3, नई दिल्ली** स्थान - नई दिल्ली दिनाक 29 जुलाई, 2015	टिप्पणी में संदर्भित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) का मत ऐसे व्यय को परिसंपत्ति की एक पृथक श्रेणी के रूप में करने के संबंध में था। कंपनी में अपने व्यापार की प्रकृति और लेखांकन मानक (एएस) - 10 "स्थिर परिसंपत्तियों हेतु लेखांकन" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2013-14 में समीक्षा की तथा नई लेखांकन नीति को प्रारंभ किया और ऐसा लेखांकन क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञो में से एक का स्वतंत्र मत प्राप्त करने के पश्चात किया था। मुद्दे को अतिरिक्त तथ्यों के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित लेखाकन व्यवहार पर इसके मत हेतु ईएसी को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी के अनुरोध पर ईएसी द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात स्वीकार किया गया है। यह भी बताया जाता है कि आईसीएआई एएस-10(संशाधित के एक प्रभावन मसौदे के साथ आया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" से संबंधित है तथा संशोधित लेखांकन नीति को अंतिम रूप देने और परिणामी लेखांकन व्यवहार हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतो भी मान्यता प्रदान करता है। इस संबध में कंपनी की लेखांकन नीति संबंध 2.3.4 का पाठ निम्नानुसार है - ऐसी सुविधाओं के सृजन हेतु किया गया पूंजीगत व्यय जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है परन्तु जिसका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांत रूप से आवश्यक है, उसे "निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी)" को प्रभारित किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर व्यय को "लाभ एवं हानि विवरण" पर प्रभारित किया जाता है। मत प्राप्त होने के लम्बित रहने तक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा उक्त नीति के अनुरूप लेखांकन उपचार को अपनाया गया है। **एनएचपीसी लिमिटेड के** **निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ता./-** **(जयंत कुमार)** **निदेशक (वित्त)** **डीआईएन 03010235**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 29 मई 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में ऐसा बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेब्रोरेटरी (पी) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है परन्तु उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु अनुबंध में सूचीबद्ध अनुषंगियों, संबद्ध कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इस पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को दर्शाना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में आया है और मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है। तुलन-पत्र स्थिर परिसंपत्तियां मूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 10.1) - 24429.19 करोड़ रूपये चालू पूंजीगत कार्य (टिप्पणी संया 11) - 16377.54 करोड़ रूपये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति द्वारा जनवरी, 2011 में दिए गए मत के अनुसार कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय, ऐसे व्यय को किए जाने की लेखांकन अवधि में राजस्व में प्रभारित किया जाना चाहिए। कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए 173.61 करोड़ रूपये की एक व्यय को निर्माण के दौरान व्यय प्रभारित किया गया है और चालू पूंजीगत कार्य/पूंजीकृत को अंतरित किया गया है। कंपनी द्वारा अपने स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों के संबंध में अपनाया जाने वाला लेखांकन उपचार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मत के अनुरूप नहीं है और "व्ययों" को 164.99 करोड़ रूपये से कम बताए जाने और "मूर्त परिसंपत्तियों" (सकल ब्लाक) को 74.30 करोड़ रूपये से (31.3.2015 के अनुसार निवल ब्लाक - 65.68 करोड़ रूपये) और "चालू पूंजीगत कार्य" को 99.31 करोड़ रूपये से अधिक बताए जाने में परिणत हुआ है। परिणामस्वरूप वर्ष हेतु लाभ को 164.99 करोड़ रूपये अधिक भी बताया गया है। **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से हस्ता./-** **(तनुजा एस.मित्तल) प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3, नई दिल्ली** स्थान - नई दिल्ली दिनाक 29 जुलाई, 2015 **एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगियों, संबद्ध कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की सूची जिनके के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है।** **क. भारत में अधिनिगमित अनुषंगियां** 1. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड 2. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड **ख. भारत में अधिनिगमित संयुक्त उद्यम** 1. नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड 2. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	टिप्पणी में संदर्भित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) का मत ऐसे व्यय को परिसंपत्ति की एक पृथक श्रेणी के रूप में करने के संबंध में था। कंपनी में अपने व्यापार की प्रकृति और लेखांकन मानक (एएस) - 10 "स्थिर परिसंपत्तियों हेतु लेखांकन" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2013-14 में समीक्षा की तथा नई लेखांकन नीति को प्रारंभ किया और ऐसा लेखांकन क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञो में से एक का स्वतंत्र मत प्राप्त करने के पश्चात किया था। मुद्दे को अतिरिक्त तथ्यों के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित लेखाकन व्यवहार पर इसके मत हेतु ईएसी को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी के अनुरोध पर ईएसी द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात स्वीकार किया गया है। यह भी बताया जाता है कि आईसीएआई एएस-10(संशाधित के एक प्रभावन मसौदे के साथ आया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" से संबंधित है तथा संशोधित लेखांकन नीति को अंतिम रूप देने और परिणामी लेखांकन व्यवहार हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतो भी मान्यता प्रदान करता है। इस संबध में कंपनी की लेखांकन नीति संबंध 2.3.4 का पाठ निम्नानुसार है - ऐसी सुविधाओं के सृजन हेतु किया गया पूंजीगत व्यय जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है परन्तु जिसका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांत रूप से आवश्यक है, उसे "निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी)" को प्रभारित किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर व्यय को "लाभ एवं हानि विवरण" पर प्रभारित किया जाता है। मत प्राप्त होने के लम्बित रहने तक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा उक्त नीति के अनुरूप लेखांकन उपचार को अपनाया गया है। **एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ता./-** **(जयंत कुमार) निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

अनुबंध - XI

सेवा में
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात ''धारक कंपनी'' कहा गया है) और इसकी अनुषंगियों (धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों को मिलाकर ''समूह'' कहा गया है), इसके एसोसिएटस तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा हमने विवरणात्मक सूचना (जिसे एतदपश्चात ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013(''अधिनियम'' की आवश्यकताओं के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक जिन्हें कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, शामिल है, के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। समूह में शामिल कंपनियों तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंधित निदेशक मंडल इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं - समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत और विवेकसम्मत होन वाले निर्णयों तथा अनुमानों को लेने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, सही तथा उपयुक्त आलोकन देने तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त होने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संगत हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त वर्णित किए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनों हेतु किया गया हो।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और ऐसे मामलों पर ध्यान दिया है जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित हो।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओ का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा का निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त है अथवा नहीं ।

लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में होने वाली सही लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह धारक कम्पनी में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों पर प्रभावोत्पादकता के लागू होने की विद्यमानता के प्रयोजन हेतु ऐसा नहीं करता। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए समुचित है।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से देते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के मामलों की समेकित स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उनके समेकित लाभ तथा उनके समेकित नकदी प्रवाहों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मामले की प्रमुखता

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 7 की व्याख्यात्मक टिप्पणी, जो बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) वसूली को रोकने के कार्यान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन का वर्णन करती है और 01.02.2014 से ऐसी वसूलियों को प्रभावी करने के सक्षम प्राधिकारी के निदेशों की पुष्टि के संबंध में भी है जो अभी विद्युत मंत्रालय के पास लम्बित है।

(ख) समेकित वित्तीय विवरण के पैरा 2 की टिप्पणी संख्या 11, जिसे टिप्पणी संख्या 29 पैरा 12 के साथ पढ़ा जाता है, जो सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। ऐसी परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु किए गए व्यय को अग्रेनीत किया जा रहा है क्योंकि ये परियोजनाएं अन्वेषण के अधीन है/इनके लिए विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति/वित्तीय सहायता लंबित है।

(ग) समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 4, जो कंपनी द्वारा/इसके विरूद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूद्ध निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नही करता है सिवाए उनके जिनका प्रावधान लेखा बहियों में पहले से हो।

घ) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 7(क) विभिन्न शेष के संबंध में है जो मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी अनुवर्ती समायोजनों के अधीन है।

ङ) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 का पैरा 11 कोटलीभेल-1ए परियोजना के संबंध में है जिसका भविष्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।

च) टिप्पणी संख्या 29 पैरा 26 समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 4 के साथ पढ़े जाने पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के पहले अपनाए जाने (उचित रूप से अनुमेय) के संबंध में है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नही हैं।

अन्य मामले

क) हमने निम्नलिखित अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की जांच नही की है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2015 के अनुसार कुल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जिस तक उन्हें समेकित विवरणों में प्रतिबिंबित किया गया है :

(रुपए करोड़ में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी			
एनएचडीसी लिमिटेड	8117.77	1548.85	711.75
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	1.14	0.00	1.00
संयुक्त उद्यम कम्पनियां			
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	502.92	0.00	-11.47
नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	6.89	0.55	6.74
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	234.42	0.00	15.37
कुल	**8863.14**	**1549.40**	**723.39**

इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक इन अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में राशियों तथा प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं(3) तथा (11) के संबंध में जहां तक वे उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित हैं, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

(ख) हमने निम्नलिखित अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की जांच नही की है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2015 के अनुसार कुल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जिस तक उन्हें समेकित विवरणों में प्रतिबिंबित किया गया है।

(रुपए करोड़ में)

कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी कंपनी			
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	136.38	4.03	-11.47
कुल	**136.38**	**4.03**	**-11.47**

ये वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना गैर-लेखापरीक्षित हैं जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक इन संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में राशियों तथा प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं(3) तथा (11)

के संबंध में जहां तक वे उक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित हैं, पूर्णतः गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और नीचे अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय सूचना के संबंध में संशोधित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं की सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015, (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के अनुसार लागू होने तक की सीमा हेतु उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध-1 में संलग्न किया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (5) के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए निदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुबंध-2 में दिया गया है।

3. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते हैं कि :

   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

   ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

   ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;

   घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;

   ङ. 31 मार्च, 2015 को धारक कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर जिन्हें धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिया गया है और इसकी भारत में अधिनिगमित अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर समूह कंपनियों तथा भारत में अधिनिगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपात्र नहीं हैं।

   च. कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार :

      1) समेकित वित्तीय विवरण समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट करते हैं - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 का पैरा 4।

      2) समूह, इसके एसोसिएट तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी महत्वपूर्ण पूर्वानुमान वाली हानियों को नहीं देखते हैं।

      3) धारक कंपनी और इसकी भारत में अधिनिगमित अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित कोई राशियां नहीं थी।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में '' अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं की सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध 1

1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

   (क) कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

   (ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों , सिवाय धारक कंपनी की कुछ यूनिटों में भूमि के मामले में, का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

2. मालसूची के संदर्भ में :

   (क) वर्ष के दौरान अपनी-अपनी मालसूची का धारक कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंधित प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत है।

   (ख) हमारे मतानुसार धारक कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंधित प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि भारत में अधिनिगमित उक्त धारक कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) मालसूची रिकार्डों के परीक्षण और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे मतानुसार धारक कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों द्वारा माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रखा जा रहा है। भारत में अधिनिगमित उक्त धारक कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगतियों का भौतिक प्रभाव नहीं था।

3. कम्पनी, भारत में अधिनिगमित इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है। उक्त के मद्देनजर आदेश के खण्ड (3) के उप-खंड (क) तथा (ख) लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों पर अन्य लेखापरीक्षकों की हमें प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के आकार तथा इनके व्यापार की प्रकृति के अनुसार माल-सूची तथा स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री हेतु पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारक कंपनी की बहियों तथा अभिलेखों के हमारे परीक्षण और हमें प्रस्तुत अनुषंगी तथा संयुक्त नियंत्रित कंपनियों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमने उक्त वर्णित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी बड़ी कमी को ठीक करने में किसी सतत विफलता को नहीं पाया है, और न ही हमें इसकी सूचना दी गई है।

5. कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा 76 या अन्य किसी प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6. कंपनी और इसकी एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखे तथा रिकार्डों को बनाया तथा अनुरक्षित किया है। तथापि, हमने इनकी सटीकता या पूर्णता के निर्धारण हेतु इन लेखों तथा रिकार्ड़ों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

7. सांविधिक देयों के संबंध में :

   क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के रिकार्ड़ों के हमारे परीक्षण के आधार पर अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है, जिनके संबंध में लेखाबहियों में कटौती की गई/प्रोदभूत राशियां है, उन्हें सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, प्रवेश कर और सीमा शुल्क के देयों की राशि निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

सांविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि	जिस वर्ष से संबंधित है	जिस फोरम में विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.07	2007-08	आईटीओ, देहरादून
		0.01	2008-09	
		0.02	2009-10	
हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005	बिक्री कर	5.78	2005-06 से 2009-10	हिमाचल प्रदेश वैट अधिकरण धर्मशाला कैम्प, शिमला
जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अधिनियम, 1962	बिक्री कर	245.61	1994-95	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, श्रीनगर
जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अधिनियम, 1962	बिक्री कर	0.2156	2010-11	सीटीओ, बारामुला
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2.01	2004-2005	कोलाकाता उच्च न्यायालय (28.02.2005 को अंतिम सुनवाई)
पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2005	बिक्री कर	0.14	2006-07	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर, सिलीगुड़ी
		0.76	2007-08	
		0.43	2008-09	
		0.07	2009-10	
		0.15	2010-11	
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम	विनिमय दर अंतर और अन्य वर्धनों के कारण अचल परिसंपत्ति में वर्धन पर प्रवेश कर	0.05	2008-09	एमपीसीटी अपीलीय बोर्ड

ग) कम्पनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईईपीएफ (निवेशक जागरूकता तथा बचाव) नियमावली, 2001 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के प्रावधान, जिसे निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (जागरूकता और निवेशकों का बचाव), नियमावली, 2001 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) को कोई राशि अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

8. कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

तथापि, एक संयुक्त उद्यम, नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड, उसके लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किए अनुसार इस कंपनी के पास 31 मार्च, 2015 को कुल 62676278.92 रूपये की कुल संचित हानियां थी जो इसके कुल निवल मूल्य 131273300 के 50 प्रतिशत से कम है। इस कंपनी में वित्त वर्ष के दौरान शून्य नकदी हानि वहन की है, जो तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में 388980 रूपये थी।

9. लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

10. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने वर्ष के दौरान अन्यों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

11. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र के समग्र परीक्षण, और धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे मतानुसार, हम यह सूचित करते हैं कि सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजन हेतु किया गया है जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

12. भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन व्यवहारों के अनुसार कंपनी की बहियों तथा रिकार्डों के हमारे परीक्षण और हमें दी गई जानकार तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर हमने धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों पर अथवा उनके द्वारा भौतिक धोखाधड़ी के किसी मामले को वर्ष के दौरान नहीं देखा है अथवा सूचित नहीं किया गया है, न ही हमें उक्त वर्णित धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है अथवा इसकी अनुषंगी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित नही किया गया है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस	कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी	कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के "अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट" शीर्ष के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुबंध-2

इसमें धारक कंपनी, इसकी दो अनुषंगी कंपनियों एनएचडीसी लिमिटेड और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड; इसके दो संयुक्त उद्यमों, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (पी) लिमिटेड से संबंधित डाटा शामिल है। जहां तक अनुषंगी कंपनी लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड का संबंध है, इसे लेखे गैर-लेखापरीक्षित है और जहां तक नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड का संबंध है, हमें सूचित किया गया है कि इसके लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कोई निदेश नहीं है।

क्रम सं.	निदेश	कंपनी	हमारी रिपोर्ट	की गई तत्संबंधी कार्यवाही	कंपनी के लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	यदि कंपनी को विनिवेश हेतु चुना गया है तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों तथा भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यांकन के संबंध में एक पूर्ण स्थिति रिपोर्ट का परीक्षण विनिवेश प्रक्रिया के तरीके तथा वर्तमान चरण सहित किया जाए।	धारक कंपनी	एनएचपीसी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 3.7.2014 का पत्र संख्या 11/11/2013-एनएचपीसी प्राप्त हुआ था जिसमें वित्त मंत्रालय के दिनांक 1.7.2014 के पत्र संख्या 4(4)/2014-डीडी11 का संदर्भ देते हुए एनएचपीसी लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी के भारत सरकार की 85.96 प्रतिशत शेयरधारिता में से 11.36 प्रतिशत के विनिवेश हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के प्रारूप पर एनएचपीसी की टिप्पणियां मांगी गई थी। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 13.11.2014 के पत्र के माध्यम से इस विनिवेश प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखने का परामर्श दिया गया था जब तक कुछ और परियोजनाएं चालू नहीं हो जाती।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी) लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		एनएचडीसी लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
2	कृपया बताएं कि क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/पश्च लेखन के कोई मामले हैं। यदि हां तो उसके कारण तथा अंतर्ग्रस्त संबद्ध राशि को बताएं	धारक कंपनी	ऐसे दो मामले हैं जहां 51572/- रूपये वसूली योग्य न होने के चलते पश्च लेखित किए गए थे।	राशि को लाभ एवं हानि लेखे में डेबिट किया गया है।	लाभ 51572/- रूपये कम हुआ।
		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड	शून्य	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी) लिमिटेड	शून्य	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	शून्य	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		एनएचडीसी लिमिटेड	शून्य	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य

क्रम सं.	निदेश	कंपनी	हमारी रिपोर्ट	की गई तत्संबंधी कार्यवाही	कंपनी के लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
3	क्या तृतीय पक्षों के पास पड़ी मालसूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में पाई गई परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है	धारक कंपनी	कंपनी मालसूची हेतु उचित रिकार्ड रख रही है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
			जैसा कि सूचित किया गया है कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी) लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		एनएचडीसी लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
4	लम्बित विधिक/माध्यस्थम मामलों के आयु-वार विश्लेषण पर एक रिपोर्ट जिसमें लम्बित होने के कारण और सभी विधिक मामलों (विदेशी तथा स्थानीय) हेतु एक निगरानी तंत्र की विद्यमानता/ प्रभावोत्पादकता दी जाए।	धारक कंपनी	विधिक/मध्यस्थता मामलों का आयु-वार विश्लेषण निम्नानुसार है - 0-1 वर्ष : 51 मामले 1-2 वर्ष : 67 मामले 2-3 वर्ष : 90 मामले 3-4 वर्ष : 78 मामले 4-5 वर्ष : 98 मामले 5- वर्ष तथा उससे अधिक : 283 मामले कुल : 667 मामले इन मामलों के मध्यस्थता/अदालतों में लम्बित रहने हेतु कारण सुनवाई पूरी न होना, और मध्यस्थ/अदालतों द्वारा और विवरण तथा अतिरिक्त दस्तावेज मांगना, सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित न होना, अदालत द्वारा स्थगन दे देना आदि हैं। बड़े विधिक व्ययों (विदेशी या स्थानीय) हेतु कोई निर्धारित प्रक्रियाविधि नहीं है। तथापि, सभी विधिक मामलों में व्यय को प्रत्येक वर्ष सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जाता है और उक्त को खर्च सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बजट के भीतर किया जाता है।	ऐसे मामलों में जहां कंपनी को संभावित बाह्य प्रभाव की आशा है, एएस-29 के अनुसार बहियों मे आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। शेष मामलों हेतु जहां किसी संभावित बाह्य प्रभाव की संभावना नहीं है अथवा राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अंतर्ग्रस्त बाध्यता को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29, पैरा 1 में आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाया गया है।	प्रावधान के चलते परिणामी प्रभाव संबंधित लेखा शीर्ष को दिया गया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29, पैरा 1 को देखें)

क्रम सं.	निदेश	कंपनी	हमारी रिपोर्ट	की गई तत्संबंधी कार्यवाही	कंपनी के लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड	मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड बनाम श्री जगदीश चंद गुप्ता एवं अन्य के मामले में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत मध्यस्थता के निर्णय को चुनौती देने वाला एक आवेदन 26.09.2014 को दायर किया गया है।	आवेदन सुनवाई हेतु लंबित है।	उक्त को लेखे की विवरणात्मक टिप्पणियों में आकस्मिक देयता दर्शाया गया है।
		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी) लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
		एनएचडीसी लिमिटेड	विवरण संलग्न है।		

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्यता सं.-500417

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 001728एन

(सीए आर के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000050एन

(सीए सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 301072ई

(सीए बरून कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

अनुबंध - क

एनएचडीसी लिमिटेड भोपाल

31.03.2015 को लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामले

निम्न के पास लंबित	यूनिट	मामलें की प्रकृति	मामलों की संख्या				टिप्पणी
			01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	वर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए	31.03.2015 को अंतिम शेष	
शिकायत समाधान प्राधिकरण, भोपाल	आईएसपी	आर एवं आर (भूमि मुआवजा संबंधी)	1160	0	126	1034	एक वर्ष से अधिक
मध्यस्थता मामले	आईएसपी	आर एवं आर (संविदा संबंधी)	0	1	0	1	
	ओएसपी	आर एवं आर (संविदा संबंधी)	1	0	0	1	
	ओएसपी	संविदा संबंधी	5	0	0	5	
	सीओ	संविदा संबंधी	1	0	0	1	
एमपीएटी	आईएसपी	संविदा संबंधी	0	5	0	5	
न्यायालय	आईएसपी	आर एवं आर (भूमि मुआवजा संबंधी)	346	500	208	638	
	आईएसपी	संविदाकार के दावे	7	2	6	3	
	ओएसपी	आर एवं आर (भूमि मुआवजा संबंधी)	369	0	359	10	
	ओएसपी	आर एवं आर (संविदा संबंधी)	9	0	0	9	
	ओएसपी	संविदाकार के दावे	3	3	0	6	
	सीओ	निगम में नियुक्ति	3	1	0	4	
	सीओ	सिविल वाद	1	0	0	1	
	सीओ	कर्मचारी शिकायत	6	1	3	4	
वाणिज्य कर विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	ओएसपी	आर एवं आर (नगर निगम)	1	0	0	1	
	आईएसपी	आर एवं आर (विविध)	0	1	0	1	
कुल			1912	514	702	1724	

31 मार्च, 2015 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
I. इक्विटी और देयताएं					
(1) शेयरधारकों की निधि					
(क) शेयर पूंजी	2		11,070.67		11,070.67
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3		19,686.80		17,175.30
(2) अल्पसंख्यक कल्याण			3,325.71		3,065.68
(3) गैर-वर्तमान देयताएं					
(क) दीर्घावधि ऋण	4		18,724.48		19,309.04
(ख) स्थगित कर देयता	5		988.60		934.39
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6		1,459.33		1,728.18
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7		900.14		825.10
(4) वर्तमान देयताएं					
(क) व्यापार प्राप्य	8		164.43		223.41
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9		3,293.30		3,263.70
(ग) अल्पावधि प्रावधान	7		3,654.44		3,805.66
कुल			**63,267.90**		**61,401.13**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) गोचर परिसंपत्तियां	10.1	24,429.19		26,033.00	
(ii) अगोचर परिसंपत्तियां	10.2	3,486.91		3,553.82	
(iii) चालू पंजी कार्य	11	16,377.54		14,923.98	
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	12	763.34		1,022.63	
(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1,162.62		1,135.85	
(घ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	14.1	1,131.75		1,324.32	
उप-जोड़		47,351.35		47,993.60	
(ङ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां- नियामक परिसंपत्तियां	14.2	1,630.39	48,981.74	-	47,993.60
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) वर्तमान निवेश	15		256.44		250.74
(ख) मालसूची	16		90.64		79.84
(क) व्यापार प्राप्य	17		2,905.18		2,422.43
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18		6,941.02		6,142.78
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13		2,083.01		2,732.55
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19		2,009.87		1,779.19
कुल			**63,267.90**		**61,401.13**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्य का भाग	28				
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29				

टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(करोड रु पए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय					
i) प्रचालन से राजस्व	20	8248.36		7465.92	
घटाएं : विद्युत शुल्क		4.29	8,244.07	49.98	7,415.94
ii) अन्य आय	21		913.20		1,322.09
कुल राजस्व			**9,157.27**		**8,738.03**
व्यय					
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	22		1,803.10		1,900.07
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	23		1,224.68		1,132.59
iii) वित्त लागत	24		1,272.78		1,180.21
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25		1,715.28		1,499.37
कुल व्यय			**6,015.84**		**5,712.24**
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा दर विनियमित क्रियाकलाप और कर से पूर्व लाभ			3,141.43		3,025.79
पूर्वावधि मदें (निवल)	26		(54.97)		497.24
विशिष्ट और असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप तथा कर पूर्व लाभ			3,196.40		2,528.55
विशिष्ट मदें			-		-
असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ			3,196.40		2,528.55
असाधारण मदें			-		-
दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ			3,196.40		2,528.55
दर विनियमित आय/(व्यय)			521.95		-
कर पूर्व लाभ			**3,718.35**		**2,528.55**
कर संबंधी व्यय	27				
i) वर्तमान कर		791.58		538.42	
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		74.51		46.68	
iii) विलंबित कर		54.21		310.30	
कर संबंधी कुल व्यय			920.30		895.40
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)			2,798.05		1,633.15
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/हानि का अंश			306.69		414.40
वर्ष हेतु लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के पश्चात)			**2,491.36**		**1,218.75**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रु पए प्रति शेयर)					
बुनियादी तथा तनूकृत			2.25		1.02
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	28				
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29				
टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2015

टिप्पणी सं. 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.2 अनुमानों के उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन वित्तीय विवरण की तिथि को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और सूचित अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की राशि को प्रभावित करने वाली सभी संगत सूचना को लेते हुए एक तर्कसंगत तथा विवेकसंगत आधार पर अनुमान तथा मान्यता लगाएं। वास्तविक परिणाम अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान में किसी संशोधन को मान्यता उक्त को निर्धारित की जाने वाली अवधि में दी जाती है।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 मूर्त परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत, घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और क्षति हानियां, यदि कोई हो, के आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण का आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल है।

2.1.2 ऐसी परिसंपत्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है भले ही जो भूमि, कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित की गई हो, उन्हें अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.1.3 कब्जे में होने वाली भूमि के प्रति मुआवजे, पुनर्वास और अन्य व्ययों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि-इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 आंतरिक उपयोग हेतु लिए गए सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग न होने के चलते) को खरीद की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानियां, यदि कोई हो, पर बताया जाता है और इसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण पर आरोप्य प्रशासनिक तथा सामान्य ऊपरी तथा अन्य व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना के चालू होने पर व्यवस्थित आधार पर प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर आबंटित किया जाता है, सिवाय भूमि तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक होता है, के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय "निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)" पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर किया गया व्यय "लाभ एवं हानि विवरण" को प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता

है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के पश्च लेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 वस्तुसूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जो को "भंडार एवं कलपुर्ज़े" माना जाता है।

4. दर विनियमित क्रियाकलाप

जहां व्यय की किसी मद को आयोजना के निर्माण के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात उसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नही होती, परन्तु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), नियामक, द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में उसे लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, तो उक्त की वसूली के अधिकार को एक नियामक परिसंपत्ति के रूप मे मान्यता दी जाती है तथा तदनुरूपी नियामक आय की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्श नोट के अनुसार की जाती है, यदि यह उक्त परामर्शी नोट में निर्धारित ऐसी मान्यता हेतु शर्तों को पूरा करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में दिए अनुसार जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रु पया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, और इसे जिस वर्ष में खरीद की गई हो से प्रारंभ किया जाता है।

5.6 भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुरूप किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, अधिनिर्णय/अदालती मामले के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश का मूल्य निर्धारण लागत से कम और पृथक निवेश आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और कलपुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अन्य सीमांत लाभ शामिल है।

9.2 पेंशन लाभों और भविष्य निधि योजना मुहैया करवाने के लिए वर्ष के दौरान कर्मचारी निश्चित अंशदान योजनाओं के प्रति कंपनी की देयता के भुगतान को लेखांकित किया और संबंधित निधियों को उनका भुगतान किया जाता है, जिनका प्रशासन पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.3 उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों हेतु देयता को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसका भुगतान उपदान न्यास को किया जाता है।

9.4 कर्मचारियों को अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित), सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और अधिवर्षिता पर स्मृति-चिन्ह हेतु देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे (आरईए)को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण "संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए अनुमानित लागत" के प्रति "सूचित तिथि तक वहन की गई लागत" के अनुपात में किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उक्त के प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार, परिसमाप्त क्षतियों/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज को मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई अनिश्चितता न होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता है जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी परीक्षण प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु किया जाता है।

15. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि देयता के निपटान हेतु संसाधनों का बाह्य प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता हो। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को देयता के निपटान हेतु अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसमें वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती।

आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को संगत लेखांकन मानक में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

17. सहायता अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार से 'सिंचाई और आर एण्ड आर घटक' और गुजरात सरकार से 'सरदार सरोवर घटक' के प्रति प्राप्त योगदान की राशि, जिसका पृथक परिसंपत्तियों की लागत से संबंध नहीं होता है, को प्रारंभ में सहायता अनुदान - आरक्षित के रूप में लिया जाता है और बाद में उसका समायोजन उसी अनुपात में किया जाता है जिसमें ऐसे योगदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों के पश्च लिखित मूल्यह्रास को किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2 : शेयर पूंजी

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
		संख्या में	(करोड़ रुपए में)	संख्या में	(करोड़ रुपए में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15000.00	15000000000	15000.00
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	11070668496	11,070.67	11070668496	11,070.67
(ग)	इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान	शेयरों की संख्या	शेयरों पूंजी (करोड़ रुपए में)	शेयरों की संख्या	शेयरों पूंजी (करोड़ रुपए में)
	बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	11070668496	11,070.67	12300742773	12,300.74
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	1230074277	1,230.07
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	**11070668496**	**11,070.67**	**11070668496**	**11,070.67**

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या

	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
- भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	9516209722	85.96

(च) 31.03.2015 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1230.07		-	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरण	-		1,230.07	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		1,230.07		1,230.07
(ii)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		2,868.74		2,868.74
(iii)	**सहायता-अनुदान - आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	724.73		605.52	
	जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	10.24		155.76	
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	36.93		36.55	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		698.04		724.73
(iv)	**बांड शोधन आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	884.75		649.55	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरण	379.10		249.45	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	15.96		14.25	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		1,247.89		884.75

(करोड रुपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
(v)	**स्व बीमा निधि**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	869.83		820.82	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	55.77		51.74	
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	7.67		2.73	
		917.93		869.83	
	घटाएं : दावों के कारण समायोजन	-		8.82	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		917.93		861.01
(vi)	**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	24.97		23.50	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	16.30		9.35	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	4.60		7.88	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		36.67		24.97
(vii)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	21.90		-	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	9.92		21.90	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		31.82		21.90
(viii)	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1806.50		4120.06	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	7,500.00		54.33	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पुनः खरीद हेतु प्रयुक्त	-		1,137.82	
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरण	-		1,230.07	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		9,306.50		1,806.50
	अधिशेष *		3,349.14		8,752.63
	कुल		**19,686.80**		**17,175.30**
	*** अधिशेष**				
	लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		**2,491.36**		**1,218.75**
	दर विनियमित परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु ट्रांजिशन प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले समायोजन (आय कर हेतु प्रावधान का निवल)		876.10		-
	अग्रेणीत शेष		8,752.63		8,413.43
	धारण के अनुपात में परिवर्तन/संयुक्त उद्यम के गैर समेकन के कारण प्रारंभिक शेष में वृद्धि		(0.29)		(0.67)
	जोड़े :				
	बांड विमोचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		15.96		14.25
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलिखित राशि		4.60		7.88
	स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		5.65		3.97
	लाभांश पर कर -पश्चलिखित		10.05		5.11
	विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		**12,156.06**		**9,662.72**
	बांड विमोचन आरक्षी को अंतरित		379.10		249.45

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित तथा अधिशेष *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
स्व बीमा निधि को अंतरित	55.77	51.74
सामान्य आरक्षित को अंतरित	7,500.00	54.33
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरित	16.30	9.35
अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित	9.92	21.90
लाभांश		
- अंतरिम	221.43	-
- प्रस्तावित	442.84	332.13
लाभांश पर कर		
- अंतरिम	44.27	115.07
- प्रस्तावित	137.29	76.12
अग्रेणीत शेष #	**3,349.14**	**8,752.63**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का (-)1.79 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.25 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉण्ड्स						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	6811.43	437.69	6373.74	5,850.28	63.85	5786.43
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	4243.76	354.86	3888.90	4,596.15	352.39	4243.76
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	1656.48	181.57	1474.91	2,061.56	203.65	1857.91
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	5092.06	838.93	4253.13	5,911.42	838.93	5072.49
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	2780.70	46.90	2733.80	2,400.07	51.62	2348.45
कुल #	20584.43	1,859.95	18724.48	20819.48	1,510.44	19309.04
# संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 28.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.24 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।						
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि (प्रतिभूति के ब्यौरों हेतु टिप्पणी सं. 14 देखे)	1,703.38	228.47	1474.91	2,164.81	255.27	1,909.54
31.03.2015 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-	-	-	-	-
31.03.2015 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)			31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(क)	**बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत**			
	i)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सिरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
	ii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सिरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
	iii)	**बॉण्ड - एस-2 सिरीज * 12** (8.54 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1200000/- रुपए है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (26.11.2018 से 26.11.2029 तक 55 करोड़ रुपए की 12 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	660.00	-
	iv)	**कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सिरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
	v)	**कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सिरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
	vi)	**बॉण्ड - आर-3 सिरीज * 5** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00
	vii)	**बॉण्ड - क्यू सिरीज * 6 और 13** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,266.00	1,266.00
	viii)	**बॉण्ड - आर-2 सिरीज * 5** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2016 से 11.02.27 के बीच 31.84 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	382.08	382.08
	ix)	**बॉण्ड - आर-1 सिरीज * 5** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.70 प्रतिशत प्रति वर्ष 13 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.02.2026 तक 6.85 करोड़ रुपये के 11 वार्षिक विमोचन)	75.35	82.20

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
x)	**बॉण्ड - पी सिरीज * 5, 7 और 10** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (01.02.2016 से 01.02.2025 के बीच 200 करोड़ रुपये के 10 वार्षिक विमोचन)	2,000.00	2,000.00
xi)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सिरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xii)	**बॉण्ड -एस-1 सिरीज * 12** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रुपए है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (26.11.2015 से 26.11.2024 तक 36.50 करोड़ रुपए की 10 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	365.00	-
xiii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सिरीज * 5 और 10** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
xiv)	**बॉण्ड - ओ सिरीज * 2** (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03. 2014 से 31.03.2018 तक 57 करोड़ रुपये के 3 वार्षिक विमोचन)	171.00	228.00
	कुल बॉण्ड (क)	**6811.43**	**5850.28**
(ख)	**सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)**		
i)	**स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1** (31.03.2015 को 9.40 प्रतिशत की वर्तमान स्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 छमाही किस्तों में 09.01.2017 तक 3 वर्ष के रीसेट खंड के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	8.00	12.00
ii)	**केनरा बैंक *2** (31.03.2015 को 6.86 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)	40.00	60.00
iii)	**सिंडिकेट बैंक *2** (31.03.2015 को 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.027 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	36.60	54.90
iv)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2015 को 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	40.00	60.00

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
v) **ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2015 तक 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ 7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है)	60.00	70.00
vi) **इंडियन बैंक *4 और 9** (29.09.2014 को चुकता किया गया)	-	75.00
vii) **यूको बैंक *8** (31.03.2015 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 19 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)	791.67	875.00
viii) **कारपोरेशन बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	489.58	500.00
ix) **केनरा बैंक *11** (31.03.2015 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 46 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	195.84	200.00
x) **इंडियन ओवरसीज बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	195.83	200.00
xi) **पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	195.83	200.00
xii) **सिंडिकेट बैंक *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	293.75	300.00
xiii) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *11** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	146.88	150.00
xiv) **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 3 और 6** (31.03.2015 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 27.06.16 से 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)	1,000.00	1,000.00
xv) **स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद * 1 और 6** (31.03.2015 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 28.03.2016 से 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	500.00
xvi) **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड *15** (31.3.2015 के अनुसार 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 31.3.2019 तक 18.63 करोड़ रुपए प्रत्येक की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकौती योग्य)	149.02	204.91
xvii) **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड *15** (31.3.2015 के अनुसार 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 30.9.2019 तक 11.20 करोड़ रुपए प्रत्येक की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकौती योग्य)	100.76	134.34
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रत्याभूत)	**4,243.76**	**4,596.15**

टिप्पणी स. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(ग) सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-I*14** (पूर्व में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) (31.03.2015 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 6.38 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	140.41	171.80
ii) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*14** (पूर्व में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) (31.03.2015 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.94 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	544.38	657.55
iii) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-III*14** (पूर्व में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) (31.03.2014 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 15.47 करोड़ रुपये प्रत्येक की 38 छमाही किस्तों में 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	587.70	693.86
iv) **डियूश बैंक और अन्य *14** (0.57 प्रतिशत मार्जिन + 48 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक 6 माह जेपीवाई एलआईबीओआर की अस्थिर ब्याज दर के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	383.99	538.35
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**1,656.48**	**2,061.56**
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
i) **भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7** 31.03.2015 के अनुसार 50 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 1200 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	1,250.00	1,458.33
ii) **भारतीय जीवन बीमा निगम *6 तथा 13** (31.03.2015 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत की फ्लोरा दर पर स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 18 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,422.00	1,580.00
iii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8** (31.03.2015 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	487.50	562.50
iv) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8** (31.03.2015 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 14 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	65.10	83.70
v) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8** (31.03.2015 को 10.17 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	45.50	52.50
vi) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2 और 3** (31.03.2015 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 36.43 करोड़ रुपये प्रत्येक की 25 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	910.62	1,056.33

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
vii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1**	175.52	216.82
(31.03.2015 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 10.33 करोड़ रुपये प्रत्येक की 17 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)		
viii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1**	237.50	287.50
(31.03.2015 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 19 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)		
viii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *16**		
(31.3.2015 के अनुसार 10.29 प्रतिशत प्रतिवर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 15.7.2018 तक 67.50 करोड़ रुपए प्रत्येक की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकौती योग्य)	472.50	607.50
ix) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *17**		
(40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकौती योग्य। पुनर्भुगतान परियोजना के चालू होने की तिथि के 2 वर्ष पश्चात प्रारंभ होगा, तथापि, ब्याज का पुनर्भुगतान चालू होने के पश्चात देय है)	25.82	6.24
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**5,092.06**	**5,911.42**
(ङ) **सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)**		
विदेशी मुद्रा		
i) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *14**	46.90	103.25
(31.03.2015 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 23.45 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
भारत सरकार से ऋण		
ii) **निम्मो - बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	270.00	270.00
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 15 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii) **चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	364.00	364.00
(2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 15.17 करोड़ रुपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iv) **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	2,099.80	1,662.82
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**2,780.70**	**2,400.07**
समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**20,584.43**	**20,819.48**

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-।।। जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन में निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. हिमांचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
11. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मो-बाज़गो विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी विद्युत स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
12. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III विद्युत स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
13. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
14. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
15. एनएचडीसी लिमिटेड की इंदिरा सागर परियोजना की अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख को जमा करके और सभी वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के साथ भी ऋणदाता के पक्ष में प्रथम प्रभार के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
16. एनएचडीसी लिमिटेड की ओमकारेश्वर परियोजना की अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख को जमा करके और सभी वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के साथ भी ऋणदाता के पक्ष में प्रथम प्रभार के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
17. कंपनी की परियोजनाओं की सभी चल परिसंपत्तियों (सिवाय ऋण के) जिसमें चल मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जे, उपकरण तथा एक्सेसरीज, ईंधन स्टाक, कलपुर्जे और परियोजना स्थल पर वर्तमान तथा भविष्य की सामग्री शामिल है, के पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पक्ष में रेहन द्वारा प्रत्याभूत।

टिप्पणी सं. 5 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
स्थगित कर देयताएं					
i)	मूल्यह्रास		4005.24		3922.53
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां					
i)	संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	178.71		123.25	
ii)	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	143.68	322.39	131.47	254.72
स्थगित कर देयता			3,682.85		3,667.81
घटाएं : वसूली योग्य		2,618.75		2,733.42	
घटाएं : स्थगित कर देयताओं के प्रति स्थगित कर समायोजन		75.50	2,694.25	0.00	2,733.42
स्थगित कर देयता (निवल) #			**988.60**		**934.39**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 15.04 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 210.94 करोड़ रुपए) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल देयता	घटाएं:- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं:- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/प्रतिधारण निधि	206.09	100.76	105.33	409.32	149.75	259.57
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	1329.75	50.17	1279.58	1,379.92	50.17	1,329.75
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	74.42	-	74.42	138.86	-	138.86
कुल #	**1,610.26**	**150.93**	**1,459.33**	**1,928.10**	**199.92**	**1,728.18**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 0.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.22 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	795.85	71.84	867.69	716.30	44.93	761.23
	वर्ष के दौरान वर्धन	85.03	74.29	159.32	79.55	91.86	171.41
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	9.86	71.73	81.59	-	64.95	64.95
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.04	3.25	3.29	-	-	-
	अंतिम शेष	**870.98**	**71.15**	**942.13**	**795.85**	**71.84**	**867.69**
ख)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		31.58	31.58		28.69	28.69
	वर्ष के दौरान वर्धन		6.68	6.68		2.91	2.91
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		2.74	2.74		0.00	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.13	0.13		0.02	0.02
	अंतिम शेष		35.39	35.39		31.58	31.58
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		35.39	35.39		31.58	31.58
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		-	-		-	-
ग)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		70.84	70.84		73.60	73.60
	वर्ष के दौरान वर्धन		101.71	101.71		68.28	68.28
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		54.74	54.74		64.90	64.90
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		13.53	13.53		6.14	6.14
	अंतिम शेष		104.28	104.28		70.84	70.84
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		-	-		0.04	0.04
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		104.28	104.28		70.80	70.80
घ)	**सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		40.30	40.30		17.91	17.91
	वर्ष के दौरान वर्धन		33.98	33.98		42.52	42.52
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		40.30	40.30		20.11	20.11
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		0.02	0.02
	अंतिम शेष		**33.98**	**33.98**		**40.30**	**40.30**
ड)	**अन्य**						
	i) **कराधान हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		2,216.62	2216.62		2185.39	2,185.39
	वर्ष के दौरान वर्धन		1,099.92	1099.92		602.70	602.70
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1,460.15	1,460.15		571.46	571.46
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.52	0.52		-	-
	अंतिम शेष		**1,855.87**	**1855.87**		**2216.63**	**2,216.63**
	ii) **प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		332.12	332.12		738.04	738.04
	वर्ष के दौरान वर्धन		442.84	442.84		332.12	332.12
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		332.13	332.13		738.04	738.04
	अंतिम शेष		**442.83**	**442.83**		**332.12**	**332.12**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		76.12	76.12		135.44	135.44
वर्ष के दौरान वर्धन		137.29	137.29		76.12	76.12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		66.07	66.07		130.33	130.33
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		10.05	10.05		5.11	5.11
अंतिम शेष		**137.29**	**137.29**		**76.12**	**76.12**
iv) प्रावधान - अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		776.86	776.86		404.62	404.62
वर्ष के दौरान वर्धन		240.14	240.14		402.64	402.64
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		199.68	199.68		22.33	22.33
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		125.28	125.28		8.07	8.07
अंतिम शेष		**692.04**	**692.04**		**776.86**	**776.86**
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		50.24	50.24		91.63	91.63
वर्ष के दौरान वर्धन		143.02	143.02		1.13	1.13
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		37.63	37.63		42.52	42.52
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		-	-
अंतिम शेष		**155.63**	**155.63**		**50.24**	**50.24**
vi) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29.25	170.75	200.00	13.65	561.62	575.27
वर्ष के दौरान वर्धन	2.11	26.82	28.93	17.98	0.00	17.98
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.20	35.89	38.09	2.38	390.87	393.25
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.31	0.31	-	0.00	-
अंतिम शेष	**29.16**	**161.37**	**190.53**	**29.25**	**170.75**	**200.00**
कुल #	**900.14**	**3,654.44**	**4,554.58**	**825.10**	**3,805.66**	**4,630.76**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड-2 के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.1997 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.1997 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नहीं किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.5.2014 के पत्र संख्या पीडब्ल्यूए-504-खंड-4/ 62 के माध्यम से सूचित करते हुए यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। इसी बीच एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोके जाने की क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन समायोजन का भुगतान जारी है। इस प्रकार मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई 35.39 करोड़ रुपए (वर्तमान वर्ष हेतु 6.68 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित) की संचित राशि को तदनुरूपी राशि के साथ ''अदा किए गए अग्रिम'' के रूप में दर्शाया गया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का दीर्घावधि प्रावधानों में 0.23 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रुपए) और अल्पावधि प्रावधानों में 3.85 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.72 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 8 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
वस्तुओं और सेवाओं हेतु	164.43	223.41
कुल #	**164.43**	**223.41**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 29 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 0.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.79 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 9 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखे टिप्पणी सं. 4) *		1,859.95		1,510.44
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		313.41		249.19
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) (देखे टिप्पणी सं. 6)		50.17		50.17
आदा न किया गया लाभांश खाता		5.85		4.83
आदा न किया गया ब्याज खाता		0.03		-
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		385.54		540.75
जमा/प्रतिधारण निधि (देखे टिप्पणी सं. 6)		100.76		149.75
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		0.04		0.04
सांविधिक देयताएं		270.64		283.90
अन्य देयताएं		134.82		270.86
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	232.92		227.36	
घटाएं :जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	229.47	3.45	222.29	5.07
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,456.42		4,417.35	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4,290.06		4,222.62	
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(2.28)	168.64	(3.97)	198.70
कुल #		**3,293.30**		**3,263.70**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

* ऊपर दर्शाए गए मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि और प्रतिभूति के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी सं. 4 में प्रकट किए गए है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 5.37 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5.96 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी स. 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
भूमि-फ्रीहोल्ड	260.28	13.18	-	-	273.46	-	-	-	-	273.46	260.28
भूमि-लीजहोल्ड	370.91	5.46	0.04	0.23	376.56	32.52	11.98	0.09	44.59	331.97	338.39
सड़कें और पुल	323.68	4.07	0.05	(10.20)	317.50	90.44	11.27	(0.54)	101.17	216.33	233.24
भवन	3,383.90	61.89	2.05	(23.26)	3,420.48	844.95	111.93	0.19	957.07	2,463.41	2,538.95
रेलवे साइडिंग्स	38.97	-	-	-	38.97	18.84	2.67	-	21.51	17.46	20.13
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	20,200.33	49.12	15.72	(176.11)	20,057.62	5,600.27	940.41	0.35	6,541.03	13,516.59	14,600.06
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,872.82	196.56	77.47	(50.71)	10,941.20	3,162.91	522.58	(6.15)	3,679.34	7,261.86	7,709.91
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	118.26	1.45	0.06	(0.63)	119.02	57.28	4.62	(0.33)	61.57	57.45	60.98
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	72.84	3.51	0.75	(0.06)	75.54	25.19	4.19	(0.26)	29.12	46.42	47.65
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	41.33	5.27	0.05	5.58	52.13	16.26	2.93	(0.03)	19.16	32.97	25.07
निर्माण उपकरण	107.69	7.17	0.66	0.02	114.22	66.69	8.01	(0.53)	74.17	40.05	41.00
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	43.67	3.51	0.05	(0.05)	47.08	8.48	2.21	(0.01)	10.68	36.40	35.19
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.94	0.24	0.01	(0.20)	4.97	1.42	0.26	(0.12)	1.56	3.41	3.52
वाहन	29.18	2.84	0.96	(0.36)	30.70	17.38	1.48	(1.13)	17.73	12.97	11.80
विमान / नौकाएं	0.78	0.15	-	-	0.93	0.24	0.05	-	0.29	0.64	0.54
फर्नीचर और फिक्सचर	54.75	5.78	1.66	(0.21)	58.66	27.88	2.80	(0.66)	30.02	28.64	26.87
कम्प्यूटर	59.81	13.81	6.30	(0.66)	66.66	48.10	7.36	(4.60)	50.86	15.80	11.71
संचार उपकरण	14.89	1.85	0.19	(0.04)	16.51	6.94	0.88	(0.07)	7.75	8.76	7.95
कार्यालय उपकरण	47.72	3.94	1.34	(0.39)	49.93	21.69	2.99	(0.89)	23.79	26.14	26.03
अनुसंधान और विकास	2.54	-	-	-	2.54	0.62	0.16	-	0.78	1.76	1.92
अन्य परिसंपत्तियां	55.85	8.36	0.31	0.15	64.05	24.05	3.44	(0.13)	27.36	36.69	31.80
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 रुपये और <5000 रुपये।	17.17	1.78	0.77	0.02	18.20	17.16	1.79	(0.76)	18.19	0.01	0.01
कुल #	**36,122.31**	**389.94**	**108.44**	**(256.88)**	**36,146.93**	**10,089.31**	**1,644.01**	**(15.58)**	**11,717.74**	**24,429.19**	**26,033.00**
पिछले वर्ष	28,951.30	7,396.30	77.02	(148.27)	36,122.31	8,725.21	1,441.42	(77.32)	10,089.31	26,033.00	20,226.09

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 6.18 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.42 करोड़ रुपए) निवल ब्लॉक में शामिल है।

टिप्पणी सं. 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	**4,322.47**	**66.19**	**0.09**	(1.18)	**4,387.39**	**769.58**	**132.96**	**(0.10)**	**902.44**	**3,484.95**	**3,552.89**
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	**39.58**	**2.47**	**0.25**		**41.80**	**38.65**	**1.45**	**(0.26)**	**39.84**	**1.96**	**0.93**
कुल #	**4,362.05**	**68.66**	**0.34**	**(1.18)**	**4,429.19**	**808.23**	**134.41**	**(0.36)**	**942.28**	**3,486.91**	**3,553.82**
पिछले वर्ष	3,985.12	379.45	0.06	(2.46)	4,362.05	676.67	132.06	(0.50)	808.23	3,553.82	3,308.45

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 1.72 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) निवल ब्लॉक में शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) 1.19 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.91 करोड़ रुपए) मूल्य की 103.04 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 90.72 हैक्टेयर) और 296.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 295.86 करोड़ रुपये) मूल्य की 851.78 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 883.23 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल नहीं है।

3) गोचर परिसंपत्तियों में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6240.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6267.10 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।

5) सेवा-II, चूटक, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, निम्मो बाजगो, उड़ी और पार्बती-III पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

6) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	**31.03.2015 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2014 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**
सड़कें और पुल	(1.57)	-
भवन	(16.21)	-
जल वैज्ञानिक कार्य	(155.13)	-
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(42.91)	-
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.25)	-
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	(0.05)	-
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	(0.03)	-
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.05)	-
कुल	**(216.20)**	**-**

टिप्पणी सं. 11 : चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2014	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2015
सड़कें और पुल	55.64	38.02	(0.15)	4.07	89.44
भवन	939.35	164.77	(5.07)	57.54	1,041.51
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,457.46	493.07	3.86	38.69	5,915.70
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,814.37	298.71	1.03	153.98	2,960.13
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.65	7.50	(0.09)	0.96	14.10
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	1.62	1.72	-	2.96	0.38
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.49	1.42	0.43	1.86	0.48
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.23	2.60	0.09	3.25	0.67
संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य परिसंपत्तियां उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	12.44	43.63	(0.02)	51.53	4.52
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	260.33	32.23	(0.39)	2.99	289.18
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	16.59	3.70	-	-	20.29
निर्माण के दौरान खर्च *	5,352.33	732.65	(4.71)	6.23	6,074.04
घटाएं : प्रावधानों के लिए	169.63	51.15	(11.24)	-	209.54
उप जोड़ (क)	**14,749.87**	**1,768.87**	**6.22**	**324.06**	**16,200.90**

*** अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें**

	01.04.2014		समायोजन		31.03.2015
निर्माण भंडार	175.64	-	2.47	-	178.11
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.53	-	(0.06)	-	1.47
उप जोड़ (ख)	**174.11**	**-**	**2.53**	**-**	**176.64**
समग्र जोड़ #	**14,923.98**	**1,768.87**	**8.75**	**324.06**	**16,377.54**
पिछले वर्ष	19,961.84	2,774.35	(659.94)	7,152.27	14,923.98

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का 227.16 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 187.11 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 332.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 472.66 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 941.18 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 798.99 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 897.66 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 755.47 करोड़ रूपये) के शेष में से 161.15 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 114.34 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 736.51 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 641.13 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुतउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3995.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3774.90 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के संबंद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में पूर्वानुमान से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश

	विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
		शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	**व्यापार- उद्धृत**						
	इक्विटी लिखत में निवेश						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10	12.00
	व्यापार अनुद्धृत						
	बांड्स में निवेश						
	8.50 प्रतिशत कर-मुक्त निम्नांकित राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड			-			259.29
ख.	**गैर व्यापार- उद्धृत**						
	- इक्विटी लिखत						
	इंडियन ओवसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	10	0.36	360800	10	0.36
	(क) **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश#**						
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	57000	10000	52.94
	8.26 प्रतिशत भारत सरकार	17940	10000	17.83	17940	10000	17.83
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
	8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	10000	31.28	34000	10000	31.28
	(ख) **सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश#**						
	8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	688	1000000	69.63	688	1000000	69.63
	8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	30	1000000	2.99	30	1000000	2.99
	8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2035	120	1000000	12.09	120	1000000	12.09
	8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2030	150	1000000	15.13	150	1000000	15.13
	8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश *(जारी)*

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40	1250000	5.04	40	1250000	5.04
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156	1250000	19.51	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364	1250000	45.52	364	1250000	45.52
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	51	1000000	5.16	51	1000000	5.16
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	467	1000000	45.97	467	1000000	45.97
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	477	1000000	47.37	477	1000000	47.37
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2020	600	1000000	59.93	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2021	230	1000000	23.05	230	1000000	23.05
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032	120	1000000	12.00	120	1000000	12.00
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बॉण्ड 27.03.2027	100000	1000	10.61	100000	1000	10.61
8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉण्ड	473	100000	47.28	473	100000	47.28
कुल #			**763.34**			**1,022.63**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों का शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

विवरणात्मक टिप्पणी :

उद्धरत निवेश					
(i) समग्र लागत			763.34		763.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			876.61		815.75
अनुउद्धरत निवेश					
(i) समग्र लागत			-		259.29
(ii) मूल्य में कमी हेतु समग्र प्रावधान			-		-
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन					

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**पूंजी अग्रिम**						
	-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	9.37		9.37	0.39		0.39
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	472.95		472.95	460.27		460.27
	- अन्य	149.69		149.69	146.53		146.53
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	10.27		10.27	10.72		10.72
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.12		0.12	2.30		2.30
	घटाएं :संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.12		0.12	2.30		2.30
ख)	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	54.71	90.40	145.11	92.60	54.21	146.81
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.50	0.01	0.51	0.50	0.01	0.51
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	-	36.88	36.88	-	-	-
	घटाएं :संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.50	0.01	0.51	0.50	0.01	0.51
ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
i)	**कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	183.94	25.52	209.46	156.38	23.41	179.79
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	10.30	34.04	44.34	26.83	37.41	64.24
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02
ii)	**संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	0.03	0.03	-	0.30	0.30
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदल	54.16	4.12	58.28	-	10.09	10.09
	- अन्य	-	16.86	16.86	-	20.26	20.26
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	45.85	45.85	-	45.97	45.97
iii)	**ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण**						
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	12.68	25.36	38.04	38.04	25.36	63.40
iv)	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00	-	225.00	225.00	-	225.00
v)	**अन्य अग्रिम**						
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.09	42.72	42.81	0.53	30.95	31.48
	-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान *3	-	45.87	45.87	-	45.99	45.99
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षारत व्यय हेतु प्रावधान	-	0.20	0.20	-	-	-
vi)	**अग्रिम आय कर तथा स्रोत पर कटौती किया गया कर**	-	1,881.04	1881.04	-	2530.56	2,530.56
	कुल #	1,162.62	2,083.01	3,245.63	1,135.85	2,732.55	3,868.40

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
व्याख्यात्मक टिप्पणी:	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से वर्ष के अंत में बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	**0.01**	0.02

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष 0 रुपए) है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के दीर्घावधि ऋण और अग्रिम के 10.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.45 करोड़ रुपए) और अल्पावधि ऋण और अग्रिम के 5.85 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.83 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
प्रावधानों का विवरण	**दीर्घवधि**	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घवधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों हेतु प्रावधान 1*						
प्रारंभिक शेष	2.30	-	2.30	0.07	-	0.07
वर्ष के दौरान वर्धन	0.11	-	0.11	2.23	-	2.23
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.04	-	0.04	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.25	-	2.25	-	-	-
अंतिम शेष	0.12	-	0.12	2.30	-	2.30
संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 2*						
प्रारंभिक शेष	0.50	0.01	0.51	-	0.01	0.01
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	0.50	-	0.50
अंतिम शेष	0.50	0.01	0.51	0.50	0.01	0.51
संदिग्ध अन्य ऋण व अग्रिमों हेतु प्रावधान 3*						
प्रारंभिक शेष	-	45.99	45.99	-	45.99	45.99
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.27	0.27	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.12	0.12	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.27	0.27	-	-	-
अंतिम शेष	**-**	**45.87**	**45.87**	**-**	**45.99**	**45.99**

टिप्पणी सं. 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		**31 मार्च 2015 को**	**31 मार्च 2014 को**
क)	**दीर्घावधि प्राप्य व्यापार**		
	अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	335.94	427.95
ख)	**अन्य**		
	निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	214.22	177.96
	विलंबित विदेशी मुद्रा अस्थिर परिसंपत्तियां	421.29	713.64
	विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय	160.30	4.77
	कुल #	**1,131.75**	**1,324.32**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - विनियमित परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्धन	समायोजन*	परिशोधन/ क्षति	31 मार्च, 2015 के अनुसार
	विनियमित परिसंपत्तिया					
1)	सुबानसीरी लोअर जल विद्युत परियोजना	-	521.95	1,108.44	-	1,630.39
	कुल #	**-**	**521.95**	**1,108.44**	**-**	**1,630.39**
	गत वर्ष	-	-	-	-	-

* निर्माण क्रियाकलापों की बाधित अवधि अर्थात 16.12.2011 से 31.3.2014 तक के दौरान किए गए व्यय के संबंध में दर-नियामक परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु परिवर्तनकाल प्रावधान के चलते अधिशेष की प्रारंभिक राशि को तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. : 15 चालू निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
बांड्स में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)						
निम्नांकित राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	972	1000	0.10
बिहार	19070	1000	1.91	19070	1000	1.91
हरियाणा	565000	1000	56.50	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	17868	1000	1.79
जम्मू कश्मीर	770696	1000	77.07	770696	1000	77.07
झारखंड	14310	1000	1.43	14310	1000	1.43
मेघालय	532	1000	0.05	532	1000	0.05
मिजोरम	3210	1000	0.32	3210	1000	0.32
नागालैंड	6920	1000	0.69	6920	1000	0.69
पंजाब	222810	1000	22.28	222810	1000	22.28
राजस्थान	56982	1000	5.70	-	-	-
सिक्किम	2336	1000	0.23	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	786890	1000	78.69
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	6722	1000	0.67
कुल #			**256.44**			**250.74**
विवरणात्मक टिप्पणी :-						
अनुउद्धरत निवेश						
संचयी लागत			256.44			250.74
मूल्य में कमी हेतु समेकित प्रावधान			**-**			**-**

मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 16 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार तथा कलपुर्जे	104.32		96.91	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	3.55	107.87	1.91	98.82
खुले औजार		1.97		2.16
रद्दी मालसूची		1.18		1.00
स्थल पर सामग्री		3.56		3.16
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.04		0.61
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		23.98		25.91
कुल #		**90.64**		**79.84**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	25.91	25.20
वर्ष के दौरान वर्धन	0.39	3.12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.49	1.42
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.83	0.99
अंतिम शेष	**23.98**	**25.91**

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,066.11	727.16
- अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	34.77	34.77
अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,839.07	1,695.27
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.77	34.77
कुल #	**2,905.18**	**2,422.43**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

(करोड़ रुपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	34.77	43.70
वर्ष के दौरान वर्धन	-	5.71
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	14.64
अंतिम शेष	**34.77**	**34.77**

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रु.0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.01 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	0.20	0.23
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	14.87	15.93
	बैंकों में शेष राशि		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	- स्व बीमा निधि	-	0.46
	- अन्य	82.42	236.77
	- जमा खातों में (तीन माह या उससे कम की परिपक्वता वाले जमा)		
	- अन्य	528.80	662.61
	• अन्य बैंकों के साथ		
	चालू खाते में		
	- बैंक ऑफ भूटान	0.02	0.01
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि वाले जमा		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- स्व बीमा निधि	62.85	22.67
	- आईपीओ प्राप्तियां	-	509.09
	- अन्य	5,881.88	4,590.03
	जमा खाता - अदा न किया लाभांश/ब्याज	92.83	40.48
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले जमा		
	- अन्य	277.15	64.50
	कुल #	**6,941.02**	**6,142.78**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 48.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 70.13 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

विवरणात्मक टिप्पणी :-

1) वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2015 तक 3986.99 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

2) नकदी तथा बैंक शेष में 0.23 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.31 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है जो लेटर आफ क्रेडिट अथवा समान सुविधा खोलने हेतु बैंकों के पास मार्जिन राशि के प्रति है और 31.3.2015 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

3) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 268.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.63 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

4) नकदी तथा बैंक शेष में 3.24 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 5.11 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है जो ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में "भूमि हेतु भूमि'' के प्रति भू-वंचितों द्वारा किए गए जमा को दर्शाती है और 31.3.2015 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

5) नकदी तथा बैंक शेष में 9.01 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8.24 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है जो माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुसार बैंक में रखी गई है और 31.3.2015 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

6) नकदी तथा बैंक शेष में 164.31 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 160.51 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है जो स्व-बीमा आरक्षित के प्रति है और 31.3.2015 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2015 को	
क)	**निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-**				
	उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97		32.97	
	जमा राशियां				
	- आईपीओ	-		8.16	
	- स्व-बीमा	18.10		16.83	
	- अन्य जमा राशियां	264.64		266.79	
	अन्य				
	- अच्छे माने गए	21.34		2.20	
	- संदिग्ध माने गए	63.59		67.94	
	उप-जोड़	400.64		394.89	
	घटाएं : सदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	63.59	337.05	67.94	326.95
ख)	बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां		768.91		480.18
ग)	संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		140.67		140.09
घ)	लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज		6.79		111.27
ङ)	प्राप्य दावे	968.72		1026.37	
	घटाएं : सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	262.11	706.61	329.06	697.31
च)	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)		-		20.75
छ)	निपटान हेतु रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां		1.81		2.41
ज)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	-	37.06	-
झ)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां	34.56		11.35	
	घटाएं :लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान	34.56	-	11.35	-
झ)	अन्य		48.03		0.23
	कुल #		**2,009.87**		**1,779.19**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु. 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य देयताओं के अंतर्गत टिप्पणी-9 में (अन्य चालू देयताओं) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।

2) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) जम्मू व कश्मीर जल उपकर रु. 216.38 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 210.27 करोड) 2) कर समायोजन 110.70 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 24.41 करोड) 3) एमईए बिक्री रु. 4.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.72 करोड़) 4) अन्य रु. 437.12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 243.78 करोड)।

3) निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्यों से कम पर तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 3.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.95 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 20 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**बिक्री**				
	ऊर्जा की बिक्री		8,352.25		7,243.44
	घटाएं :				
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन	76.41		105.35	
	टैरिफ समायोजन	143.02		1.13	
	विनियमित बिक्री समायोजन	75.09		5.83	
	बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (ईडीसी नोट सं. 28 को अंतरितं)	0.36	294.88	8.35	120.66
	उप योग		**8,057.37**		**7,122.78**
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		50.17		50.17
ग	**अन्य प्रचालनशील आय**				
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)		93.44		212.10
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	8.87		41.32	
	परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	38.51		39.55	
	उप योग		47.38		80.87
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ) #		**8,248.36**		**7,465.92**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2012/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। तथापि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप विद्युत स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री को मान्यता देने के प्रयोजन हेतु इक्विटी पर प्रतिफल (टैरिफ का एक घटक) को वित्त वर्ष 2014-15 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया गया है।

2) बिक्री में वर्तमान वर्ष में टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने के कारण उत्पन्न पहले के वर्ष की बिक्री के चलते 63.02 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 371.43 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

3) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 122.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11.01 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 67.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4.94 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए थे।

4) बिक्री में रु. 853.34 करोड (पिछले वर्ष रु. 553.29 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।

5) दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में रु. 143.03 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.13 करोड) का प्रावधान किया गया है।

6) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु. 193.77 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 148.80 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किए गए हैं।

7) बिक्री में सीईआरसी द्वारा अनुमेय के अनुसार चूटक और निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशनों के संबंध में ''माने गए उत्पादन'' के चलते 86.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 20.09 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 21 : अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर-वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	- लाभांश आय- म्यूचुअल फंड	2.40	1.92
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	38.02	59.34
	गैर-व्यापार		
	- लाभांश-आय	0.02	0.10
	- ब्याज-(स्व बीमा निधि)	65.06	60.66
ख)	**अन्य**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	4.85	7.01
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	36.27	33.27
	-जमा खाता-स्व बीमा निधि के अलावा	3.62	3.97
	जमा खाता- स्व बीमा निधि से इतर	597.42	754.52
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	13.36	12.64
	- अन्य	74.32	134.96
	विलंब भुगतान अधिभार	7.84	121.57
	स्व उत्पादित वीईआर की बिक्री से आय	-	0.05
	व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि की वसूली	-	99.99
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.11	1.06
	देयताएं/प्रावधानों जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	112.33	41.21
	अन्य	40.37	46.76
	विनिमय दर अंतर	25.03	32.54
	कुल (क+ख)	**1,022.02**	**1,411.57**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	87.23	64.60
	घटाएं :ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	21.59	24.88
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #	**913.20**	**1,322.09**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है

खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	2.52	-
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	1.83	0.99
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	14.64
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	74.68	5.77
लंबित जांच हानियों/पश्च लेखन की प्रतीक्षा कर रही हानियों के लिए प्रावधान	2.00	-
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	0.12	-
पीआरपी/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	13.46	5.94
अधिवर्षिता/पेंशन निधि हेतु प्रावधान	-	0.02
प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	0.31	-
अन्य	17.41	13.85
कुल	112.33	41.21

2) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 107.02 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 58.72 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 72 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

\# संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.74 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**उत्पादन व्यय**				
	जल उपयोग प्रभार		748.51		630.04
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**		33.41		30.05
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**		7.29		23.09
घ.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	- भवन	56.55		49.42	
	- मशीनरी	40.74		31.90	
	- अन्य	111.79	209.08	115.00	196.32
ड.	**प्रशासनिक व्यय**				
	किराया और भाड़ा प्रभार	48.87		52.75	
	दरें और कर	2.67		4.53	
	ऊर्जा विकास उपकर	55.25		198.71	
	बीमा	100.84		74.44	
	स्व: बीमा निधि का उपयोग	5.65		3.97	
	सुरक्षा व्यय	170.26		155.86	
	विद्युत प्रभार	81.50		115.35	
	यात्रा एवं वाहन	28.97		22.30	
	वाहनों पर खर्च	9.82		10.69	
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	15.32		13.84	
	विज्ञापन एवं प्रचार	12.05		11.00	
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार पर खर्च	0.50		0.60	
	दान	0.02		0.00	
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6.11		6.30	
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.32		0.36	
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	13.65		10.74	
	परामर्शी प्रभार -विदेशी	-		2.10	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	5.25		48.04	
	कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	8.15		30.64	
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	1.56		0.75	
	स्व बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)	12.39			
	बट्टे खाते डाली गयी परिसम्पत्तियां/दावें	0.83		0.16	
	आर्बिट्रेशन/अदालती मामलों पर ब्याज	3.21		13.16	
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज	20.51		9.29	
	ग्राहकों को छूट	23.00		26.67	
	कारपोरेट सामाजिक दायित्व/सतत विकास/सामुदायिक विकास पर व्यय	55.31*		36.05	
	स्व उत्पादित वीईआरएस पर व्यय	-		0.01	
	अन्य सामान्य खर्च	88.83		102.54	
	विनिमय दर अंतर	5.16		47.33	
	लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	2.36		2.43	

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए			31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		
निदेशक खर्च			0.25			0.27	
विनियमित बिजली पर व्यय		7.59			0.89		
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय		7.59	-	778.61	0.89	-	1,000.88
	उप जोड़			**1,776.90**			**1,880.38**
च. प्रावधान							
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान			-			5.72	
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान			0.37			2.25	
खराब तथा संदिग्ध दावे/ब्याज हेतु प्रावधान			66.18			139.61	
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी			0.40			0.63	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान			51.15			55.91	
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान मुहैया करवाया गया			25.35			2.40	
अन्य			-			0.01	
	उप जोड़			143.45			206.53
	जोड़			**1,920.35**			**2,086.91**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि				117.14			186.76
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली				0.11			0.08
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #				**1,803.10**			**1,900.07**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स), कार्यालय परिसरों के परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 20.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 9.29 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
i)	**सांविधिक लेखा-परीक्षक**				
	लेखा-परीक्षक के रूप में				
	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.65		0.54	
	कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.19	0.84	0.16	0.70
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	0.01		0.01	
	प्रबंधन सेवाएं	0.01		-	
	अन्य मामले/ सेवाएं	0.68	0.70	0.81	0.82
	खर्चों की अदायगी		0.69		0.75
ii)	**लागत लेखा परीक्षक**				
	लेखा-परीक्षा शुल्क		0.12		0.15
	खर्चों की प्रतिपूर्ति		0.01		0.01
			2.36		**2.43**

4) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 68.69 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 220.70 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 62.71 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

* (टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 24 में) सीएसआर पर होने वाले खर्च के संबंध में प्रकटीकरण दिया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 23 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते	1,238.83	1,198.15
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	202.06	195.53
कर्मचारी कल्याण व्यय	136.74	129.47
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	0.11
कुल	1,577.63	1,523.26
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	352.15	390.00
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.80	0.67
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #	**1,224.68**	**1,132.59**

स्पष्टीकरण टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 45.32 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 41.22 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	78.68	78.51
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	111.28	100.76
	189.96	**179.27**

3) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 129.72 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 107.17 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 111.66 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 24 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**निम्नलिखित पर ब्याज -**				
	भारत सरकार ऋण	19.90		14.22	
	बॉण्ड	550.72		473.97	
	विदेशी मुद्रा ऋण	33.84		45.17	
	सावधि ऋण	970.72		1,081.30	
	अन्य ब्याज प्रभार	-		7.40	
	उप जोड़		**1,575.18**		**1,622.06**
ख.	**अन्य ऋण लागत**				
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.35		2.84	
	प्रतिबद्धता शुल्क	0.14		0.07	
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	25.98		28.84	
	अन्य वित्त प्रभार	4.35		4.62	
	उप जोड़		**30.82**		**36.37**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**				
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	-		29.66	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-		(29.66)	
	उप जोड़		-		-
	कुल (क से ग)		**1,606.00**		**1,658.43**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत		333.22		478.22
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #		**1,272.78**		**1,180.21**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 460.97 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 483.73 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमश: पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 406.83 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. : 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	1,778.42	1,573.48
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	(4.03)	(12.27)
कुल	**1,774.39**	**1,561.21**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22.18	25.29
घटाएं : सहायता-अनुदान आरक्षित में समायोजन (पश्चलेखित अनुदान)(देखे टिप्पणी सं.3)	**36.93**	**36.55**
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #	**1,715.28**	**1,499.37**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-IV परियोजना से संबंधित 9.00 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8.08 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमश: पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 8.42 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. : 26 पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय				
देनदारों से ब्याज/अधिभार		-		(12.79)
अन्य		71.17		4.52
उप जोड़ (क)		71.17		(8.27)
व्यय				
वेतन तथा मजदूरी		14.71		0.29
मरम्मत तथा अनुरक्षण		(0.48)		0.92
वित्त लागत		-		(0.21)
मूल्यह्रास तथा परिशोधन		0.74		1.93
अन्य		(3.22)		490.50
उप जोड़ (ख)		11.75		493.43
कुल पूर्वावधि व्यय (ग) = (ख)-(क)		(59.42)		501.70
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय				
पूर्वावधि व्यय	(4.44)		3.87	
घटाएं - पूर्वावधि आय	0.01		(0.59)	
उप जोड़ (घ)		(4.45)		4.46
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल (ग-घ)#		**(54.97)**		**497.24**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 1.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

विवरणात्मक टिप्पणी :-

1. आय शीर्ष के अंतर्गत अन्यों में 70.84 करोड़ रूपये की राशि शामिल है जो धौलीगंगा विद्युत स्टेशन के संबंध में वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए प्रावधान की वापिसी के चलते है।

2. लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-4 परियोजना से संबंधित 4.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 506.73 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के क्रमशः पैरा 10 (पैरा 23 के साथ पढ़े जाने वाले) और पैरा 11 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 4.32 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 27 कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आयकर प्रावधान		791.58		538.42
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		74.51		46.68
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	15.04		210.94	
घटाएं : वसूली योग्य	(114.67)		(99.36)	
घटाएं : आस्थगित कर देयताओं के विरूद्ध में आस्थगित कर समायोजन	75.50	54.21	-	310.30
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल #		**920.30**		**895.40**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु सीईआरसी विनियम संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल के योग के माध्यम से लाभग्राहियों से कर की वसूली का प्रावधान करते हैं अर्थात उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर। उत्पादक आय पर वर्ष हेतु प्रावधान की गई 75.50 करोड़ रूपये की राशि की विलंबित कर देयता को तदनुसार विलबित कर समायोजन के प्रति विलंबित कर देयता के रूप में समायोजित किया गया है क्योंकि यह भविष्य की अवधि में प्रभावी कर दर में समायोजित हो जाएगी और उक्त को विलंबित कर देयता से कटौती के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.92 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	134.74		162.74	
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	21.92		25.99	
	स्टाफ कल्याण व्यय	10.68		11.03	
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-		0.11	
	उप जोड़		167.34		199.87
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	भवन	3.42		4.12	
	मशीनरी	0.06		0.33	
	अन्य	3.33		5.42	
	उप जोड़		6.81		9.87
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	किराया और भाड़ा प्रभार	9.07		12.73	
	दरें और कर	0.10		10.36	
	बीमा	0.15		1.18	
	सुरक्षा व्यय	15.54		19.13	
	विद्युत प्रभार	4.73		5.38	
	यात्रा एवं वाहन	3.23		3.04	
	वाहनों पर व्यय	1.36		1.64	
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.52		2.74	
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.39		0.61	
	मनोरंजन एवं अतिथि सत्कार पर खर्च	-		0.01	
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.57		0.83	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	3.23		1.47	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -विदेशी	-		2.10	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	4.59		13.60	
	कंपनी द्वारा नियंत्रित न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	6.26		26.85	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		0.01	
	बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां/दावे	-		0.00	
	अन्य सामान्य व्यय	7.42		8.25	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		0.02	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)	3.51		15.46	
	उप जोड़		62.67		125.41

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) जो चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है। *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
घ. वित्त लागत					
निम्नलिखित पर ब्याज :					
बॉण्ड		100.33		90.22	
सावधि ऋण		232.24		382.44	
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		0.18		3.32	
अन्य वित्त प्रभार		0.46		2.21	
	उप जोड़		333.21		478.19
ङ प्रावधान		30.67		27.06	
	उप जोड़		30.67		27.06
च मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		17.61		20.99	
	उप जोड़		17.61		20.99
छ. पूर्वावधि मदें					
पूर्वावधि व्यय		0.34		3.75	
घटाएं - पूर्व अवधि आय		0.01		(0.59)	
	उप जोड़		0.33		4.34
ज. निगम मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय					
अन्य आय		(5.88)		(2.93)	
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		16.98		24.42	
कर्मचारी लाभ व्यय		184.81		190.13	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4.57		4.30	
वित्त लागत		0.01		0.03	
प्रावधान		0.01		-	
पूर्वावधि मदें (निवल)		(4.78)		0.12	
	उप जोड़		195.72		216.07
झ. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां					
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व		0.36		8.35	
ख) अन्य					
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		40.76		38.09	
विविध प्राप्तियां		2.17		7.97	
विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)		2.87		12.86	
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान		35.35		2.38	
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार		0.20		0.37	
	उप जोड़		81.71		70.02
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ +च+ छ+ज+झ) #		**732.65**		**1,011.78**

 # संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 11.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.29 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या - 29 : समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी''), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (जिन्हें सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा गया है) में इसके हित के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. (क) लेखांकन के आधार -

i) समेकन में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि तक ही लिया जाता है।

ii) इन वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों ('भारतीय जीएएपी') के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है।

ख) समेकन के सिद्धान्त -

i) कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी समान मदों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतरा-समूह शेष, अन्तरा समूह कारोबार और प्राप्त न किए गए लाभ अथवा हानियों को हटाकर मिश्रित किया जाता है।

ii) समेकित वित्तीय विवरण जिसमें संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल होता है, जिसे लेखांकन तथा रिपोर्टिंग की अनुपातिक समेकन पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है जिसके द्वारा कंपनी के किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय तथा व्यय में कंपनी के अंश को एक पृथक लाइन मद माना गया है।

iii) समेकित वित्तीय विवरणों को समान कारोबार तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं हेतु एकीकृत लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है, सिवाय कुछ मदें हैं जिनका प्रभाव सामग्री पर नहीं पड़ता है।

iv) वर्ष के दौरान मैसर्स नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के लेखांकन के आधार को चालू फर्म से बदल कर परिसमापन आधार पर किया गया है क्योंकि कंपनी 28 अक्तूबर, 2014 से स्वैच्छिक परिसमापन में चली गई है।

v) समेकित अनुषंगी कंपनियों की निवल परिसंपत्ति में अल्पसंख्यक हित में अल्पसंख्यक शेयरधारकों को आरोप्य इक्विटी की राशि शामिल है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
क. अनुषंगी कंपनियां		
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08 प्रतिशत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.) *	भारत	74 प्रतिशत
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड $	भारत	99.99 प्रतिशत
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां		
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	भारत	21.63 प्रतिशत
नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	भारत	16.67 प्रतिशत
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	भारत	49.98 प्रतिशत

* वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़ों में उनकी लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर परिवर्तन हो सकता है।

$ कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया है।

4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण समूह के प्रति कुल 9,293.29 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 9,025.51 करोड़ रूपये) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का संबंधित कंपनियों द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी अद्यतन ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध माध्यस्थम पंचाटों के प्रति 1,626.57 करोड रूपये (पिछले वर्ष 892.61 करोड़ रूपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर 429.61 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 154.56 करोड़ रूपये) के प्रावधान को मान्यता दी है और 8,486.24 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8,870.95 करोड़ रूपये) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु 1,230.63 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1,235.42 करोड़ रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 44.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 28.63 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 1,186.31 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1,206.79 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि 308.00 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 337.51 करोड़ रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 25.40 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 7.78 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात 282.31 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 329.73 करोड़ रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य मामलों के संबंध में दावे 658.82 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 418.53 करोड़ रूपये) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 28.94 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 628.10 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 418.53 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015 को दावे	31.03.2015 को दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2015 को आकस्मिक देयता	31.03.2014 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता का वर्धन
1.	पूंजीगत कार्य	9293.29	429.61	8486.24	8870.95	(384.71)
2.	भूमि मुआवजा	1230.63	44.32	1186.31	1206.79	(20.48)
3.	विवादित कर मामले	308.00	25.40	282.31	329.73	(47.42)
4.	अन्य	658.82	28.94	628.10	418.53	209.57
	कुल	**11490.74**	**528.27**	**10582.96**	**10826.00**	**(243.06)**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को 240.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 52.24 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 53.66 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.86 करोड़ रुपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

5. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 3,798.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 3,582.42 करोड़ रुपये) है।

6. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 42.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.61 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

7. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं। 31.03.2015 को 3,241.12 करोड़ रुपए के व्यापार प्राप्य बकाया है जिसमें 335.94 करोड़ रुपए के दीर्घावधि प्राप्त शामिल है। प्रबंधन के मतानुसार, वर्ष के दौरान 2,454.86 करोड़ रुपए की राशि का आवधिक रूप से मिलान किया गया था और पुष्टि न किए गए शेष का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

8. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को संशोधित/समाप्त किया गया-

(करोड़ रुपये में)

नीति संख्या	विवरण	वर्ष हेतु लाभ पर प्रभाव
तत्कालीन नीति सं. 2.5	अधिशेष घोषित/निपटान कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही अचल परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बजाए ''अन्य चालू परिसंपत्तियों" में दर्शाए जाने के कारण नीति समाप्त की गई।	कोई प्रभाव नहीं
नयी नीति सं. 5.2.3	ऐसी मदों के संबंध में मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति जिनके लिए कम्पनी द्वारा आंकलित दरों का उपयोग किया जाता है। नीति में परिवर्तन करके 1.4.2014 से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के अनुसार उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य को अपनाने को लागू किया गया।	(0.64)
तत्कालीन नीति सं. 5.3	5000/- रूपये अथवा कम के लिखित निम्न मूल्य वाली मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यह्रास को वर्ष के प्रारंभ में प्रभारित करने की नीति के बजाए अब उनका वर्ष के दौरान 1/- रूपये के डब्ल्यूडीवी के साथ पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।	0.64
तत्कालीन नीति सं. 7.3	5000/- रूपये अथवा अधिक मूल्य के उपयोग में होने वाले खुले औजारों के पश्च लेखन संबंधी नीति को समाप्त कर दिया गया है।	(0.18)
तत्कालीन नीति सं. 9.3	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि के भुगतान तथा नोटिस वेतन पर व्यय संबंधी नीति को समाप्त कर दिया गया है।	कोई प्रवाह नहीं क्योंकि नीति दोहराव वाली थी।

उक्त के अतिरिक्त, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु कुछ अन्य लेखांकन नीतियों के नामों को परिवर्तित किया गया है/उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है, जिसका लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

9. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 (वित्त वर्ष 2013-14 की 4.4), जिसे वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रारम्भ किया गया था, उसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) को उसके मत हेतु उसकी विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) को संदर्भित किया गया है। मत प्राप्त होने के लम्बित रहने तक समान लेखाकन उपचार को जारी रखा गया है और उक्त नीति के अनुसार 31.3.2015 तक निर्माण के दौरान 173.61 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 167.85 करोड़ रूपये) को पूंजीकृत/ प्रभारित किया गया है।

10. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.4.2015 के पत्र सं.फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (3000 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए सिद्धांत अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना को वन स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई 169.47 करोड़ रूपये की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है।

11. कोटलीभेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश से कवर होती है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अगले आदेशों तक इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न करने और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव-विविधता पड़ने होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में निर्णय लंबित होने तक अद्यतन तिथि तक किए गए 125.53 करोड़ रूपये की राशि के व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, इस परियोजना पर किए गए बाद के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

12. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को आयोजित अपनी बैठक में यह चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय समर्थन पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय के लिए वित्त-पोषण मुहैया करवाने का अनुरोध किया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय से निधियां उपलब्ध करवाने के लिए संपर्क किया गया था। 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय में आयोजित बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। तदनुसार, परियोजना का प्रारंभिक अन्वेषण जारी है और उस पर किए गए 177.07 करोड़ रूपये के व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है।

13. सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुन: प्रारंभ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरूप 406.83 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष की 766.90 करोड़ रूपये की राशि तक) की ऋण लागत और 115.12 करोड़ रूपये (341.54 करोड़ रूपये की पिछले वर्ष की राशि तक) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

तथापि, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया है जो "नियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "नियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है (उक्त् मार्गदर्शी नोट के अनुसार विस्तृत प्रकटीकरण इस नोट के नीचे पैरा 26 में दिया गया है)।

14. तीस्ता लो डैम-4 परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य जो 20.3.2013 से एक संविदाकार द्वारा कार्य रोके जाने के कारण बाधित हुआ था, उसे 1.11.2014 को पुन: प्रारम्भ कर लिया गया है। तदनुसार, 1.4.2014 से 31.10.2014 तक की अवधि हेतु 43.72 करोड़ रूपये की राशि की ऋण लागत और प्रशासनिक तथा अन्य लागत (पिछले वर्ष 156.79 करोड़ रूपये) को लाभ एव हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

15. कंपनी ने मेगा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अद्यतन तिथि को धौलीगंगा विद्युत स्टेशन, जहां जून, 2013 के दौरान आई अचानक बाढ़ के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया था, के संबंध में परिसंपत्तियों की हानि तथा व्यापार बाधा हानि के प्रति क्रमश: 191.58 करोड़ रूपये और 291.56 करोड़ रूपये की राशि का बीमा दावा दायर किया है। अद्यतन तिथि तक परिसंपत्तियों की हानि के प्रति 70.10 करोड़ रूपये और व्यापार बाधा हानि के प्रति 99.99 करोड़ रूपये का अंतरिम भुगतान प्राप्त किया गया है। आधिक्य खंड से परे की हानि,यदि कोई हो, को कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा और इसका निर्धारण अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात होगा और तत्संबधी प्रभाव को तदनुसार लेखांकित किया जाएगा।

16. 20 नवम्बर, 2014 को उड़ी-2 विद्युत स्टेशन (240 मेगावाट) के ट्रांसफार्मर केवर्न में अचानक आग लग गई जिससे विद्युत गृह क्षेत्र में इलेक्ट्रो तथा मैकेनिकल उपकरणों और सिविल ढांचों को भारी क्षति पहुंची और जो उत्पादन के रूकने में परिणत हुआ। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और व्यापार बाधा हानि मेगा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर है। तथापि, आधिक्य खंड तक की हानियां और साथ ही साथ बीमा पॉलिसी के प्रावधानों से परे होने वाली 28.26 करोड़ रूपये की राशि को अनुमान आधार पर लेखांकित किया गया है। इसके आगे की हानियां, यदि कोई हों, को कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा और इसका निर्धारण अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात होगा और तत्संबधी प्रभाव को तदनुसार लेखांकित किया जाएगा। विद्युत स्टेशन द्वारा उत्पादन को बहाल करने के लिए पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है।

17. निर्माण संविदाओं के संबंध में लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	409.32	415.65
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	411.55	422.01
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	8.82
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	शून्य	6.30

18. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	(20.50)	0.60
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	-	29.65
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	0.63	14.19
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	1.28	(0.02)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	216.20	0.24

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभार्थियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभार्थियों से प्राप्य) को अंतरित किया जाता है।

19. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक ट्रस्ट में जमा कराती है, जिसमें प्रतिभूतियों में निधि के निवेश की अनुमति दी गई है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

घ. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ङ. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिन की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद रहना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ज. अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त योजनाएं क, ख, ग और घ वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2015 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :-

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट दर	8.00%	8.50%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.00%	6.50%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00%	8.00%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर-वित्तपोषित	
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	631.08 (611.06)	409.28 (366.88)	450.05 (386.06)
ब्याज लागत	53.65 (48.88)	34.78 (29.36)	38.26 (30.89)
वर्तमान सेवा लागत	26.29 (26.23)	19.34 (18.99)	10.37 (9.76)
अदा किया गया लाभ	(73.49) (50.48)	(75.69) (57.61)	(8.59) (7.01)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.55) (4.61)	27.43 (51.66)	28.52 (30.35)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	625.98 (631.08)	415.14 (409.28)	518.61 (450.05)

तालिका-3 योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (वित्त-पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	643.79 (623.22)
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	51.61 (49.92)
अंशदान	1.88 (1.81)
निधि से निकासी	(50.09) (38.00)
योजनागत परिसंपत्तियों से बीमांकिक लाभ/(हानि)	6.93 (6.84)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	654.12 (643.79)

तालिका-4 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर वित्त-पोषित	
वर्ष के अंत में पीवीओ	625.98 (631.08)	415.14 (409.28)	518.60 (450.05)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	654.12 (643.79)	- (-)	- (-)
निधि स्थिति	28.14 (12.71)	(415.14) (409.28)	(518.60) (450.05)
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/ परिसंपत्ति (-)	(-)28.14 (-)12.71	415.14 (409.28)	518.60 (450.05)

तालिका-5 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	26.29 (26.23)	19.34 (18.99)	10.37 (9.76)
ब्याज लागत	53.65 (48.88)	34.78 (29.36)	38.26 (30.89)
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(51.61) (49.92)	- (-)	- (-)
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(18.48) (11.45)	27.37 (51.66)	28.52 (30.35)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	9.85 (13.74)	81.49 (100.01)	77.15 (71.00)

नोट : ( ) पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2015 को क्रमशः 5.32 करोड़ रुपये और 2.77 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 5.34 करोड़ रुपये और 2.97 करोड़ रुपये) है।

20. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड हैं।

21. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनिया

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी परिसमापन के अधीन है)।

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री आर.एस.टी. शाई	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी लिमिटेड के रूप अपने कार्यभार के अतिरिक्त 08.06.2014 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।
श्री जी. साइ प्रसाद	पूर्व संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। 24.07.2012 से 07.06.2014 तक कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण किया। 08.06.2014 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक) (15.09.2014 से 25.05.2015 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किया)।
श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त), 26.05.2015 से।
श्री विजय गुप्ता	कंपनी सचिव
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 15.09.2014 तक।
श्री जे.के.शर्मा	निदेशक (परियोजना), 11.03.2015 तक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त) को वर्तमान वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 2.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.36 करोड़ रुपये) है।

उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार - शून्य।

22. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2491.36	1218.75
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1107,06,68,496	1198,05,86,454
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	2.25	1.02
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

23. (क) ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' संबधी लेखाकंन मानक (एएस)-27 की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकटीकरण :

i) संयुक्त उद्यमों में हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2015	31.03.2014
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	21.63%	20%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	16.67%	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड	49.98%	49.98%

ii) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कपंनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

		31.03.2015	31.03.2014*
क.	परिसंपत्तियां	303.21	278.53
ख.	देयताएं	179.91	155.71
ग.	आकस्मिक देयताएं	0.67	1.62
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	28.53	43.18
ङ.	विदेशी मुद्रा में व्यय	0.45	-

(करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2014-15 हेतु	वर्ष 2013-14 हेतु*
क.	आय	0.09	5.74
ख.	व्यय	1.32	0.12

* मैसर्स नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के संबंध में पिछले वर्ष के आंकड़े गैर-लेखापरीक्षित है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- ।।। के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

समूह में शामिल निकायों के नाम	कुल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रू प मे	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रू प मे	राशि
1	2	3	4	5
मूल कंपनी				
एनएचपीसी	83.00	28286.40	82.91	2065.48
अनुषंगी कंपनी				
एनएचडीसी	7.22	2462.29	29.34	731.08
बीएसयूएल	0.00	(0.07)	0.00	(0.07)
एलडीएचसीएल	0.02	7.39	0.11	2.69
सभी अनुषंगी कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	9.76	3325.72	(12.31)	(306.69)
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार अनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)				
एनपीईएक्स	0.00	0.02	0.00	0.12
एनएचपीटीएल	(0.01)	(2.03)	0.00	0.00
सीवीपीपीएल	0.01	3.46	(0.05)	(1.25)
कुल	**100.00**	**34083.18**	**100.00**	**2491.36**

24. समूह के प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2015 के अनुसार ''परिसंपत्तियों की क्षति'' पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

25. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	8.78	6.66
	ii) कलपुजे	-	3.59
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	-	-
	ii) ब्याज	33.84	45.17
	iii) अन्य विविध मामले	154.39	216.18
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	33.41(100%)	30.05(100%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	0.05

* प्रोद्भवन आधार।

26. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट" के अनुसार दर विनियमित परिसंपत्तियों के सृजन तथा दर विनियमित आय की मान्यता से संबंधित प्रकटीकरण :

कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगी हुई है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, कंपनी के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अत: कंपनी पर लागू है। यद्यपि, परामर्शी नोट 1.4.2015 से प्रभावी है, कपंनी ने इसे वित्त वर्ष 2014-15 से अपनाने का विकल्प चुना है क्योकि पहले अपनाए जाने की अनुमति है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता। निर्माण पूरा होने के पश्चात परिणामी लागत मूल्यह्रास या परिशोधन तथा दर निर्धारण हेतु वसूल न किए गए निवेश का आधार होती। निकाय द्वारा ऐसी लागतों के मामले में किसी नियामक परिसंपत्ति को मान्यता देनी चाहिए क्योंकि वह भविष्य के टैरिफों के माध्यम से ग्राहकों (लाभग्राहियों) से वसूली योग्य है।

उक्त, पैरा 10 में बताए गए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना जहां सक्रिय निर्माण 16.12.2011 से बाधित है, पर व्यय की गई 406.83 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष तकि 766.90 करोड़ रूपये) की ऋण लागत और 115.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक 341.54 करोड़ रूपये) की प्रशासन और अन्य लागत,

को लेखांकन मानक 10, स्थिर परिसंपत्ति हेतु लेखाकन और लेखांकन मानक 16, ऋणलागत को कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा अधिसूचित किए अनुसार प्रावधान के अनुपालन हेतु लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। तथापि, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अंतर्गत ऐसे व्यय को भविष्य के टैरिफ के माध्यम से वसूल किए जाने की अनुमति है ।

उक्त के अनुपालन में कम्पनी ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और वित्त वर्ष 2014-15 हेतु तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता दी है। 16.2.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि से संबंधित राशि के प्रति अधिशेष के प्रारंभिक शेष के क्रेडिट को उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुसार परिवर्तनशील प्रावधान का उपयोग करते हुए निम्नानुसार मान्यता दी है :

(करोड़ रुपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित नियामक परिसंपत्ति	16.12.2011 से 31.03.2014 तक की अवधि हेतु	वित्त वर्ष 2014-15 हेतु	कुल
ऋण लागत	766.90	406.83	1173.73
प्रशासनिक और अन्य लागते	341.54	115.12	456.66
कुल	**1108.44***	**521.95****	**1630.39**

* अधिशेष के प्रारंभिक शेष को 876.10 करोड़ रूपये के तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा (1108.44 करोड़ रूपये घटा 232.34 रोड़ रूपये हेतु आयकर के लिए प्रावधान) (देखें - टिप्पणी संख्या-3- आरक्षित और अधिशेष)।

** "नियामक आय" के माध्यम से वर्तमान वर्ष के लाभ को तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा।

27. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (देखें टिप्पणी संख्या 22)

(i) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों में शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष	राशि
1	सामुदायिक विकास	0.07
2	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	2.85
3	शिक्षा और कौशल विकास	12.30
4	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.61
5	पर्यावरण	3.54
6	कला और संस्कृति	0.36
7	खेलकूद	0.49
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.02
9	प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान	0.23
10	ग्रामीण विकास	11.17
11	क्षमता निर्माण	0.15
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	23.40
	कुल राशि	**55.19**

(ii) अन्य प्रकटीकरण :-

(क) निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 हेतु 91.86 करोड़ रूपये के कुल बजट को आवंटित किया है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुरूप पिछले 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत पर आधारित 66.90 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2013-14 तक व्यय न की गई राशि में से 24.96 करोड़ रूपये शामिल हैं।

ख) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नकदी में किए गए और अभी नकदी में अदा किए जाने वाले ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूंजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

		नकद में (क)	नकदी में अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	35.66	9.54	45.20
(ii)	उक्त (1) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	9.39	0.60	9.99
	कुल	**45.05**	**10.14**	**55.19**

(ग) ऊपर बताए गए अनुसार 55.19 करोड़ रूपये के कुल व्यय में से 10.14 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबधित लेखे के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।

28. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	2600
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में)	शून्य
4.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	शून्य (पिछले वर्ष हेतु 0.05 करोड़ रुपए के लिए 16000 वीईआर)

29. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	0.21
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	0.20*
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

* लेखा बहियों में ब्याज लेखांकित नहीं किया गया है।

30. मध्य प्रदेश सरकार से ''सिंचाई और आर एण्ड आर घटक'' और गुजरात सरकार से "सरदार सरोवर घटक" के प्रति प्राप्त योगदान की राशि को प्रारंभ में ''सहायता अनुदान - आरक्षित'' के रूप में लिया जाता है और बाद में उसका समायोजन उसी अनुपात में किया जाता है जिसमें ऐसे योगदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान लिखित मूल्यह्रास को किया जाता है। (देखे तुलन पत्र की टिप्पणी सं.3(3))।

31. प्रारम्भिक शेष/पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ		**3,718.35**		**2,528.55**
	घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)		521.95		-
			3,196.40		**2,528.55**
	जोड़ें -				
	मूल्यह्रास (पूर्वावधि और ईआरवी प्रभाव सहित)	1,720.79		1,513.88	
	वित्त लागत (ईडीसी का निवल)	1,272.80		1,180.21	
	प्रावधान (निवल हानि)	125.11		188.86	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	105.82		1.13	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/ पश्चलेखित दावे	2.38		0.90	
	विनिमय दर अंतर	(20.50)		105.27	
			3,206.40		2,990.25
			6,402.80		**5,518.80**
	घटाएं -				
	पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.17		50.17	
	प्रावधान (निवल लाभ)	75.96		38.08	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	1.11		1.06	
	लाभांश आय	2.42		2.02	
	ब्याज आय	840.13		999.80	
			969.79		1,091.13
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**5,433.01**		**4,427.67**
	कार्यशील पूंजी में कमी(वृद्धि)				
	माल सूची	(8.87)		(16.33)	
	व्यापार प्राप्य	(391.38)		(413.40)	
	अन्य परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	454.22		506.53	
	अन्य देयताएं और प्रावधान	(617.10)		114.07	
			(563.13)		190.87
	कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4,869.88**		**4,618.54**
	घटाएं - कर		809.24		794.18
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**4,060.64**		**3,824.36**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	''अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण के दौरान व्यय सहित)''		(1,726.01)		(2,249.92)
	दर विनियमित परिसंपत्तियों का सृजन		(123.30)		-
	निवेश/बॉण्ड से प्राप्ति		239.77		172.47
	ब्याज आय		840.13		1,000.08
	प्राप्त लाभांश		2.41		2.02
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(767.00)**		**(1,075.35)**
ग.	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)		-		(2,367.89)
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर		(848.35)		(1,343.51)
	शेयर पूंजी का इश्यू/शेयर आवेदन राशि जो		7.81		40.29
	मध्य प्रदेश सरकार से निधियों का आवंटन के चलने लंबित है		20.14		304.93
	ऋणों से प्राप्तियां		1,481.05		2,534.11
	ऋणों का पुनर्भुगतान		(1,500.66)		(2,084.68)
	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		(1,654.40)		(1,619.51)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(2,494.41)**		**(4,536.26)**
घ.	**नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**		**799.23**		**(1,787.25)**

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	6,142.78	7,976.46
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य में समायोजन	(0.99)	(46.43)
वर्ष के प्रारंभ में समायोजित नकदी तथा नकदी तुल्य	**6,141.79**	**7,930.03**
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	**6,941.02**	**6,142.78**

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.18 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है :

नकदी तथा नकदी-तुल्य	715.62	951.66
अन्य बैंक शेष *	6225.40	5191.12
	6941.02	**6142.78**

* अन्य बैंक शेष में 268.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.63 करोड़ रुपये), जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं, 10.14 करोड़ रुपए की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय न की गई देयता, 92.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.48 करोड़ रुपए) का अदा न किया गया लाभांश/ब्याज और 164.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 160.51 करोड़ रुपए) की स्व बीमा निधि भी शामिल है, जो राशियां कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

क) माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुसार बैंक में रखे गए 9.01 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8.24 करोड़ रूपये)।

ख) लेटर आफ क्रेडिट अथवा समान सुविधा खोलने हेतु बैंकों के पास रखे गए 0.23 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.31 करोड़ रूपये)।

ग) ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में "भूमि हेतु भूमि'' के प्रति भू-वंचितों द्वारा किए गए जमा के 3.24 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 5.11 करोड़ रूपये)।

2 निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) की अवधि के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 332.56 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 472.66 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

3 31.3.2015 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 280.64 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 717.62 करोड़ रुपए) है, जो अधीनस्थ ऋण है।

4 नकदी तथा बैंक शेष में 3.24 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 5.11 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है जो ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में ''भूमि हेतु भूमि'' के प्रति भू-वंचितों द्वारा किए गए जमा को दर्शाती है और 31.3.2015 तक उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

5 वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2015 तक 3986.99 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे, और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

6 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2015

फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परन्तुक के अनुपालन में जिसे कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)

अनुषंगी कंपनियों/एसोसिएट कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं समाविष्ट करने वाला विवरण

भाग ''क'' : अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रूपये में राशि के साथ दी जाए)

क्रम सं.	विवरण	1.	2.	3.
1.	**अनुषंगी का नाम**	**एनएचडीसी लिमिटेड**	**लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड**	**बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड**
2.	संबंधित अनुषंगी कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है तो	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
3.	विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार सूचित करने वाली मुद्रा तथा विनिमय दर	भारतीय राष्ट्रीय रुपए	भारतीय राष्ट्रीय रुपए	भारतीय राष्ट्रीय रुपए
4.	शेयर पूंजी	19,62,58,00,000	117,69,23,090	1,00,00,000
5.	आरक्षित और अधिशेष	45,66,11,27,139	15,70,01,564	(665,784)
6.	कुल परिसंपत्तियां	81,17,77,20,404	136,37,67,170	1,13,74,385
7.	कुल देयताएं	15,89,07,93,265	2,98,42,516	20,40,169
8.	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
9.	टर्न ओवर	13,66,59,66,199	शून्य	शून्य
10.	कराधान से पूर्व लाभ	9,83,77,62,228	4,00,35,080	(8,84,410)
11.	कराधान हेतु प्रावधान	2,17,31,74,185	1,29,89,382	(2,18,626)
12.	कराधान के पश्चात लाभ	7,66,45,88,043	2,70,45,698	(6,65,784)
13.	प्रस्तावित लाभांश	231,58,44,400	शून्य	शून्य
14.	शेयरधारिता का प्रतिशत	51.08 %	74.00 %	99.99 %

टिप्पणी : निम्नलिखित सूचना को विवरण के अंत में प्रस्तुत किया जाए।

1.	ऐसी अनुषंगी कंपनियों के नाम जिनका प्रचालन अभी प्रारंभ होना है	2
2.	ऐसी अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया या बेचा गया	शून्य

भाग ''ख'' : एसोशिएटस् और संयुक्त उद्यम

एसोसिएटस कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

(राशि रूपये में)

एसोसिएटस/संयुक्त उद्यम का नाम		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	नैशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी)	नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31st March 2015	31st March 2015	31st March 2015
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर			
	संख्या	10,00,00,000	2,39,00,000	21,88,325
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	100,00,00,000	23,90,00,000	2,18,83,250
	धारित प्रतिशत की सीमा	49.98	21.64	16.67

(राशि रूपये में)

एसोसिएटस/संयुक्त उद्यम का नाम		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	नैशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी)	नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड
3.	इसका विवरण कैसे इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है	लागू नही	लागू नही	लागू नही
4.	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नही	लागू नही	लागू नही
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोप्य निवल मूल्य	98,75,71,281	23,40,98,480	1,14,35,123
6.	वर्ष हेतु लाभ/हानि	(2,50,67,064)	शून्य	12,06,381
i	समेकन में ली गई	(1,25,28,519)	शून्य	2,01,103
ii	समेकन में न ली गई	(1,25,38,545)	-	10,05,278

1.	ऐसी संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनके प्रचालन अभी प्रारंभ होने हैं	सभी
2.	ऐसी संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया या बेचा गया।	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड परिसमापन की प्रक्रिया में है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी की ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 00171920

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सीए गौरव नंदा)	**(सीए सुरेश सेठ)**	**(सीए आर के गुप्ता)**	**(सीए बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-500417	सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-051028

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2015

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश)

वित्तीय ब्यौरों के बारे में रिपोर्ट

हमने मैसर्स एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) के 31 मार्च, 2015 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के बारे में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का, सही तथा स्पष्ट चित्र, प्रस्तुत कर सकें। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं ताकि वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक कम्पनी की तैयारी और सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। परंतु ऐसा करते समय वह कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता पर कोई राय व्यक्त नहीं करता। लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार उचित जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नांकित के बारे में एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते है।

i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति का।

ii) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का।

iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015, जिसे कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2015 के जरिए संशोधित किया गया, की अपेक्षा के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के संदर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

   (ख) हमारे मतानुसार, इन बहियों के बारे में हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

   (ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;

   (घ) हमारे मतानुसार में इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

   (ड.) 31 मार्च, 2015 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर 31 मार्च, 2015 को कोई निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी ने टिप्पणी संख्या 29-लेखों से संबद्ध अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अंतर्गत आकस्मिक देयता के रूप में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित अदालती मामलों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

   (छ) भूमि अधिग्रहण मामलों के संदर्भ में स्वीकृत संगत अनुमानों के आधार पर धन के प्रत्याशित बहिर्गमन को देखते हुए कंपनी ने 916 लाख रुपए (पिछले वर्ष 717 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

   (ज) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं है।

कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सीए आर गणेशन)
भागीदार
सदस्यता सं. 26164
एफ आर न. 004465सी

स्थान : कैम्प, नई दिल्ली
दिनांक : 05.05.2015

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट में वर्णित अनुबंध

(31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमि. के लेखों के बारे में हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट में किए उल्लेख के अनुसार)

1. (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

   (ख) प्रबंधन द्वारा सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, जांच के नियमित कार्यक्रम के अनुसार किया गया, जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए युक्तिसंगत है। खामियों को दूर करने के लिए लेखा-बहियों में समुचित व्यवस्था की गई है।

2. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अपने सभी स्थानों पर मालसूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है।

   (ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है।

3. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और माल तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान इन क्षेत्रों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमियों को दूर करने में कोई निरंतर विफलता सामने नहीं आयी।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के संदर्भ में कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6. हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा किए गए बहियों के रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिकार्ड समुचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

7. (क) कंपनी भविष्य निधि, आयकर, वैट/प्रवेश कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, विद्युत शुल्क, ऊर्जा विकास उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है।

   (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को ऐसे सांविधिक देयों की कोई अविवादित राशि, देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय के लिए बकाया नहीं थी।

   (ग) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, विद्युत शुल्क, मूल्य संवर्द्धित कर और उपकर के देयों की राशि का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	शुल्क का स्वरू प	विवादित राशि (लाख रु. में)	अवधि जिससे बकाया राशि संबद्ध है	फोरम जहां विवाद लंबित है
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम	विनिमय दर में अंतर के कारण अचल परिसंपत्तियों में संवर्द्धन और अन्य संवर्द्धनों पर प्रवेश कर	5	2008-09	एमपीसीटी अपील बोर्ड

8. कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वर्ष और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

9. अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

10. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अन्य के द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

11. प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे प्राप्त किए गये थे।

12. सही और स्पष्ट वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन से मिली जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सीए आर गणेशन)
भागीदार
सदस्यता सं. 26164
एफ आर न. 004465सी

स्थान : कैम्प, नई दिल्ली
दिनांक : 05.05.2015

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश)

वित्तीय ब्यौरों के बारे में रिपोर्ट

हमने मैसर्स एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) के 31 मार्च, 2015 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के बारे में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का, सही तथा स्पष्ट चित्र, प्रस्तुत कर सकें। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं ताकि वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक कम्पनी की तैयारी और सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। परंतु ऐसा करते समय वह कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता पर कोई राय व्यक्त नहीं करता। लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार उचित जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नांकित के बारे में एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते है।

i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति का।

ii) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का।

iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015, जिसे कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2015 के जरिए संशोधित किया गया, की अपेक्षा के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में जांच किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुलग्नक-1 में तय किया गया है।

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारे मतानुसार, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है।

   (घ) हमारे मतानुसार इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

   (ड) 31 मार्च, 2015 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर 31 मार्च, 2015 को कोई निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी ने टिप्पणी संख्या 29-लेखों से संबद्ध अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अंतर्गत आकस्मिक देयता के रूप में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित अदालती मामलों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

   (छ) भूमि अधिग्रहण मामलों के संदर्भ में स्वीकृत संगत अनुमानों के आधार पर धन के प्रत्याशित बहिर्गमन को देखते हुए कंपनी ने 916 लाख रुपए (पिछले वर्ष 717 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

   (ज) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं है।

कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सीए आर गणेशन)
भागीदार
सदस्यता सं. 26164
एफ आर न. 004465सी

स्थान : कैम्प, मुम्बई
दिनांक : 19.06.2015

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट में वर्णित अनुबंध

(31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमि. के लेखों के बारे में हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार)

1. (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मदों के ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

   (ख) प्रबंधन द्वारा सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, जांच के नियमित कार्यक्रम के अनुसार किया गया, जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए युक्तिसंगत है। खामियों को दूर करने के लिए लेखा-बहियों में समुचित व्यवस्था की गई है।

2. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अपने सभी स्थानों पर मालसूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है।

   (ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है।

3. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और माल तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान इन क्षेत्रों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमियों को दूर करने में कोई निरंतर विफलता सामने नहीं आयी।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के संदर्भ में कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6. हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा किए गए बहियों के रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिकार्ड समुचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

7. (क) कंपनी भविष्य निधि, आयकर, वैट/प्रवेश कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, विद्युत शुल्क, ऊर्जा विकास उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है।

   (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को ऐसे सांविधिक देयों की कोई अविवादित राशि, देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय के लिए बकाया नहीं थी।

   (ग) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, विद्युत शुल्क, मूल्य संवर्द्धित कर और उपकर के देयों की राशि का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	शुल्क का स्वरू प	विवादित राशि (लाख रु. में)	अवधि जिससे बकाया राशि संबद्ध है	फोरम जहां विवाद लंबित है
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम	विनिमय दर में अंतर के कारण अचल परिसंपत्तियों में संवर्द्धन और अन्य संवर्द्धनों पर प्रवेश कर	5	2008-09	एमपीसीटी अपील बोर्ड

8. कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वर्ष और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

9. अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

10. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अन्य के द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

11. प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे प्राप्त किए गये थे।

12. सही और स्पष्ट वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन से मिली जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सीए आर गणेशन)
भागीदार
सदस्यता सं. 26164
एफ आर न. 004465सी

स्थान : कैम्प, मुम्बई
दिनांक : 19.06.2015

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमि. के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्देश

अनुलग्नक - I

क्र. स.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट	उस पर की गई कार्रवाई	कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना गया हो, तो विनिवेश प्रक्रिया की पद्धति और वर्तमान चरण सहित परिसंपत्तियों (अचल परिसंपत्तियों और भूमि सहित) एवं देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षी सहित) के मूल्यांकन के बारे में एक पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए।	कंपनी विनिवेश के लिए नहीं चुनी गयी है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं
2	यदि उधार/ऋण/ब्याज आदि माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला हो, तो रिपोर्ट करें और उसके कारण बताएं और राशि का उल्लेख करें।	ऐसा कोई मामला नहीं है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं
3	क्या किसी तृतीय पक्ष के पास रखी गई माल-सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित रिकॉर्ड रखा जा रहा है।	ऐसा कोई मामला नहीं है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं
4	लंबित कानूनी/विवाचन मामलों के बारे में, विचाराधीनता के कारणों सहित विलंबन अवधि-वार विश्लेषण रिपोर्ट और सभी कानूनी मामलों (बाहरी और स्थानीय) पर व्यय की जांच की व्यवस्था की विद्यमानता/सक्षमता का उल्लेख करें।	कानूनी/विवाचन मामलों अवधि-वार विश्लेषण इस प्रकार है : 0-1 वर्ष : 514 मामले 1-2 वर्ष : 117 मामले 2-3 वर्ष : 140 मामले 3-4 वर्ष : 157 मामले 3-4 वर्ष : 43 मामले 4-5 वर्ष : 753 मामले 5- वर्ष और उससे अधिक : 753 मामले कुल : 1724 मामले	ऐसे मामलों में जहां कंपनी को निधियों के बहिर्गमन की आशंका है, लेखांकन मानक-29 के अनुसार लेखा-बहियों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अन्य मामलों में, जहां या तो बहिर्गमन की आशंका नहीं है, या फिर दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है, वहां संबद्ध राशि को वित्तीय विवरणों के पैरा 1 में टिप्पणी-29 के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।	इस प्रावधान के चलते परिणामी प्रभाव संबद्ध लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। (देखें वित्तीय विवरणों के पैरा 1 में टिप्पणी-29)

(**सीए आर गणेशन**)
भागीदार
सदस्यता सं. 26164
एफ आर न. 004465सी

स्थान : कैम्प, मुम्बई
दिनांक :19.06.2015

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वह अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19 जून, 2015 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्योरों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जाये या वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट पेश की जाये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 24 जून, 2015

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि लाख रुपए में)

विवरण		टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों से निधि					
	(क) शेयर पूंजी	2		196258		196258
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	3		456611		413053
	(2) गैर वर्तमान देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण	4		52763		72228
	(ख) स्थगित कर देयता	5		17819		16772
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6		12181		12215
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7		1296		1037
	(3) वर्तमान देयताएं					
	(क) व्यापार प्राप्य	8		1053		1418
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9		27547		32507
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	7		46249		30765
कुल				**811777**		**776253**
II.	**परिसंपत्तियां**					
	(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(क) अचल परिसंपत्तियां					
	(i) चल परिसंपत्तियां	10.1	252660		271765	
	(ii) अचल परिसंपत्तियां	10.2	268991		278949	
	(iii) चालू पूंजी कार्य	11.1	525		386	
	(iv) विकासाधीन अचल परिसंपत्तियां	11.2	-		-	
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	12	-		-	
	(ग) स्थगित कर परिसंपत्तियां	5	-		-	
	(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	4339		3794	
	(ङ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	14.1	33593		42795	
	उप-जोड़		560108		597689	
	(च) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसंपत्तियां	14.2	-	**560108**	-	**597689**
	(2) वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	15		-		-
	(ख) मालसूची	16		791		755
	(ग) व्यापार प्राप्य	17		40872		55866
	(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18		143092		71916
	(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13		3162		2687
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19		63752		47340
कुल				**811777**		**776253**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **1**
वर्ष के लिए निर्माण के दौरान **28**
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां **29**
टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
के. एम. सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

हस्ताक्षर
आर. गणेशन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 26164
एफआरएन - 004465C

हस्ताक्षर
वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
डी. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक -05-05-2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व (सकल)	20	137088	193440
	धटाएं : विद्युत शुल्क		429	4998
	प्रचालन से राजस्व (निवल)		**136659**	**188442**
ii)	अन्य आय	21	18226	23101
	कुल राजस्व		**154885**	**211543**
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	22	14221	28423
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	23	7543	7388
iii)	वित्त लागत	24	9302	15781
iv)	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	25	25440	25397
	कुल व्यय		**56506**	**76989**
पूर्व अवधि मदों से पूर्व लाभ, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर			98379	134554
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	26	2	(596)
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ			98377	135150
	असाधारण मदें [व्यय/(आय)]		-	-
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ			98377	135150
	असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ			98377	135150
	कर व्यय	27		
i)	वर्तमान कर		20685	28355
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		(1)	-
iii)	विलंबित कर		1047	432
	कर संबंधी कुल व्यय		21731	28787
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ			**76646**	**106363**
	अनियमित प्रचालनों से लाभ		-	-
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ			-	-
वर्ष के लिए लाभ			**76646**	**106363**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रुपए प्रति शेयर)			
	बुनियादी		390.54	541.96
	मिश्रित		390.54	541.96
	वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय	28		
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29		
	टिप्पणी 1 से 29 लेखों का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
के. एम. सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

हस्ताक्षर
आर. गणेशन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 26164
एफआरएन - 004465C

हस्ताक्षर
वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
डी. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक -05-05-2015

टिप्पणी सं. 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयार करने का आधार

निगम के लेखे, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 तथा प्रयोज्य सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।

1.2 प्राक्कलनों का इस्तेमाल

आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए प्रबंधन को युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ऐसी समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखना होता है, जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिड अवधि के दौरान आय एवं व्यय की मात्राओं पर असर डालने वाली हो। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन में किसी प्रकार के संशोधन को उस अवधि में मान्य समझा जाता है, जिसके लिए वह निर्धारित किया गया हो।

2 अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.1.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.1.3 स्वामित्व वाली भूमि के प्रति मुआवजे, पुनर्वास और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान / अस्थायी रूप से सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.2 चल परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 विभागीय इस्तेमाल के लिए खरीदे गए साफ्टवेयर (जो सम्बद्ध हार्डवेयर का अभिन्न अंग न हों) का वर्णन संचयी परिशोधन और खराबी हानियों, यदि कोई हों, को घटा कर खरीद लागत पर किया गया है और उन्हें अगोचर परिसंपत्तियों के रूप में समझा गया है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों को ''निर्माण के दौरान अन्य व्यय (ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और तत्पश्चात परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप म किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका सृजन करना मुख्य रूप से परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य है, पर किए गए पूंजी व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है। बाद में परियोजना पूरी होने पर ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, पर किए गए व्यय को लाभ एवं हानि पत्रक में प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजीओं को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यों की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजीओं संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यों की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और वे माल सूची का हिस्सा होते हैं।

4. दर विनियमन गतिविधियां

किसी परियोजना के निर्माण की अवधि में किए गए व्यय मद को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में समझा जाता है अर्थात् लेखांकन मानकों के अनुरूप सम्बद्ध अचल परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया जाता है, परंतु, फिर भी नियामक, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित अनुसार भविष्य में टैरिफ के जरिए उसे लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा और इस वसूली के अधिकार को नियामक आस्ति माना जाएगा तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दर विनियमित गतिविधियों के लिए जारी मार्गदर्शन लेखांकन टिप्पणियों के अनुसार नियामक आय समझा जाएगा, बशर्ते वह उपरोक्त मार्गदर्शन टिप्पणी में ऐसी मान्यता के लिए निहित शर्तें पूरी करता हो।

5. मूल्यों तथा परिशोधन

5.1 अचल परिसम्पतियों में संवर्धन/कमी पर मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5।2।3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 05.02.03 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, उनके जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और वे इस्तेमाल के वर्ष में राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, जिसकी गणना खरीदने के वर्ष से की जाती है।

5.6 भूमि-इस्तेमाल का अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2014 के तहत अधिसूचित दरा और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, पंचाट/अदालती मामलों के निबटारे, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यों योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 दीर्घावधि निवेश लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश निम्नतर लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और सही मूल्य का निर्धारण किसी पृथक निवेश के आधार पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का मूल्यांकन, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के अंतर्गत भविष्यनिधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति परवर्ती चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।

9.2 पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना और भविष्यनिधि योजना के लिए वर्ष के दौरान अदा किया गया/अदा किए जाने योग्य कम्पनी के योगदान को हिसाब में लिया जाता है और सम्बद्ध निधियों को अदा किया जाता है जिनका संचालन पृथक न्यासों के जरिए होता है।

9.3 उपदान के संदर्भ में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर तय की जाती है और उसे ग्रेज्युइटी ट्रस्ट को अदा किया जाता है।

9.4 अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित), सेवानिवृत्ति परवर्ती चिकित्सा लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों पर व्यय संबंधी देयता का वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर पता लगाया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा तय की गई अनंतिम दरों पर हिसाब में लिया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व की गणना पूर्ण पद्धति के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्ण का प्रतिशत ''रिपोर्ट करने की तारीख तक आई लागतटट से लेकर ''सम्बद्ध परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं और परामर्शी कार्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत'' तक आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उसके प्राप्त करने का अधिकार तय हो जाने पर मान्य समझा जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता, जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसम्पत्तियों की हानि

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर इस बात का मूल्यांकन करती है कि नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की अग्रेणीत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती ह तो इस तरह की हानि को लाभ एवं हानि पत्र में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, और ऐसी हानि समाप्त हो जाती है अथवा उसमें कमी आती है, तो दर्ज की गई हानि को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी हानि के संदर्भ में प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर परीक्षण किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को उस समय हिसाब में लिया जाता है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो और उस दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना हो और उसके संदर्भ में वास्तविक प्राक्कलन किया जा सकता हो। तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है, और वर्तमान मूल्यों के आधार पर डिस्काउंट नहीं किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के ताजा आकलन को शामिल करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

16. नक़दी प्रवाह विवरण

नक़दी प्रवाह विवरण सम्बद्ध लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

17. सहायता अनुदान

''सिंचाई और आर एंड आर कंपोनेन्ट'' के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और ''सरदार सरोवर कंपोनेन्ट'' के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास बट्टे खाते डाला जाता है।

टिप्पणी सं. 2 शेयर पूंजी

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/- रुपए)	30000000	300000	30000000	300000
(ख)	(जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/-रुपए)	19625800	196258	19625800	196258
(ग)	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की। अतः इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है।				
(घ)					

(ड)	कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		संख्या में	(% में)	संख्या में	(% में)
	-एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी) और उसकी ओर से	10024200	51.08%	10024200	51.08%
	-मध्य प्रदेश सरकार और उसकी ओर से	9601600	48.92%	9601600	48.92%

(च) 31.3.2015 से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों में कम्पनी ने अनुबंध(धों) के अनुपालन में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना कोई पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया/बोनस शेयर(रों) के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया/कोई इक्विटी शेयर वापस नहीं खरीदा।

टिप्पणी सं. 3-आरक्षी और अधिशेष

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
अनुदान आरक्षी				
तुलन पत्र के अनुसार	141881		118545	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	2014		30492	
वर्ष के दौरान कटौतियां	7229		7156	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		136666		141881
स्वबीमा निधि				
तुलन पत्र के अनुसार	16051		16051	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-		-	
	16051		16051	
घटाए: - दावे के कारण समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		**16051**		**16051**
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आरक्षी				
तुलन पत्र के अनुसार	704		-	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	1630		704	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		**2334**		**704**
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी				
तुलन पत्र के अनुसार	473		-	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	529		473	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		1002		473
सामान्य आरक्षी				
तुलन पत्र के अनुसार	10636		-	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित			10636	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		10636		10636
अधिशेष*		289922		243308
कुल		**456611**		**413053**
***अधिशेष**				
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		**76646**		**106363**
अग्रेणीत शेष		243308		241521
जोड़े:				
स्व-बीमा विधि से इस्तेमाल की गई राशि		-		-
सीएसआर/एसडी आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष				
सामान्य आरक्षी को अंतरित		-		10636
स्व बीमा निधि को अंतरित		-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आरक्षी को अंतरित		1630		704
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी को अंतरित		529		473

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
लाभांश:		
- अंतरिम	-	67709
- प्रस्तावित	23158	11579
- अंतिम		
लाभांश पर कर		
- अंतरिम	-	11507
- प्रस्तावित	4715	1968
अग्रेणीत शेष	289922	243308

(राशि लाख रुपए में)

	व्याख्यात्मक टिप्पणी :	01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2015
i)	आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	29250	259	1549	-	27960
ii)	आईएसपीएस के लिए एनवीडीए खाते से सरदार सरोवर परियोजना को अंतरित आनुपातिक आर्थिक सहायता।	37383	331	1980	-	35734
iii)	आईएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	30913	1432	1510	-	30835
iv)	ओएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	18176	(4)	1081	-	17091
v)	ओएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	26159	(4)	1109		25046
	कुल	**141881**	**2014**	**7229**	**-**	**136666**

टिप्पणी सं. 4 दीर्घावधि ऋण

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बॉंड						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
● बैंकों से #						
- प्रतिभूत	24978	5965	19013	33925	8947	24978
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
● अन्य पार्टियों से #						
- प्रतिभूत	47250	13500	33750	60750	13500	47250
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
	72228	19465	52763	94675	22447	72228
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की समग्र राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की समग्र राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

 # प्रतिभूति के बारे में प्रकटीकरण (प्रत्येक मामले में अलग अलग):-

1. 'बैंकों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण' कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋणदाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।
2. 'अन्य पार्टियों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण' कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओंकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।
3. सावधि ऋणों पर ब्याज की दर और भुगतान की शर्तों का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 4-ऋण से संबद्ध अनुलग्नक में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 4-ऋण से संबद्ध अनुलग्नक

दीर्घावधि ऋण

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(क) बांड्स (अपरिवर्तनीय और गैर-संचयी) -प्रतिभूत	-	-
कुल बांड्स (क)	-	-
(ख) सावधि ऋण-प्रतिभूत		
- बैंकों से		
I- इंदिरा सागर परियोजना		
एचडीएफसी बैंक लिमि.- ऋण-1	14902	20490
(31.03.2014 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 1863 लाख रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
एचडीएफसी बैंक लिमि.- ऋण-2	10076	13434
(31.03.2015 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 1120 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
उप-जोड़	**24978**	**33924**
- अन्य पार्टियों से		
II. ओंकारेश्वर परियोजना		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	**47250**	60750
(31.03.2015 को 10.29 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6750 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
उप-जोड़	**47250**	**60750**
कुल सावधि ऋण- भारतीय रूपया-प्रतिभूत (क+ख)	**72228**	**94674**
अन्य पार्टियों से सावधि ऋण (अप्रतिभूत)		
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा	-	-
कुल सावधि ऋण-बैंक/वित्तीय संस्थान-विदेशी मुद्रा-अप्रतिभूत (ग)	-	-
(घ) केन्द्र सरकार से ऋण-अप्रतिभूत	-	-
कुल सावधि ऋण-अप्रतिभूत ऋण (घ)	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**72228**	**94674**

टिप्पणी सं. 5-आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
आस्थगित कर देयता				
मूल्यह्रास	64598		66591	
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तिया	-		-	
संदिग्ध ऋणों, सामान-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	-		-	
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	397		291	
आस्थगित कर देयता		64201		66300
घटाएं: वसूली योग्य		46382		49528
आस्थगित कर देयता (निवल)		17819		16772

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्थगित कर देयता के लिए रुपए (-)2099 लाख (पिछले वर्ष रुपए(-)1976 लाख) का प्रावधान किया गया है। संचयी स्थगित कर देयता का मदवार विवरण नीचे दिया गया है।

टिप्पणी सं. 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि लाख रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
क)	व्यापार प्राप्य						
ख)	अन्य						
	जमा/धारण राशि	938	761	177	1073	862	211
	अग्रिम प्राप्त आय	12004		12004	12004		12004
	स्थगित विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव देयताएं	-		-	-		-
	विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव खाते से स्थगित आय	-		-	-		-
		12942	761	12181	13077	862	12215

टिप्पणी सं. 7 प्रावधान

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**						
	(बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)						
i)	**अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	753	40		555	33	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	217	78		198	49	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	51		-	42	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**970**	**67**	**1037**	**753**	**40**	**793**
ii)	**आरईएचएस के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	253	1		223	1	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	34	1		30	1	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	1	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	287	2	289	253	1	254
iii)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	30	-		26	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	7	-		4	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	37	-	37	30	-	30
iv)	**स्मृति-चिन्ह के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1	-		1	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	1	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	2	-	2	1	-	1
	(अन्य)						
v)	**वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	123		-	111	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	37		-	40	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	25		-	28	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	7		-	-	
	अंतिम शेष	-	128		-	123	
	घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन	-	128		-	123	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-	-	-	-	-
vi)	**कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	683		-	477	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	431		-	626	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	611		-	378	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	38		-	42	
	अंतिम शेष	-	465		-	683	
	घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन		4			4	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	461	461	-	679	679

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
vii)	**सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	886	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	220	
	ट्रस्ट को भुगतान	-	-		-	1106	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
ख)	**कराधान के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	20685		-	28355	
	वर्ष के दौरान समायोजित राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	-	20685	-	-	28355	-
	घटाएं: अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर	-	20500		-	28355	
	आय कर के लिए प्रावधान (रिफंड का निवल)	-	185	185	-	-	-
ग)	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	11579		-	5888	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	23158		-	11579	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	11579		-	5888	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	-	23158	23158	-	11579	11579
घ)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1968		-	1001	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	4715		-	1968	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1968		-	1001	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	-	4715	4715	-	1968	1968
ङ)	**टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	43		-	43	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	43		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	-	-	-	-	43	43
च)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	11776		-	46760	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		533		-	34984	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	-	
	अंतिम शेष	-	11243	11243	-	11776	11776
छ)	**प्रावधान-अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	4679		-	4192	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	3458		-	710	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1616		-	223	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	103	-	-	-	-
	अंतिम शेष	-	6418	6418	-	4679	4679
	कुल	1296	46249	47545	1037	30765	31802

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

रुपए 37 लाख (संचयी प्रावधान 128 लाख रुपए) का प्रावधान ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत ''कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)'' के लिए किया गया, जिसका निपटारा न्यायालय में लंबित है। उक्त राशि कर्मचारियों को पहले ही अदा कर दी गई जिसे ''अग्रिम भुगतान'' के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8-व्यापार देयताएं

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	1053	1418

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 29-अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां (क्रमांक 13 पर) के अंतर्गत दिया गया है।

टिप्पणी संख्या 9-अन्य चालू देयताए

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)		19465		22447
वित्त लीज दायित्व की वर्तमान परिपक्वताएं				
जमा राशि		-		-
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		502		656
ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज		-		-
अग्रिम प्राप्त आय		-		-
अदा न किया गया लाभांश		-		-
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		5048		5893
जमा/प्रतिधारण निधि		761		862
होल्डिंग कंपनी के प्रति देय		112		256
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		-		-
बांड आवेदन निधि		-		-
सांविधिक देयताएं		917		1328
स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं		-		-
अन्य देयताएं		742		1065
डिपोजित कार्यों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं: डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	-	-	-	-
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-		-	
घटाएं: परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम			-	
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-	-	-	-
सहायता अनुदान - उपयोग लंबित				
		27547		32507

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

अन्य दायित्वों में 324 लाख रुपए (31.03.2014 को रुपए 511 लाख) 'भूमि के लिए भूमि' संबंधी शिकायत निवारण प्राधिकरण के निर्णय के संदर्भ में ओमकारेश्वर परियोजना के विस्थापितों द्वारा जमा करायी गई राशि से संबंधित हैं।

टिप्पणी सं. 10.1 अचल परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

क्र.स.	विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	अन्य समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
			अन्य	अन्य								
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	176	-	-	-	176	51	6	-	57	119	125
iii)	सड़कें और पुल	1266	71	-	(298)	1039	288	39	(53)	274	765	978
iv)	भवन	66791	354	-	33	67178	17436	2252	6	19694	47484	49355
v)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)		169257	31	23	208	169473	54871	8887	41	63799	105674	114386
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	158002	150	3	57	158206	54673	8309	11	62993	95213	103329
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2413	-	-	-	2413	809	120	8	937	1476	1604
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	415	6	-	-	421	116	30	(8)	138	283	299
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	426	-	-	-	426	170	23	-	193	233	256
xi)	निर्माण उपकरण	612	21	-	-	633	436	38	2	476	157	176
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/ नालियां और सीवर प्रणाली	301	6	-	-	307	56	10	-	66	241	245
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	80	9	-	-	89	12	4	-	16	73	68
xiv)	वाहन	121	-	-	-	121	97	5	-	102	19	24
xv)	विमान/ नौकाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xvi)	फर्नीचर और फिक्स्चर	551	11	4	-	558	279	30	9	318	240	272
xvii)	कम्प्यूटर	262	72	3	-	331	211	32	-	243	88	51
xviii)	संचार उपकरण	49	-	-	-	49	23	3	1	27	22	26
xix)	कार्यालय उपकरण	309	20	8	-	321	140	22	(4)	158	163	169
xx)	अनुसंधान और विकास	120	-	-	-	120	9	8	-	17	103	111
xxi)	अन्य परिसंपत्तियां	414	45	-	-	459	123	29	-	152	307	291
xxii)	गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपए	80	10	1	-	89	80	10	(1)	89	-	-
	कुल	**401645**	**806**	**42**	**-**	**402409**	**129880**	**19857**	**12**	**149749**	**252660**	**271765**
	पिछले वर्ष	400984	2532	1895	24	401645	110037	19846	(3)	129880	271765	290947

टिप्पणी संख्या 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

क्र.स.	विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	अन्य समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
			अन्य	अन्य								
i)	भूमि-अवर्गीकृत/ इस्तेमाल का अधिकार	353302	2864	9	-	356157	74399	12790	-	87189	268968	278903
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	157	-	-	-	157	111	23	-	134	23	46
	कुल	**353459**	**2864**	**9**	**-**	**356314**	**74510**	**12813**	**-**	**87323**	**268991**	**278949**
	पिछले वर्ष	319825	33634	-	-	353459	61802	12708	-	74510	278949	258023
	कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।											

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 398380 लाख़ रुपए (पिछले वर्ष 397783 लाख़ रुपए) मूल्य की अचल परिसंपत्तियों शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

2) अन्य प्रकटीकरण

परिसंपत्तियों के वर्ग	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण सकल ब्लॉक में वृद्धि	
	31.3.2015 को (लाख रुपए में)	31.3.2014 को (लाख रुपए में)
हाईड्रोलिक कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट्स, सुरंग)।	(23)	19
उत्पादन संयत्र एवं मशीनरी	(3)	5
कुल	(26)	24

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास		31.3.2015 को (लाख रुपए में)
10.1	अचल परिसंपत्तियां	19857
10.2	चल परिसंपत्तियां	12813
कुल		32670
सहायता -अनुदान आरक्षी में परिवर्तित		7229
पी एंड एल में परिवर्तित		25440

टिप्पणी सं. 11.1 - चालू पूंजी कार्य प्रगति

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	01.04.2014	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2015
i)	सड़कें और पुल	62	23	-	71	**14**
ii)	भवन	53	485	-	353	**185**
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	**-**
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-	75	-	31	**44**
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	55	8	-	-	**63**
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	**-**
vii)		-	-	-	-	**-**
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-	-	-	-	**-**
ix)	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	**-**
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	6	-	6	**-**
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-	180	-	180	**-**
xii)	उन परिसंपत्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-	-	-	-	**-**
xiii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-परिसंपत्तियां	-	-	-	-	**-**
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार - नई परियोजनाएं	216	7	(4)	-	**219**
xv)	प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-	-	-	-	**-**
xvi)	निर्माण के दौरान व्यय	-	-	-	-	**-**
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-	-	-	-	**-**
	उप-जोड़ (क)	**386**	**784**	**(4)**	**641**	**525**
	निर्माण भंडार	-	-			**-**
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-	-			**-**
	उप-जोड़ (ख)	-	-			**-**
	कुल	**386**	**784**	**(4)**	**641**	**525**
	पिछले वर्ष	306	440	(24)	336	**386**

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 306 लाख रुपए (पिछले वर्ष 171 लाख) के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं जिन्हें सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 11.2: विकास के अधीन चल परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	01.04.2014	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2015
i)	विकास के अंतर्गत चल परिसंपत्तियां					-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 12: गैर वर्तमान निवेश

	विवरण	31 मार्च 2015 को			31.3.2014 को		
		शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)
क.	**व्यापार उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-	-	-	-	-
	व्यापार अनुद्धृत						
	(ख) बांड्स में निवेश	-	-	-	-	-	-
	(ग) शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-
	उप-जोड़ (क)			-			-
ख.	**गैर-व्यापार उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						

विवरण	31 मार्च 2015 को			31.3.2014 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश -(स्व बीमा निधि)	-	-	-	-	-	-
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/ सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स -(स्व बीमा निधि)	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख)			-			-
कुल जोड़ (क+ख)			-			-
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत	-	-	-	-	-	-
(ii) समग्र बाजार मूल्य	-	-	-	-	-	-
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत	-	-	-	-	-	-
(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 13: ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
(क) पूंजी अग्रिम						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	320		320	-		-
-अन्य	-		-	-		-
घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	-		-
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	-		-	-		-
(ख) जमा राशियां						
-अप्रतिभूत (अच्छी समझी गई)	619	473	1092	726	385	1111
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझी गई)			-			-
घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान 2*		-	-		-	-
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 3*	50	-	50	50	-	50
(ग) संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-			
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अन्य ऋण और अग्रिम						
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3325	292	3617	2629	231	2860
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	125	165	290	489	156	645
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को ऋण						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
- बैंक गारंटी के बदले		-	-	-	-	-
-अन्य	-	17	17	-	8	8
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	-	-	-	-	-	-
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-		-	-	-
अन्य अग्रिम						
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	804	804	-	433	433
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 3*	-	-	-	-	-	-
अग्रिम आय कर एवं स्त्रोत पर काटा गया कर	-	44590	44590	-	61635	61635
घटाएं : आय कर के लिए प्रावधान	-	43179	43179	-	60161	60161
निवल आय कर	-	1411	1411	-	1474	1474
	4339	3162	7501	3794	2687	6481

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान 2*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 3*						
प्रारंभिक शेष	50	-	50	50	-	50
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	50	-	50	50	-	50
	-	-	-	-	-	-

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान 4*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
1) निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा वर्ष के अंत में देय राशि	-	-

2) ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3) संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान - जिसमें एमपी ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के पास 2007 में जमा करायी गई अप्रतिदेय राशि के रूप में रुपए 50 लाख शामिल है।

टिप्पणी सं. 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य		
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	33593	42795
-संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए	-	-
बिल में शामिल न की गई राशि के संदर्भ में प्राप्य	-	-
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
- अन्य	-	-
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव खाते में विलंबित परिसम्पतियों पर व्यय	-	-
कुल	33593	42795

टिप्पणी सं. 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

क्र. स.	विवरण	1 अप्रैल-2014	संवर्द्धन	समायोजन*	परिशोधन/ हानि	31 मार्च-2015
i)	नियामक परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 15 वर्तमान निवेश

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)
दीर्घावधि निवेश की चालू परिपक्वताएं	-	-	-	-	-	-
क. व्यापार-उद्धृत	-	-	-	-	-	-
ख. व्यापार-अनुद्धृत	-	-	-	-	-	-
कुल			-			-
अनुद्धृत निवेश						
समग्र लागत			-			-
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 16 माल सूची

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार एवं कल-पुर्जे	353		363	
पारवाहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	55	408	60	423
खुले औजार		-		8
रद्दी माल-सूची		28		8
निर्माण स्थल पर सामग्री		355		316
संविदाकर्ताओं/निर्माताओं को जारी सामग्री		-		-
स्व-सृजित वीईआर की सूची		-		-
घटाएं - अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1		-		-
		791		755
अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1				
प्रारंभिक शेष		-		-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-		-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-
अंतिम शेष		-		-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

पारवाहन/ निरीक्षण लंबित भंडार के अंतर्गत पारवाहन सामग्री के मूल्य के रूप में रुपए-शून्य (पिछले वर्ष-रुपए शून्य) शामिल है।

टिप्पणी सं. 17 - व्यापार प्राप्य

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
-प्रतिभूत -अच्छे समझे गए	-	-
-अप्रतिभूत- अच्छे समझे गए	30749	21198
-अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	-	-
अन्य व्यापार प्राप्य	-	-
-प्रतिभूत -अच्छे समझे गए	-	-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	10123	34668
-अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	-	-
	40872	55866
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-
अंतिम शेष	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 18 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
i)	हस्तगत नकदी (रु शून्य, 31.3.2014 को रु 2/- के स्टैम्प शामिल हैं।)	4	3
ii)	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
iii)	बैंकों में राशि		
	● अनुसूचित बैंकों के साथ		
	-चालू खाते में	492	3679
	-स्वबीमा निधि	-	-
	-अन्य	-	-
	-जमा खाते में (तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा)		
	-स्वबीमा निधि	-	-
	-आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	-अन्य	18484	26100
	● अन्य बैंकों के साथ		
ख)	**अन्य बैंकों में शेष**		
i)	3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने तक/से कम परिपक्वता अवधि के साथ जमा)		
	● अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- स्वबीमा निधिं		
	-आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	-जमा खाते में	96397	35685
	-जमा खाता-अदा न किया गया लाभांश	-	-
ii)	12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ जमा		
	- स्वबीमा निधिं		
	-आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	-सावधि जमा	27715	6449
		143092	71916

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रुपए 901 लाख (31.03.2014 को रुपए 824 लाख) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर बैंकों के पास रखे गए हैं, अत: 31.03.2015 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रुपए 324 लाख (31.03.2014 को रुपए 511 लाख) ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा भूमि के बदले भूमि हेतु जमा कराए गए है। अत: 31.03.2015 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

3) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 16051 लाख रुपए (31.03.2014 को 16051 लाख रुपए) की राशि शामिल है जो कंपनी ने स्व-बीमा आरक्षी के रूप में रखी है, अत: अन्यथा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 19 - अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क)	**निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याजः-**		
	उपभोक्ताओं से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
	जमा राशियां		
	- आईपीओ	-	-
	- स्व-बीमा	-	-
	-अन्य जमा राशियां	4674	5559
	अन्य	1	-
ख)	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	16644	1939
ग)	होल्डिंग कम्पनी से वसूलियां	-	-

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
घ)	**लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज**		242		323
ङ)	**वसूली योग्य दावे**	37447		36069	
	घटाएं संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान*	25	37422	25	36044
च)	**अन्य**		4766		3475
छ)	**निर्माण कार्य प्रगति पर**				
	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
	परामर्शी कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
ज)	**निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां**		3		-
झ)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय				
	घटाएः बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *2	-	-	-	-
ञ)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां	15		18	
	घटाएः बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के लिए प्रावधान *3	15	-	18	-
			63752		**47340**
	संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *1				
	प्रारम्भिक शेष		25		25
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		
	अंतिम शेष		25		25
	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *2				
	प्रारम्भिक शेष		-		
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन				
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
	अंतिम शेष		-		-
	बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *3				
	प्रारम्भिक शेष		18		28
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		3		10
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
	अंतिम शेष		15		18

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) वसूली योग्य अन्य दावों (ड. पर वर्णित) के अंतर्गत 8 लाख रुपए (31.3.2014 को 8 लाख रुपए) की राशि शामिल हैं, जो भू विस्थापितों से वसूल की जानी है। यह राशि मुआवजा राशि में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194एलए के तहत काटी जानी थी, लेकिन काटी नहीं गई। इसके अलावा 12 लाख रुपए (पिछले वर्ष 12 लाख रुपए) विस्थापितों को दोहरे (डुप्लीकेट) भुगतान से संबंधित है, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।

2) (च पर वर्णित) अन्य के अंतर्गत स्थगित भुगतान के लिए 4766 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3475 लाख रुपए) शामिल हैं।

3) निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां बही मूल्य से कम मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाई गई हैं।

टिप्पणी सं. 20 - प्रचालन से राजस्व

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**बिक्री**		
	बिजली की बिक्री (विद्युत शुल्क सहित)	137088	183784
	घटाए:		
	-विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर खाते में बिक्री समायोजन	-	-
	- टैरिफ समायोजन	-	-
	- नियमित बिजली समायोजन	-	-
	विद्युत उत्पादन से आय	-	-
	-कमीशनिंग पूर्व (टिप्पणी संख्या 29 ज(क) देखें)		
	उप जोड़ क	137088	183784
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम**		
	वर्ष के दौरान	-	-
	घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	-
	उपजोड़ ख	-	-
ग	**अन्य प्रचालन आय**		
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज	-	9656
	उपजोड़ ग	-	9656
घ	**संविदाओं परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	संविदा आय	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
	उपजोड़ घ	**-**	**-**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**137088**	**193440**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) शुल्क विनियमों की कार्य शर्तों के आधार पर, कम्पनी ने 2009-14 की अवधि (वास्तव में किए गए पूंजी व्यय के सत्यापन के लिए) और 2014-19 की अवधि (अनुमानित पूंजी व्यय के लिए शुल्क) के लिए इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (आईएसपी) और ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना, (ओएसपी) दोनों के संदर्भ में शुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने शुल्क याचिका दाखिल की है।

2) 2009-2014 की अवधि के लिए सत्यापन शुल्क आदेश और 2014-19 की अवधि के लिए शुल्क आदेश के लम्बित रहते, दोनों विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में वर्ष के लिए बिक्री सीईआरसी शुल्क विनियमन 2009-2014 में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर हिसाब में ली गई है और इसमें संतुलन के सिद्धांत का अनुपालन किया गया है, क्योंकि शुल्क याचिकाएं सीईआरसी के अनुमोदन के अधीन हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, कम्पनी ने विभेदक शुल्क को विद्युत की बिक्री के अंतर्गत, बिल न किए गए राजस्व के रूप में समझा है, तदनुरूप (क) रुपए 8683 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1574 लाख) 2009-14 की अवधि के लिए सत्यापन के प्रति दर्शाए गए हैं, जिसमें रुपए 8709 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1574 लाख) इंदिरा सागर परियोजना के संदर्भ में और (-) रुपए 26 लाख (पिछले वर्ष शून्य) ओंकारेश्वर परियोजना से संबंधित हैं और (ख) रुपए 6064 लाख 2014-15 की अवधि के लिए शामिल हैं, जिसमें रुपए 5022 लाख इंदिरा सागर परियोजना और रुपए 1042 लाख ओंकारेश्वर परियोजना से संबंधित हैं। परंतु, वर्ष के लिए बिलिंग सीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित शुल्क के अनुसार की गई है।

3) विद्युत की बिक्री में रुपए 4426 लाख (पिछले वर्ष रुपए 31299 लाख) वर्ष के दौरान बिल की गई पिछले वर्षों की बिक्री से संबंधित हैं।

4) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या 1-7/145(160)/2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जायेगी। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु 4766 लाख (पिछले वर्ष रु 3475 लाख) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं। (टिप्पणी संख्या 20 देखें)

5) वर्ष के दौरान कम्पनी ने विद्युत शुल्क के रूप में रुपए 429 लाख (पिछले वर्ष 25.04.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए रुपए 4998 लाख) और ऊर्जा विकास उप कर के रूप में रुपए 5525 लाख (पिछले वर्ष 01.08.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रुपए 19871 लाख), का भुगतान/प्रावधान किया है। विद्युत शुल्क और ऊर्जा विकास उप कर की राशि लाभार्थियों से वसूली योग्य है और तदनुरूप इसे लाभार्थियों के बिल में शामिल किया गया है और विद्युत की बिक्री में समाहित किया गया है।

टिप्पणी सं. 21 - अन्य आय

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
i)	**व्यापार**		
	-अनुषंगियों से लाभांश	-	-
	-लाभांश-अन्य	-	-
	-ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बाण्ड)	-	-
ii)	**गैर-व्यापार**		
	- लाभांश आय - म्युचुअल फंड	-	-
	- लाभांश आय-अन्य	-	-
	- ब्याज- (स्व बीमा निधि)	-	-
ख)	**अन्य आय**		
i)	**ब्याज**		
	-जमा खाता (बैंक)	9969	16504
	लाभार्थियों से ब्याज - आस्थगित ऋण पर व्यापार प्राप्तियां	7536	5954
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	261	226
	- अन्य	1	-
ii)	**विलम्ब अधिभार भुगतान**	-	-
iii)	**म्युचुअल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि**	-	-
iv)	**स्व-निर्मित वीईआर्स की बिक्री से आय**	-	-
v)	**व्यापार व्यवधान के कारण हुई हानि की भरपाई**	-	-
vi)	**परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ**	-	1
vii)	**देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #**	96	67
viii)	**अन्य**	363	349
ix)	**विनिमय दर अंतर**	-	-
	कुल	**18226**	**23101**
	जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	कुल	**18226**	**23101**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	-	-
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम राशि और जमा कार्यों के प्रति अंतरित आय	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	18226	23101
	# देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
	क) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम *1	-	-
	ख) खराब तथा संदिग्ध जमा राशियां *2	-	-
	ग) अन्य संदिग्ध ऋण और अग्रिम *3	-	-
	घ) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी*4	-	-
	ङ) खराब और संदिग्ध ऋण *5	-	-
	च) खराब और संदिग्ध दावे *6	-	-
	छ) बट्टेखाते डाले में जाने के लिए प्रतिक्षित परियोजना व्यय प्रत्यावर्तित *7	-	-
	ज) जांच/बट्टेखाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां *8	-	-
	झ) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	7	-
	ञ) पीआरपी/इंसेंटिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	38	42
	ट) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान	-	2
	ठ) सेवानिवृत्ति लाभ (उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिह्न आदि) के लिए प्रावधान	-	-
	ड) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	-	-
	ढ) कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थाई विकास एवं अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
	ण) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-	-
	त) अन्य	51	23
	कुल	**96**	**67**

टिप्पणी सं. 22 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**उत्पादन व्यय**		
	जल शुल्क	-	-
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**	302	315
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**	-	-
घ.	**मरम्मत और अनुरक्षण**		
	- भवन	426	308
	- मशीनरी	101	88
	- अन्य	1788	1832
ड.	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया	421	475
	दरें और कर	25	22
	ऊर्जा विकास उप कर	5525	19871
	बीमा	1322	1012
	स्व: बीमा निधि से दावों अदायगी	-	-
	सुरक्षा व्यय	1005	970
	विद्युत प्रभार	841	874
	यात्रा एवं वाहन	147	108
	वाहनों पर खर्च	26	28
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	55	56
	विज्ञापन एवं प्रचार	77	163
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	18	20
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	66	73
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	148	150
	परामर्शी प्रभार -विदेशी	-	-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)	11	12
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	45
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	1	1
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे	-	-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	2	3
	दान	-	-
	सीएसआर/स्थाई विकास/सामुदायिक विकास व्यय	295	409
	निदेशकों का व्यय	2	3
	अनुसंधान एवं विकास व्यय	3	10
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	30	-
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज	-	-
	ग्राहकों को छूट	1103	1198
	स्व निर्मित वीईआर्स पर व्यय	-	-
	विनियमित विद्युत के लिए व्यय		
	घटाए: विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	- -	- -
	विनिमय दर अंतर	-	-
	अन्य सामान्य व्यय	481	377
	उप जोड़	**14221**	**28423**

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	जोड़ें/(घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	उप जोड़	**14221**	**28423**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि	-	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल (क से ड.) =1	**14221**	**28423**
च.	**प्रावधान**		
	खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	-
	खराब और संदिग्ध अग्रिमों/जमा राशियों के लिए प्रावधान	-	-
	खराब और संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-
	भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-	-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-	-
	परियोजना खर्चों के लिए प्रावधान	-	-
	अचल परिसम्पत्तियों/भंडारों के लिए प्रावधान	-	-
	स्व-निर्मित वीईआर्स की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	उप जोड़	-	-
	जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	उप जोड़	-	-
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि	-	-
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल (च) = 2	-	-
	लाभ एवं हानि खाते को आगे ले जाया गया कुल (1+2)	**14221**	**28423**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

		(राशि लाख रुपए में)		(राशि लाख रुपए में)	
2)	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क		2		3
3)	लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है				
	क) सांविधिक लेखा परीक्षक	**31.3.2015 को**		**31.3.2014 को**	
	लेखा परीक्षक के रू प में				
	लेखा परीक्षा शुल्क	7		8	
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	2	9	2	10
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	-		-	
	कम्पनी कानून संबंधी मामले	-		-	
	प्रबंधन सेवाएं	-		-	
	अन्य मामले/सेवाएं	1	1	1	1
	व्यय की अदायगी		-		-
	ख) लागत लेखा परीक्षक				
	लेखा परीक्षा शुल्क		1		1
	खर्चों की अदायगी		-		-
	कुल लेखा परीक्षा व्यय		11		12

टिप्पणी सं. 23 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	6001	5975
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	1093	1007
कर्मचारी कल्याण व्यय	449	406
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	**7543**	**7388**
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**7543**	**7388**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	-	-
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को आगे ले जाया गया कुल	7543	7388

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 264 लाख रुपए (विगत वर्ष 242 लाख रुपए) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

(राशि लाख रुपए में)

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :		
i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	371	355
ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	527	476

टिप्पणी सं. 24 - वित्त लागत

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**निम्नलिखित पर ब्याज -**		
	भारत सरकार से ऋण	-	-
	बॉण्ड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	9293	15771
	कैश क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज प्रभार	-	-
	उप जोड़	9293	15771
ख)	**अन्य ऋण लागत**		
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	-
	रायॅल्टी	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त प्रभार	9	10
	उप जोड़	**9**	**10**
ग)	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**		
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-	-
	उप जोड़	-	-
	कुल योग	**9302**	**15781**
	जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
	कुल योग	**9302**	**15781**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	-	-
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	**9302**	**15781**

टिप्पणी सं. 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32669	32553
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**32669**	**32553**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
घटाएं : सहायता अनुदान-आरक्षी को प्रभारित (बट्टे खाते डाले गए अनुदान)	7229	7156
लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	**25440**	**25397**

टिप्पणी सं. 26 पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत कर बिक्री	-	-
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्चलिखित	-	-
ऋणकर्ताओं से ब्याज/प्रभार	-	-
अन्य	-	-
उप-जोड़	-	-
व्यय		
वेतन और मजदूरी	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण	(19)	-
वित्त लागत	-	-
मूल्य ह्रास और परिशोधित व्यय	21	1
अन्य	-	(597)
उपजोड़	2	(596)
कुल	2	(596)
जोड़ें / (घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**2**	**(596)**
घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाए: पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	**2**	**(596)**
घटाए: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	**2**	**(596)**

टिप्पणी सं. 27 कर व्यय

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		20685		28355
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		(1)		-
आस्थगित कर	(2099)		(1975)	
घटाए: वसूली योग्य	(3146)	1047	(2407)	432
		21731		**28787**

टिप्पणी सं. 28 वर्ष/अवधि के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	-		-	
ii)	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	-		-	
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	-		-	
iv)	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ख)	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
i)	भवन	-		-	
ii)	मशीनरी	-		-	
iii)	अन्य	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ग)	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
i)	किराया	-		-	
ii)	दरें और कर	-		-	
iii)	बीमा	-		-	
iv)	सुरक्षा व्यय	-		-	
v)	विद्युत प्रभार	-		-	
vi)	यात्रा और वाहन	-		-	
vii)	वाहनों पर व्यय	-		-	
viii)	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	-		-	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	-		-	
x)	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
xi)	मुद्रण और लेखन सामग्री	-		-	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
xii)	- स्वदेशी	-		-	
xiii)	- विदेशी	-		-	
xiv)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
xv)	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
xvi)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xvii)	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
xviii)	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियों/पदार्थ पर हानि	-		-	
xix)	विनिमय दर अंतर	-		-	
xx)	अन्य सामान्य व्यय	-		-	
	उप-जोड़		-		-
घ)	**वित्त लागत**				
i)	निम्नांकित पर ब्याज				
	भारत सरकार के ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
ii)	बांड इश्यू/सेवा प्रभार	-		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
v)	अन्य वित्त प्रभार	-		-	
	उप-जोड़		-		-

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ङ)	**प्रावधान**	-		-	
	उपजोड़		-		-
च)	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	-		-	
	उप-जोड़		-		-
छ)	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाए: पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ज)	**निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:**				
i)	अन्य आय	-		-	
ii)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-		-	
v)	वित्त लागत	-		-	
vi)	प्रावधान	-		-	
vii)	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़		-		-
	कुल (क से ज)		-		-
झ)	घटाए: प्राप्तियां और वसूलियां				
क)	क) विद्युत उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व		-		-
ख)	ख) अन्य				
i)	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
ii)	विविध प्राप्तियां	-		-	
iii)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
iv)	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
v)	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	-		-	
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-		-	
	उप-जोड़		-		-
	कुल		-		-

टिप्पणी संख्या 29 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण :-

क) कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है-

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर और मात्रा परिवर्तन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और काम रोके जाने/कार्य स्थल सुपुर्द किए जाने में विलम्ब आदि के बारे में कंपनी के खिलाफ कुल मिलाकर रुपए 27859 (पिछले वर्ष रुपए 27270) के दावे किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे सम्बद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा उनसे संबंधित ट्रिब्यूनल/अदालत में विचाराधीन हैं। इसके अंतर्गत कंपनी के खिलाफ सुनाए गये पंचाट फैसलों और तत्संबंधी ब्याज देयता के रुपए 13526 लाख (पिछले वर्ष रु 13261 लाख) शामिल हैं। कंपनी ने इन मामलों को अदालत में चुनौती दी है।

प्रबंधन ने उपरोक्त दावों का मूल्यांकन किया है और आर्थिक फायदों को शामिल करके संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर शून्य रुपए के प्रावधान (पिछले वर्ष शून्य रुपए) का अनुमोदन किया है तथा आकस्मिक देयताओं के रूप में रुपए 27859 (पिछले वर्ष रुपए 27270) का अनुमान लगाया है, अर्थात् अनुमानित राशि के लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार हो सकती है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों में, जहां आर्थिक फायदों को शामिल करते हुए या तो बहिर्गमन की आशंका नहीं है, या फिर दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देयता तय नहीं की गई है। अन्य दावों/दायित्वों के निपटान में किसी प्रकार के बर्हिगमन की संभावना नहीं देखी गई है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता के संदर्भ में, कुछ भूमि विस्थापितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/अदालतों के समक्ष अधिक मुआवजे के रूप में रुपए 118310 लाख (पिछले वर्ष रुपए 120231 लाख) के दावे किए हैं। इनका निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रुपए 916 लाख (पिछले वर्ष रुपए 717 लाख) का प्रावधान किया है और संसाधनों का बहिर्गमन संभाव्य न होने को देखते हुए आकस्मिक देयता के रूप में रुपए 117394 लाख (पिछले वर्ष रुपए 119514 लाख) का अनुमान लगाया है। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

(iii) विवादित आयकर की मांग

विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विवादित आयकर/बिक्रीकर/सेवाकर/अन्यकर/शुल्क संबंधी मामलों की राशि रुपए 5 लाख (पिछले वर्ष रुपए 5 लाख) है। इन मामलों का निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों

के बहिर्गमन की संभावना के आधार पर रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य) का प्रावधान किया है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न देखते हुए शेष दावों अर्थात् रुपए 5 लाख (पिछले वर्ष रुपए 5 लाख) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

(iv) अन्य

अन्य मामलों के कारण दावों की राशि रुपए 367 लाख (पिछले वर्ष रुपए 125 लाख) आंकी गई है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। उनका निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य) का प्रावधान किया है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न देखते हुए रुपए 367 लाख (पिछले वर्ष रुपए 125 लाख) आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा संबंधी मामलों और अन्य लंबित मामलों से जुड़ी ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जिनमें राशियों को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है।

ग) किसी भुगतान से संबंधित अनिश्चितताओं का पता लगाना और उन्हें प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

घ) उक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में कंपनी को 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में मुकदमों पर व्यय के लिए रुपए 47 लाख (पिछले वर्ष रुपए 2 लाख) अदा किए गए हैं और उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों/ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है।

2. क) पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम की निवल) 20467 लाख रुपए (पिछले वर्ष 6163 लाख रुपए) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यों हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3461 लाख रुपए) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 3374 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4684 लाख रुपए) है।

3. मध्य प्रदेश सरकार ने जो संयुक्त उपक्रम में साझेदार है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अंशदान किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

(कृपया तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 3 देखें)।

इंदिरा सागर परियोजना

(राशि लाख रुपए में)

(क) नक़द या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2014 तक संचयी	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान	31.03.2015 तक संचयी
i. एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	131131	808	131939
ii. प्राप्त नकदी	61007	515	61521
iii. ओएसपी से अंतरित राशि	856	-	856
उपरोक्त (क) कुल	**192993**	**1323**	**194316**
(ख) निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	66000	-	66000
ii. सिंचाई घटक	39841	259	40100
iii. एसएसपी घटक	50911	331	51242
iv. अतिरिक्त आर एडं आर व्यय हेतु आर्थिक सहाय्यता	38162	1432	39594
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख-रखाव खर्च	504	-	504
vi. सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	-	3308
कुल उपरोक्त (ख)	**198726**	**2022**	**200748**
(ग) एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ख-क)	5733	699	6432

ओमकारेश्वर परियोजना :-

(राशि लाख रुपए में)

(घ) नक़द या वस्तु रू प में प्राप्त राशि	31.03.2014 तक संचयी	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान	31.03.2015 तक संचयी
i. एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	8271	-	8271
ii. प्राप्त नकदी	41476	2690	44166
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	3308	-	3308
कुल उपरोक्त (घ)	**53055**	**2690**	**55745**
(ङ) निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	30016	-	30016
ii. सिंचाई घटक	23914	(4)	23910
iii. अतिरिक्त आर एडं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	7494	(4)	7490
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	856		856
v. अतिरिक्त विशेष आरएंडआर पैकेज	20750		20750
कुल उपरोक्त (ङ)	**83030**	**(8)**	**83022**
(च) एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ङ-घ)	**29975**	**(2698)**	**27277**
(छ) कुल राशि वसूली योग्य यानी (ग+च)	**35708**	**(1999)**	**33709**

4. (क) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों तथा कम्पनी की ओर से एनवीडीए द्वारा किए व्यय हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति/लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

(ख) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, व्यापार प्राप्यों, संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम, व्यापारिक देयों, बैंको/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण तथा संविदाकारों से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

(ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंत्तियों की कीमत ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा:

(राशि लाख रुपए में)

		वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
(i)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	शून्य	शून्य
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	(26)	24

6. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां परिवर्तित/संशोधित/खारिज की गई।

नीति संख्या	विवरण	विवरण
2.5	अधिशेष/निपटान कार्रवाई प्रतीक्षित अचल परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने संबंधी नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि उन्हें अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत करने की बजाए ''अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत दर्शाया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं
5.2.3	ऐसी मदों के संदर्भ में जिनके लिए कम्पनी द्वारा मूल्यांकित दरों का इस्तेमाल किया गया हो, मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि 1.4.2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट मदों के संदर्भ में उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्य की धारणा अपनाई जा सके।	मुनाफे में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई
5.3	संशोधित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप रुपए 5,000 लाख से कम डब्लयूडीवी वाली परिसम्पत्तियों के मामले में पूर्ण मूल्यह्रास की बजाए स्वीकार्य दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया।	मुनाफे में 6 लाख रुपए की वृद्धि हुई
7.3	नीति को निरस्त किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप खुले औजारों को उनके मूल्य पर विचार किए बिना (प्रारंभिक शेष सहित) लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया।	8 लाख रुपए कम हुए
9.3	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय संबंधी नीति को निरस्त किया गया।	कोई प्रभाव नहीं

उपरोक्त के अलावा, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन से अन्य लेखांकन नीतियों को पुनः वर्णित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिनका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. कर्मचारी लाभ संबंधी लेखांकन मानक (एएस)-15 के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार है:-

कर्मचारियों के फायदे की विभिन्न परिभाषित योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

परिभाषित अंशदान योजना

क. सामाजिक सुरक्षा योजना

करुणामूलक रोजगार देने के स्थान पर कंपनी एक सामाजिक सुरक्षा योजना चलाती है, जिसके अंतर्गत वह हर कर्मचारी के अंशदान के बराबर का अंशदान हर महीने जमा कराती है। यह अंशदान योजना के प्रारंभ होने की तारीख यानी 01.04.2009 से आठ साल तक एक निधि बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें जमा हुई धनराशि का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जिसका नाम एनएचडीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना निधि है। योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी की मृत्यु या ड्यूटी पर रहते हुए स्थायी और पूर्ण रूप से विकलांग होने की स्थिति में मुसीबत में फंसे उसके परिवार की देखभाल और मदद करना है। किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने पर उस तारीख तक कर्मचारी द्वारा निधि में किये गये अंशदान को चालू दर से जमा हुए ब्याज की राशि के साथ उसे लौटा दिया जाता है।

ख. इम्प्लोईज डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएन्यूएशन स्कीम

अपने कर्मचारियों को पेंशन का फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी की इम्प्लोईज डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएन्यूएशन स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत हर कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का अंशदान करता है। कंपनी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से आकलित धनराशि में से भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान, ग्रेच्युटी ट्रस्ट और आरईएचएस में कर्मचारी के अंशदान की राशि को कम करने के बाद उपलब्ध अतिशेष के बराबर का योगदान करती है। योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

पारिभाषित लाभ योजनाएं

ग. भविष्य निधि

कम्पनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य नीधि का नियत अंशदान एक पृथक न्यास अर्थात् एनएचडीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में जमा कराती है। यह न्यास निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए निधि के अंशदान को व्यय समझा गया है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करना कम्पनी का दायित्व है। इस निधि का संचालन वैधानिक ब्याज दर गारंटी के अंतर्गत न्यास द्वारा किया जाता है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान सृजित किया जाता है।

घ. ग्रेच्युटी

कंपनी की अपनी एक सुपरिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है। हर कर्मचारी जिसने पांच साल या इससे ज्यादा की लगातार सेवा कर ली है वह सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने, बर्खास्त किये जाने, अक्षम हो जाने और मृत्य की स्थिति में नौकरी में पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन ग्रेच्युटी (15/26x अंतिम आहरित वेतन (वेतन+महंगाई भत्ता) के रूप में पाने का हकदार है। ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। यह योजना विशेष रूप से बनाई गयी एक निधि के माध्यम से चलाई जा रही है और कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निधि में अपना अंशदान देती है।

ड. अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश देती है जो हर साल क्रमशः 30 दिन और 20 दिन की दर से अवकाश खाते में जमा होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम अवधि 300 दिन की है। बहरहाल 300 दिन की इस अधिकतम अवधि में कोई भी कमी भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण से नियंत्रित होगी। इसके लिए देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती हैं।

च. सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का संचालन करती है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी और मृत कर्मचारी के जीवन साथी तथा पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पताल/पैनल में शामिल अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत बहिरंग रोगी के रूप में भी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती हैं।

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर सामान भत्ता

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की नियुक्ति के स्थान से उसके बसने के नये स्थान तक जाने के लिए स्थानांतरण भत्ता कंपनी के नियमों के अनुसार दिया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसका परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसके लिए देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती हैं।

ज. अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह

कंपनी की नीति के अनुसार अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को पांच हजार रुपए मूल्य तक का स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसके लिए देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती हैं।

उपर्युक्त क, ख, ग और घ पर वर्णित योजनाएं वित्त पोषित हैं जबकि बाकी वित्त-पोषित नहीं हैं।

एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के जरिए वार्षिक आधार पर 31.03.2015 को संदर्भ बनाकर किया गया है। वर्तमान में एनएचडीसी में नियुक्त एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और केवल एनएचपीसी से प्राप्त जानकारी/सलाह के आधार पर लाभ एवं हानि खाते से खर्च में हिस्सेदारी डेबिट कर दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31.03.2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

तालिका 1: प्रमुख मान्यताएं

	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
मृत्युदर तालिका	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (2006-08)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (2006-08) (संशोधित)
छोड़ने की दर	30 वर्ष तक- 1% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक- 2% वार्षिक 44 से ऊपर -1% वार्षिक	30 वर्ष तक- 1% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक - 2% वार्षिक 44 से ऊपर -1% वार्षिक
छूट दर	8.00%	8.50%
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	6.00%	6.50%
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	19.55	20.58

तालिका-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन
(टिप्पणी संख्या 7 और 9 देखें)

(राशि लाख रुपए में)

	31.03.2015 के अनुसार			31.03.2014 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	843	793	254	662	588	224
ब्याज लागत	72	67	22	53	48	18
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	100	105	27	92	90	26
अदा किया गया लाभ	(5)	(56)	(1)	(11)	(42)	(1)
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	18	128	(13)	47	109	(13)
वर्ष के अंत में पीवीओ	1028	1037	289	843	793	254

तालिका-3 तुलन पत्र में शामिल की गई राशि

(राशि लाख रुपए में)

	31.03.2015 के अनुसार			31.03.2014 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	ग्रेच्युटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	1028	1037	289	843	793	254
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	985		-	721	-	-
वित्त पोषण की स्थिति/अंतर	(43)	(1037)	(289)	(122)	(793)	(254)
अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलनपत्रक में शामिल निवल परिसंपत्तियां/ (देयताएं)	(43)	(1037)	(289)	(122)	(793)	(254)

तालिका-4 लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित राशि

(राशि लाख रुपए में)

	31.03.2015 के अनुसार			31.03.2014 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
चालू सेवा लागत	100	105	27	92	90	26
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	72	67	22	53	48	18
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(68)	-	-	(45)	-	-
वर्ष के लिए परिगणित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	5	122	(13)	33	109	(13)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में शामिल व्यय	109	294	36	133	247	31

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण 31.03.2015 को देयता क्रमशः 37 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है (जो पिछले वर्ष क्रमशः 30 लाख रुपए और 1 लाख रुपए थी)।

8. (क) कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन करना है। अन्य आमदनी जैसे ब्याज से हुई आय को 'सेग्मेंट रिपोर्टिंग' संबंधी लेखांकन मानक-17 के अनुसार रिपोर्टेबल सेग्मेंट में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी की इस समय केवल मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, इसलिए भौगोलिक खंडों आधार पर सूचना देने की बात लागू नहीं होती।

9. 'संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण' संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

संबंद्ध पार्टियां

(क) धारक कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड: इंदिरा सागर विद्युत परियोजना और अन्य कार्यों के मुख्य अधिप्लव मार्ग के सेवा क्षेत्र में ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था के परिष्कार और पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी परामर्श सेवाओं हेतु रुपए 15 लाख एनएचपीसी लिमिटेड को अदा/क्रेडिट किए गए हैं।

ख) महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री आर. एस. मीना	प्रबंध निदेशक
श्री के. एम. सिंह	मुख्य कार्यपालक निदेशक
श्री दीपांकर चक्रवर्ती	महाप्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री विनय त्रिपाठी	कंपनी सचिव

10. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक 94 लाख रुपए है (जो पिछले साल 28 लाख रुपए था)।

प्रति शेयर अर्जन:

प्रति शेयर अर्जन (बुनियादी और तनुकृत) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (रु	7,66,45,88,043	10,63,63,09,939
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (रु.) बुनियादी एवं तनुकृत	390.54	541.96
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु.)	1000	1000

प्रबंधन का यह मत है कि 31.3.2015 को लेखांकन मानक - 28 परिसंपत्ति की क्षति के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नही हैं।

12. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार है:-

(रुपए लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	93
	ii) कलपुज	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	शून्य	शून्य
	ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	iii) अन्य विविध मामले	2	शून्य
ग)*	संचालित यूनिटों में उपयोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	शून्य	शून्य
	ii) स्वदेशी	302	315
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	शून्य	शून्य
	ii) अन्य	शून्य	शून्य

* प्रोद्भूत आधार

13. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	(लाख रुपए में)
i)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि।	शून्य
ii)	उपरोक्त (ii) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक के लिए मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
v)	परवर्ती बाद के वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता	शून्य

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

के. एम. सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

डी. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भुटोरियो गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आर. गणेशन
साझेदार
सदस्यता सं 26164
एफआरएन - 004465 सी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.05.2015

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपए में)

		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	98377		135150	
	जोड़ें:				
		25461		25398	
	- प्रावधान/देयताएं पश्चलिखित	-		656	
	- प्रावधान	1232		282	
	- परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध हानि/(लाभ)	1		-	
	- वित्त लागत	9302		15781	
	- ब्याज आय	(17505)		(22458)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ		116868		154809
	माल सूचियों में (वृद्धि)/कमी	(36)		(41)	
	व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	24196		(60760)	
	ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(1110)		(811)	
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(16412)		(16084)	
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(2376)	4262	(32492)	(110188)
			121130		44621
	घटाएं: अदा किया गया कर (टीडीएस सहित) रिफंड का निवल	20410		28123	
			20410		28123
	प्रचालनगत क्रियाकलापों से सृजित नकदी (क)		100720		16498
ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	गोचर और अगोचर परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी	(3767)		(34380)	
	ब्याज आय	17505		22458	
	परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	-		2	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		13738		(11920)
ग)	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां	-		-	
	उधार दी गयी राशि से प्राप्तियां	-		-	
	उधार का पुनर्भुगतान	(22447)		(76621)	
	मध्य प्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अनुदान	2014		30493	
	अदा किया गया लाभांश	(11579)		(5888)	
	अदा किया गया लाभांश कर	(1968)		(1001)	
	अदा किया गया अंतरिम लाभांश	-		(67709)	
	अदा किया गया अंतरिम लाभांश कर	-		(11507)	
	वित्त लागत	(9302)		(15781)	
	वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(43282)		(148014)
	नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		71176		(143436)
	नकदी और नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)		71916		215352
	नकदी और नकदी तुल्य (अंतिम शेष)		143092		71916

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां:

1. नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत रु 901 लाख (31.03.2014 को रु 824 लाख) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अत: 31.03.2015 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
2. नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु. 324 लाख (31.03.2014 को रु 511 लाख) ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा जमा कराए गए हैं। यह राशि शिकायत निपटान प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार ओंकारेश्वर परियोजना में भूमि के बदले भूमि योजना हेतु जमा कराई गई है, अत: 31.03.2015 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
3. नकद और बैंक शेष समकक्ष के अंतर्गत 16051 लाख रुपए (31.03.2014 को रु 16051 लाख) की राशि शामिल है जो कंपनी ने स्व-बीमा आरक्षी के रूप में रखी है, अत: अन्यथा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/पुनर्गठित कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
के. एम. सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

हस्ताक्षर
आर. गणेशन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 26164
एफआरएन - 004465C

हस्ताक्षर
वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
डी चक्रवर्ती
महा प्रबंधक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक -05-05-2015

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

एकल कंपनी वित्तीय ब्यौरों के बारे में रिपोर्ट

हमने **मैसर्स लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड** (''कंपनी'') के 31 मार्च, 2015 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा, और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों की लेखा-परीक्षा की है।

एकल कंपनी वित्तीय विवरणों के बारे में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के बारे में अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो एकल कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का, सही तथा स्पष्ट चित्र, प्रस्तुत कर सकें। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं ताकि वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखापरीक्षक कम्पनी की तैयारी और सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारे लेखापरीक्षा मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

मत

हमारा मत है की हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति और उसके लाभ तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट:

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारे मत में, इन बहियों को हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ड.) 31 मार्च, 2015 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर 31 मार्च, 2015 को कोई निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता के संदर्भ में कृपया ''अनुलग्नक'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी के साथ ऐसे कोई मुकदमें लंबित नहीं हैं, जिसका प्रभाव उसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ता हो।

ii) कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घावधि का कोई अनुबंध नहीं किया है, जिससे कोई महत्वपूर्ण हानि होने की आशंका हो।

iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

II. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रूप में हमारे द्वारा की गई लेखों की समीक्षा अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

कृते कुंजाबी एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309115ई

(लिंडा क्षेत्रीमयम)
भागीदार
सदस्यता संख्या 511337

स्थान: फरीदाबाद
तारीख: 15 जून, 2015

अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने वाली लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों की जांच में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण।

क्रम सं	निदेश	उत्तर	की गई कार्रवाई	लेखों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी को विनिवेश के लिए चुना गया, परिसंपत्तियों (चल परिसंपत्तियों और भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षित निधि सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की जा सकती है, जिसमें विनिवेश प्रक्रिया की पद्धति और वर्तमान स्थिति भी शामिल हो।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कृपया बताएं क्या उधारी/ऋण/ब्याज माफी/बट्टेखाते डालने का कोई मामला रिपोर्ट किया गया। यदि हां, तो उसके कारण और माफ की गई राशि का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	क्या तृतीय पक्ष के पास पड़ी माल सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार में प्राप्त परिसम्पत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	लम्बित कानूनी/विवाचन मामलों के अवधिवार विश्लेषण के बारे में रिपोर्ट, जिसमें लम्बित रहने के कारण और सभी मामलों (बाहरी और स्थानीय) पर खर्च के लिए निगरानी व्यवस्था की विद्यमानता/प्रभावकारिता का उल्लेख शामिल हो।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कृते कुंजाबी एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309115इ

(लिंडा क्षेत्रीमयम)
भागीदार
सदस्यता संख्या 511337

स्थान: फरीदाबाद
तारीख: 15 जून, 2015

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के लेखों के बारे में कंपनी के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई हमारी रिपोर्ट में वर्णित अनुलग्नक। हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षक टिप्पणी
(1)	(क) क्या कंपनी अचल परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रख रही है, जिसमें मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूरा विवरण दर्शाया गया हो।	हां, रखा गया है।
	(ख) क्या इन अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच समुचित अंतरालों के बाद प्रबंधन द्वारा की जाती है; क्या ऐसी जांच के द्वारा कोई महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई और यदि हां, तो क्या उसे लेखा बहियों में समुचित रूप में दर्ज किया गया।	हां, 23.2.2015 को भौतिक जांच की गई। कोई खामी रिपोर्ट नहीं की गई।
(2)	(क) क्या प्रबंधन द्वारा माल सूचियों की भौतिक जांच उचित अंतराल पर कराई गई है।	हां, जांच की गई
	(ख) क्या प्रबंधन द्वारा माल सूचियों की भौतिक जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कंपनी के आकार और व्यापार के स्वरूप को देखते हुए उपयुक्त और समुचित है। यदि नहीं, को ऐसी प्रक्रियाओं में खामियों का उल्लेख करें।	हां, उचित और उपयुक्त है।
	(ग) क्या कंपनी माल सूचियों का समुचित रिकार्ड रख रही है और उनकी भौतिक जांच के द्वारा कोई महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई और यदि हां, तो क्या उसे लेखा बहियों में समुचित रूप में दर्ज किया गया।	हां, रिकार्ड रखे जाते हैं। तुलन पत्र की तारीख को खपत योग्य भंडार का कुल मूल्य रुपए 1,04,195/- है।
(3)	क्या कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, प्रतिष्ठानों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित मंजूर किया है। यदि हां, तो निम्नांकित जानकारी दे:-	ऐसा कोई मामला नहीं।
	(क) क्या मूलधन राशि पर ब्याज की प्राप्ति नियमित रूप से हुई और	लागू नहीं
	(ख) क्या अधिदेय राशि एक लाख रुपए से अधिक होने पर कम्पनी द्वारा मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित उपाय किए गए।	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षक टिप्पणी
(4)	क्या माल और अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सामान एवं सेवाओं की बिक्री के लिए, कंपनी के आकार और व्यापार के स्वरूप के अनुरूप समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कायम की गई है। क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख कमजोरियां दूर करने में कोई विफलता निरंतर रही है।	हां, समुचित नियंत्रण प्रणाली कायम की गई है।
(5)	क्या कंपनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार की हैं, और क्या ऐसा करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 एवं अन्य सम्बद्ध प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जहां कहीं लागू हों, का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो अंतर्विरोधों के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए, यदि कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अदालत या किसी अन्य ट्राइब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित किया गया, और क्या ऐसे आदेश का अनुपालन किया गया ?	कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की गई।
(6)	जहां कहीं कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड रखना निर्दिष्ट किया गया हो, क्या वहां ऐसे लेखे और रिकार्ड तैयार किए गए और उनका समुचित रख रखाव किया गया ?	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है।
(7)	(क) क्या कंपनी भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उप कर और कोई अन्य सांविधिक देय नियमित रूप से जमा करा रही है ? और यदि नहीं, तो पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन ऐसे सांविधिक भुगतानों के देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया राशि की जानकारी लेखा परीक्षक को दी गई।	हां, समय पर जमा कराए गए।
	(ख) क्या किसी विवाद के कारण आय कर या बिक्री कर या सम्पदा कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य संवर्धित कर या उप कर जमा नहीं कराए गए। यदि ऐसा हो, तो बकाया राशि और उस फोरम का उल्लेख करें जहां विवाद लम्बित है। (सम्बद्ध विभाग को प्रतिवेदन देना कोई विवाद नहीं समझा जाएगा)।	ऐसा कोई मामला नहीं।
	(ग) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956(1) के अनुसार संगत प्रावधानों के तहत एवं उसके अधिन बनाए गए नियमों के अधिन वैसे निधि निवेशक शिक्षा एवं बचत निधि के लिए अपेक्षित राशि समय पर स्थानांतरित किए गए हैं।	लागू नहीं।
(8)	क्या किसी कंपनी, जो कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत हो, की संचित हानि वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी निवल मालियत के 50 प्रतिशत से कम नहीं रही है, और क्या उसे वित्तीय वर्ष और उससे तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानियां उठानी पड़ी हैं ?	लागू नहीं।
(9)	क्या कंपनी किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचरधारकों के बकायों का पुनर्भुगतान करने में विफल रही है ? यदि हां, तो अवधि और चूक संबंधी राशि का उल्लेख करें।	लागू नहीं।
(10)	क्या कंपनी ने ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों, जिनकी कार्य शर्तें कंपनी के हितों के लिए हानिकर हों, से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी दी है ?	ऐसा कोई मामला नहीं
(11)	क्या सावधि ऋण उन्हीं लक्ष्यों के लिए प्राप्त किए गए जिनके लिए आवेदित किए गए थे ?	लागू नहीं।
(12)	क्या वर्ष के दौरान कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी प्रकाश में आई या रिपोर्ट की गई, यदि हां, तो उसका स्वरूप और सम्बद्ध राशि का उल्लेख करें।	धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया।

कृते कुंजाबी एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309115इ

(लिंडा क्षेत्रीमयम)
(लिंडा क्षेत्रीमयम)
भागीदार
सदस्यता संख्या 511337

स्थान: फरीदाबाद
तारीख: 15 जून, 2015

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड, मणिपुर के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय ब्यौरों के बारे में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के आधार पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15 जून, 2015 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड, मणिपुर की लेखा बहियों की 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक लेखा परीक्षा न करने का फैसला किया है, अतः कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से।

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक वाणिज्कि लेखा परीक्षा और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-तृतीय,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त, 2015

31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयर पूंजी	2		1176923090		1176923090
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	3		157001564		129955866
	(2) गैर वर्तमान देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण	4		-		-
	(ख) स्थगित कर देयता	5		-		-
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6		-		-
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7		-		-
	(3) वर्तमान देयताएं					
	(क) व्यापार प्राप्य	8		176180		5279233
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9		10809756		42189249
	(ग) अल्पावधी प्रावधान	7		18856580		74820840
	(4) निगम मुख्यालय से धन	2क		-		-
कुल				**1363767170**		**1429168278**
II.	**परिसंपत्तियां**					
	(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(क) अचल परिसंपत्तियां					
	(i) चल परिसंपत्तियां	10.1	10491454		10104249	
	(ii) अचल परिसंपत्तियां	10.2	-		1	
	(iii) चालू पूंजी कार्य	11.1	913077288		800279742	
	(iv) विकासाधीन अगोचर परिसंपत्तियां	11.2	-		-	
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	12	-		-	
	(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13	5903038		12676771	
	(घ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	14.1	-		-	
	उप-जोड़		929471780		823060763	
	(ङ) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसंपत्तियां	14.2	-	929471780	-	823060763
	(2) चालू परिसंपत्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	15		-		-
	(ख) माल सूची	16		-		-
	(ग) व्यापार प्राप्य	17		-		-
	(घ) नकदी एवं बैंक शेष	18		381882633		496535795
	(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	13		15238320		71921181
	(च) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	19		37174437		37650539
कुल				**1363767170**		**1429168278**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1				
लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण		29				
टिप्पणी संख्या 1 से 29 लेखों का अभिन्न अंग हैं						

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -309115 ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम
भागीदार
सदस्यता संख्या 511337

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन 00171920

(एम. सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ-6515

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 15 जून, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व	20	-	-
ii)	अन्य आय	21	40297907	43060187
	कुल राजस्व		40297907	43060187
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	22	262827	1538478
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	23	-	-
iii)	वित्त लागत	24	-	-
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	-	-
	कुल व्यय		**262827**	**1538478**
पूर्व अवधि मद, विशिष्ट मद, असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां तथा कर पूर्व लाभ			40035080	41521709
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	26	-	-
असाधारण मदों, दर विनियमित गतिविधियों और कर पूर्व लाभ			40035080	41521709
	असाधारण मदें		-	-
असाधारण मदों, दर विनियमित गतिविधियों और कर पूर्व लाभ			40035080	41521709
	असाधारण मदें		-	-
दर विनियमित गतिविधियों (आरआरए) और कर पूर्व लाभ			40035080	41521709
	दर विनियामक आय/(व्यय)		-	-
कर पूर्व लाभ			40035080	41521709
	कर व्यय	27		
i)	वर्तमान कर		12989382	13471718
ii)	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		-	-
iii)	विलंबित कर		-	-
	कर संबंधी कुल व्यय		**12989382**	**13471718**
सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ			27045698	28049991
	अनियमित प्रचालनों से लाभ		-	-
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
	अनियमित प्रचालनों से कर उपरांत लाभ		-	-
वर्ष के लिए लाभ			27045698	28049991
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रु पए प्रति शेयर)			
	बुनियादी		0.23	0.24
	मिश्रित		0.23	0.24
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29		
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -309115 ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम
भागीदार
सदस्यता संख्या 511337

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन 00171920

(एम. सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ-6515

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 15 जून, 2015

टिप्पणी सं. 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयार करने का आधार

निगम के लेखे, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 तथा प्रयोज्य सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।

1.2 प्राक्कलनों का इस्तेमाल

आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए प्रबंधन को युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ऐसी समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखना होता है, जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिड अवधि के दौरान आय एवं व्यय की मात्राओं पर असर डालने वाली हो। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन में किसी प्रकार के संशोधन को उस अवधि में मान्य समझा जाता है, जिसके लिए वह निर्धारित किया गया हो।

2 अचल परिसंपत्तियां

2.1 चल परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.1.2 ऐसी भूमि, जो कंपनी की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.1.3 स्वामित्व वाली भूमि के प्रति मुआवजे, पुनर्वास और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान/ अस्थायी रूप से सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.2 अचल परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि-इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 विभागीय इस्तेमाल के लिए खरीदे गए साफ्टवेयर (जो सम्बद्ध हार्डवेयर का अभिन्न अंग न हों) का वर्णन संचयी परिशोधन और खराबी हानियों, यदि कोई हों, को घटा कर खरीद लागत पर किया गया है और उन्हें अचल परिसंपत्तियों के रूप में समझा गया है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों को ''निर्माण के दौरान अन्य व्यय (ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और तत्पश्चात परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका सृजन करना मुख्य रूप से परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य है, पर किए गए पूंजी व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी)'' के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है। बाद में परियोजना पूरी होने पर ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, पर किए गए व्यय को ''लाभ एवं हानि पत्र'' में प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के लिखित मूल्यह्रास (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और वे माल सूची का हिस्सा होते हैं।

4. दर विनियमन गतिविधियां

किसी परियोजना के निर्माण की अवधि में किए गए व्यय मद को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में समझा जाता है अर्थात् लेखांकन मानकों के अनुरूप सम्बद्ध अचल परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया जाता है, परंतु, फिर भी नियामक, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित अनुसार भविष्य में टैरिफ के जरिए उसे लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा और

इस वसूली के अधिकार को नियामक परिसंपत्ति माना जाएगा तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दर विनियमित गतिविधियों के लिए जारी मार्गदर्शन लेखांकन टिप्पणियों के अनुसार नियामक आय समझा जाएगा, बशर्ते वह उपरोक्त मार्गदर्शन टिप्पणी में ऐसी मान्यता के लिए निहित शर्तें पूरी करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

चल परिसम्पतियों में संवर्धन/कमी पर मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 05.02.03 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर चल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 05.02.03 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, उनके जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और वे इस्तेमाल के वर्ष में राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को 'अचल परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, जिसकी गणना खरीदने के वर्ष से की जाती है।

5.6 भूमि-इस्तेमाल का अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2014 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, पंचाट/अदालती मामलों के निबटारे, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश निम्नतर लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और सही मूल्य का निर्धारण किसी पृथक निवेश के आधार पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और कलपुर्जों का मूल्यांकन, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार अप्रचलित और अधिशेष भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के अंतर्गत भविष्यनिधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।

9.2 पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना और भविष्यनिधि योजना के लिए वर्ष के दौरान अदा किया गया/अदा किए जाने योग्य कम्पनी के योगदान को हिसाब में लिया जाता है और सम्बद्ध निधियों को अदा किया जाता है, जिनका संचालन पृथक न्यासों के जरिए होता है।

9.3 उपदान के संदर्भ में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर तय की जाती है और उसे ग्रेज्युइटी ट्रस्ट को अदा किया जाता है।

9.4 अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित), सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों पर व्यय संबंधी देयता का वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर पता लगाया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा तय की गई अस्थाई दरों पर हिसाब में लिया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अस्थाई आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व की गणना पूर्ण पद्धति के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्ण का प्रतिशत ''रिपोर्ट करने की तारीख तक आई लागत'' से लेकर ''सम्बद्ध परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं और परामर्शी कार्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत'' तक आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उसके प्राप्त करने का अधिकार तय हो जाने पर मान्य समझा जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता, जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसम्पत्तियों की हानि

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर इस बात का मूल्यांकन करती है कि नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की अग्रेणीत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इस तरह की हानि को लाभ एवं हानि पत्र में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, और ऐसी हानि समाप्त हो जाती है अथवा उसमें कमी आती है, तो दर्ज की गई हानि को कम कर दिया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी हानि के संदर्भ में प्रत्येक तुलन-पत्रक की तारीख पर परीक्षण किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को उस समय हिसाब में लिया जाता है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो और उस दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना हो और उसके संदर्भ में वास्तविक प्राक्कलन किया जा सकता हो। तुलन-पत्रक की तारीख को दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है, और वर्तमान मूल्यों के आधार पर डिस्काउंट नहीं किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्रक की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के ताजा आकलन को शामिल करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

16. नक़दी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण सम्बद्ध लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2 - शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		संख्या में	(राशि रुपए में)	संख्या में	(राशि रुपए में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)	230000000	2300000000	230000000	2300000000
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)	117692309	1176923090	117692309	1176923090
(ग)	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की। अत: इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है।				
(घ)	कम्पनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में केवल एक तरह के इक्विटी शेयर मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के साथ जारी किए। मताधिकार का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है।				
(ड.)	कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	-		-	
		संख्या में	**(राशि रुपए में)**	**संख्या में**	**(राशि रुपए में)**
	-एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी)	87092309	74.00%	87092309	74.00%
	मणिपुर सरकार	30600000	26.00%	30600000	26.00%
	कुल	**117692309**		**117692309**	
(च)	शेयरधारकों के अधिकार/सीमाएं एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा 26.9.2008 को हस्ताक्षरित प्रोमोटर करार के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं। कोई भी शेयर हस्तांतरण तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह पूर्ण रूप से उक्त प्रोमोटर समझौते के अनुरूप न हो।				

टिप्पणी संख्या 2क

कारपोरेट कार्यालय से निधि (अंतरण खाता)

(राशि रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2015 को**	**31 मार्च 2014 को**
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 3- आरक्षित और अधिशेष राशि

(राशि रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2015**	**31 मार्च 2014**
पूंजी आरक्षित	-	-
पूंजी विमोचन आरक्षित	-	-
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	-	-
सामान्य आरक्षित		
तुलन पत्र की तारीख को	-	-
बांड विमोचन आरक्षित		
स्व-बीमा निधि		
तुलन पत्र की तारीख को	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि		
अनुसंधान एवं विकास निधि		
अधिशेष*	157001564	129955866
कुल	**157001564**	**129955866**
अधिशेष*		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	27045698	28049991
दर विनियमित परिसंपत्तियों को मान्यता देने के लिए परिवर्तनकालीन प्रावधानों में से किया गया समायोजन	-	-
अग्रेणीत शेष	129955866	101905875
आगे ले जाया गया शेष	**157001564**	**129955866**

टिप्पणी सं. 4 - दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बांड्स -						
सावधि ऋण						
निदेशकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की समग्र राशि			-			-
भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की समग्र राशि			-			-
31.03.2015 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की राशि			-			-
31.03.2015 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की अवधि			-			-

टिप्पणी सं. 5 - आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
आस्थगित कर देयता		
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी सं. 6 - अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपए में)

	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	(राशि रुपए में)	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
क) व्यापार प्राप्य						-
ख) अन्य						
जमाराशियां/धारण राशि	126769	126769	-	103385	103385	-
अग्रिम प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव से आस्थगित देयताएं	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव से आस्थगित आय	-	-	-	-	-	-
	126769	**126769**	**-**	**103385**	**103385**	**-**

टिप्पणी सं. 7 - प्रावधान

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान						
(बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान)						
i) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
ii) आरईएचएस के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
iii) टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
iv) स्मृति-चिन्ह (सेवानिवृत्ति पर) के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
अन्य						
v) **वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1744632		-	1573449	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	377359		-	426319	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1108748		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	255136	
अंतिम शेष	**-**	**1013243**		**-**	**1744632**	**-**
घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन	-	1013243		-	1744632	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-	-	-	-	-
vi) **कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	3714837		-	2952527	
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	4435979		-	3714837	
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	2056318		-	1870684	
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	1658519		-	1081843	
अंतिम शेष	**-**	**4435979**	**4435979**	**-**	**3714837**	**3714837**
vii) **आधिवार्षिता, पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1594971		-	1799179	
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	1431219		-	1594971	
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1594971		-	1799179	
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
अंतिम शेष	**-**	**1431219**	**1431219**	**-**	**1594971**	**1594971**
ख) **कराधान के लिए प्रावधान**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	69511032		-	56039314	
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	12989382		-	13471718	
वर्ष/अवधि के दौरान समायोजित राशि	-			-	-	
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	69511032		-	-	
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
अंतिम शेष	**-**	**12989382**	**12989382**	**-**	**69511032**	**69511032**
ग) **प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
घ) **प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ड) **टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
च) **प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
छ) **प्रावधान-अन्य**						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**18856580**	**18856580**	**-**	**74820840**	**74820840**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) रुपए 0.04/- करोड़ रुपए (संचयी प्रावधान 0.10/- करोड़ रुपए) का प्रावधान ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत ''कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)'' के लिए किया गया, जिसका निपटारा न्यायालय के अधीन लंबित है। यह राशि कर्मचारियों को पहले ही अदा की जा चुकी है, जिसे ''अग्रिम भुगतान'' के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8-व्यापार देय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
माल एवं सेवाओं के लिए	176180	5279233
कुल	**176180**	**5279233**

टिप्पणी सं. 9-अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
जमा/प्रतिधारण निधि	126769	103385
अनुषंगियों को देय	-	-
जमा/एजेन्सी आधारित कार्यों की खर्च न की गई राशि	-	-
बांड आवेदन निधि	-	-
सांविधिक देयताएं	1751638	5053893
स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं	-	-
अन्य देयताएं	8931349	37031971
कुल	**10809756**	**42189249**

टिप्पणी संख्या 10.1 चल परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

		सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
क्र.स.	विवरण	01.04.2014	संवर्द्धन	कमी	अन्य समायोजन	31.03.2015	01.04.2014	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014
			अन्य	अन्य								
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड*	0				0	0			0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	0	20225			20225	0	397	0	397	19828	0
iii)	सड़कें और पुल	4763741	0			4763741	1012354	159109	0	1171463	3592278	3751387
iv)	भवन	6608704	0			6608704	3606811	333880	0	3940691	2668013	3001893
v)	रेलवे साइडिंग्स	0				0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंग)	0				0	0	0	0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0				0	0	0	0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0				0	0	0	0	0	0	0
ix)	''संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें''	0				0	0	0	0	0	0	0
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	94554	0			94554	79166	3508	0	82674	11880	15388
xi)	निर्माण उपकरण	7487523	0			7487523	6764780	355725	0	7120505	367018	722743
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0				0	0	0	0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0				0	0	0	0	0	0	0
xiv)	वाहन	4230770	0			4230770	3807693	0	0	3807693	423077	423077
xv)	विमान/नौकाएं	0				0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और उपस्कर	1625038	110820			1735858	948180	50792	19010	1017982	717876	676858
xvii)	कम्प्यूटर	2300319	254980	152742		2402557	1619450	355087	(1,01,531)	1873006	529551	680869
xviii)	संचार उपकरण	151933				151933	116051	2405	0	118456	33477	35882
xix)	कार्यालय उपकरण	859570	70950			930520	639081	24662	0	663743	266777	220489
xx)	अनुसंधान और विकास	0				0	0	0	0	0	0	0
xxi)	अन्य परिसंपत्तियां	1688161	1378048			3066209	1113416	92069	0	1205485	1860724	574745
xxii)	कम मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपए	1827919	96207			1924126	1827001	92671	3499	1923171	955	918
	कुल	**31638232**	**1931230**	**152742**	**0**	**33416720**	**21533983**	**1470305**	**(79,022)**	**22925266**	**10491454**	**10104249**
	पिछले वर्ष	28907409	2730823	0	0	31638232	19749735	1728254	55994	21533983	10104249	9157674

(राशि रुपए में)

टिप्पणी सं. 10.2 अचल परिसंपत्तियां		सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
क्र.स.	विवरण	01-04-2014	संवर्द्धन	कमी	अन्य समायोजन	31-03-2015	01-04-2014	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2015	31-03-2015	31-03-2014
			अन्य	अन्य								
i)	भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	0				0	0	0	0	0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7850				7850	7849	1	0	7850	0	1
	कुल	7850	0	0	0	7850	7849	1	0	7850	0	1
	पिछले वर्ष	7850	0	0	0	7850	7849	0	0	7849	1	1

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

*3835 वर्गफुट आकार का एक भू-भाग थांगल गांव में ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमि. को दान स्वरूप दिया गया। उक्त भूमि और उस पर निर्मित अस्थायी शेड्स निगमीकरण के समय कंपनी को हस्तांतरित किए गए। भूमि कंपनी के कब्जे में है, लेकिन उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 11.1 चालू पूंजी काय

(राशि रुपए में)

विवरण		1अप्रैल 2014	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2015
i)	सड़कें और पुल	-				-
ii)	भवन	-		-		-
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix)	निर्माण उपकरण	-				-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-परिसंपत्तियां	-				-
xiii)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	98006490	31353609			129360099
xiv)	प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	159528000				159528000
xv)	निर्माण के दौरान व्यय*	542617054	81467940			624084994
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-				-
	उप-जोड़ (क)	800151544	112821549	-	-	912973093
	***वर्ष के दौरान संवर्द्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें**					

	1अप्रैल 2014		समायोजन		31 मार्च 2015
निर्माण भंडार (मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति संख्या 7)	**257198**		(153003)		104195
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	**129000**		(129000)		0
उप-जोड़ (ख)	**128198**	0	(24003)	0	104195
कुल	**800279742**	**112821549**	(24003)	-	913077288
पिछले वर्ष	482873089	317406653	-	-	800279742

टिप्पणी सं. 12 - गैर वर्तमान निवेश

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु)	कुल राशि (रु)	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु)	कुल राशि (रु)

..... शून्य .....

टिप्पणी सं. 13 - ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**पूंजी अग्रिम**						
	प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
	-अन्य	5822130		5822130	12543679		12543679

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	151747		151747	151747		151747
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	151747		151747	151747		151747
ख) जमा राशियां						
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान 2*	-		-	-		-
घटाएं: संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 3*	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य ऋण और अग्रिम						
कर्मचारी (प्राप्त ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	80908	-	80908	133092	-	133092
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	1479393	1479393	-	1700471	1700471
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले		-	-		-	-
- अन्य		190000	190000		219000	219000
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
घटाएं: अन्य संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 4*	-	-	-	-	-	-
अग्रिम आय कर एवं स्रोत पर काटा गया कर		13568927	13568927		70001710	70001710
कुल	**5903038**	**15238320**	**21141358**	**12676771**	**71921181**	**84597952**

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान 1 *						
प्रारंभिक शेष	151747	-	151747	151747	-	151747
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-	-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**151747**	**-**	**151747**	**151747**	**-**	**151747**

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान 2*						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 3 *						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 4*						
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों की ओर बकाया ऋण और अग्रिम- शून्य

टिप्पणी सं. 14.1 - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	-	-
अन्य		
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 14.2 - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

Sl. No.	विवरण	1-अप्रैल-2014	संवर्द्धन	समायोजन*	परिशोधन/ हानि	31-मार्च-2015
	नियामक परिसंपत्तियां					
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 15 वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	शेयर/बांड/प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु.)	कुल राशि (रु.)	शेयर/बांड/प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु.)	कुल राशि (रु.)
..... शून्य						

टिप्पणी सं. - 16 माल सूची

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)		
घटाएं - अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1	-	-
कुल	**-**	**-**
अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1		
अंतिम शेष	-	-
	-	-

टिप्पणी सं. 17 - व्यापार प्राप्य

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	-	-
कुल	**-**	**-**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		
अंतिम शेष	-	-
	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

कंपनी के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी की ओर अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया ऋण और ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

टिप्पणी सं. 18 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क नक़दी एवं नकदी समकक्ष		
हस्तगत नकदी (रु शून्य मूल्य के हस्तगत स्टैम्प (पिछले वर्ष रु शून्य) शामिल हैं।)	10375	19572
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
बैंकों में राशि		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
- स्व-बीमा निधि	-	-
- अन्य	96625	779544

टिप्पणी सं. 18 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि की जमा राशियां		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- स्व-बीमा निधि	-	-
	- आईपीओ प्राप्तियां	-	-
	- अन्य	381775633	495736679
	जमा खाते में -अप्रदत्त लाभांश	-	-
	12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि की जमा राशियां		
	कुल	**381882633**	**496535795**

टिप्पणी सं. 19 - अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क)	निम्नांकित पर प्राप्त ब्याज:				
	उपभोक्ताओं के बकाया के निपटान के लिए राज्य सरकार को ऋण	-		-	
	जमा राशियां				
	- आईपीओ	-		-	
	- स्व-बीमा	-		-	
	- अन्य जमा राशियां	29342665		37234090	
	अन्य				
	- अच्छे समझे गए	-		-	
	- संदिग्ध समझे गए	-		-	
		29342665		37234090	
	घटाए: संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान *1	-	29342665	-	37234090
ख)	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य		-		-
ग)	होल्डिंग कम्पनी (एनएचपीसी) से वसूलियां		7826772		413142
घ)	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज		-		-
ङ)	वसूली योग्य दावे	5000		3307	
	घटाए: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *2	-	5000	-	3307
च)	अन्य		-		-
	कुल		**37174437**		**37650539**

टिप्पणी सं. 20 - प्रचालन से राजस्व

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	**बिक्री**		
	उप जोड़ क	-	-
ख	**मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम**		
	उपजोड़ ख	-	-
ग	**अन्य प्रचालन आय**		
	उपजोड़ ग	-	-
घ	**संविदाओं परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	उपजोड़ घ	-	-
	कुलयोग (क++ख+ग+घ)	-	-
	व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		

टिप्पणी सं. 21 अन्य आय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) गैर वर्तमान निवेश से आय		
व्यापार		
गैर-व्यापार		
ख) अन्य आय		
ब्याज		
- जमा राशि - स्व-बीमा निधि से भिन्न	40297907	43060187
देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	1800950	962099
अन्य	248994	377531
विनिमय दर अंतर	-	-
कुल	**42347851**	**44399817**
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**42347851**	**44399817**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित आय	2049944	1339630
घटाएं: ग्राहकों/संविदाकारों और जमा कार्यों के प्रति अग्रिम जमा से अंतरित आय।	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**40297907**	**43060187**
#देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है, का ब्यौरा		
छ) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद सं. (क) vi)	1658519	922581
ज) अन्य	142431	39518
कुल	**1800950**	**962099**

टिप्पणी सं. 22 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. उत्पादन व्यय		
(i) जल उपयोग शुल्क	-	-
(ii) भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
ख. संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ग. मरम्मत और अनुरक्षण		
- भवन	1992805	1267414
- मशीनरी	-	-
- अन्य	1713114	1732967
घ. प्रशासनिक व्यय		
किराया और भाड़ा व्यय	1355349	867828
दरें और कर	33560	23953
बीमा	101412	93383
स्व: बीमा निधि का उपयोग	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
विद्युत प्रभार	39617	13000
यात्रा और वाहन खर्च	4262807	3568709
वाहनों पर व्यय	628978	997228
टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	248127	204489
विज्ञापन और प्रचार	-	1041680
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	61449	139535

टिप्पणी सं. 22 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (राशि रुपए में)

विवरण			31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		450654	451308
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		8857372	41640954
	परामर्शी प्रभार -विदेशी		-	-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)		72472	94944
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		-	-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		-	-
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-	-
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे		-	-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		60705	21789
	दान		-	-
	सीएसआर/स्थाई विकास/सामुदायिक विकास व्यय		1228092	210448
	अन्य सामान्य व्यय		3236589	2587434
	उप जोड़		**24343102**	**54957063**
	जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-	-
	उप जोड़		**24343102**	**54957063**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		24080275	53418585
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-	-
	कुल (क से ङ) =i		**262827**	**1538478**
ङ.	**प्रावधान**			
		कुल (एम-)=ii	**-**	**-**
	लाभ एवं हानि के विवरण में खाते को ले जाया गया कुल	**कुल (i) + (ii)**	**262827**	**1538478**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों की परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है: -

		31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
i)	**सांविधिक लेखा परीक्षक**				
	लेखा परीक्षक के रू प में				
	लेखा परीक्षा शुल्क	22472		44944	
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	22472	-	44944
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	-		-	
	कम्पनी कानून संबंधी मामले	-		-	
	प्रबंधन सेवाएं	-		-	
	अन्य मामले/सेवाएं	-	-	-	-
	व्यय की अदायगी		50000		50000
ii)	**लागत लेखा परीक्षक**				
	लेखा परीक्षा शुल्क		-		-
	खर्च की अदायगी		-		-
	कुल लेखा परीक्षा व्यय		**72472**		**94944**

टिप्पणी सं. 23 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	46769705	51426926
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	7950562	7407212
स्टाफ कल्याण व्यय	3244796	2990389
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	**57965063**	**61824527**
जोड़ें/(घटाएं): निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**57965063**	**61824527**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	57965063	61824527
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण के लिए ले जाया गया कुल	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 24,72,099/-रुपए (विगत वर्ष 21,84,461/- लाख रुपए) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

2) कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारी मूल रूप से एचएचपीसी लिमि. के कर्मचारी हैं और लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ संबंधी सभी प्रावधान एनएचपीसी लिमिटेड की लेखा-बहियों के आधार पर किए गए हैं। परन्तु, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को लेखांकन संख्या-23 'कर्मचारी लाभ व्यय' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(राशि रुपए में)

3) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	3201963	3034110
ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	4351401	3791233

टिप्पणी सं. 24 - वित्त लागत

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) ब्याज :		
उप जोड	**-**	**-**
ख) अन्य ऋण लागत		
अन्य वित्त प्रभार	2240	2403
उप जोड़	**2240**	**2403**
ग) विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
उप जोड़	**-**	**-**
कुल योग	2240	2403
जोड़ें / (घटाएं): निगम मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
कुल योग	**2240**	**2403**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	2240	2403
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण के लिए ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 25 - मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1470306	1728254
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**1470306**	**1728254**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1470306	1728254
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में डाला गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 26 - पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
उप-जोड़	-	-
व्यय		
उप-जोड़	-	-
कुल	-	-
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	-	-
घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाए: पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	-	-
घटाए: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण के लिए लेखा को ले जाया गया कुल	-	-

टिप्पणी सं. 27 - कर व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		12989382		13471718
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-		-
स्थगित कर	-		-	
घटाए: वसूली योग्य	-	-	-	-
		12989382		**13471718**

टिप्पणी सं. 28 - वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	46769705		51426926	
	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान	7950562		7407212	
	कर्मचारी कल्याण व्यय	3244796		2990389	
	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		**57965063**		**61824527**
ख.	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
	भवन	1992805		1267414	
	मशीनरी	-		-	
	अन्य	1713114		1732967	
	उप-जोड		**3705919**		**3000381**
ग.	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
	किराया	1355349		867828	
	दरें और कर	8700		10840	
	बीमा	101412		93383	
	सुरक्षा व्यय	-		-	
	विद्युत प्रभार	39617		13000	
	यात्रा और वाहन	4251298		3568709	
	वाहनों पर व्यय	628978		997228	

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	248127		204489	
	विज्ञापन एवं प्रचार	-		-	
	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
	मुद्रण और लेखन सामग्री	430297		451308	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
	- स्वदेशी	8824900		41640954	
	- विदेशी	-		-	
	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
	अन्य सामान्य व्यय	4485678		2570465	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
	विनिमय दर अंतर (डेबिट)	-		-	
	उप-जोड़		**20374356**		**50418204**
घ.	**वित्त लागत**				
	अन्य वित्त प्रभार	2240		2403	
	उप जोड़		**2240**		**2403**
ड.	**प्रावधान**	-		-	
	उपजोड़		**-**		**-**
च.	**मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय**	1470306		1728254	
	उप जोड़		**1470306**		**1728254**
छ.	**पूर्व अवधि व्यय**				
	उप जोड़		**-**		**-**
ज.	**निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्ययः**				
	उप जोड़		**-**		**-**
	कुल (क से ज तक)		83517884		116973769
झ.	**घटाएः प्राप्तियां और वसूलियां**				
क)	**अन्य आय**				
	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
	विविध प्राप्तियां	29575		168021	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	1800950		962099	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	219419		209510	
	उप जोड़		2049944		1339630
ख)	**विद्युत उत्पादन से आय**		-		-
	कुल		**81467940**		**115634139**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां: -

1 संबंधित पक्ष लेन-देन - 88.25 लाख रुपए का भुगतान डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार के लिए एनएचपीसी लिमि. (होल्डिंग कंपनी) को किया गया।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, परन्तु कंपनी ने स्वेच्छा से परियोजना प्रभावित लोगों के स्थायी विकास कार्यक्रम के लिए 12.28 लाख रुपए खर्च किए, जो अन्य सामान्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

टिप्पणी सं. 29 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण:-

   क) कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है:

   (i) पूंजीगत कार्य

   पूंजी कार्य के प्रति कोई दावा नहीं है और वास्तव में किसी दावे का मूल्यांकन करने और उसके लिए प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

   (ii) भूमि मुआवजा मामले

   ऐसा कोई मामला नहीं है।

   (iii) विवादित कर की मांग

   विवादित कर की कोई मांग नहीं है।

2. क) प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान उनकी प्राप्ति के बाद तुलन-पत्रक में वर्णित उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

3. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां संशोधित/खारिज की गईं, जिनका वर्ष के लाभ पर प्रभाव निम्नांकित रूप में रहा:

नीति संख्या	विवरण	वर्ष के लिए लाभ पर प्रभाव
2.5	अधिशेष/निपटान कार्रवाई प्रतीक्षित अचल परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने संबंधी नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि उन्हें अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत करने की बजाए ''अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत दर्शाया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं
5.2.3	ऐसी मदों के संदर्भ में जिनके लिए कम्पनी द्वारा मूल्यांकित दरों का इस्तेमाल किया गया हो, मूल्य ह्रास प्रभारित करने की नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि 1.4.2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट मदों के संदर्भ में उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्य की धारणा अपनाई जा सके।	कोई प्रभाव नहीं
5.3	5000/- रूपए अथवा कम के लिखित निम्न मूल्य वाली मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यह्रास को वर्ष के प्रारंभ में प्रभारित करने की नीति के बजाए अब उनका वर्ष के दौरान 1/- रूपये के डब्ल्यूडीवी के साथ पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं
7.3	5000/- रूपए अथवा अधिक मूल्य के उपयोग में होने वाले खुले औजारों के पश्च लेखन संबंधी नीति को समाप्त कर दिया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
9.3	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय संबंधी नीति को निरस्त किया गया।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि नीति अनावश्यक हो गई थी।

   उपरोक्त के अलावा, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन से अन्य लेखांकन नीतियों को पुनः वर्णित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिनका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं किया गया, अतः विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

5. कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, अतः खंड रिपोर्टिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अनुसार अन्य प्रकटीकरण और आयातों का मूल्य, विदेशी मुद्रा में व्यय और विदेशी मुद्रा में आय संबंधी प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।

7. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं, क्योंकि तत्संबंधी कोई लेन-देन नहीं किया गया है।

8. देय तारीख के बाद कोई सांविधिक देय बकाया नहीं है।

9. प्रबंधन द्वारा कराए गए मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा प्रयुक्त ''परिसंपत्तियों की क्षति'' का कोई संकेत नहीं है।

10. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कॉर्पोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, कॉर्पोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना अपनी सभी अचल परिसंपत्तियों, ईडीसी, निर्माण भंडार और अग्रिमों, चालू परिसंपत्तियों (नक़दी और बैंक शेष सहित) और 22 अक्टूबर, 2009 को चालू देयताओं के साथ, 23 अक्टूबर, 2009 से अधिनिगमन होने पर एक लाभकारी संस्थान के रूप में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमि. के नाम एवं शैली से एक संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित हो जायेगी। 22 अक्टूबर, 2009 तक लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन परियोजना की परिसंपत्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को कॉर्पोरेशन द्वारा उसे अंतरित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के रूप में समझा जायेगा। इसी प्रकार जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक सकल मूल्यह्रास को एनएचपीसी लिमि. द्वारा कंपनी को अंतरित मूल्यह्रास के सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

11. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है.

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण 309115 ई)

(लिंडा क्षेत्रीमयम)
भागीदार
सदस्यता सं.-एफ 511337

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(आर.एस.टी शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन 00171920

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(एम.सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विपन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.-एफ6515

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 15 जून 2015

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

	विवरण		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**					
	कराधान पूर्व निवल लाभ		40035080		41521709	
	समायोजन					
	-ब्याज/अन्य आय		(40297907)		(43060187)	
	-बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय					
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ		(2,62,827)		(15,38,478)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन					
	ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	13	634,56,594		(71,85,624)	
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	19	4,76,102		30,67,497	
	चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	8 & 9	(364,82,546)		(2876,98,876)	
	प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	7	(559,64,260)		14029820	
	प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित नकदी		(287,76,937)		(2793,25,661)	
	अदा किया गया आयकर	27	129,89,382		134,71,718	
	प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (क)			**(417,66,319)**		**(2927,97,379)**
ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**					
	अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	10	(17,78,487)		(2730823)	
	चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	11	(1114,06,263)		(315622405)	
	भंडार एवं कलपुर्जों में वृद्धि					
	ब्याज आय	21	40297907		43060187	
	ब्याज आय (पूर्व अवधि)					
	निवेश क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (ख)			**(728,86,843)**		**(2752,93,041)**
ग)	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**					
	विविध आय					
	शेयर आवंटन/आवेदन राशि से प्राप्तियां	2		-		
	अनुदान के प्रति प्राप्तियां					
	वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)			**-**		**-**
	नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)			(1146,53,162)		(5680,90,420)
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष			**4965,35,795**		**10646,26,215**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष			**3818,82,633**		**4965,35,795**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण 309115 ई)

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(लिंडा क्षेत्रीमयम)
भागीदार
सदस्यता सं.-एफ 511337

(आर.एस.टी शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन 00171920

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(एम.सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विपन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.-एफ6515

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 15 जून 2015

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरण के बारे में रिपोर्ट

हमने बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है जिसमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति दर्शाने वाला तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नक़दी प्रवाह विवरण के साथ-साथ प्रमुख लेखांकन नीतियों के सार तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों को लेखापरीक्षा के लिए रखा गया था।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का, सही तथा स्पष्ट चित्र, प्रस्तुत कर सकें। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ी गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखापरीक्षण में ऐसी प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं जिनसे वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त हो सके। इसके लिए चुनी गयी प्रक्रियाएं हेराफेरी से या गलती से वित्तीय विवरण में किसी बड़ी गलत बयानी की आशंका के आकलन समेत लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर हैं। इन जोखिमों का आकलन करते वक्त लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारियों से मेल खाने वाले आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। साथ ही वह इस पर भी गौर करता है कि आंतरिक नियंत्रण, कंपनी की तैयारियों के अनुरूप हों। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के लिए कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रासंगिक होने चाहिए और उन्हें सिर्फ कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों को प्रभावी सिद्ध करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में लेखांकन में अपनायी गयी नीतियों और कंपनी के निदेशकों के लेखांकन संबंधी अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का भी आकलन किया जाता है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाए हैं वे हमारे लेखांकन संबंधी दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं।

हमारा मत

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति और उसके लाभ तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाएं

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

ग) अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के शाखा कार्यालयों की लेखा-परीक्षित रिपोर्टें अपेक्षित नहीं हैं, क्योंकि कंपनी का कोई शाखा कार्यालय नहीं है।

घ) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है।

ङ) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

च) हमारी राय में, कोई ऐसे वित्तीय लेन-देन या मामले नहीं रहे हैं, जिनका कंपनी की कार्य-प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़े।

छ) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी का कोई ऐसा लंबित अदालती मामला नहीं है, जिसका प्रभाव उसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ा हो।

ii) डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कंपनी का कोई ऐसा दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिससे कोई महत्वपूर्ण हानि होने की आशंका हो।

iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सीए अजय कुमार भागर्व)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

स्थान - लखनऊ
दिनांक - 25.05.2015

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने वाली बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों की जांच में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण।

क्रम सं	क्षेत्र	उत्तर	की गई कार्रवाई	लेखों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी को विनिवेश के लिए चुना गया, परिसंपत्तियों (अगोचर परिसंपत्तियों और भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षी सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में एक पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की जा सकती है, जिसमें विनिवेश प्रक्रिया की पद्धति और वर्तमान स्थिति भी शामिल हो।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	कृपया बताएं क्या उधारी/ऋण/ब्याज माफी/बट्टेखाते डालने का कोई मामला रिपोर्ट किया गया। यदि हां, तो उसके कारण और माफ की गई राशि का उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य
3.	क्या तृतीय पक्ष के पास पडी माल सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार में प्राप्त परिसम्पत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा गया है।	शून्य	शून्य	शून्य
4.	लम्बित कानूनी/विवाचन मामलों के अवधिवार विश्लेषण के बारे में रिपोर्ट, जिसमें लम्बित रहने के कारण और सभी मामलों (बाहरी और स्थानीय) पर खर्च के लिए निगरानी व्यवस्था की विद्यमानता/प्रभावकारिता का उल्लेख शामिल हो।	शून्य	शून्य	शून्य

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003129सी)

(सीए अजय कुमार भागर्व)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयर पूंजी	**2**		10000000		-
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	**3**		(665784)		-
	(2) **गैर वर्तमान देयताएं**					
	(क) दीर्घावधि ऋण	**4**		-		-
	(ख) स्थगित कर देयता	**5**		-		-
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	**6**		-		-
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	**7**		-		-
	(3) **वर्तमान देयताएं**					
	(क) व्यापार प्राप्य	**8**		-		-
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	**9**		2040169		-
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	**7**		-		-
	(4) सी.ओ. से निधि	**2ए**		-		-
	कुल			**11374385**		**-**
II.	**परिसंपत्तियां**					
	(1) **गैर वर्तमान परिसंपत्तियां**					
	(क) अचल परिसंपत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	**10.1**	-		-	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	**10.2**	-		-	
	(iii) चालू पूंजी कार्य	**11.1**	1155759		-	
	(iv) विकासाधीन अगोचर परिसंपत्तियां	**11.2**	-		-	
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	**12**	-		-	
	(ग) स्थगित कर परिसंपत्तियां	**5**	218626		-	
	(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	**13**	-		-	
	(ङ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	**14.1**	-		-	
	उप-जोड़		**1374385**		**-**	
	(च) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसंपत्तियां	**14.2**	-	1374385	-	-
	(2) चालू परिसंपत्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	**15**		-		-
	(ख) माल सूची	**16**		-		-
	(ग) व्यापार प्राप्य	**17**		-		-
	(घ) नकदी एवं बैंक शेष	**18**		10000000		-
	(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	**13**		-		-
	(च) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	**19**		-		-
	कुल			**11374385**		-
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**				
	लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण	**29**				
	टिप्पणी संख्या 1 से 30 लेखे का अभिन्न अंग हैं					

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003129सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(डी.पी. भार्गव)
अध्यक्ष
डीआईएन:01277269

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

आर.एस.मीना
निदेशक
डीआईएन:00149956

(डी.शेषाद्री)
कंपनी सचिव
एम संख्या ए15801

स्थान - लखनऊ
दिनांक- 25 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रुपये में)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व	20	-	-
ii)	अन्य आय	21	-	-
	कुल राजस्व		**-**	**-**
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	22	884410	-
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	23	-	-
iii)	वित्त लागत	24	-	-
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	-	-
	कुल व्यय		**884410**	**-**
पूर्व अवधि मदें, विशिष्ट मदें, असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ			(884410)	-
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	26	-	-
विशिष्ट मदें, असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ			(884410)	-
	असाधारण मदें		-	-
असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ			(884410)	-
	असाधारण मदें		-	-
दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ			(884410)	-
	दर विनियमित आय/(व्यय)		-	-
कर पूर्व लाभ			(884410)	-
	कर व्यय	27		
i)	वर्तमान कर		-	-
ii)	पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन		-	-
iii)	आस्थगित कर		(218626)	-
	कर संबंधी कुल व्यय		**(218626)**	**-**
सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ			**(665784)**	-
	अनियमित प्रचालनों से लाभ		-	-
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ			-	-
वर्ष के लिए लाभ			**(665784)**	**-**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
	मूल		₹ (0.67)	-
	तनुकृत		₹ (0.67)	-
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29		
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003129सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(डी.पी. भार्गव)
अध्यक्ष
डीआईएन:01277269

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

आर.एस.मीना
निदेशक
डीआईएन:00149956

(डी.शेषाद्री)
कंपनी सचिव
एम संख्या ए15801

स्थान - लखनऊ
दिनांक- 25 मई, 2015

टिप्पणी सं. 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयार करने का आधार

निगम के लेखे, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 तथा प्रयोज्य सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।

1.2 प्राक्कलनों का इस्तेमाल

आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए प्रबंधन को युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ऐसी समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखना होता है, जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और आलोच्य अवधि के दौरान आय एवं व्यय पर असर डालने वाली हो। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन में किसी प्रकार के संशोधन को उस अवधि में मान्य समझा जाता है, जिसके लिए वह निर्धारित किया गया हो।

2 अचल परिसंपत्तियां

2.1 गोचर परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.1.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.1.3 स्वामित्व वाली भूमि के प्रति मुआवजे, पुनर्वास और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान/अस्थायी रूप से सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.2 अगोचर परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 विभागीय इस्तेमाल के लिए खरीदे गए साफ्टवेयर (जो सम्बद्ध हार्डवेयर का अभिन्न अंग न हों) का वर्णन संचयी परिशोधन और खराबी हानियों, यदि कोई हों, को घटा कर खरीद लागत पर किया गया है और उन्हें अगोचर परिसंपत्तियों के रूप में समझा गया है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों को ''निर्माण के दौरान अन्य व्यय (ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और तत्पश्चात परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका सृजन करना मुख्य रूप से परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य है, पर किए गए पूंजी व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है। बाद में परियोजना पूरी होने पर ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, पर किए गए व्यय को लाभ एवं हानि पत्रक में प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और वे माल सूची का हिस्सा होते हैं।

4. दर विनियमन गतिविधियां

किसी परियोजना के निर्माण की अवधि में किए गए व्यय मद को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में समझा जाता है अर्थात् लेखांकन मानकों के अनुरूप सम्बद्ध अचल आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया जाता है, परंतु, फिर भी नियामक, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित अनुसार भविष्य में टैरिफ के जरिए उसे लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा और इस वसूली के अधिकार को नियामक आस्ति माना जाएगा तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दर विनियमित गतिविधियों के लिए जारी मार्गदर्शन लेखांकन टिप्पणियों के अनुसार नियामक आय समझा जाएगा, बशर्ते वह उपरोक्त मार्गदर्शन टिप्पणी में ऐसी मान्यता के लिए निहित शर्तें पूरी करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 गोचर परिसम्पतियों में संवर्धन/कमी पर मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर

लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर गोचर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 05.02.03 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, उनके जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटर तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए) या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए) से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को उस वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है, जिस वर्ष वे उपयोग के लिए उपलब्ध हों और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए) तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और वे इस्तेमाल के वर्ष में राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, जिसकी गणना खरीदने के वर्ष से की जाती है।

5.6 भूमि-इस्तेमाल का अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2014 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश निम्नतर लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और सही मूल्य का निर्धारण किसी पृथक निवेश के आधार पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का मूल्यांकन, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के अंतर्गत भविष्यनिधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति परवर्ती चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।

9.2 पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना और भविष्यनिधि योजना के लिए वर्ष के दौरान अदा किया गया/अदा किए जाने योग्य कम्पनी के योगदान को गणना में लिया जाता है और सम्बद्ध निधियों को अदा किया जाता है जिनका संचालन पृथक न्यासों के जरिए होता है।

9.3 उपदान के संदर्भ में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर तय की जाती है और उसे उपदान न्यास को अदा किया जाता है।

9.4 अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित), सेवानिवृत्ति परवर्ती चिकित्सा लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों पर व्यय संबंधी देयता का वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर पता लगाया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा तय की गई अनंतिम दरों पर हिसाब में लिया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व की गणना पूर्ण पद्धति के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्ण का प्रतिशत ''रिपोर्ट करने की तारीख तक आई लागत'' से लेकर ''सम्बद्ध परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं और परामर्शी कार्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत'' तक आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उसके प्राप्त करने का अधिकार तय हो जाने पर मान्य समझा जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार/समापन क्षतियों/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता, जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसम्पत्तियों की हानि

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर इस बात का मूल्यांकन करती है कि नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की अग्रेणीत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इस तरह की हानि को लाभ एवं हानि पत्र में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, और ऐसी हानि समाप्त हो जाती है अथवा उसमें कमी आती है, तो दर्ज की गई हानि को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी हानि के संदर्भ में प्रत्येक तुलन-पत्रक की तारीख पर परीक्षण किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को उस समय हिसाब में लिया जाता है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो और उस दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना हो और उसके संदर्भ में वास्तविक प्राक्कलन किया जा सकता हो। तुलन-पत्रक की तारीख को दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है, और वर्तमान मूल्यों के आधार पर डिस्काउंट नहीं किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्रक की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के ताजा आकलन को शामिल करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

16. नक़दी प्रवाह विवरण

नक़दी प्रवाह विवरण सम्बद्ध लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2 शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
		संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये)	10000000	100000000		-
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या	1000000	10000000		-
			10000000		-

टिप्पणी संख्या 2ए कारपोरेट कार्यालय से निधियां (अंतरण लेखा)

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
कारपोरेट कार्यालय से निधियां	-	-
सी.ओ. (एफडीबी)	-	-
आईयूटी अंतिम प्रविष्टियां	-	-
एल.ओ. मुम्बई	-	-
एल.ओ. लखनऊ	-	-
आर.ओ. जम्मू	-	-
एल.ओ. बनीखेत	-	-
एल.ओ. कोलकाता	-	-
एल.ओ. चंडीगढ़	-	-
आर.ओ. ईटानगर	-	-
आर.ओ. सिलिगुड़ी	-	-
एल.ओ. देहरादून	-	-
बैरास्यूल	-	-
लोकतक	-	-
सलाल	-	-
टनकपुर	-	-
चमेरा- I	-	-
उड़ी- I	-	-
रंगित	-	-
चमेरा- II	-	-
दुलहस्ती	-	-
धौलीगंगा-I	-	-
तीस्ता-v	-	-
चमेरा- III	-	-
चूटक	-	-
टीएलडीपी-III	-	-
पार्बती-II	-	-
पार्बती-III	-	-
सेवा-II	-	-
उड़ी-II	-	-
किशनगंगा	-	-
बरसर	-	-
निम्मो बाज़गो	-	-
टीएलडीपी -IV	-	-
तीस्ता - IV	-	-
सुबांसिरी लोअर	-	-
दिबांग	-	-
तवांग I और II	-	-
कोटलीभेल 1ए	-	-

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
अन्वेषण परियोजनाएं, उत्तराखंड	-	-
कोटलीभेल I बी और II	-	-
मांगदेचू परियोजना तकनीकी समन्वय प्रकोष्ठ	-	-
आरई-श्रीनगर	-	-
आरई-लेह	-	-
आरई-भुवनेश्वर	-	-
आरई-जम्मू	-	-
आरई-चैटिस	-	-
आरई-पुरुलिया	-	-
आरई-पटना	-	-
पोर्टब्लेयर	-	-
बीआरआरपी	-	-
चेक भुगतान खाता	-	-
चेक संग्रहीत राशि	-	-
केंद्रीकृत कर्मचारी भुगतान खाता	-	-
केंद्रीकृत विक्रेता भुगतान खाता	-	-
	-	-

टिप्पणी सं. 3- आरक्षी और अधिशेष

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
पूंजी आरक्षी		-		-
पूंजी विमोचन आरक्षी		-		-
प्रतिभूति प्रीमियम खाता		-		-
सामान्य आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुनर्खरीद के लिए प्रयुक्त	-		-	
घटाए: पूंजी विमोचन आरक्षी को अंतरण	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
बांड विमोचन आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को	-	-	-	-
स्व-बीमा निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		-	
	-		-	
घटाए: दावे के कारण समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
अनुसंधान एवं विकास निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को	-	-	-	-
अधिशेष*		**(665784)**		-
कुल		**(665784)**		**-**
***अधिशेष**				
लाभ एवं हानि खाता विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		(665784)		-
दर विनियमित परिसंपत्तियों को हिसाब में लेने के लिए परिवर्तनकालीन प्रावधानों के लिए समायोजन		-		-
अग्रेणीत अधिशेष		-		-
जोड़ें:				
बांड विमोचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		-		-
पूंजी आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
अन्य आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
स्वबीमा निधि से प्रयुक्त राशि		-		-
लाभांश पर कर पश्चलिखित		-		-
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि से पश्चलिखित		-		-
अनुसंधान एवं विकास निधि से पश्चलिखित		-		-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष		**(665784)**		**-**
घटाए:				
बांड विमोचन आरक्षी को अंतरण		-		-
स्वबीमा निधि को अंतरण		-		-
कार्पोरेट सामाजित दायित्व निधि को अंतरण		-		-
अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरण		-		-
लाभांश:				
-अंतरिम		-		-
प्रस्तावित		-		-
लाभांश पर कर				
-अंतरिम		-		-
प्रस्तावित		-		-
शेष अग्रेनित किया गया				

टिप्पणी सं. 4 दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताए	दीर्घावधि ऋण
बॉंड -	-	-	-	-	-	-
- प्रतिभूत						
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण	-	-	-	-	-	-
• **बैंकों से**	-	-	-	-	-	-
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताए	दीर्घावधि ऋण
• **अन्य पक्षों से**	-	-	-	-	-	-
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
निदेशकों द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि			-			-
भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि			-			-
31.12.2014 को ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की कुल राशि			-			-
31.12.2014 को ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की कुल अवधि			-			-

टिप्पणी सं. 5-आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
आस्थगित कर देयता		
मूल्यह्रास		
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान		
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-	-
आस्थगित कर देयता	(218626)	-
घटाएं: वसूली योग्य	-	-
आस्थगित कर देयता (निवल)	(218626)	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित ''आय पर करों के लेखांकन'' संबंधी लेखांकन संख्या-22 के अनुपालन में 31.12.2014 को समाप्त हुई अवधि के लिए रुपये -218626 (पिछले वर्ष शून्य रुपये) का प्रावधान आस्थिगत कर देयता के रूप में किया गया है।

टिप्पणी सं. 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपए में)

	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
क) व्यापार प्राप्य						-
ख) अन्य						
जमा/धारण राशि	-	-	-	-	-	-
अग्रिम रूप में प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
आस्थिगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-	-	-	-	-
आस्थिगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव से आय	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 7 प्रावधान

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**						
	(बीमांकि मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)						
i)	**अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii)	**आरईएचएस के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
iii)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
iv)	**स्मृति-चिन्ह के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	अन्य						
v)	**वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	-	-		-	-	
	घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन	-	-		-	-	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
vi)	**कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
vii)	**सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 7 प्रावधान

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2015 को			31 मार्च, 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ख)	**कराधान के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान समायोजित राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग)	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
घ)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ड.)	**टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
च)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
छ)	**प्रावधान-अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1. रु -------- करोड़ (संचयी प्रावधान रु -------- करोड़) का प्रावधान ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत ''कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)'' के लिए किया गया, जिसका निपटारा न्यायालय में लंबित है। उक्त राशि कर्मचारियों को पहले ही अदा कर दी गई जिसे ''अग्रिम भुगतान'' के रूप में दर्शाया गया है।

2 समूह प्रावधान - अन्य, के अंतर्गत किए गए प्रावधान में से शून्य राशि (पिछले वर्ष रु -------- करोड़) विरोध स्वरूप जमा की गई है और इसे टिप्पणी संख्या 13 में ''जमा राशियों'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8 व्यापार देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी स. 9-अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)	-	-
जमा राशि	-	-
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	-	-
ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज	-	-
अग्रिम में प्राप्त आय	-	-
अदा न किया गया लाभांश	-	-
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	-	-
जमा/प्रतिधारण निधि	-	-
होल्डिंग कंपनी को देय	2040169	-
जमा/एजेन्सी आधारित कार्यों की खर्च न की गई राशि	-	-
बांड आवेदन निधि	-	-
सांविधिक देयताएं	-	-
स्व-बीमा निधि संबंधी देयताएं	-	-
अन्य देयताएं	-	-
डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम	-	-
घटाएं: डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	- -	- -
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	-	-
घटाएं: परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	-	-
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	- -	- -
कुल	2040169	-

टिप्पणी सं. 10.1 गोचर परिसंपत्तियां		सकल ब्लाक						मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
क्र. स.	विवरण		संवर्द्धन		कटौतियां								
		01-04-2014	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	31-03-2015	01-04-2014	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2015	31-03-2015	31-03-2014
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0					0	0			0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	0					0	0	0	0	0	0	0
iii)	सड़कें और पुल	0					0	0	0	0	0	0	0
iv)	भवन	0					0	0	0	0	0	0	0
v)	रेलवे साइडिंग्स	0					0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाईड्रोलिक कार्य/ (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाईड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगे)	0					0	0	0	0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0					0	0	0	0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0					0	0	0	0	0	0	0
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0					0	0	0	0	0	0	0
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0					0	0	0	0	0	0	0
xi)	निर्माण उपकरण	0					0	0	0	0	0	0	0
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0					0	0	0	0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0					0	0	0	0	0	0	0
xiv)	वाहन	0					0	0	0	0	0	0	0
xv)	विमान/नौकाएं	0					0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	0					0	0	0	0	0	0	0
xvii)	कम्प्यूटर	0					0	0	0	0	0	0	0
xviii)	संचार उपकरण	0					0	0	0	0	0	0	0
xix)	कार्यालय उपकरण	0					0	0	0	0	0	0	0
xx)	अनुसंधान और विकास	0					0	0	0	0	0	0	0
xxi)	अन्य परिसंपत्तियां	0					0	0	0	0	0	0	0
xxii)	गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये	0					0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	पिछले वर्ष	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

टिप्पणी सं. 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां		सकल ब्लाक						मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
			संवर्द्धन		कटौतियां								
क्र.स.	विवरण	01-04-2014	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	31-03-2015	01-04-2014	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2015	31-03-2015	31-03-2014
i)	भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	0						0	0	0	0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0						0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	पिछले वर्ष	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) रुपये....करोड़ पिछले वर्ष रुपये....करोड़) मूल्य की.....हेक्टेयर (पिछले वर्ष.....हेक्टेयर) भूमि के स्वत्व विलेख/पट्टा विलेख/अधिकार पत्र अभी तैयार किए जाने/पारित किए जाने हैं। तत्संबंधी पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी, आदि व्यय अदा करने के बाद हिसाब में लिया जायेगा।

2) भूमि के अंतर्गत ऊपरी-सुबानसिरी परियोजना के लिए सशस्त्र सीमा बल से 99 वर्ष के पट्टे पर ली गई भूमि भी शामिल है, जिसे रुपये 1/- के नाममात्र के मूल्य पर हिसाब में लिया गया है (जो ऊपरी-सुबानसिरी परियोजना के लिए निचली सुबानसिरी परियोजना से संबद्ध है)।

3) इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर किए गए रुपये.... (पिछले वर्ष रुपये.....) की लागत वाले भूमिगत कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लॉक में समायोजन के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय दर समायोजन, किसी परियोजना के निर्माण के दौरान उसके पूंजीकरण के समय प्रभारित मूल्य ह्रास के लिए सकल ब्लॉक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष पुनःवर्गीकरण और गलत वर्गीकरण संशोधन शामिल है।

5) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर निम्नांकित अनुसार है;-

परिसंपत्तियों के वर्ग	**31.3.2015 को (राशि रुपये में)**	**31.3.2014 को (राशि रुपये में)**
सड़कें और पुल		
भवन		
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट्स, सुरंग)।		
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी		
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन		
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें		
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य		
निर्माण उपकरण		
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली		
विद्युतीय संस्थापनाएं		
वाहन		
विमान/नौकाएं		
फर्नीचर और फिक्सचर		
कम्प्यूटर		
संचार उपकरण		
कार्यालय उपकरण		
अनुसंधान और विकास		
अन्य परिसंपत्तियां		
अप्रचलित/अधिशेष परिसंपत्तियां		
	-	**-**

टिप्पणियां :-

''अन्यों के खाते में संवर्द्धन'' के अंतर्गत केवल नई खरीद/अवधि के दौरान पूंजीकृत राशि (केवल सकारात्म वस्तुएं) शामिल हैं। अवधि के दौरान पूंजीकृत राशि आमतौर पर कॉलम ''वर्ष के दौरान पूंजीकृत'' में सीडब्ल्यूआईपी टिप्पणी (11.1 और 11.2) में दर्शायी गई राशि से मेल खाती है।

''अन्यों के खाते में कमी'' के अंतर्गत केवल अवधि के दौरान बेची गई/निपटान की गई/बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं (केवल सकारात्म वस्तुएं) शामिल हैं।

''अन्य समायोजन'' के अंतर्गत निम्नांकित वस्तुएं (केवल सकारात्मक वस्तुएं) शामिल हैं : -

क) पुनर्वर्गीकरण (एक जीएल कोड से अन्य कोड में ले जायी गई वस्तुएं)

ख) एफईआरवी समायोजनों के कारण संवर्द्धन/कटौतियां

ग) परियोजना के पूंजीकरण के समय संचयी मूल्यह्रास के लिए निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक में समायोजन (प्रमुख कार्यों को छोड़कर)।

टिप्पणी सं. 11.1- चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

	विवरण	01.04.2014	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31-मार्च-2015
i)	सड़कें और पुल	-				-
ii)	भवन	-		-		-
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix)	निर्माण उपकरण	-				-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-परिसंपत्तियां	-				-
xiii)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार - नई परियोजनाएं	-				-
xiv)	क्षतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-				-
xv)	निर्माण के दौरान व्यय*	-	1155759			1155759
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-				-
	उप-जोड़ (क)	**-**	**1155759**	**-**	**-**	**1155759**

*वर्ष के दौरान संवर्द्धन के लिए निर्माण टिप्पणी संख्या 28 देखें।

	01.04.2014	समायोजन			31-मार्च-2015
निर्माण भंडार (मूल्यांकन के लिए नीति संख्या 7 देखें)	-	-			0
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-	-			0
उप-जोड़ (ख)	0	-			0
कुल	**-**	**1155759**	**-**	**-**	**1155759**
पिछले वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 12: गैर वर्तमान निवेश

राशि (रु पये में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31-मार्च-2014 को	
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु पये में)	राशि (रु पये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु पये में)	राशि (रु पये में)
---------- शून्य ----------						

टिप्पणी सं. 13: ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
(क)	**पूंजी अग्रिम**						
	प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
	- अन्य	-		-	-		-
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	-		-
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	-		-	-		-
(ख)	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान 2*	-		-	-		-
	संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 3*	-	-	-	-	-	-
(ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
	कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/ को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले		-	-		-	-
	- अन्य		-	-		-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अन्य अग्रिम						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 4*	-	-	-	-	-	-
	अग्रिम आय कर एवं स्रोत पर काटा गया कर		-	-		-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-	-	-	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-	-	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान 2*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-	-		-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-		-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		-	-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 3*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन			-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि			-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान 4*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन			-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि			-	-	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-	-	-	-
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
अवधि के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण एवं अग्रिमों की राशि -केवल कारपोरेट कार्यालय के लिए		
ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों द्वारा देय अग्रिमों की राशि, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, एक निदेशक या सदस्य हो- रुपये शून्य (पिछले वर्ष - रुपये शून्य)।		

टिप्पणी सं. 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	-	-
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	-	-
- अन्य	-	-
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 15 वर्तमान निवेश

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को	
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (रुपये में)
..... शून्य						

टिप्पणी सं. 16 माल सूची

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)		
भंडार एवं कल-पुर्जे	-	-
मार्गस्थ/निरीक्षण लंबित भंडार	-	-	-	-
खुले औजार	-	-
रद्दी माल-सूची	-	-
निर्माण स्थल पर सामग्री	-	-
संविदाकर्ताओं/निर्माताओं को जारी सामग्री	-	-
स्व-सृजित वीईआर की सूची	-	-
घटाएं - अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1	-	-
कुल	-	-
अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
अंतिम शेष	-	-
	-	-

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्य

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
-प्रतिभूत -अच्छे समझे गए		
-अप्रतिभूत- अच्छे समझे गए	-	-
-अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	-	-
अन्य व्यापार प्राप्य		
-प्रतिभूत -अच्छे समझे गए		
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
-अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	-	-
कुल	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
अंतिम शेष	-	-
	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

अवधि के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिए गए ऋण की देय राशि अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों द्वारा देय ऋणों की राशि, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक क्रमशः एक निदेशक या भागीदार या सदस्य हो- रुपये शून्य (पिछले वर्ष - रुपये शून्य)।

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक शेष

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रू. ....के हस्तगत स्टैम्प, पिछले वर्ष रू. शून्य शामिल हैं)।	-	-
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
	बैंकों में राशि		
	• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
	- चालू खाते में		
	- स्वबीमा निधि	-	-
	- अन्य	10000000	-
	- जमा खाते में (तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा)		
	- स्वबीमा निधि		
	- आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	- अन्य	-	-
	• **अन्य बैंकों के साथ**		
	- चालू खाते में		
	बैंक ऑफ भूटान	-	-
	ड्यूस बैंक	-	-
	बर्कले बैंक	-	-
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने तक/से कम परिपक्वता अवधि के साथ जमा		
	• **जमा खाते में**		
	- स्वबीमा निधि	-	-
	- आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	- अन्य	-	-
	जमा खाता-अदा न किया गया लाभांश	-	-
	12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ जमा		
	- स्वबीमा निधि	-	-
	- आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	- अन्य	-	-
	कुल	**10000000**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) वित्तीय वर्ष 2009-10 में की गई इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) से प्राप्त रुपये ------ में से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को बिक्री प्राप्तियों के रूप में रुपये ----- अदा किए गए और रुपये ----- कम्पनी द्वारा रखे गए। कुल रु ------- में से 31.03.2015 तक रु------- का इस्तेमाल पूंजी प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में किया गया, जो कम्पनी द्वारा उपयोग के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं पर आंतरिक जमा राशियों से पहले ही खर्च किया जा चुका था। इसमें से इस्तेमाल न की गई राशि रु... कम्पनी की निवेश नीति के अनुसार बैंक जमा राशियों में निवेश की गई है और रु..... का इस्तेमाल आईपीओ व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है - केवल कारपोरेट कार्यालय के लिए।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु..... (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जो लैटर आफ क्रेडिट या समान सुविधा खोलने के लिए बैंकों के पास रखे गए हैं। अतः 31.03.2015 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं - केवल कारपोरेट कार्यालय के लिए।

3) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु..... (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जो अन्य एजेंसियों की ओर से कम्पनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं - केवल आरई और बीआरआरपी के लिए।

टिप्पणी सं. 19 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क)	निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याजः-				
	उपभोक्ताओं से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-		-	
	जमा राशियां				
	- आईपीओ	-		-	
	- स्व-बीमा	-		-	
	-अन्य जमा राशिया	-		-	
	अन्य				
	- अच्छे समझे गए	-		-	
	- संदिग्ध समझे गए	-		-	
		-		-	
	घटाएः संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान *1	-	-	-	-
ख)	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य		-		-
ग)	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		-		-
घ)	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज		-		-
ङ)	वसूली योग्य दावे	-		-	
	घटाएं संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *2	-	-	-	-
	चालू कार्य				
च)	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
	परामर्शी कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
छ)	निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां		-		-
ज)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	-		-	
	घटाएः बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *3	-	-	-	-
झ)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां	-		-	
	घटाएः बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *4	-	-	-	-
ञ)	अन्य		-		-
	कुल		-		-
	संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान *1				
	प्रारम्भिक शेष		-		-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-
	अंतिम शेष		**0**		**0**
	संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *2				
	प्रारम्भिक शेष		-		-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-
	अंतिम शेष		**0**		**0**
	बट्टे खाते में डाले जाने वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *3				
	प्रारम्भिक शेष		-		-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-
	अंतिम शेष		**0**		**0**

टिप्पणी सं. 19 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *4		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
अंतिम शेष	**0**	**0**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) ग्राहकों से बकाया राशियों के निपटान में राज्य सरकार को दिए गए ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज में रु..... (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जो मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को प्रोत्साहन के भुगतान के रूप में दिए जाने हैं। इसके समकक्ष राशि अन्य वर्तमान देयताओं (टिप्पणी-9) के अंतर्गत दर्शाई गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको को प्रोत्साहन के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है- केवल कारपोरेट कार्यालय के लिए।

2) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य के अंतर्गत क) आरओई के सकल का अंतर रु..... (पिछले वर्ष रु.....), ख) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु..... (पिछले वर्ष रु.....), ग) आरएलडीसी प्रभार रु..... (पिछले वर्ष रु.....), घ) कर समायोजन रु..... (पिछले वर्ष रु.....), ड.) एनईए बिक्री रु..... (पिछले वर्ष रु.....) और च) अन्य रु..... (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं - केवल कारपोरेट कार्यालय के लिए।

3) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य राशि में पकलदुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए पूंजी व्यय के प्रति कम्पनी का दावा शामिल है, जो मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी का एक संयुक्त उद्यम) को अंतरित कर दी गई हैं- केवल कारपोरेट कार्यालय के लिए।

4) निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां निम्न बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाई गई हैं।

टिप्पणी सं. 20 प्रचालन से राजस्व

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**बिक्री**				
	बिजली की बिक्री		-		-
	घटाए:				
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर खाते में बिक्री समायोजन	-		-	
	टैरिफ समायोजन	-		-	
	विनियमित बिजली समायोजन	-		-	
	विद्युत उत्पादन से आय -कमीशनिंग पूर्व (टिप्पणी संख्या 28 क ईडीसी को अंतरित देखें)	-	-	-	-
	उप जोड़ क		**-**		**-**
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम**				
	वर्ष/अवधि के दौरान		-		-
	घटाए: वर्ष/अवधि के दौरान पश्चलिखित		-		-
	उपजोड़ ख		**-**		**-**
ग	**अन्य प्रचालन आय**				
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज		-		-
	उपजोड़ ग		**-**		**-**
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	-		-	
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-		-	
	उपजोड़ घ		-		-
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**-**		**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

टिप्पणी सं. 21 अन्य आय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	- अनुषंगियों से लाभांश	-	-
	- लाभांश-अन्य	-	-
	- ब्याज- सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बाण्ड)	-	-
	गैर-व्यापार		
	- लाभांश आय - म्युचुअल फंड	-	-
	- लाभांश आय-अन्य	-	-
	- ब्याज- (स्व बीमा निधि)	-	-
ख)	**अन्य आय**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों का निपटारा करने में राज्य सरकार को ऋण	-	-
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	- जमा खाता - स्व-बीमा निधि	-	-
	- जमा खाता - स्वबीमा निधि से इतर	-	-
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	-	-
	- अन्य	-	-
	विलम्ब अधिभार भुगतान	-	-
	म्युचुअल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	-
	स्व-निर्मित वीईआर्स की बिक्री से आय	-	-
	व्यापार व्यवधान के कारण हुई हानि की भरपाई	-	-
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	-	-
	अन्य	-	-
	विनिमय दर अंतर	-	-
	कुल	**-**	**-**
	जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	कुल	**-**	**-**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	-	-
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम राशि और जमा कार्यों के प्रति अंतरित आय	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**
	# देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
	क) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम (टिप्पणी 13 के अंतर्गत*1)	-	-
	ख) खराब तथा संदिग्ध जमा राशियां (टिप्पणी 13 के अंतर्गत *3)	-	-
	ग) अन्य संदिग्ध ऋण और अग्रिम (टिप्पणी 13 के अंतर्गत *4)	-	-
	घ) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी (टिप्पणी 16 के अंतर्गत*1)	-	-
	ड) खराब और संदिग्ध ऋण (टिप्पणी 17 के अंतर्गत*1)	-	-
	च) खराब और संदिग्ध दावे (टिप्पणी 19 के अंतर्गत*2)	-	-
	छ) बट्टेखाते डाले जाने के लिए प्रतिक्षित परियोजना व्यय प्रत्यावर्तित (टिप्पणी 19 के अंतर्गत*3)	-	-

टिप्पणी सं. 21 अन्य आय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ज)	जांच/बट्टेखाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां (टिप्पणी 18 के अंतर्गत*4)	-	-
झ)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	-
त्र)	पीआरपी/इंसेंटिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (क) vi)	-	-
ट)	अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (क) vii)	-	-
ठ)	सेवानिवृत्ति लाभ (उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिह्न आदि) के लिए प्रावधान	-	-
ड)	टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (ड.)	-	-
ढ)	प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-	-
ण)	अन्य	-	-
	कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 22 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**उत्पादन व्यय**		
(i)	जल उपयोग शुल्क	-	-
(ii)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	-	-
ख.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**	-	-
ग.	**मरम्मत और अनुरक्षण**		
	- भवन	-	-
	- मशीनरी	-	-
	- अन्य	-	-
घ.	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया और माल भाड़ा प्रभार	-	-
	दरें और कर	-	-
	बीमा	-	-
	स्वः बीमा निधि का उपयोग	-	-
	सुरक्षा व्यय	-	-
	विद्युत प्रभार	-	-
	यात्रा एवं वाहन	-	-
	वाहनों पर व्यय	-	-
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	-	-
	विज्ञापन एवं प्रचार	1155759	-
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	-	-
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	-
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	-	-
	परामर्शी प्रभार -विदेशी	-	-
	लेखापरीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)	-	-
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-

टिप्पणी सं. 22 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		-		-
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-		-
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे		-		-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		-		-
	दान		-		-
	सीएसआर/स्थाई विकास/सामुदायिक विकास व्यय		-		-
	निदेशकों का व्यय		-		-
	अनुसंधान एवं विकास व्यय		-		-
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		-		-
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज		-		-
	ग्राहकों को छूट		-		-
	स्व निर्मित वीईआर पर व्यय		-		-
	विनियमित विद्युत के लिए व्यय	-		-	
	घटाए: विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-	-	-
	विनिमय दर अंतर		-		-
	अन्य सामान्य व्यय		884410		-
	उप जोड़		2040169		-
	जोड़ें/(घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड		2040169		-
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		1155759		-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (क से ड) =1		**884410**		**-**
च.	**प्रावधान**				
	खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		-		-
	खराब और संदिग्ध अग्रिमों/जमा राशियों के लिए प्रावधान		-		-
	खराब और संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-		-
	भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी		-		-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान		-		-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान		-		-
	परियोजना खर्चों के लिए प्रावधान		-		-
	अचल परिसम्पत्तियों/भंडारों के लिए प्रावधान		-		-
	स्व-निर्मित वीईआर की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-		-
	सीएटी योजना के लिए प्रावधान		-		-
	अन्य		-		-
	उप जोड़		-		-
	जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		-		-
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि		-		-
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
		कुल (च) = ii	-		-
	लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया	**कुल (i) + (ii)**	**884410**		**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) सीईआरसी अधिसूचना दिनांक 19-01-2009 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा दाखिल किए गए आवेदन की सत्यता के संदर्भ में सीईआरसी द्वारा संशोधित आदेश की अधिसूचना के लम्बित रहते, रुपये ..... (पिछले वर्ष ....) का प्रावधान लाभार्थी राज्यों को ब्याज के रूप में 31.03.2015 को समाप्त अवधि के दौरान लेखा बहियों में किया गया है, जो उक्त संशोधन आदेश के परिणाम स्वरूप टैरिफ में कमी होने की स्थिति में अदा करना पड़ सकता है - केवल पावर स्टेशनों के लिए।

3) लेखापरीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है

i)	**सांविधिक लेखा परीक्षकों को**	**(राशि रुपये में)**	(राशि रुपये में)
	लेखापरीक्षक के रूप में		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	अन्य क्षमता में		
	कराधान मामले	-	-
	कम्पनी कानून संबंधी मामले	-	-
	प्रबंधन सेवाएं	-	-
	अन्य मामले/सेवाएं	-	-
	व्यय की अदायगी	-	-
ii)	**लागत लेखापरीक्षक**		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	खर्चों की अदायगी	-	-
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 23 कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपए) में)

विवरण	**31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	-	-
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	**-**	**-**
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**-**	**-**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	-	-
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत रुपये .... (विगत वर्ष रु....) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

(राशि रुपए में)

2)	उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :	**31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i)	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	0	0
ii)	एम्प्लाई डिफाइंड कंट्रीब्युशन सुपरएनुवेशन स्कीम	0	0

टिप्पणी सं. 24 वित्त लागत

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**निम्नलिखित पर ब्याज :**		
	भारत सरकार से ऋण	-	-
	बॉण्ड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	कैश क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज प्रभार	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
ख)	**अन्य ऋण लागत**		
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	-
	रायॅल्टी	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त प्रभार	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
ग)	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**		
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
	कुल योग	-	-
	जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
	कुल योग	**-**	**-**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	-	-
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	**-**	**-**
	जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
	कुल	**-**	**-**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
	घटाएं : सहायता अनुदान-आरक्षी को प्रभारित (बट्टे खाते डाले गए अनुदान)	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 26 पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	आय				
	विद्युत कर बिक्री		-		-
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्चलिखित		-		-
	ऋणकर्ताओं से ब्याज/प्रभार		-		-
	अन्य		-		-
	उप-जोड़		-		-
	व्यय				
	वेतन और मजदूरी		-		-
	मरम्मत और अनुरक्षण		-		-
	वित्त लागत		-		-
	मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय		-		-
	अन्य		-		-
	उप जोड़		-		-
	कुल		-		-
	जोड़ें / (घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	कुल		-		-
	घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय				
	पूर्व अवधि व्यय		-		-
	घटाए: पूर्व अवधि आय		-		-
	कुल		-		-
	घटाए: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		-		-

टिप्पणी सं. 27 कर व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	वर्तमान कर				
	आय कर प्रावधान		-		-
	पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-		-
	आस्थगित कर	(218626)		-	
	घटाए: वसूली योग्य	-	(218626)	-	-
			(218626)		-

टिप्पणी सं. 28 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	-		-	
	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान	-		-	
	कर्मचारी कल्याण व्यय	-		-	
	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		-		-

टिप्पणी सं. 28 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ख)	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
	भवन	-		-	
	मशीनरी	-		-	
	अन्य	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ग)	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
	किराया	-		-	
	दरें और कर	-		-	
	बीमा	-		-	
	सुरक्षा व्यय	-		-	
	विद्युत प्रभार	-		-	
	यात्रा और वाहन	-		-	
	वाहनों पर व्यय	-		-	
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	-		-	
	विज्ञापन एवं प्रचार	1155759		-	
	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
	मुद्रण और लेखन सामग्री	-		-	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
	- स्वदेशी	-		-	
	- विदेशी	-		-	
	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां एवं दावे	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
	अन्य सामान्य व्यय	-		-	
	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
	विनिमय दर अंतर (डेबिट)	-		-	
	उप-जोड़		1155759		-
घ)	**वित्त लागत**				
	निम्नांकित पर ब्याज :				
	भारत सरकार के ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
	नक़दी क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-		-	
	ब्याज लागत का समायोजन समझा गया विनिमय अंतर	-		-	
	हेजिंग कारोबार से हानि	-		-	
	बांड इश्यू/सेवा प्रभार	-		-	
	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
	अन्य वित्त प्रभार	-		-	
	उप-जोड़		-		-

टिप्पणी सं. 28 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ङ)	**प्रावधान**	-		-	
	उपजोड़		-		-
च)	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	-		-	
	उप-जोड़		-		-
छ)	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाए: पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ज)	**निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:**				
	अन्य आय	-		-	
	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-		-	
	वित्त लागत	-		-	
	प्रावधान	-		-	
	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़		-		-
	कुल (क से ज)		1155759		-
झ	**घटाए: प्राप्तियां और वसूलियां**				
क)	अन्य आय				
	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
	विविध प्राप्तियां	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	-		-	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ख)	विद्युत उत्पादन से आय- कमिशनिंग पूर्व		-		-
	कुल		**1155759**		-

टिप्पणी सं. 29 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. **आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण:-**

   क) कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है:

   (i) पूंजीगत कार्य

   संविदाकारों ने दर और मात्रा परिवर्तन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और काम रोके जाने/कार्य स्थल सुपुर्द किए जाने में विलम्ब आदि के बारे में कंपनी के खिलाफ़ कुल मिलाकर रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) के दावे किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे सम्बद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा उनसे संबंधित ट्राइब्यूनल/अदालत में विचाराधीन हैं। इसके अंतर्गत कंपनी के खिलाफ सुनाए गये पंचाट फैसलों और तत्संबंधी ब्याज देयता के रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) शामिल हैं। कंपनी ने इन मामलों को अदालत में चुनौती दी है।

   प्रबंधन ने उपरोक्त दावों का मूल्यांकन किया है और आर्थिक फायदों को शामिल करके संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रु शून्य करोड़ के प्रावधान (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) का अनुमोदन किया है तथा आकस्मिक देयताओं के रूप में रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) का अनुमान लगाया है, अर्थात् अनुमानित राशि के लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार हो सकती है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों में, जहां आर्थिक फायदों को शामिल करते हुए या तो बहिर्गमन की आशंका नहीं है, या फिर दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देयता तय नहीं की गई है। अन्य दावों/दायित्वों के निपटान में किसी प्रकार के बर्हिगमन की संभावना नहीं देखी गई है।

   (ii) भूमि मुआवजा मामले

   परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता के संदर्भ में, कुछ भूमि विस्थापितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/अदालतों के समक्ष अधिक मुआवज़े के रूप में रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) के दावे किए हैं। इनका निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) का प्रावधान किया है और संसाधनों का बहिर्गमन संभाव्य न होने को देखते हुए आकस्मिक देयता के रूप में रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) का अनुमान लगाया है। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

   (iii) विवादित आयकर की मांग

   विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विवादित आयकर/बिक्रीकर/सेवाकर/शुल्क संबंधी मामलों की राशि रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) है। इन मामलों का निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के आधार पर रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रुपये शून्य) का प्रावधान किया है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न देखते हुए शेष दावों अर्थात् रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

   (iv) अन्य

   अन्य मामलों के कारण दावों की राशि रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) आंकी गई है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। उनका निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) का प्रावधान किया है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न देखते हुए रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

   (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा संबंधी मामलों और अन्य लंबित मामलों से जुड़ी ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जिनमें राशियों को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है।

   (ग) किसी भुगतान से संबंधित अनिश्चितताओं का पता लगाना और उन्हें प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

   (घ) उक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में कंपनी को 'शून्य' रुपए) (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए)) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

   (ड) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में मुकदमों पर व्यय के लिए रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) अदा किए गए हैं और उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों/ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है।

2. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) है।

3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते, कुछ मदों की अनुमोदित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों के लिए अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि रु शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य करोड़) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4. क) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय, विविध देनदारों के लिए अग्रिम, संविदाकारों, विविध लेनदारों को अग्रिम और संविदाकारों से जमा/प्रतिधारण राशि समाधान/पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं। वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के निर्देशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई परियोजनाओं अथवा सौंपे जाने का निर्णय की गई परियोजनाओं के संदर्भ में दावे भी शामिल हैं।

   ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां संशोधित/खारिज की गई:

नीति संख्या	विवरण	वर्ष के लिए लाभ पर प्रभाव
2.5	अधिशेष/निपटान कार्रवाई प्रतीक्षित अचल परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने संबंधी नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि उन्हें अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत करने की बजाए ''अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत दर्शाया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं
5.2.3	ऐसी मदों के संदर्भ में जिनके लिए कम्पनी द्वारा मूल्यांकित दरों का इस्तेमाल किया गया हो, मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि 1.4.2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट मदों के संदर्भ में उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्य की धारणा अपनाई जा सके।	कोई प्रभाव नहीं।
5.3	वस्तुओं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़ कर) का मूल्यह्रास प्रभारित करने संबंधी नीति संशोधित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के प्रारंभ में रुपये 5,000 या इससे कम डब्ल्यूडीवी वाली वस्तुओं के मामले में डब्ल्यूडीवी रुपया 1/- समझते हुए पूर्ण मूल्यह्रास प्रभारित किया गया।	कोई प्रभाव नहीं।
7.3	रुपये 5000/- या इससे अधिक मूल्य के काम में लाए जा रहे खुले औजारों को बट्टे खाते में डालने संबंधी नीति निरस्त कर दी गई।	कोई प्रभाव नहीं।
9.3	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय संबंधी नीति को निरस्त किया गया।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि यह नीति अनावश्यक थी

संबंधित उपरोक्त के अलावा, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन से अन्य लेखांकन नीतियों को पुनः वर्णित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिनका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

6. निर्माण अनुबंधों से संबंधित लेखांकन मानक-7 के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(राशि रुपए में)

क्र सं	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	चालू अनुबंधों पर रिपोर्ट करने की तारीख तक व्यय की गई समग्र लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि घटाते हुए)	शून्य	शून्य
2.	अग्रिम प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
3.	प्रतिधारण राशि	शून्य	शून्य
4.	संविदा कार्यों के लिए परिसम्पत्ति के रूप में ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य
5.	संविदा कार्यों के लिए देयता के रूप में ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य

नोटः उपरोक्त प्रकटीकरण केवल एजेंसी शुल्क/सेवा प्रभार के मामले में दिया जाता है।

7. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा:

(राशि रुपए में)

		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यह्रास को छोड़ कर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़ कर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)*	शून्य	शून्य
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	शून्य	शून्य

* परंतु कम्पनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्रचलित सीईआरसी (शुल्क की नियम एवं शर्तें) विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दरों का प्रभाव लाभार्थियों से वसूली योग्य है। आईसीएआई की ईएसी की राय के अनुसार वर्ष के लिए विनिमय दर अंतर स्थगित विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव परिसम्पत्तियों (लाभार्थियों से वसूली योग्य) को अंतरित किया गया।

8. क) कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन करना है। अन्य प्रचालनों जैसे अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों को 'सेग्मेंट रिपोर्टिंग' संबंधी लेखांकन मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग सेग्मेंट में शामिल नहीं किया गया है।

ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश में अवस्थित हैं। इसलिए भौगोलिक खंडों आधार पर सूचना देने की बात लागू नहीं होती।

9. कम्पनी अधिनिया- 2013 की अनुसूची III के अनुसार अन्य प्रकटीकरण:-

(राशि रुपए में)

क्र.स.	विवरण	31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य: i) पूंजीगत वस्तुएं ii) कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय i) जानकारी ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
ग)*	प्रचालन इकाईयों में उपयोग में आए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य i) आयातित ii) स्वदेशी	शून्य	शून्य
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन i) ब्याज ii) अन्य	शून्य	शून्य

* प्रोद्भूत आधार

11. प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है:-

क्र.स.	विवरण	अभ्युक्ति
1.	निवेश और मूल्यांकन के आधार के रुप में धारित प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां	शून्य
2.	प्रमाणन अधीन प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान उत्सर्जन कमी उपकरणों का मूल्यह्रास और प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपये में)	शून्य
4.	31.03.2015 को समाप्त हुई अवधि के दौरान बेचे गए वीईआर की संख्या उनके मूल्य सहित	शून्य

12. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को अदा न किया गया मूलधन	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में अदा न किए गए मूलधन पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
(iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक के लिए मूलधन के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता	शून्य

12 (क) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड ने 2 फरवरी, 2015 से एक स्वतंत्र लेखांकन इकाई के रूप में काम करना शुरूकर दिया है।

13. किसी विवाद के कारण जमा न कराए गए सांविधिक देयों का ब्यौरा:-

अधिनियम का नाम	देय का स्वरूप	राशि रु. में	वर्ष जिससे संबंधित है	फोरम जहां मामला लम्बित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	शून्य		
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	शून्य		
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	शून्य		
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	शून्य		
कृपया निर्दिष्ट करें	कोई अन्य कर	शून्य		

14. लेखांकन मानक-15 ''कर्मचारी लाभ'', लेखांकन मानक-18 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' और लेखांकन मानक-28 ''परिसंपत्तियों की हानि'' आदि से संबंधित प्रकटीकरण का निपटारा कारपोरेट कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 077833

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(डी. पी. भार्गव)
अध्यक्ष
डीआईएन 01277269

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(आर. एस. मीना)
निदेशक
डीआईएन 00149956

(डी. शेषाद्री)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या - ए15801

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 25 मई, 2015

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर-पूर्व निवल लाभ	-	-	-	
	समायोजन :	-		-	
	ब्याज/अन्य आय	-		-	
	बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय	884410		-	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	(884410)	-	-	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन	-		-	
	ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी			-	
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-		-	
	वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	2040169		-	
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-		-	
	प्रचालन से सृजित नकदी	**1155759**	-	-	
	अदा किया गया आयकर	-		-	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी		1155759		
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**	-		-	
	अचल परिसंपत्तियों का संवर्द्धन	-		-	
	चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	**(1155759)**		-	
	भंडार एवं कल पुर्जों में वृद्धि	-		-	
	ब्याज आय	-		-	
	ब्याज आय (पूर्व अवधि)	-		-	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी		**(1155759)**		
ग.	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**	-		-	
	विविध व्यय	-		-	
	शेयर आवंटन/आवेदन निधि के प्रति प्राप्तियां	(10000000)		-	
	अनुदान के प्रति प्राप्तियां	-		-	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी		**(10000000)**		
	नकदी/नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि (क+ ख+ग)		**(10000000)**		
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**-**		**-**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**10000000**		**-**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 077833

(डी. पी. भार्गव)
अध्यक्ष
डीआईएन 01277269

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(आर. एस. मीना)
निदेशक
डीआईएन 00149956

(डी. शेषाद्री)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या - ए15801

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 25 मई, 2015

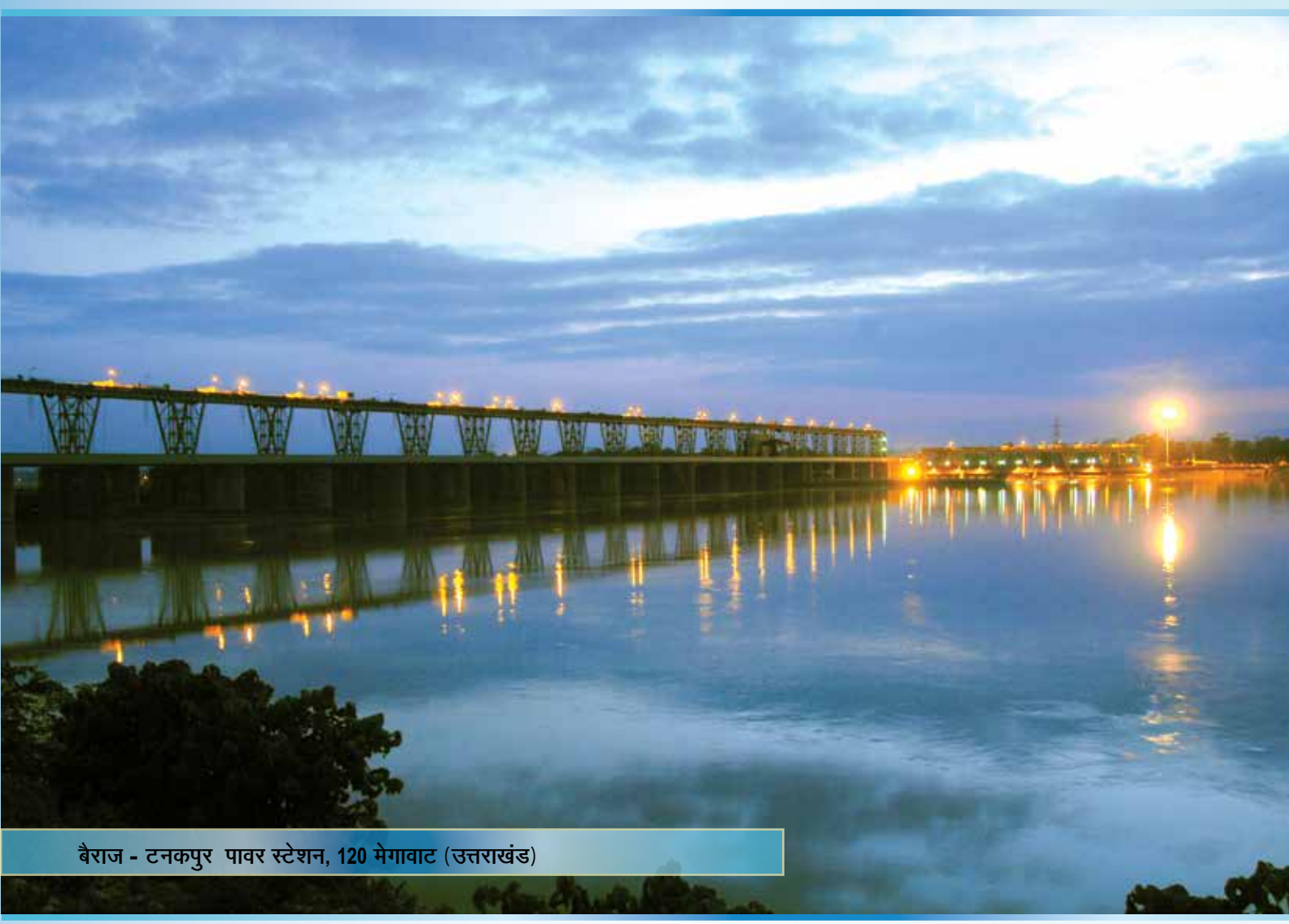

बैराज - टनकपुर पावर स्टेशन, 120 मेगावाट (उत्तराखंड)

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN No. 'L40101HR1975GOI032564'

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर – 33, फरीदाबाद – 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
EPABX : 0129-2278421 / 422 / 423

www.sapprints.com